रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 1, 2014/अग्रहायण 10, 1936
No. 346] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 1, 2014/AGRAHAYANA 10, 1936

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2014

सं. मि. 51–1/2014 (राअषिप (मा तथा मानक).—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 (1993 का 73वां) के खण्ड 32 के उपखण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (विनियम मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम 2009 का प्रतिस्थापन करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एतदद्वारा निम्न विनियम अधिसूचित करती है:—

(1) लघु शीर्ष और प्रवर्तन:—(1) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम 2014 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं:—इन विनियमों में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'अधिनियम' का आशय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 (1993 का 73वां) से है।

(ख) 'संयुक्त संस्थान' का आषय विधिवत रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे उच्च शिक्षा संस्थान से है जो अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए आवेदन करते समय स्थिति अनुसार उदार कलाओं अथवा मानविकियो अथवा सामाजिक विज्ञानों अथवा विज्ञानों अथवा वाणिज्य अथवा गणित के क्षेत्र में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है।

(ग) 'समापन' का आशय अथवा ऐसा संस्थान जो एक से ज्यादा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन करना रहा है। संस्थान द्वारा प्रस्तुत औपचारिक आवेदन पत्र के आधार पर परिषद द्वारा जिस संस्थान को मान्यता दी गई है अथवा कार्यक्रम की अनुमति दी गई है उसे निरस्त करना अथवा बन्द करना।

(घ) यहां प्रदत्त तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 (1993 का 73वां) में परिभाषित अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो कि उपर्युक्त अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

3. प्रयोज्यता

ये विनियम संस्थानों की मान्यता के लिए मानदंड और मानक तथा क्रियाविधियां तैयार करने, नए कार्यक्रम शुरू करने, वर्तमान संस्थानों में मौजूदा कार्यक्रम के अतिरिक्त नया कार्यक्रम आरम्भ करने एवं मौजूदा कार्यक्रम में स्वीकृत प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों से संबंधित सभी विषयों पर लागू होंगे, यथा

(क) नए अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की शुरूआत के लिए जिनको संयुक्त संस्थानों द्वारा मान्यता हेतु संचालन किया जायेगा

(ख) परिषद द्वारा विधिवत रूप से मान्यता प्रदत्त मौजूदा अध्यापक शिक्षा संस्थानों में नए कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति

(ग) परिषद द्वारा विधिवत रूप से मान्यता प्रदत्त मौजूदा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में अतिरिक्त प्रवेश क्षमता के लिए अनुमति

(घ) मौजूदा अध्यापक शिक्षा संस्थानों को स्थान बदलने अथवा परिसर का स्थान बदलने की अनुमति

(ङ) स्थिति अनुसार मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों संस्थानों के समापन अथवा बन्द करने के लिए अनुमति, शर्त यह है कि मुक्त तथा दूरस्थ अधिगम के जरिए चलाए जा रहे अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के मामले में ऐसे प्रत्येक अधिगम कार्यक्रम के लिए संबंधित मानदंड और मानक लागू होंगे।

4. पात्रता: संस्थानों की निम्न श्रेणियां इन विनियमों के अधीन विचार किए जाने की पात्र हैं, यथा

(क) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अथवा उसके प्राधिकार के अधीन स्थापित संस्थान

(ख) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वित्तपोषित संस्थान

(ग) डीमड विश्वविद्यालयों सहित सभी विश्वविद्यालय जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का तीसरा) के अधीन इस प्रकार मान्यता प्रदत्त अथवा घोषित किया गया हो।

(घ) समुचित विधि के अधीन पंजीकृत 'अलाभकारी' सोसायटियों तथा न्यासों द्वारा स्थापित तथा संचालित अथवा कम्पनी अधिनियम 2013 (2013 का 18वां) के अधीन किसी कम्पनी द्वारा स्थापित तथा संचालित स्ववित्त पोषित शैक्षिक संस्थान।

5. **आवेदन पत्र तैयार करने की विधि और समय सीमा.**–(1) विनियम 4 के अधीन पात्र ऐसा संस्थान जो अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने का इच्छुक है, प्रोसेसिंग फीस तथा अपेक्षित दस्तावेजों सहित निर्धारित आवेदन पत्र में मान्यता के लिए संबंधित क्षेत्रीय समिति को आवेदन कर सकता है।

उल्लेखनीय है कि संस्थान परिसर को बदलने अथवा अतिरिक्त प्रवेश क्षमता अथवा अतिरिक्त अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों जैसी भी स्थिति हो के लिए एक साथ आवेदन पत्र कर सकता है।

आगे यह शर्त कि मौजूदा संस्थान, परिषद द्वारा मान्यता प्रदत्त एक अथवा अनेक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम/कार्यक्रमों के बन्द किए जाने के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) आवेदन पत्र परिषद की वेबसाइट अथवा *www.ncte-india.org* से तथा मुक्त और दूरस्थ अधिगम द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों के लिए विभिन्न फार्म डाउनलोड किए जा सकते हैं।

(3) आवेदन पत्र प्रोसेसिंग फीस तथा अपेक्षित दस्तावेज जैसे कि संबंधित संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रतियों सहित इलैक्ट्रोनिक विधि के माध्यम से आनलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय यह सुनिश्चित किया जाना कि आवेदन पत्र के अंत में समुचित स्थान पर डिजिटल हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों।

(4) ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए पंजीकृत भूमि दस्तावेज की एक प्रति जिसमें यह दर्शाया गया हो कि कार्यक्रम के लिए आवेदन करने वाली सोसायटी अथवा संस्थान आवेदन की तारीख को भूमि उनके अधिकार में है, आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा।

(5) सभी दृष्टियों से विधिवत रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र जिस शैक्षणिक सत्र के लिए मान्यता मांगी जा रही है उसके पूर्ववर्ती वर्ष की 1 मार्च से 31 मई की अवधि के बीच संबंधित क्षेत्रीय समिति को प्रस्तुत करना होगा:

शर्त यह है कि उपर्युक्त अवधि अध्यापक शिक्षा के नवाचारी कार्यक्रमों के आवेदन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर लागू नहीं होगी।

(6) 1 मार्च और 31 मई के बीच प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर अगले शैक्षणिक वर्ग के लिए कार्रवाई की जाएगी और अंतिम निर्णय जो मान्यता प्रदान किए जाने अथवा इन्कार किए जाने के रूप में हो सकता है आगामी वर्ष की 3 मार्च को या इससे पूर्व आवेदनकर्ता को सूचित किया जाएगा।

6. प्रोसेसिंग फीस – प्रोसेसिंग फीस राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नियमावली 1997 के समय–समय पर यथासंशोधित नियम 9 के अधीन यथानिर्धारित होगी जोकि कोई अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने अथवा कार्यक्रम या मौजूदा कार्यक्रम के दाखिले में वृद्धि की मान्यता प्रदान किए जाने के लिए आवेदन पत्र प्रोसेस करने के निमित प्रार्थी द्वारा परिषद द्वारा यथाअधिसूचित नामित बैंकों में ऑनलाइन जमा की जाएगी।

7. आवेदन पत्रों को प्रोसेस करना–(1) यदि कोई आवेदन पत्र पूरा नहीं है अथवा उसके साथ अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं तो ऐसे आवेदन पत्र को अधूरा और अस्वीकृत समझा जाएगा तथा आवेदन फीस जब्त कर ली जाएगी।

(2) आवेदन पत्र निम्न में से एक अथवा अधिक परिस्थितियों के अधीन सरसरी तौर अस्वीकार कर दिया जाएगा:

(क) ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को या उससे पूर्व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नियमावली 1997 के नियम 9 के अधीन यथानिर्धारित आवेदन फीस जमा न कराना।

(ख) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कराए जाने के 15 दिन के भीतर विनियम 5 के उपविनियम (4) के अधीन यथाअपेक्षित भूमि दस्तावेजों सहित आनलाइन जमा कराए गए आवेदन पत्रों का प्रिंटआउट प्रस्तुत न करना।

(3) आवेदन पत्र में कोई गलत जानकारी देने अथवा ऐसे तथ्यों के छिपाने के फलस्वरूप जो निर्णय लेने की प्रक्रिया अथवा मान्यता प्रदान किए जाने से संबंधित निर्णय को प्रभावित करते हों संस्थान के प्रबंधक वर्ग के विरूद्ध अन्य कानूनी कार्यवाही के

अलावा संस्थान को मान्यता से इन्कार किया जाएगा। मान्यता इन्कार किए जाने का आदेश संस्थान को कारण बताओ नोटिस के माध्यम से एक समुचित मौका दिए जाने के बाद पारित किया जाएगा।

(4) संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति सहित एक लिखित पत्र क्षेत्रीय समिति के कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर क्षेत्रीय समिति में मूल आवेदन पत्र की प्राप्ति के कालक्रमानुसार क्रम में राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तथा संबंधन प्रदान करने वाले संबंधित निकाय को भेजा जाएगा।

(5) पत्र प्राप्त होने पर राज्य सरकार अथवा संबंधित संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन स्थिति अनुसार राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र को पत्र जारी किए जाने की तारीख से 45 दिन के भीतर क्षेत्रीय समिति को सिफारिशें अथवा टिप्पणियां भेजेगी। यदि राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र मान्यता दिए जाने के पक्ष में नहीं है तो वह उसके बारे में आवश्यक आंकड़ों सहित विस्तृत कारण अथवा आधार प्रस्तुत करेगी जिन पर आवेदन पत्र का निपटान करते समय संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

(6) यदि राज्य सरकार की सिफारिश उपर्युक्त अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होती तो संबंधित क्षेत्रीय समिति राज्य सरकार को एक अनुस्मारक भेजेगी जिसमें प्रस्ताव के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार को 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो एक दूसरा अनुस्मारक भेजा जाएगा जिसमें अनुस्मारक जारी किए जाने के 15 दिन के भीतर सिफारिश देने के लिए कहा जाएगा। यदि उपर्युक्त अवधि के भीतर राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता तो क्षेत्रीय समिति आवेदन को प्रोसेस करेगी और गुणदोष के आधार पर निर्णय लेगी तथा क्षेत्रीय समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए जाने को राज्य सरकार से टिप्पणियां अथवा सिफारिश प्राप्त न होने के आधार पर स्थगित नहीं किया जाएगा।

(7) राज्य सरकार की सिफारिश पर विचार करने के बाद या स्वयं अपने गुण दोषों के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय समिति यह निर्णय लेगी कि पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए संस्थान की तैयारी का जायजा लेने के लिए संस्थान का विशेषज्ञों के एक दल द्वारा जिसे निरीखण दल कहा जाता है निरीक्षण कराया जाएगा। मुक्त तथा दूरस्थ अधिगम कार्यक्रमों के मामले में अध्ययन केन्द्रों का निरीक्षण भी किया जाएगा। निरीक्षण संस्थान की सहमति के अध्यधीन नहीं होगा बल्कि निरीक्षण कराने का क्षेत्रीय समिति का निर्णय संस्थान को इस निदेश के साथ सूचित किया जाएगा कि निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भेजे गए पत्र की तारीख से दस दिन के बाद किसी भी दिन कराया जाएगा। क्षेत्रीय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि निरीक्षण सामान्यतः संस्थान को पत्र की तारीख के तीस दिन के भीतर करा दिया जाए। संस्थान से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह निरीक्षण के समय निरीक्षण दल को सक्षम सिविल प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए भवन संपूर्ति प्रमाण पत्र सहित यदि वह पूर्व में प्रस्तुत न किया गया हो परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में भवन संपूर्ति प्रमाणपत्र तथा अन्य तैयारी से संबंधित विवरण उपलब्ध कराएगा।

शर्त यह है कि क्षेत्रीय समिति ऐसे निरीक्षण उसके द्वारा स्वीकार किए जाने वाले मामलों के लिए नितान्ततः आवेदन पत्रों की प्राप्ति के कालक्रमानुसार कराएगी।

आगे यह शर्त है कि निरीक्षण के लिए परिषद द्वारा स्वीकृत विशेषज्ञों के पैनल में से तथा परिषद की निरीक्षण दल नीति के अनुसार निरीक्षण दल के सदस्यों की बाबत निर्णय लिया जाएगा।

(8) विशेषज्ञों के दल द्वारा संस्थान के दौरे के समय संबंधित संस्थान निरीक्षण को ऐसे ढंग से वीडियोग्राफ कराएगा कि प्रबन्धकवर्ग तथा संकाय के साथ, यदि दौरे के समय वह उपलब्ध हो तो वैचारिक आदान–प्रदान सहित महत्वपूर्ण मूलभूत अनुदेशात्मक सुविधाएं वीडियोग्राफ हो जाएं। निरीक्षण दल वीडियो रिकार्डिंग के साथ–साथ अपनी रिपोर्टों को अंतिम रूप देगा और जहां तक संभव होगा उसी दिन कूरियर कर देगा।

शर्त यह है कि वीडियोग्राफी को भवन का बाहरी दृश्य, उसका परिवेश, पहुंच मार्ग तथा क्लासरूमों, प्रयोगशालाओं, संसाधन कक्षों, बहुप्रयोजन हाल, पुस्तकालय तथा अन्य सहित महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधाओं को स्पष्टतः दर्शाना चाहिए। निरीक्षण दल यह सुनिश्चित करेगा कि वीडियोग्राफी अविच्छिन्न रूप से की जाए, वीडियोग्राफी की अंतिम असम्पादित प्रति उसकी रिकार्डिंग के तत्काल बाद उन्हें सौंप दी जाए तथा सीडी में उसका रूपान्तरण निरीक्षण दल सदस्यों की उपस्थिति में किया जाएगा।

आगे यह शर्त है कि नए पाठ्यक्रमों अथवा मौजूदा पाठ्यक्रम के दाखिले में वृद्धि के लिए निरीक्षण के समय निरीक्षण दल मौजूदा मान्यताप्राप्त अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए सुविधाओं का आंकलन करेगा और साथ ही मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए भी विनियमों तथा मानदंडों और मानकों की पूर्ति और रखरखाव का आंकलन करेगा।

(9) निरीक्षण दल की वीडियो रिकार्डिंग अथवा सीडी सहित आवेदन पत्र और रिपोर्ट विचार किए जाने और उपयुक्त निर्णय लिए जाने के लिए संबंधित क्षेत्रीय समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(10) क्षेत्रीय समिति मान्यता अथवा अनुमति प्रदान किए जाने के बारे में केवल इस संबंध में अपनी तसल्ली करने के बाद ही निर्णय लेगी कि संस्थान संबंधित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मानदंडों और मानकों सहित राष्ट्रीय परिषद द्वारा अधिनियम, नियमों तथा विनियमों के अधीन निर्धारित सभी शर्तों की पूर्ति करता है।

(11) मान्यता प्रदान किए जाने के मामले में क्षेत्रीय समितियां विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मानदंडो और मानकों सहित अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत पूर्णरूपेण कार्य करेगी।

(12) क्षेत्रीय निदेशक जोकि क्षेत्रीय समिति के संयोजक हैं क्षेत्रीय समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मानदंडों और मानकों सहित अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों में सही प्रावधान क्षेत्रीय समिति की जानकारी में लाए जायें जिससे कि समिति उपयुक्त निर्णय लेने की स्थिति में हो सके।

(13) संबंधित संस्थान को शैक्षणिक सत्र के शुरू होने से पहले योग्य संकाय की नियुक्ति किए जाने के अध्यधीन एक आशय पत्र के माध्यम से मान्यता अथवा अनुमति प्रदान किए जाने की बाबत सूचित किया जाएगा।

इस धारा के अधीन ज़ारी किए जाने वाला आशय पत्र राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया जाएगा लेकिन संस्थान को और संबंधन प्रदान करने वाले निकाय को इस अनुरोध के साथ भेजा जाएगा कि राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार योग्य स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए और यह सुनिश्चित करने में संस्थान को पूरा सहयोग प्रदान किया जाए कि स्टाफ अथवा संकाय परिषद के मानदंडों के अनुसार दो महीने के भीतर नियुक्त कर लिया जाए। संस्थान संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा यथा अनुमोदित संकाय की सूची क्षेत्रीय समिति को भेजेगा।'

(14) (1) सभी प्रार्थी संस्थान क्षेत्रीय समिति से आशय पत्र की प्राप्ति के शीघ्र बाद परिषद तथा तदनुरूपी क्षेत्रीय कार्यालय वेबसाइटों के साथ हाइपरलिंक सहित स्वयं अपना वेबसाइट शुरू करेगा जिसमें सभी संबंधितों की जानकारी के लिए अन्य बातों के साथ–साथ संस्थान के विवरण, इसका स्थान, जिस कार्यक्रम के लिए आवेदन किया गया है, वह कार्यक्रम तथा दाखिल, मूलभूत सुविधाओं जैसे कि भूमि, भवन, कार्यालय, क्लासरूम तथा अन्य सुविधाओं अथवा सुख–साधनों, अनुदेशात्मक सुविधाओं जैसे कि प्रयोगशाला और पुस्तकालय की उपलब्धता और फोटोग्राफ सहित उनके प्रस्तावित शिक्षण संकाय तथा शिक्षणोत्तर संकाय के विवरण दिए गए होंगे। वेबसाइट पर निम्न में से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी यथाः

(क) संस्थान के वार्षिक दाखिले सहित स्वीकृत कार्यक्रम

(ख) स्कूल प्रमाणपत्र में यथानिर्दिष्ट संकाय तथा स्टाफ की अर्हताओं, वेतन मान तथा फोटोग्राफ सहित विवरण

(ग) संकाय के उन सदस्यों के नाम जिन्होंने पिछली तिमाही में संस्थान छोड़ दिया अथवा संस्थान में कार्यभार संभाला

(घ) चालू सत्र में दाखिल किए गए छात्रों के नाम, उनकी अर्हता, अर्हकपरीक्षा और प्रवेश परीक्षा में यदि कोई हो तो प्राप्त अंकों का प्रतिशत, दाखिले की तारीख और ऐसी अन्य जानकारी

(ङ) छात्रों से ली जाने वाली फीस

(च) उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं

(छ) पिछली तिमाही में जोड़ी गई सुविधाएं

(ज) पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या, जिन पत्रिकाओं के लिए चंदा दिया गया है तथा पिछली तिमाही में वृद्धियां यदि कोई हों तो।

(ii) संस्थान को यदि वह चाहे तो कोई अन्य संगत जानकारी प्रस्तुत करने की छूट रहेगी।

(iii) इसकी वेबसाइट पर कोई भी गलत अथव अधूरी जानकारी के कारण संस्थान की मान्यता रद्द की जा सकेगी।

15. संबंधित कार्यक्रमों के मानदंडों और मानकों के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित संकाय अथवा स्टाफ की नियुक्ति कर लेने तथा विनियम 8 के अधीन शर्तें पूरी कर लेने के बाद संस्थान संबंधित क्षेत्रीय समिति को ऐसी नियुक्तियों की बाबत औपचारिक रूप से सूचित करेगा।

16. संस्थान द्वारा संकाय के चयन अथवा नियुक्ति के लिए अनुमोदन प्रदान करने वाला पत्र भी क्षेत्रीय समिति को उपलब्ध कराया जाएगा जिसके साथ यह सिद्ध करने वाला दस्तावेज संलग्न किया जाएगा कि स्थायी निधि और आरक्षित निधि की सावधि जमा रसीदें एक संयुक्त खाते में बदल दी गई है तथा उपर्युक्त विवरण प्राप्त होने के बाद संबंधित क्षेत्रीय समिति मान्यता का एक औपचारिक आदेश भेजेगी जिसे अधिनियम में यथाउपबंधित के अनुसार अधिसूचित किया जाएगा।

17. जिन मामलों में निरीक्षण दल की रिपोर्ट तथा रिकार्ड पर उपलब्ध अन्य तथ्यों पर विचार कर लेने के बाद क्षेत्रीय समिति का यह मत हो कि संस्थान पाठ्यक्रम शुरू करने अथवा चलाने अथवा दाखिले में वृद्धि के लिए अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता, उनमें क्षेत्रीय समिति संस्थान को सुनवाई का एक मौका प्रदान करने के बाद कमियों को पूरा करने अथवा निरीक्षण के लिए कोई और मौका देने से इन्कार करने का एक आदेश पारित करेगी, जिसके कारण लिखित रूप में अभिलेखबद्ध किए जाने होंगे: शर्त यह है कि क्षेत्रीय समिति द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अधिनियम की धारा 18 के अधीन परिषद को अपील की जा सकती है।

18. निरीक्षण दल विशेषज्ञों के नामों सहित संस्थानों के निरीक्षण की रिपोर्टें क्षेत्रीय समिति द्वारा विचार किए जाने के बाद अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

19. क्षेत्रीय समिति, कार्यक्रम बन्द करने के लिए आवेदन पत्र पर उसी तरीके से कार्रवाई करेगी जो कि नए कार्यक्रमों अथवा अतिरिक्त कार्यक्रमों अथवा अतिरिक्त कार्यक्रमों अथवा अतिरिक्त दाखिले के लिए निर्धारित है।

8. मान्यता प्रदान किए जाने की शर्तें:

(1) नए अध्यापक शिक्षा संस्थान संयुक्त संस्थानों में स्थित होंगे तथा मौजूदा अध्यापक शिक्षा संस्थान स्वतंत्र संस्थानों के रूप में काम करना जारी रखेंगे और धीरे–धीरे संयुक्त संस्थान बनने की दिशा में प्रयास करेंगे।

(2) अध्यापक शिक्षा का कोई कार्यक्रम अथवा प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए संस्थान को मानदंडों तथा मानकों से संबंधित सभी अपेक्षाओं की पूर्ति करनी होगी। इन मानदंडों में अन्य बातों के साथ–साथ वित्तीय संसाधनों, आवास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला अन्य मूलभूत सुविधा, शिक्षण और शिक्षणोत्तर कार्मिकों सहित योग्य स्टाफ सम्बन्धी अपेक्षाओं का भी प्रावधान है।

(3) जिस संस्थान को परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कर दी गई है, वह ऐसी मान्यता की तारीख से पांच वर्षों के भीतर परिषद द्वारा अनुमोदित प्रत्यायन एजेंसी से प्रत्यायन प्राप्त करेगी।

(4) (i) इन विनियमों के अधीन किसी भी संस्थान को तब तक मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि उस संस्थान अथवा संस्थान को प्रायोजित करने वाली सोसायटी के पास आवेदन की तारीख को अपेक्षित भूमि पर उपलब्ध न हो। सभी अवरोधों से मुक्त भूमि मालिकाना आधार पर अथवा सरकार या सरकारी संस्थानों से कम से कम तीस वर्षों के पट्टे पर होनी चाहिए। ऐसे मामलों में जिनमें संबंधित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र नियमों के अधीन पट्टे की अधिकतम अनुमत्य अवधि तीस वर्ष से कम है, राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र का नियम लागू होगा और किसी भी स्थिति में अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए कोई भी भवन पट्टे पर नहीं लिया जाएगा।

(ii) संस्थान को प्रायोजित करने वाली सोसायटी को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तावित अध्यापक शिक्षा संस्थान के पास मानदंडों द्वारा यथानिर्धारित एक सु–सीमांकित भूक्षेत्र है।

(iii) संस्थान को प्रायोजित करने वाली सोसायटी को विनियम 7 के उपविनियम(16) के अधीन औपचारिक मान्यता आदेश के जारी किए जाने की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर भूमि और भवन को संस्थान के नाम अंतरित करना होगा तथा उसका हकनामा संस्थान में निहित करना होगा। तथापि यदि सोसायटी स्थानीय विधियों अथवा नियमों अथवा उपनियमों के कारण ऐसा करने में असमर्थ रहती है तो वह दस्तावेजी साक्ष्य सहित लिखित रूप से अपनी असमर्थता सूचित करेगी। क्षेत्रीय कार्यालय इस जानकारी को रिकार्ड पर रखेगा और इसे अनुमोदन के लिए क्षेत्रीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(5) संस्थान अथवा सोसायटी ओथ कमिश्नर अथवा नोटेरी पब्लिक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगी जिसमें ये विवरण दिए गए होंगे: भूमि का सही स्थान(खसरा नम्बर, गांव, जिला, राज्य आदि) कुल क्षेत्र जो कब्जे में है तथा भूमि को शैक्षिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने की सक्षम प्राधिकारी की अनुमति तथा कब्जे की विधि अर्थात मालिकाना या पट्टे पर है। सरकारी संस्थानों के मामले में उपर्युक्त शपथ पत्र संस्थान के प्रिंसिपल अथवा अध्यक्ष अथवा किसी अन्य उच्च अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इस शपथ पत्र के साथ पंजीकरण प्राधिकारी अथवा सिविल प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए भूमि के स्वामित्व अथवा पट्टा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति के साथ विनियम 5 के उपविनियम (4) में निहित प्रावधान के अनुसार शैक्षिक प्रयोजनों के लिए भूमि का प्रयोग करने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति तथा स्वीकृत भवन नक्शा संलग्न करनी होगी।

(6) संस्थान द्वारा शपथ पत्र की प्रति उसकी अधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। यदि शपथ पत्र की अन्तर्वस्तु अधूरी अथवा गलत पाई जाती है, सोसायटी अथवा ट्रस्ट अथवा संबंधित संस्थान के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य संगत विधियों के प्रावधानों के अधीन सिविल तथा दाण्डिक कार्रवाई की जा सकती है।

(7) निरीक्षण के समय संस्थान का भवन, उसके कब्जे की भूमि पर सभी जरूरी सुविधाओं से सुसज्जित तथा मानदण्डों और मानकों में निर्धारित सभी अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले एक स्थायी ढांचे के रूप में पूरा होना चाहिए। प्रार्थी संस्थान, सत्यापन के लिए निरीक्षण दल को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल संपूर्ति प्रमाण पत्र, भवन की संपूर्ति और निर्मित क्षेत्र के प्रमाण में भवन का स्वीकृत नक्शा तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। संस्थान में किसी भी अस्थायी ढांचे अथवा ऐस्बसटास की छतों की अनुमति नहीं होगी, भले ही वह निर्धारित निर्मित क्षेत्र के विस्तार के रूप में हो।

(8) नए कार्यक्रम अथवा दाखिले में वृद्धि के लिए निरीक्षण के समय निरीक्षण दल, जिस मौजूदा कार्यक्रम के लिए परिषद द्वारा पहले ही मान्यता दी जा चुकी है उसके लिए सुविधाओं का भी सत्यापन करेगा और साथ ही मौजूदा कार्यक्रमों के लिए विनियमों तथा मानदंडों और मानकों की पूर्ति और अनुरक्षण का भी पता लगाएगा।

(9) परिसर बदलने के स्थिति में संबंधित क्षेत्रीय समिति की पूर्व–अनुमति जरूरी होगी जो कि नए स्थान पर संस्थान का निरीक्षण किए जाने बाद दी जा सकती है। परिसर बदलने की पूर्व अनुमति के लिए संस्थान द्वारा परिसर बदलाव के लिए प्रोसेसिंग फी तथा सभी संगत दस्तावेज सहित आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में आनलाइन क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाएगा। ऐसे स्थान पर बदलाव की अनुमति दी जा सकती है, जिसके लिए यदि आरम्भ में आवेदन किया गया होता तो वह परिषद के निर्धारित मानदंडों के अनुसार संस्थान की स्थापना के लिए अर्हता प्राप्त पाया जाता। इसके बाद यह बदलाव वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा।

(10) विश्वविद्यालय अथवा परीक्षण निकाय विनियम 7 के उपविनियम (16) के अधीन औपचारिक मान्यता जारी किए जाने के बाद ही संबंधन प्रदान करेगा और संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय अथवा संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा संबंधन के बाद ही दाखिले किए जाएंगे।

(11) जब कभी अध्यापक शिक्षा में किसी कार्यक्रम के मानदण्डों तथा मानकों में कोई बदलाव किया जाता है, संस्थानों को तत्काल संशोधित मानदंडों और मानकों में निर्धारित अपेक्षाओं का पालन करना होगा। तथापि भूक्षेत्र संबंधी संशोधित मानदंड मौजूदा संस्थानों पर लागू नहीं होंगे लेकिन मौजूदा संस्थानों को संशोधित मानदण्डों का पालन करने के लिए अपेक्षित निर्मित क्षेत्र बढ़ाना होगा और जिन संस्थानों के पास संशोधित मानदंडों के अनुसार भूक्षेत्र नहीं है, उन्हें अतिरिक्त कार्यक्रमों अथवा अतिरिक्त दाखिले के रूप में विस्तार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(12) संस्थान को, जब कभी जरूरी होगा परिषद अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को जानकारी अथवा दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे तथा कोई भी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाना भी मान्यता की शर्तों का उल्लंघन समझा जाएगा।

(13) संस्थान को ऐसे रिकार्ड, रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेज, जो किसी शैक्षिक संस्थान चलाने के लिए अनिवार्य है, विशेष रूप से ऐसे दस्तावेज रखने होंगे जो केन्द्रीय अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, संबंधन प्रदान करने वाले अथवा परीक्षण निकाय को संगत नियमों अथवा विनियमों तथा मानदंडों और मानकों अथवा अनुदेशों में निर्धारित किए गए हैं।

(14) संस्थान निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य प्रकटन का पालन करेगा तथा अपनी अधिकारिक वेबसाइट में अद्यतन जानकारी प्रदर्शित करेगा।

9. **मानदंड तथा मानक:** नीचे तालिका में दर्शाए गए कार्यक्रमों का संचालन करने वाले प्रत्येक संस्थान को विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए परिशिष्ट 1 से परिशिष्ट 15 में यथानिर्दिष्ट मानदंडों और मानकों का पालन करना होगा:

क्र.स.	मानदण्ड और मानक	परिशिष्ट संख्या
1.	स्कूल पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा (डीपीएसई) प्राप्त कराने वाला प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम	परिशिष्ट–1
2.	प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड.) प्राप्त कराने वाला प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम	परिशिष्ट–2
3.	प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक (बी.एल.एड.) डिग्री प्राप्त कराने वाला प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में स्नातक कार्यक्रम	परिशिष्ट–3
4.	शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) डिग्री प्राप्त कराने वाला प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम	परिशिष्ट–4
5.	शिक्षा में मास्टर (एम.एड) डिग्री प्राप्त कराने वाला शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम	परिशिष्ट–5
6.	शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) प्राप्त कराने वाला शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम	परिशिष्ट–6
7.	शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड) डिग्री प्राप्त कराने वाला शारीरिक शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम	परिशिष्ट–7
8.	शारीरिक शिक्षा में मास्टर (एम.पी.एड) डिग्री प्राप्त कराने वाला शारीरिक शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम	परिशिष्ट–8
9.	प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड.) प्राप्त कराने वाला मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम	परिशिष्ट–9
10.	शिक्षा में स्नातक (बी.एड) डिग्री प्राप्त कराने वाला शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम	परिशिष्ट–10
11.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य कला) प्राप्त कराने वाला कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य कलाएं) कार्यक्रम	परिशिष्ट–11
12.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन कलाएं) प्राप्त कराने वाला कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन कलाएं)	परिशिष्ट–12
13.	बी.ए. बी.एड/बी.एससी बी.एड. प्राप्त कराने वाला 4 वर्षीय समाकलित कार्यक्रम	परिशिष्ट–13
14.	शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) डिग्री प्राप्त कराने वाला शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम (अंशकालिक)	परिशिष्ट–14
15.	बी.एड. एम.एड. (समाकलित डिग्री) प्राप्त कराने वाला बी.एड. एम.एड. (3 वर्षीय समाकलित) कार्यक्रम	परिशिष्ट–15

10. **वित्तीय प्रबंधन**

स्ववित्तपोषी आधार पर कार्यक्रमं चलाने वाले सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों सहित स्ववित्तपोषी संस्थानों के मामले में, जहां विनियम 7 के उपविनियम 13 के अधीन आशय पत्र जारी किया गया है, किसी अनुसूचित बैंक में सावधि जमा के रूप में प्रति कार्यक्रम प्रति यूनिट के लिए पांच लाख रुपये की स्थायी निधि तथा प्रति कार्यक्रम अनुमोदित दाखिले के प्रति यूनिट के लिए सात लाख रुपये की आरक्षित निधि होगी जिसे प्रबंधक वर्ग के अधिकृत प्रतिनिधि तथा संबंधित क्षेत्रीय निदेशक के संयुक्त नाम से एक सावधि जमा के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा जिसे प्रत्येक पांच वर्षों के अन्तराल पर नवीकरण द्वारा सतत आधार पर बनाए रखा जाएगा।

(2) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार अथवा बोर्ड अथवा संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता को चैक द्वारा अथवा बैंक में इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा। संस्थान कर्मचारियों को वेतन के भुगतान, कर्मचारी भविष्य निधि का पूरा रिकार्ड रखेगा जिसके विवरण स्वमूल्यांकन रिपोर्ट में दिए जा सकते हैं और जिनका परिषद अथवा राज्य सरकार अथवा संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा कभी भी सत्यापन किया जा सकता है।

(3) प्रत्येक संस्थान अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 सितम्बर तक तथा सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित लेखाओं के निम्न विवरण प्रदर्शित करेगा:–

(i) वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(ii) वित्तीय वर्ष का आय और व्यय लेखा

(iii) वित्तीय वर्ष का प्राप्ति और भुगतान लेखा

11. **शैक्षणिक कलेण्डरः** — (1) सम्बंधन प्रदान करने वाले निकाय के लिए, इन विनियमों के अधीन परिशिष्ट 1 से 15 में निर्दिष्ट कार्यक्रमों में से प्रत्येक कार्यक्रम के संबंध में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के आरम्भ से कम से कम तीन महीने पहले समय सूची अथवा शैक्षणिक कलेण्डर निर्धारित करके अध्यापक शिक्षा संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया को विनियमित करना तथा निम्न विवरण उपलब्ध कराके समुचित प्रचार करना जरूरी होगा।

(क) दाखिलों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना के प्रकाशन की तारीखः

(ख) प्रत्येक कार्यक्रम के लिए दाखिले के वास्ते आवेदन पत्र की प्राप्ति की अन्तिम तारीखः

(ग) चयन परीक्षा अथवा इन्टरव्यू की तारीखः

(घ) अभ्यर्थियों की पहली, दूसरी तथा तीसरी सूची तथा दाखिले के समापन की अंतिम तारीख के प्रकाशन की तारीख

(2) यह समूची प्रक्रिया दाखिले की सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन की अवधि में पूरी कर ली जाएगी। संबंधन प्रदान करने वाला निकाय उसके द्वारा अधिसूचित समय—सूची अथवा शैक्षणिक कैलेंडर का कड़ाई से पालन करेगा। दाखिले की समाप्ति के बाद प्रत्येक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान संबंधित संबंधन प्रदान करने वाले अथवा परीक्षा निकायों को दाखिले की समाप्ति की अंतिम तारीख से दो दिनों के भीतर दाखिल छात्रों की सूची प्रस्तुत करेगा जोकि संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा।

12. **ढ़ील देने का अधिकार**

केन्द्रीय सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकार अथवा संघशासित क्षेत्र प्रशासन की सिफारिशों पर अथवा केवल इन विनियमों के प्रावधानों का पालन करने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए उक्त राज्य अथवा संघशासित क्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को संबंधित राज्य अथवा संघशासित क्षेत्र में संस्थानों की किसी एक श्रेणी या वर्ग के बारे में इन विनियमों के प्रावधानों में ऐसे कारणों से, जो लिखित रूप में रिकार्ड किए जाएंगे उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन ढील देने के लिए सक्षम होंगे जोकि ढील देने वाले आदेश में निर्दिष्ट की जाएंगी और निर्णय परिषद की जानकारी में लाए जाएंगे। तथापि, अपवादात्मक मामलों में अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा विनियमों और संबंधित मानदंडों और मानकों के प्रावधानों में ढील देने का अधिकार होगा परन्तु लिखित में निर्णय के कारणों का उल्लेख करते हुए परिषद् द्वारा संपुष्टि हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. निरसन और व्यावृत्तिः —(1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम 2009 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के बावजूद, एतद्द्वारा जिन विनियमों का निरसन किया गया है उनके अधीन किया गया कोई भी कार्य अथवा की गई कार्रवाई अथवा किए जाने के लिए अभिप्रेत अथवा की गई कार्रवाई जहां तक वह इन विनियमों के प्रावधानों के प्रति परस्पर विरोधी नहीं है, इन विनियमों के तदनुरूपी प्रावधानों के अधीन की गई अथवा ली गई समझा जाएगा।

जुगलाल सिंह, सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./131ए/14]

परिशिष्ट—1

विद्यालय—पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा (डीपीएसई) प्राप्त कराने वाले प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा के लिए मानदंड और मानक

1. **प्रस्तावना**

1.1 विद्यालय पूर्व शिक्षा का उद्देश्य एक अधिगम वातावरण अर्थात् आनन्दपूर्ण, बाल—केन्द्रित, खेल तथा क्रियाकलाप आधारित वातावरण में समग्र बाल विकास करना है। डीपीएसई का मौजूदा कार्यक्रम जिसे पूर्व में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में डिप्लोमा (डी.ई.सी.एड.) कहा जाता था का उद्देश्य विद्यालय पूर्व कार्यक्रमों के लिए जिनकी पेशकश नर्सरी स्कूलों, किंडरगार्टन स्कूलों तथा प्रारंभिक स्कूलों जैसे विभिन्न नामों के अधीन की जाती है अध्यापक तैयार करना है। यह कार्यक्रम 3 से 6 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को कवर करेगा।

2. **अवधि तथा कार्य दिवस**

2.1 **अवधि**

डीपीएसई कार्यक्रम की अवधि 2 शैक्षणिक वर्ष होगी। तथापि छात्रों को कार्यक्रम में दाखिले की तारीख से 3 वर्ष की अधिकतम अवधि के भीतर कार्यक्रम पूरा करने की छूट होगी।

2.2 **कार्यकारी दिवस**

(क) परीक्षा और दाखिले की अवधि को छोड़कर प्रत्येक वर्ष में कम से कम 200 कार्य—दिवस होंगे।

संस्थान प्रत्येक सप्ताह 5 अथवा 6 दिन के लिए कम से कम 36 घंटे काम करेगा जिसके दौरान संस्थान में अध्यापकों तथा छात्र–अध्यापकों की वास्तविक उपस्थित जरूरी है ताकि जब कभी जरूरत हो सलाह, मार्ग दर्शन, वार्ता और परामर्श के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(ख) सभी पाठ्यक्रम कार्य और व्यवहार के लिए छात्र–अध्यापकों की न्यूनतम उपस्थिति 80% होगी तथा स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए 90% होगी।

3. दाखिला, पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया और फीस(शुल्क)

3.1 दाखिला

प्रतिवर्ष 50 छात्रों का एक बुनियादी युनिट होगा। शुरू में दो बुनियादी युनिट रखे जा सकते हैं। तथापि सरकारी संस्थानों को अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति के अध्यधीन 4 युनिटों का न्यूनतम दाखिला मंजूर किया जा सकता है।

3.2 पात्रता

(i) उच्च माध्यमिक (+2) अथवा इसकी समतुल्य परीक्षा में कम से कम पचास प्रतिशत(50%) अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी दाखिले के लिए पात्र हैं।

(ii) एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी तथा अन्य श्रेणियों के लिए सीटों के आरक्षण और अंकों में छूट जहां कहीं लागू है सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होगी।

3.3 प्रवेश प्रक्रिया

प्रवेश अर्हता परीक्षा अथवा प्रवेश परीक्षा, अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।

3.4 फीस

संस्थान केवल संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/संबंधित राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित राअशिप(शिक्षण शुल्क तथा गैर–सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थान द्वारा प्रभार्य कोई अन्य फीस के विनियमन के लिए मार्गनिर्देश विनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित फीस ही लेगा तथा छात्रों से किसी प्रकार का दान, प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लेगा।

4. पाठ्यचर्या, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन

4.1 पाठ्यचर्या

डीपीएसई कार्यक्रम बाल्यावस्था के अध्ययन शिक्षा के सामाजिक संदर्भ, विषय ज्ञान, शैक्षणिक उद्देश्यों, शिक्षा के उद्देश्य और संचार कौशल को समाकलित करने के लिए तैयार किया जाएगा। इसकी परिकल्पना स्कूलपूर्व स्तर पर बच्चों के लिए अध्यापक तैयार करने के अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के रूप में की गई है। पाठ्यचर्या में तीन स्थूल घटक होंगे: (क) सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम जिन्हें प्रायोगिक अन्तर्वस्तु से संपूरित किया जाएगा (ख) प्रायोगिक कार्य अर्थात् स्वअधिगम/विकास तथा (ग) स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण अर्थात स्कूल–पूर्व में बच्चों के साथ प्रवृत्त होगा। सिद्धान्त और प्रायोगिक पाठ्यक्रमों को संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा निर्धारित अनुपात में भागिता दी जाएगी। तथापि एक और सैद्धान्तिक घटक तथा प्रायोगिक कार्य में और दूसरी और स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण के बीच समान अनुपात बनाए रखना वांछनीय होगा। क्लासरूम शिक्षाशास्त्र और प्रक्रियाएं अन्योन्याक्रियापूर्ण और सहभागितापूर्ण होंगी, समावेशी क्लासरूम दृष्टिकोण, ट्यूटोरियल, मार्गदर्शन तथा मिश्रित विधियों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

आईसीटी, लिंग, योग शिक्षा और विक्लांगता, समावेशी शिक्षा डीपीईएस पाठ्यचर्या का एक अविभाज्य हिस्सा होगा:

(क) सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम

मनोवैज्ञानिक और समाज वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से बच्चे के बोध के समाकलन और संतुलन तथा बाल विकास और प्रारंभिक के बाल्यावस्था सांतत्य सहित भाषा, गणित और पर्यावरणात्मक अध्ययन के ठोस ज्ञान को ध्यान में रखते हुए सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम आमतौर पर आधारिक पाठ्यक्रमों तथा अन्तर्वस्तु और शिक्षाशास्त्रीय पाठ्यक्रमों के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं।

आधारिक पाठ्यक्रमों में निम्न शामिल होंगे:

- भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा
- बच्चे और बाल्यावस्था को समझना
- बच्चे का स्वास्थ्य और पोषण
- लिंग, विविधता और भेदभाव अन्तर्वस्तु

शिक्षाशास्त्रीय पाठ्यक्रम में शामिल होंगे:

- स्कूल–पूर्व शिक्षा पाठ्चर्या: सिद्धान्त और प्राथमिकताएं

- स्कूल—पूर्व शिक्षा के लिए विधियां तथा सामग्री
- बच्चों में गणितीय अवधारणाएं विकसित करना
- बच्चों में भाषा और साक्षरकता विकसित करना
- पर्यावरण का बोध विकसित करना
- स्कूल—पूर्व शिक्षा कार्यक्रम का नियोजन और आयोजन
- विशेष जरूरतों वाले बच्चों के साथ काम करना
- माता—पिता और समुदाय के साथ काम करना

(ख) प्रायोगिक कार्य

प्रत्येक सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम के साथ सहयोगी प्रायोगिक कार्य होंगे। सैद्धान्तिक कक्षाओं के साथ प्रायोगिक कार्यों का उद्देश्य छात्र—अध्यापकों को इस इस योग्य बनाना है कि वे(क) सिद्धान्त को क्षेत्रीय स्थिति के साथ जोड़कर उसका आन्तरीकरण करना अथवा उसे बेहतर समझना तथा (ख) उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय क्षमताएं और कौशल विकसित करता है। सिद्धान्त का समर्थन करने वाले क्रियाकलापों में शामिल हो सकते हैं बच्चों/परिवारों/संस्थानों का प्रेक्षण; मामला अध्ययन करना अध्यापन—'अधिगम सामग्रियां, सहायक सामग्रियां तथा क्रियाकलाप योजनाएं निर्मित करना और व्यवहार में लाना; विभिन्न विकासात्मक तथा विषय क्षेत्रों से संबंधित क्रियाकलाप तथा विषय क्षेत्रों से संबंधित क्रियाकलाप आयोजि करना; तथा सतत और व्यापक मूल्यांकन तैयार करना।

(ग) स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण (इंटर्नशिप)

इसकी एक त्रिअवस्थां प्रक्रिया के रूप में कल्पना की गई है; अवस्था 1: विभिन्न स्थितियों में स्कूल पूर्व कक्षाओं का प्रेक्षण; अवस्था 2: दिन के एक हिस्से के लिए स्कूल पूर्व कक्षाओं में नियोजित अभ्यास शिक्षण तथा अवस्था 3; प्रावधानों की श्रृंखला—सरकारी, निजी, एनजीओ के बीच स्कूल पूर्व कार्यक्रमों में पूर्णकालिक स्थानबद्ध प्रशिक्षण अथवा निमज्जन।

दो वर्ष की अवधि के दौरान कम से कम स्कूल—पूर्व में 20 सप्ताह के स्थानबद्ध प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। पहले वर्ष में इनमें से चार सप्ताह क्लासरूम प्रेक्षण आदि के प्रति समर्पित होंगे तथा दूसरे वर्ष 16 सप्ताह स्कूल—पूर्व स्थानबद्ध प्रशिक्षण के प्रति समर्पित होंगे।

(घ) संस्थान के पास छात्र अध्यापकों के लिए क्षेत्रीय कार्य और अभ्यास शिक्षण क्रियाकलापों के वास्ते मान्यताप्राप्त स्कूलों में पर्याप्त संख्या में स्कूल—पूर्व सम्बद्ध होंगे। संस्था को कम से कम दस स्कूल—पूर्व/पूर्व—प्राथमिक स्कूलों के साथ एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसका कार्यक्रम के स्थानबद्ध प्रशिक्षण तथा अन्य स्कूल आधारित क्रियाकलाप करने देने के लिए उनकी तत्परता निर्दिष्ट की कई हो। ये स्कूल—पूर्व कार्यक्रम के दौरान प्रायोगिक कार्य क्रियाकलापों और संबंधित कार्य के लिए सम्पर्क बिन्दु का निर्माण करेंगे। राज्य शिक्षा विभाग का जिला/ब्लाक कार्यालय विभिन्न टीईआई को स्कूल आबंटित करेगा।

4.2 कार्यक्रम कार्यान्वयन

कालेज/संस्थान को अध्ययन के व्यावसायिक कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित विशिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति करनी होगी:

(i) स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण सहित सभी क्रियाकलाप के लिए कैलेंडर तैयार करना, स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण और अन्य स्कूल सम्पर्क कार्यक्रम स्कूल के शैक्षणिक—कैलेंडर के साथ समकालिक रखे जाएंगे।

(ii) नियतकालिक आधार पर छात्रों के लिए संगोष्ठियां, वार्ताएं, लेक्चर तथा चर्चा—समूह आयोजित करके शिक्षा पर चर्चा शुरू कराना।

(iii) मूल विषय—क्षेत्रों के साथ संकाय के वैचारिक आदान—प्रदान सहित शैक्षणिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करना; संकाय सदस्यों को शैक्षणिक प्रयासों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना और विशेष रूप से प्रारंभिक स्कूलों के स्कूल—पर्वू सैक्शनों में अनुसंधान में प्रवृत्त होना। विश्वविद्यालयों तथा स्कूलों में अनुसंधान/शिक्षण करने के लिए संकाय के लिए छुट्टी का प्रावधान।

(iv) स्कूल—पूर्व के लिए सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाना ताकि विचारशील चिन्तन और महत्वपूर्ण जिज्ञासात्मक कौशल विकसित करने में छात्रों की मदद की जा सके। छात्र सतत और व्यापक मूल्यांकन रिपोर्टें और प्रेक्षण रिपोर्टें बनाए रखेंगे जो विचारशील चिन्तन के अवसर प्रदान करती है।

(v) स्कूल—पूर्व के लिए संसाधनों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए और पाठ्यचर्या तथा अध्यापक शिक्षा संस्थानों के संचालन — दोनों के माध्यम से अध्यापक शिक्षा संस्थान और स्कूल—पूर्व के बीच भागीदारी प्रोत्साहित की जानी चाहिए।

(vi) संस्थान में छात्रों और संकाय की शिकायतों की ओर ध्यान देने के लिए तंत्र और प्रावधान होने चाहिए।

(vii) स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए आईआईटी तथा सहभागी स्कूल मानीटरन, पर्यवेक्षण, पता रखने और छात्र अध्यापकों का मूल्यांकन करने के लिए एक पारस्परिक रूप से सहमत तंत्र स्थापित करेंगे।

4.3 मूल्यांकन

प्रत्येक सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमों के लिए आन्तरिक मूल्यांकन के लिए कम से कम 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तथा परीक्षण निकाय द्वारा आयोजित परीक्षा के **लिए** 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत अंक–आबंटित किए जाने चाहिएं; तथा कुल अंकों/भारिता का एक चौथाई, क्लासरूम प्रेक्षणों में छात्र के निष्पादन और स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण को 16 सप्ताह के मूल्यांकन को आबंटित किया जाएगा। आन्तरिक और बाह्य मूल्यांकन के लिए भारिता संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा निर्धारित की जाएगी। छात्रों को केवल उनके अध्ययन के यूनिटों के हिस्से के रूप में उन्हें दिए गए परियोजना/क्षेत्रीय कार्य के लिए ही नहीं बल्कि समूचे प्रायोगिक कार्य का आन्तरिक रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन का आधार तथा प्रयुक्त मानदंड छात्रों के लिए पारदर्शी होना चाहिए ताकि व्यावसायिक फीडबैक से छात्र अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। छात्रों को व्यावसायिक फीडबैक के हिस्से के रूप में उनके ग्रेडों/अंकों से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें अपना निष्पादन सुधारने का मौका मिल सके। आन्तरिक मूल्यांकन के आधार में वैयक्तिक अथवा सामूहिक कार्य, प्रेक्षण रिकार्ड, डायरियां, विचाराशील पत्रिका आदि शामिल होने चाहिए।

5. स्टाफ

5.1 संकाय

50 छात्रों के बुनियादी यूनिट अर्थात दो वर्षों में 100 छात्रों के लिए पूर्ण कालिक संकाय क्षमता 2 व्यावसायिक सहयोगी स्टाफ सहित न होना। इस संकाय में प्रिसिपल/विभागाध्यक्ष शामिल हैं। पाठ्यक्रमों के बीच संकाय का विभाजन निम्नानुसार होगा।

o प्रिसिपल/विभागाध्यक्ष	एक
o ईसीसीई पाठ्यक्रम, बाल विकास पाठ्यक्रम	दो
o गणित अवधारणाएं	एक
o भाषा और साक्षरता	एक
o पर्यावरणात्मक अध्ययन	एक
o शिक्षा का सामाजिक शास्त्र	एक
व्यावसायिक सहयोगी स्टाफः	
o **सृजनात्मक तथा निष्पादन कलाएं**	एक
o स्वास्थ्य और पोषण	एक
o आईसीटी अनुप्रयोग	एक

टिप्पणीः (i) यदि दो **वर्षों के लिए छात्रों की संख्या दो सौ है,** के संकाय सदस्यों की संख्या बढ़ा कर कम से 15 कर दी जानी चाहिए विशेषज्ञता क्षेत्रों तथा कुछेक शिक्षाशास्त्रीय पाठ्यक्रमों के संकाय का अन्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के साथ आदान–प्रदान किया जा सकता है।

(ii) संकाय का प्रयोग नमनशील विधि से पढ़ाने के लिए किया जा सकता है ताकि उपलब्ध शैक्षणिक अनुभव को इष्टतम किया जा सके।

5.2 अर्हताएं

(i) **प्रिंसिपल**

(क) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित नीचे दिए अनुसार होंगी।

(ख) प्रारंभिक बाल्यावस्था अध्यापक शिक्षा में पढ़ाने का पांच वर्ष का अनुभाव

(ii) **ईसीसीई तथा बाल विकास में लेक्चरर – दो पद**

(क) 50% अंको सहित प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा/प्रारंभिक बाल विकास में स्नातकोत्तर डिग्री

अथवा

(ख) बाल विकास/मानव विकास/मानव विकास तथा परिवार अध्ययन/प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में विशेषज्ञता सहित 50% अंको के साथ बाल विकास अथवा गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री।

अथवा

(ग) शिक्षा अथवा गृहविज्ञान (सामान्य/संयुक्त) में स्नातकोत्तर डिग्री तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था नर्सरी शिक्षा में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा दोनों में 50% अंक सहित

(iii) **स्कूल विषयों के शिक्षण शास्त्र में लेक्चरर – तीन पद**

संगत विषय में 50% अंको सहित स्नातकोत्तर डिग्री तथा 50% अंको सहित बी.एल.एड/डी.एल.एड/डीपीएसई

(iv) **अन्य क्षेत्रों में लेक्चरर – एक पद**

शिक्षा का सामाजिक शास्त्र: शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा सहित सामाजिक विज्ञान अथवा शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री प्रत्येक स्तर पर 50% अंको सहित

(v) **व्यावसायिक सहयोगी स्टाफ : तीन पद**

(क) *सृजनात्मक और निष्पादन कलाएं:* ललित कलाओं अथवा संगीत/नृत्य में 50% अंको सहित स्नातकोत्तर डिग्री अथवा मान्यताप्राप्त संस्थान से तुल्यात्मक अर्हता।

(ख) *स्वास्थ्य और पोषण:* शारीरिक शिक्षा (बी.पी.एड) में 50% अंको सहित डिग्री।

(ग) *आईसीटी अनुप्रयोग:* कम्प्यूटर अनुप्रयोग में 50% अंको सहित स्नातक डिग्री।

5.3 प्रशासनिक और व्यावसायिक स्टाफ

(i) पुस्तकालयाध्यक्ष –एक (पूर्णकालिक)

अर्हता

पुस्तकालय विज्ञान में 50% अंको सहित स्नातक डिग्री

(ii) यूडीसी/कार्यालय अधीक्षक –एक

(iii) कम्प्यूटर प्रचालक एवं स्टोरकीपर –एक

स्टोरकीपर

(iv) सहायक –दो

अर्हता

संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित

[टिप्पणी: संयुक्त संस्थान में, प्रिंसीपल तथा शैक्षणिक प्रशासनिक और तकनीकी स्टाफ हो सकता है]

5.4 सेवा की शर्तें और उपबंध

शिक्षण और गैर–शिक्षण स्टाफ की चयन प्रक्रिया सहित सेवा की शर्तें और उपबंध, वेतनमान सेवानिवृति की आयु तथा अन्य भत्ते राज्य सरकार/सम्बन्धन प्रदान करने वाले निकाय की नीति के अनुसार होंगे।

6 सुविधाएं

6.1 आधारिक सुविधाएं

(क) अन्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के एक यूनिट सहित चलाए जा रहे इस पाठ्यक्रम के एक यूनिट के लिए भूक्षेत्र और निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार होना चाहिए:

	निर्मित क्षेत्र(वर्ग मीटर में)	भूक्षेत्र (वर्ग मीटर में)
डीपीएसई	1500 वर्ग मीटर	2500 वर्ग मीटर
डीपीएसई+डीएल.एड	2500 वर्ग मीटर	3000
डीपीएसई + बी.एड + बीए/बी.एससी बी.एड का शिक्षा घटक	3000 वर्ग मीटर	3000
डीपीएसई+बी.एड+एम.एड	3500 वर्ग मीटर	3500
डी.एल.एड+डीपीएसई+बी.एड+एम.एड	4000 वर्ग मीटर	4000

डीपीएसई के एक अतिरिक्त यूनिट के दाखिले के लिए 500 वर्ग मीटर (पांच सौ वर्ग मीटर अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की जरूरत होगी)

(ख) **संस्थान के पास निम्न आधारिक सुविधाएं अवश्य होनी चाहिए:**

(i) प्रत्येक 50 छात्रों के लिए न्यूनतम 500 वर्गफुट (पांच सौ वर्गफुट) के न्यूनतम आकार का एक क्लासरूम

(ii) दो सौ छात्रों के बैठने की क्षमता तथा एक डायस सहित बहुद्देशीय हाल जिसका कुल क्षेत्रफल 2000 वर्गफुट (दो हजार वर्गफुट) होगा

(iii) पुस्तकालय–एवं–संसाधन केन्द्र

(iv) इंटरनेट सुविधा से युक्त कम से कम 10 कम्प्यूटरों सहित आईसीटी संसाधन केन्द्र

(v) पाठ्यचर्या संसाधन केन्द्र

(vi) कला और कार्य अनुभव/संसाधन केन्द्र

(vii) शैक्षिक खिलौना कक्ष

(viii) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा कक्ष

(ix) प्रिंसिपल का कार्यालय

(x) स्टाफ रूम

(xi) प्रशासनिक कार्यालय

(xii) बालिकाओं का कामन रूम

(xiii) कैंटीन

(xiv) स्टोर रूम (दो)

(xv) पुरूष और महिला छात्र–अध्यापकों, और स्टाफ के लिए अलग–अलग प्रसाधन एवं शौचालय सुविधा कक्ष, जिनमें से एक पी डब्ल्यू डी के लिए होना चाहिए

(xvi) आगन्तुक कक्ष

(xvii) पार्किंग स्थल

(xviii) उद्यानों, बागवानी, क्रियाकलापों, आदि के लिए खुला स्थान

(xix) स्टोर रूम तथा बहुद्देशीय खेल मैदान

अनुदेशात्मक स्थान का आकार प्रतिछात्र 10 वर्गफुट (दस वर्गफुट) से कम नहीं होगा। प्रत्येक क्लासरूम ऐसे आकार का होना चाहिए कि उसमें पचास छात्र–अध्यापक आराम से बैठ सके।

(ग) समुचित खुला स्थान और साथ ही शारीरिक शिक्षा, खेलकूद तथा एथलेटिक्स के लिए इंडोर खेलों की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। खेल के मैदान सहित खेल की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

(घ) आग के जोखिम के लिए भवन के सभी हिस्सों में सुरक्षोपाय किए जाने चाहिए।

(ड) संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि बाधा–रहित होने चाहिए।

(च) लड़कों और लड़कियों के लिए अलग–अलग छात्रावास तथा कुछ आवासीय क्वार्टर वांछनीय हैं।

6.2 उपकरण और सामग्री

(क) *पुस्तकालयी पुस्तकें, पत्रिकाएं और साहित्य:* पाठचर्या रूपरेखा में दी गई पुस्तकों की प्रस्तावित सूची सहित कम से कम 1000 पुस्तकें तथा निम्न होना चाहिए:

(i) बाल विकास, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य, बाल्यावस्था का सामाजिक विज्ञान तथा सम्बन्धित विषय क्षेत्रों सम्बन्धी पुस्तकें ओडीएल संस्थानों/विश्वविद्यालयों की स्वअधिगम सामग्री

(ii) निर्दिष्ट मुद्रित जरनल, ई–जनरल, ई–साम्रगी, आनलाइन संसाधन, ओईआर

(iii) अध्यापकों की पत्रिकाएं और जनरल जैसे कि प्राथमिक अध्यापक, नवतिका, अध्यापक साथी

(iv) बच्चों के जनरल, पत्रिकाएं, क्रियाकलाप पुस्तक

(v) सचित्र कथा पुस्तकों सहित बाल साहित्य, बच्चों के लिए उपन्यासेतर, बाल कविता और तुकान्त कविता संग्रह, कमित प्रारंभिक पठन पुस्तकं, कक्षा I और II के लिए पाठ्यपुस्तक

(vi) अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए उपन्यास तथा उपन्यासेतर (यात्रा संस्मरण, जीवनियां आदि)

(vii) विश्वकोश, शब्दकोश

(ख) *अन्य संसाधन*

(i) श्रव्य—दृश्य उपकरण:: प्रक्षेपण, अनुलिपिकरण तथा टीवी, डिजिटल प्रोजेक्टर, फिल्मों, चार्टों, तसवीरों तथा राट (केवल प्राप्त टर्मिनल), एसआईटी (उपग्रह अन्तः संबंध टर्मिनल) वांछनीय होगें।

(ii) संगीतात्मक वाछयंत्रः साधारण संगीतात्मक वाछयंत्र जैसेकि हार्मोनियम/सिंथेसाइजर, ढ़पली, ढ़ोलक, मंजीरा तथा अन्य स्वदेशी वाछयंत्र।

(iii) सामान्य इन्डोर तथा आउटडोर खेलों के लिए समुचित खेल और खेलकूद उपकरण।

(iv) अध्यापन अधिगम सहायक सामग्रीः

- (क) चार्ट, तस्वीर, माडल
- (ख) कच्चा माल जैसे कि लेखन सामग्री, चार्ट पेपर, माउंट बोर्ड, कपड़ा, काटनवूल आदि (कला और शिल्प क्रियाकलापों के लिए तथा कठपुतलियां, मृदल खिलौने, पिक्चर कार्ड, डोमिनो, वार्ता चार्ट, कथा कार्ड जैसी अधिगम सहायक सामग्री तैयार करने के लिए)
- (ग) कैंची, स्केल आदि जैसे औजार।

(v) विकासात्मक मूल्यांकन पड़ताल सूचियां और मापन औजार

(vi) डिजिटल मल्टीमीडिया संसाधन

(vii) फोटो कापी करने वाली मशीन (वांछनीय)

6.3 अन्य सुविधाएं

- (क) अनुदेशात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यात्मक तथा उपर्युक्त फर्नीचर।
- (ख) पुरूष और महिला छात्र—अध्यापकों के लिए अलग अलग कामन रूम।
- (ग) पुरूष और महिला स्टाफ तथा छात्रों के लिए पर्याप्त संख्या में टायलेट।
- (घ) वाहन और वाहन खड़े करने के लिए स्थान।
- (ङ) सुरक्षित पेयजल के लिए प्रावधान
- (च) परिसर की नियमित सफाई, जल और टायलेट सुविधाओं, फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की मरम्मत तथा प्रतिस्थापन की व्यवस्था।
- (छ) संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर, सुविधाएं आदि विकलांग अनुकूल होनी चाहिए।
- (ज) भवन के सभी हिस्सों में आग की आपदा के लिए सुरक्षित उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

टिप्पणीः संयुक्त संस्थान के मामले में, आधारिक तथा अन्य सुविधाएं विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा साझा की जा सकती है।

7. प्रबंधन समिति

संस्थान में संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, यदि कोई हो तो, एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। ऐसे किसी नियम की गैर—मौजूदी में प्रायोजन करने वाली सोसायटी स्वयं अपनी ओर से प्रबंधन समिति का गठन करेगी। इस समिति में प्रबंधन सोसायटी/न्यास, शिक्षाविदों, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि तथा स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

परिशिष्ट—2

प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड) प्राप्त कराने वाले प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा पाठ्यचर्या के मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना

1.1 प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा(डी.एल.एड) अध्यापक शिक्षा का दो वर्ष का व्यावसायिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था अर्थात कक्षा I से VIII तक के लिए अध्यापकों को तैयार करना है। प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य समाज

की सक्रिय सहभागिता से सामाजिक और लिंग अन्तरों को दूर करते हुए समावेशी स्कूल पर्यावरण में सभी बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना है।

1.2 प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के विभिन्न नाम हैं, जैसे बीटीसी, जेबीटी, डी.एड (डिप्लोमा इन एजुकेशन)। अबसे, इस कार्यक्रम का नाम सभी राज्यों में एक ही होगा और इसका उल्लेख 'प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा' {डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन(डी.एल. एड)} रूप में किया जाएगा।

2. अवधि और कार्य दिवस

2.1 अवधि

डी.एल.एड. कार्यक्रम दो शैक्षणिक–वर्षों की अवधि वाला होगा किन्तु, विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष तक की अवधि में इस कार्यक्रम को पूरा करने की अनुमति होगी।

2.2 कार्य दिवस

(क) प्रत्येक वर्ष में कार्य करने के कम से कम दो सौ दिन होंगे, जिसमें परीक्षा और प्रवेश की अवधि शामिल नहीं होगी।

(ख) संस्था सप्ताह (पांच अथवा छः दिन) में कम से कम छत्तीस घंटे कार्य करेगी, जिसके दौरान संस्था में सभी अध्यापकों और विद्यार्थी अध्यापकों का उपस्थित रहना आवश्यक है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सलाह, मार्गदर्शन, वार्तालाप और परामर्श के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(ग) विद्यार्थी–अध्यापकों के लिए सारे पाठ्यक्रम कार्य के लिए, जिसमें प्रयोगात्मक कार्य भी शामिल है, न्यूनतम उपस्थिति 80 प्रतिशत और स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण (इंटर्नशिप) के लिए 90 प्रतिशत होगी।

3. दाखिला क्षमता, पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया और फीस

3.1 दखिला क्षमता

बुनियादी यूनिट 50 विद्यार्थियों का होगा। प्रारंभ में, दो बुनियादी यूनिटों की अनुमति है। लेकिन, सरकारी संस्थानों को अन्य अपेक्षाओं के पूरा करने पर, अधिकतम चार यूनिट रखने की अनुमति दी जा सकती।

3.2 पात्रता

(क) उच्च माध्यमिक (+2) अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंकों वाले उम्मीदार प्रवेश के लिए पात्र हैं।

(ख) अनु जा./अनु.ज.जाति/अन्य पिछड़े वर्गों/पीडब्ल्यूडी और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण के लिए सीट–आरक्षण और अंकों में ढ़ील केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होगी, जो लागू होंगे।

3.3 प्रवेश प्रक्रिया

प्रवेश अर्हकारी परीक्षा और/अथवा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की नीति के अनुसार चयन या किसी अन्य चयन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

3.4 शुल्क

संस्था केवल वह शुल्क वसूल करेगी, जो संबंधित सम्बद्धन निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(गैर–सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रभार्य ट्यूशन फीस और अन्य फीसों के विनियमों के लिए मार्गनिर्देश) विनियम, 2002 के उपबन्धों के अनुसार विहित किया गया होगा और विद्यार्थियो से दान, प्रतिव्यक्ति फीस(केपिटेशन फीस), आदि वसूल नहीं करेगी।

4. पाठ्यचर्या, कार्यक्रम –कार्यान्वयन और मूल्यांकन

4.1 पाठ्यचर्या

डी.एल.एड का कार्यक्रम बाल्यावस्था के अध्ययन, शिक्षा के सामाजिक सन्दर्भ, विषय के ज्ञान, शिक्षणशास्त्रीय ज्ञान, शिक्षा के उद्देश्यों, और सम्प्रेषण के कौशलों को संघटित करने के लिए तैयार किया जाना है। इस कार्यक्रम में अनिवार्य और वैकल्पिक सिद्धान्त कार्यक्रम; अनिवार्य प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम; और व्यापक स्कूल प्रशिक्षुता शामिल होंगे। सिद्धान्त और प्रयोगात्मक पाठ्यक्रमों के लिए सम्बद्धक निकाय द्वारा निर्धारित अनुपात में भारांश नियत किया जाएगा। संबंधित राज्य अथवा क्षेत्र के लिए इसका संदर्भ निर्धारित करते समय, यह मोटे रूप से अध्यापक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के अनुरूप होगा। आईसीटी, लिंग, योग शिक्षा, और अशक्तता। समावेशी शिक्षा डी.एल.एड (प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा) पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग होगी।

(क) सिद्धान्त पाठ्यक्रम

सिद्धान्त पाठ्यक्रमों में शिक्षा में परिप्रेक्ष्य के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और शिक्षणशास्त्रीय पाठ्यक्रम शामिल होंगे और उनमें शिक्षणशास्त्र के बारे में वैकल्पिक पाठ्यक्रम भी होंगे। सिद्धान्त पाठ्यक्रमों में तीन व्यापक शीर्षकों में अर्थात बाल अध्ययन, समकालीन अध्ययन और शैक्षिक अध्ययन के अन्तर्गत शिक्षा के आधार/परिप्रेक्ष्य शामिल होंगे। सिद्धान्त के पाठ्यक्रमों में भाषा प्रवीणता और संचार, नियत कार्यों और परियोजनाओं सहित संगत क्षेत्र–आधारित अध्ययन–यूनिट भी शामिल होंगे। पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्रीय पाठ्यक्रमों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक पाठ्यचर्या क्षेत्रों के लिए शिक्षाशास्त्र के पाठ्यक्रम शामिल होंगे।

प्राथमिक अवस्था के लिए भाषा, गणित और पर्यावरणिक अध्ययनों में शिक्षाशास्त्रीय पाठ्यक्रम अनिवार्य होंगे; उच्च प्राथमिक अवस्था में समाज विज्ञान शिक्षा, भाषा शिक्षा, गणित शिक्षा और विज्ञान शिक्षा में वैकल्पिक शिक्षाशास्त्रीय पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ख) प्रयोगात्मक कार्य

शिल्पों, ललित कलाओं, कार्य और शिक्षा, शिक्षा में सृजनात्मक नाटक और थिएटर, आत्म–विकास, बच्चों के शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, स्कूल स्वास्थ्य और शिक्षा में व्यावसायिक कौशलों और क्षमताओं का भंडार प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने के लिए क्षेत्र में व्यस्तता के लिए पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे।

(ग) स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण (इंटर्नशिप)

प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा (डी.एल.एड) कार्यक्रम शिक्षार्थियों और स्कूल को निरन्तर व्यस्त बनाए रखेगा और इसके द्वारा दो वर्षों के दौरान शुरू से अन्त तक पड़ोस के स्कूलों के साथ सहक्रियाशीलता का सृजन करेगा। विद्यार्थियों को स्कूलों में विविध प्रकार के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम में अध्यापन और शिक्षाप्राप्ति के नवाचारी केन्द्रों, नवाचारी स्कूलों, शैक्षिक संसाधन केन्द्रों, अध्यापन–शिक्षा प्राप्ति केन्द्रों का दौरा करना शामिल होगा। स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण (इन्टर्नशिप) में अध्यापकों के कर्त्तव्यों और समुदाय की संलग्नता के बारे में शिक्षा के अधिकार (आर टी ई) के अनुबंध शामिल होंगे। स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित घटक होंगे:

पाठ्यक्रम के दौरान कम से कम 20 सप्ताह स्कूलों में प्रशिक्षुता के होंगे, जिनमें से पहले वर्ष के दौरान 4 सप्ताह कक्षाओं के कमरों में प्रेक्षण के लिए निर्धारित होंगे; स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष के दौरान कम से कम 16 सप्ताह की अवधि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए होगी, जिनमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाएं भी शामिल हैं।

(घ) क्षेत्र में कार्य के लिए और विद्यार्थी–अध्यापकों के अध्यापन से संबंधित कार्यों के अभ्यास के लिए संस्था की पर्याप्त संख्या में मान्यताप्राप्त स्कूलों तक आसानी से पहुंच होगी। यह वांछनीय है कि इसका स्वयं अपना एक संबद्ध प्राथमिक/प्रारंभिक स्कूल हो। संस्था ऐसे स्कूलों की वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी, जो अध्यापन के अध्यापन के अभ्यास के लिए सुविधाएं मुहैया करने के लिए रजामन्द हों।

4.2 कार्यक्रम कार्यान्वयन

संस्था को अध्ययन के व्यावसायिक कार्यक्रम की निम्नलिखित विशिष्ट मांगों का पूरा करना होगा:

(i) सभी क्रियाकलापों, जिनमें स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण भी शामिल है, एक कैलेंडर तैयार करना। स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण और अन्य स्कूल सम्पर्क कार्यक्रमों को स्कूल के शैक्षणिक कैलेंडर के साथ समकालिक बनाया जाएगा।

(ii) प्रशिक्षुता और कार्यक्रम के अन्य स्कूल–आधारित क्रियाकलापों की अनुमति देने के लिए स्कूलों की रजामन्दी की जानकारी देते हुए, कम से कम दस स्कूलों के साथ ऐसा प्रबन्ध किया जाए। ये स्कूल कार्यक्रम की अवधि के दौरान सभी प्रायोगिक कार्य और संबंधित कार्य के लिए बुनियादी सम्पर्क स्थल बनेंगे। राज्य शिक्षा विभाग का जिला/ब्लाक कार्यालय विभिन्न टीईआई को स्कूल आबंटित कर सकता है।

(iii) विद्यार्थियों और संकाय के लिए आवधिक रूप से संगोष्ठियां, वाद–विवाद, भाषण और चर्चा समूह आयोजित करके शिक्षा के बारे में प्रवचन प्रारम्भ करना।

(iv) शिक्षा को समृद्ध बनाने के कार्यक्रम आयोजित करना, जिनमें मूल विषयों के शिक्षकों के साथ पारस्परिक कार्य भी शामिल हैं;सकांय के सदस्यों को अकादमिक अध्यवसायों में भाग लेने और अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित करना, विश्वविद्यालयों और स्कूलों में अनुसंधान/अध्यापन करने का काम हाथ में लेने के लिए सकांय लिए छुट्टी की व्यवस्था की जाएगी।

(v) विद्यार्थियों को विचारशील चिन्तन और विवेचनात्मक प्रश्न पूछने के कौशलों का विकास करने में सहायता देने के लिए कक्षा में सहभागिता वाली अध्यापन पद्धति को अपनाना। विद्यार्थी सतत और व्यापक मूल्यांकन रिपोर्टें, प्रेक्षण रिकार्ड और मननशील पत्रिकाएं बनाए रखेंगे, जो विचारशील चिन्तन के लिए अवसर मुहैया कराते हैं।

(vi) उच्च प्राथमिक स्कूल अध्यापन के लिए वैकल्पिक शिक्षाशास्त्रीय पाठ्यक्रम का चयन विद्यार्थी द्वारा किया जाएगा।

(vii) स्कूल के लिए संसाधनों के विकास पर बल अवश्य दिया जाना चाहिए और पाठ्यक्रम तथा अध्यापक शिक्षा संस्था दोनों के जरिए अध्यापक शिक्षा संस्था और स्कूल के बीच भागीदारी का पोषण अवश्य किया जाना चाहिए।

(viii) संस्था में विद्यार्थियों और शिक्षकों (फैक्लटी) की शिकायतों की ओर ध्यान देने और शिकायतों के समाधान के लिए तंत्र अथवा अथवा क्रियाविधि और व्यवस्था होगी।

(ix) स्कूल प्रशिक्षुता के लिएः अध्यापक शिक्षा संस्थाएं और भाग लेने वाले स्कूल विद्यार्थी–अध्यापकों को परामर्श देने, पर्यवेक्षण करने, उन पर नजर रखने और मूल्यांकन करने के लिए कोई परस्पर–सम्मत क्रियाविधि निर्धारित करेंगे।

4.3 मूल्यांकन

प्रत्येक सिद्धान्त पाठ्यक्रमों के लिए, 20% से 30% तक अंक सतत आन्तरिक मूल्यांकन के लिए और 70% से 80% तक अंक परीक्षा निकाय द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के लिए नियत किए जा सकते हैं और कुल अंकों के एक–चौथाई अंक स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण पर के 16 सप्ताहों के दौरान विद्यार्थियों के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए नियत किए जा सकते हैं। आन्तरिक और बाह्य मूल्यांकन के लिए भारांश सम्बद्धक निकाय द्वारा ऊपर विर्निदिष्ट की गई श्रृंखलाओं के भीतर निर्धारित किया जाएगा। उम्मीदवारों का आन्तरिक मूल्यांकन समूचे प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम के आधार पर किया जाना चाहिए, केवल अध्ययन के उनके यूनिटों के भाग के रूप में उन्हें दी गई परियोजना/दिए गए फील्ड कार्य के आधार पर नहीं। मूल्यांकन का आधार और इस्तेमाल किए गए मापदंड विद्यार्थियों के लिए पारदर्शी होने चाहिएं, ताकि वे व्यावसायिक फीडबैक से अधिकतम लाभ उठा सकें। विद्यार्थियों को व्यावसायिक फीडबैक के भाग के रूप में उनके ग्रेडों/अंकों की सूचना दी जाएगी, ताकि उन्हें अपने कार्य–निष्पादन में सुधार करने का अवसर प्राप्त हो। आन्तरिक मूल्यांकन के आधारों में सौंपे गए वैयक्तिक अथवा सामूहिक कार्य, प्रेक्षण रिकार्ड, डारियां, विचारशील जर्नल, आदि शामिल हो सकते हैं।

5. शैक्षिक (स्टाफ)

5.1 स्टाफ और शैक्षणिक निकाय

50–50 विद्यार्थियों के दो बुनियादी यूनिटों तक की भर्ती के लिए, संकाय सदस्यों की संख्या 16 होगी। प्रिंसिपल अथवा विभागाध्यक्ष को संकाय में शामिल किया जाता है। विषय–क्षेत्रों में संकाय का वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है:

1.	प्रिंसिपल/विभागाध्यक्ष	एक
2.	शिक्षा में परिप्रेक्ष्य/शिक्षा के आधार	तीन
3.	विज्ञान	दो
4.	मानविकी और समाज विज्ञान	दो
5.	गणित	दो
6.	भाषाएं	तीन
7.	ललित कलाएं/निष्पादक कलाएं	दो
8.	स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा	एक

टिप्पणियां (i) यदि विद्यार्थियों की संख्या दो वर्षों के लिए केवल एक सौ हो, तो संकाय के सदस्यों की संख्या को घटा कर 8 कर दिया जाएगा। विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों और कुछ शिक्षणशास्त्रीय पाठ्यक्रमों में संकाय का बंटवारा अन्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के साथ किया जा सकता है।

(ii) संकाय का उपयोग अध्यापन के लिए लचीले तरीके से किया जा सकता है, ताकि उपलब्ध शैक्षिक (अकादमिक) विशेषज्ञता का इष्टतम लाभ उठाया जा सके।

5.2 योग्यताएं

(ए) प्राचार्य /विभागाध्यक्ष

(i) कम से कम 55 प्रतिशत अंको के साथ विज्ञान/समाज विज्ञानों/कलाओं/मानवीकरण विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि, और कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ एम.एड/एम.ए. (शिक्षा)/एम.एलएड की उपाधि।

(ii) किसी अध्यापक शिक्षा संस्था में पढ़ाने का पांच वर्ष का अनुभव।

वांछनीय: शैक्षिक प्रशासन/शैक्षिक नेतृत्व में डिग्री/डिप्लोमा।

(बी) शिक्षा में परिप्रेक्ष्य/शिक्षा के आधार; और पाठ्यचर्या तथा शिक्षाशास्त्र

डी.एल.एड में अध्यापक शिक्षकों के पास 50 प्रतिशत अंकों के साथ समाज विज्ञान/विज्ञानेतर विषयों/विज्ञान/भाषा में मास्टर (एम.ए.) की उपाधि और 50 प्रतिशत अंको के साथ एम.एड. की डिग्री अथवा 50 प्रतिशत अंको के साथ एम.ए (शिक्षा) की उपाधि होनी चाहिए [सिवाय (दो) स्थितियों के, जहां आवश्यकता 50 प्रतिशत अंको के साथ व दर्शन शास्त्र/समाज विज्ञान/मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि और 50 प्रतिशत अंको के साथ बी.एल.एड अथवा बी.एड अथवा डी.एल.एड की उपाधि, अथवा शिक्षा में एम.फिल/पीएच.डी की उपाधि है।]

(सी) शारीरिक शिक्षा

(i) कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ व्यायाम शिक्षा में मास्टर की डिग्री (एम.पी.एड.)।

(डी) दृश्य और अभिनय निष्पादन कलाएं

(i) ललित कलाओं/संगीत/नृत्य/थिएटर में 50 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री।

5.3 प्रशासनिक और व्यावसायिक स्टाफ

(क) संख्या

—उच्च श्रेणी लिपिक/कार्यालय अधीक्षक —एक

—कम्प्यूटर आपरेटर—सह—स्टोर कीपर —एक

—कम्प्यूटर लैब असिस्टेंट (कम्प्यूटर विज्ञान में बीसीए/बी.टेक) —एक

—पुस्तकालयाध्यक्ष (बी.लिब के साथ) —एक

(ख) योग्यताएं

जैसी कि संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विहित की गई हों।

[**टिप्पणी:** किसी संयुक्त संस्था में, प्रिंसिपल और शैक्षिक (अकादमिक), प्रशासनिक और तकनीकी स्टाफ को परस्पर बांटा जा सकता है। वहां एक प्रिंसिपल होगा और अन्यों को विभागाध्यक्ष कहा जा सकता है।]

5.4 सेवा के निबंधन और शर्तें

अध्यापन और गैर—अध्यापन स्टाफ की सेवा के निबंधन और शर्तें, जिनमें चयन की प्रक्रिया, वेतन—मान, अधिवार्षिकी की आयु और अन्य लाभ भी शामिल हैं, राज्य सरकार/सम्बद्धक निकाय की नीति के अनुसार होगी।

6. सुविधाएं

6.1 आधारिक सुविधाएं

(क) अन्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के साथ संयुक्त रूप से डी.एल.एड कार्यक्रम का संचालन करने के लिए भूमि और निर्मित क्षेत्र इस प्रकार होगा:

पाठ्यक्रम	निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर)	भूमि का क्षेत्र (वर्ग मीटर)
डी.एल.एड	1500 वर्ग मीटर	2500
डी.एल.एड और बी.एड + बी.ए/बी.एससी, बी.एड का शिक्षा	3000 वर्ग मीटर	3000
डी.ई.सी.एड और उसके साथ डी.एल.एड	2500 वर्ग मीटर	3000
डी.एल.एड और उसके साथ बी.एड और एम.एड	3500 वर्ग मीटर	3500
डी.एल.एड और डी.ई.सी और उसके साथ बी.एड और एम.एड	4000 वर्ग मीटर	4000

टिप्पणी: डी.एल.एड के एक यूनिट की अतिरिक्त भर्ती के लिए 500 वर्ग मीटर (पांच सौ वर्ग मीटर) के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता होगी।

(ख) संस्था में निम्नलिखित आधारिक सुविधाएं अवश्य होना चाहिए (प्रत्येक मद में पीडब्ल्यडी के लिए गुंजाइश शामिल होनी चाहिए):

(i) प्रत्येक 50 विद्यार्थियों के लिए कक्षा का एक कमरा।

(ii) कुल 2000 वर्ग मीटर के क्षेत्र वाला एक बहुप्रयोजनी हाल, जिसमें एक मंच के साथ 200 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता हो।

(iii) पुस्तकालय एंव सह—संसाधन केन्द्र।

(iv) पाठ्यचर्या प्रयोगशाला (विज्ञान और गणित किटों, नक्शों, ग्लोब, रसायनों, विज्ञान किटों, आदि के साथ)।

(v) कम्प्यूटर प्रयोगशाला।

(vi) कला और शिल्प संसाधन केन्द्र।

(vii) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा केन्द्र।

(viii) प्रिंसिपल का कार्यालय।

(ix) स्टाफ के लिए कमरा।

(x) प्रशासनिक कार्यालय।

(xi) स्टोर के कमरे (दो)।

(xii) पुरुष और महिला विद्यार्थी—अध्यापकों के लिए अलग—अलग समान्य कक्ष।

(xiii) कैंटीन।

(xiv) आगन्तुक कक्ष।

(xv) पुरूष और महिला विद्यार्थी–अध्यापकों, और स्टाफ के लिए अलग–अलग प्रसाधन एवं शौचालय सुविधा कक्ष, जिनमें से एक पी डब्ल्यू डी के लिएं होना चाहिए।

(xvi) पार्किंग स्थल।

(xvii) उद्यानों, बागवानी, क्रियाकलापों, आदि के लिए खुला स्थान।

(xviii) स्टोर रूम।

(xix) बहु प्रयोजनी खेल का मैदान।

टिप्पणी: दाखिल किए गए यूनिटों की संख्या के अनुसार क्रम संख्या (i) की आवश्यकता में वृद्धि हो जाएगी।

6.2 अनुदेशात्मक

(क) संस्था पुस्तकालय–व–संसाधन केन्द्र स्थापित करेगी, जहां अध्यापकों और विद्यार्थियों की पहुंच अध्यापन–शिक्षाप्राप्ति की प्रक्रिया को सहायता देने और उसे और आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों और संसाधनों तक होगी। इनमें ये चीजें शामिल होनी चाहिए।

(i) पुस्तकें, समाचार पत्र और पत्रिकाएं,

(ii) बच्चों की पुस्तकें,

(iii) श्रव्य–दृश्य उपस्कर–टी.वी, ओएचपी, डीवीडी प्लेअर,

(iv) श्रव्य–दृश्य उपकरण, स्लाइडें, फिल्में,

(v) अध्यापन के उपकरण – चार्ट, चित्र,

(vi) विकास मूल्यांकन पड़ताल सूचियां और मापन के साधन,

(vii) फोटो–प्रतियां तैयार करने की मशीन।

(ख) विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उपस्कर और सामग्रियां

उपस्कर और सामग्रियां उन विभिन्न क्रियाकलापों के लिए, जिनकी योजना कार्यक्रम में बनाई गई हो, उपयुक्त गुणवत्ता वाली और पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। इनमें निम्नलिखित चीजें शामिल हैं:

शैक्षिक किट, माडल, खेलों की सामग्री, विभिन्न विषयों (गीतों, खेलों, क्रियाकलापों, और वर्कशीटों) पर सरल पुस्तकें, कठपुतलियां, चित्रों वाली पुस्तकें, फोटोग्राफ, फुलाई हुई चीजें, चार्ट, नक्शे, फ्लैश कार्ड, गुटके, चित्र, वाली बच्चों की विकासात्मक विशेषताओं के चित्रीय प्रस्तुतीकरण।

(ग) उपस्कर, साधन, अध्यापन उपकरणों के लिए कच्ची सामग्री, खेल सामग्री और कलाएं तथा शिल्प क्रियाकलाप

लकड़ी से काम करने के औजारों का एक सेट, बागबानी के औजारों का एक सेट, खिलौने बनाने, गुड़िया बनाने, कपड़ों की सिलाई करने, पोशाकों के डिजाइन तैयार करने, कठपुतली के खेल दिखाने के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री और उपस्कर, चार्ट और माडल तैयार करने के लिए सामग्री; और विद्यार्थी–अध्यापक द्वारा किए जाने वाले अन्य क्रियाशील कार्य–कलाप; कला सामग्री, अपशिष्ट सामग्री, लेखन सामग्री (चार्ट पेपर, माउण्ट बोर्ड, आदि), कैचियों, पैमानों (स्केल), आदि जैसे अन्य साधन, और कपड़ा।

(घ) श्रव्य दृश्य उपस्कर

प्रोजेक्शन और डुप्लीकेशन के लिए हार्डवेयर और शैक्षिक साफ्टवेयर सुविधाएं, जिनमें टी वी, डी वी डी प्लेअर, स्लाइड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, स्लाइडें, फिल्में, चार्ट, चित्र, शामिल हैं। उपग्रह आरओटी (रिसीव ओनली टर्मिनल) और एसआईटी (सेटेलाइट इंटर टर्मिनल) वांछनीय होंगे।

(ङ) संगीत उपकरण (वाद्य)

समान्य संगीत उपकरण अर्थात साज, जैसे हार्मोनियम, तबला, बांसुरी मंजीरा और अन्य देशी वाद्य।

(च) पुस्तकें जर्नल और पत्रिकाएं

संस्था की स्थापना के पहले वर्ष के दौरान संगत विषयों पर कम से कम एक हजार पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिएं और हर वर्ष उच्च स्तर की एक सौ पुस्तकें बढ़ाई जानी चाहिए। पुस्तकों के संग्रह में बच्चों के लिए विश्वकोश, शब्द–कोश, सन्दर्भ पुस्तकें, व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकें, अध्यापकों के काम आने वाली पुस्तिकाएं, बच्चों के बारे में और बच्चों के लिए पुस्तकें (जिनमें चुटकले (कामिक्स), कहानियां, चित्रों वाली पुस्तकें/एल्बम और कविताएं शामिल हैं) और वे पुस्तकें/संसाधन पुस्तकें शामिल होनी चाहिएं, जो एनसीटीई द्वारा प्रकाशित की गई हों और जिनकी सिफारिश एनसीटीई द्वारा की गई हो, और शिक्षा के क्षेत्र के कम से कम तीन अन्य प्रतिष्ठित जर्नल भी इस संग्रह में शामिल होने चाहिएं।

(छ) खेल और खेलकूद

भीतर खेले जाने वाले और बाहर खेले जाने वाले सामान्य खेलों के पर्याप्त खेल उपस्कर उपलब्ध होने चाहिएं।

6.3 अन्य सुविधाएं

(क) शैक्षिक और अन्य प्रयोजनों के लिए कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर अपेक्षित संख्या में।

(ख) पुरूष और महिला अध्यापक शिक्षकों/विद्यार्थी —अध्यापकों के लिए अलग—अलग सांझे सामान्य कमरे।

(ग) वाहनों को पार्क करने के लिए प्रबन्ध किए जाएं।

(घ) संस्था में सुरक्षित पेय जल मुहैया किया जाए।

(ङ) संस्था का परिसर, इमारत, सुविधा, आदि अशक्त व्यक्तियों के लिए अनुकूल होने चाहिएं।

(च) खेल के मैदान के साथ खेलों की सुविधाएं होनी चाहिएं। वैकल्पि रूप से, संलग्न स्कूल अथवा स्थानीय निकाय के उपलब्ध खेल के मैदान का उपयोग निर्धारित अवधियों के लिए अनन्य रूप से किया जा सकता है। जहां स्थान की कमी हो, जैसे कि महानगरों/पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, वहां छोटे मैदानों में खेले जाने वाले खेलों, योग और अन्तरंग खेलों के लिए सुविधाएं मुहैया की जा सकती है।

(टिप्पणी: यदि एक ही संस्था द्वारा एक ही परिसर में अध्यापक शिक्षा के एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, तो खेल के मैदान, बहु प्रयोजनी हाल, पुस्तकालय और प्रयोगशाला की सुविधाओं का (पुस्तकों और उपस्करों में अनुपात के अनुसार वृद्धि करके) और शैक्षिक स्थान का उपयोग बांट कर किया जा सकता है)

7. प्रबंधन समिति

संस्था सम्बन्धित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, यदि कोई हो, प्रबन्ध समिति का गठन करेगी। नियमों के न होने पर, संस्था को प्रायोजित करने वाली सोसाइटी स्वयमेव प्रबन्ध समिति गठित करेगी। समिति में प्रबन्ध समिति/न्यास/कम्पनी, शिक्षा विशारदों, प्राथमिक/प्रारंभिक शिक्षा विशेषज्ञों और स्टाफ के प्रतिनिध शामिल होंगे।

परिशिष्ट—3

प्रारम्भिक शिक्षा के स्नातक (बीएलएड) की डिग्री प्राप्त कराने वाले प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा के स्नातक कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना

1.1 प्रारम्भिक शिक्षा के स्नातक का कार्यक्रम अध्यापक शिक्षा का चार वर्ष का व्यावसायिक डिग्री कार्यक्रम है, जो उच्च माध्यमिक (सीनियर सेकडरी) शिक्षा के बाद प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य शिक्षा की प्रारम्भिक अवस्था, अर्थात कक्षा 1 से 8 तक के लिए अध्यापक तैयार करना है। इसके अलावा, यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को प्रारम्भिक शिक्षा के व्यापक प्रकार के व्यावसायिक और शैक्षिक (अकादमिक) विकल्पो के लिए तैयार करता है, जिनमें सरकारी स्कूलों के लिए विशेष अभिविन्यास के साथ प्रारम्भिक स्कूलों में पढ़ाना; विभिन्न हैसियतों में प्रारम्भिक स्कूल प्रणाली का नेतृत्त्व करना; सरकारी और गैर—सरकारी क्षेत्रक में प्रारम्भिक शिक्षा में अध्यापन और अनुसन्धान करना; शिक्षा और अन्य विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसन्धान करना; और विभिन्न राज्य संस्थानों और विश्वविद्यालयों के विभागों/कॉलेजों में प्रारम्भिक शिक्षा में कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए अध्यापक शिक्षकों के रूप में कार्य करना शामिल है।

1.2 बी.एल.एड कार्यक्रम केवल विश्वविद्यालय के उस संघटक अथवा संबद्ध कॉलेज में, जो उदार कला विषयों, मानविकी, समाजविज्ञान, वाणिज्य, गणित और विज्ञानों में स्नातकपूर्व शिक्षा प्रस्तुत करता हो, अथवा विश्वविद्यालय के किसी ऐसे संघटक अथवा संबद्ध कॉलेज में, जो बहुविध अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत करता हो, अथवा बहु—विषयक संकाय वाले विश्वविद्यालय में, जिनकी परिभाषा विनियम 2.1 में दी गई है, प्रस्तुत किया जाएगा।

2. अवधि और कार्य—दिवस

2.1 प्रारम्भिक शिक्षा के स्नातक (बीएलएड) का कार्यक्रम कम से कम चार शैक्षिक वर्षों की अवधि का होगा, जिसमें कम से 20 कार्य—सप्ताहों की स्कूल प्रशिक्षुता शामिल है, जिनमें से चार कार्य—सप्ताह अध्ययन के तीसरे वर्ष में होंगे और 16 कार्य—सप्ताह अध्ययन के चौथे/अन्तिम वर्ष में होंगे।

2.2 इस कार्यक्रम में दाखिल लिए गए उम्मीदवार अन्तिम वर्ष की परीक्षा प्रवेश लेने के वर्ष से छः वर्ष तक के भीतर दे देंगे।

2.3 प्रत्येक वर्ष कार्य करने के कम से कम दो सौ दिन होंगे, जिनमें प्रवेश और परीक्षा की अवधि शामिल नहीं होगी, किन्तु कक्षा में कार्य करने, अभ्यास करने, स्कूलों के साथ व्यस्तता और स्कूल प्रशिक्षुता की अवधि शामिल होगी। संस्थान सप्ताह में (पांच अथवा छः दिन) कम से कम छत्तीस घंटे कार्य करेगा, जिसके दौरान संकाय के सदस्य अर्थात शिक्षकगण कार्यक्रम की आवश्यकताओं के लिए जिनमें विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक कार्य करना और उन्हें परामर्श देना शामिल है, उपलब्ध रहेंगे।

2.4 विद्यार्थी—अध्यापकों की न्यूनतम उपस्थिति पाठ्यक्रम के सारे कार्य के लिए, जिसमें प्रायोगिक कार्य भी शामिल है, 80 प्रतिशत और स्कूल प्रशिक्षुता (इंटर्नशिप) के लिए 90 प्रतिशत होगी।

3. भर्ती, पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क (फीस)

3.1 भर्ती

बुनियादी यूनिट 50 विद्यार्थियों की होगी।

3.2 पात्रता

(i) बीएलएड कार्यक्रम में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए यह जरूरी है कि उन्होंने माध्यमिक परीक्षा अथवा उसके समकक्ष स्वीकार की जाने वाली कोई अन्य परीक्षा में कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हुए हों।

(ii) अनु. जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्गों/पीडब्ल्यूडी और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण और अंकों में ढील केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार जो लागू हों, के उन नियमों के अनुसार होगी।

3.3 प्रवेश की प्रक्रिया

प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा के चार वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा (अर्थात 10+2 वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा) और/अथवा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा संबद्धक विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार चयन की किसी अन्य प्रक्रिया के अनुसार योग्यता के आधार पर दिया जाएगा।

3.4 फीस

संस्थान केवल वह फीस वसूल करेगी, जो संबंधित संबद्धक निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्(गैर-सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रभार्य टयूशन फीस ओर अन्य फीसों के विनियमों के लिए मार्ग-निर्देश) विनियम, 2002 के उपबन्धों के अनुसार विहित किया गया होगा ओर विद्यार्थियों से दान, प्रतिव्यक्ति फीस (केपिटेशन फीस), आदि वसूल नहीं करेगी।

4. पाठ्यचर्या, कार्यक्रम –कार्यान्वयन और मूल्यांकन

बीईएलएड का कार्यक्रम विषय के ज्ञान, मानव विकास, शिक्षाशास्त्रीय ज्ञान के अध्ययन और सम्प्रेषण के कौशलों को एकीकृत करने के लिए तैयार किया जाना है। इस कार्यक्रम में अनिवार्य वैकल्पिक सिद्धान्त पाठ्यक्रम; अनिवार्य प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम और व्यापक स्कूल प्रशिक्षुता शामिल होंगे। प्रत्येक संस्था अध्यापन कार्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में क्षेत्र के दौरों के लिए और प्रारम्भिक स्कूल शिक्षा के नवाचारी क्रियाकलापों के केन्द्रों में जाने के लिए प्रबन्ध करेगी, शिक्षा देने वाले संस्थान पाठ्यक्रमों की उस स्कीम का पालन करेंगें, जो नीचे दी गई है।

बीईएलएड पाठ्यचर्या का प्रयास पाठ्यक्रम के जरिए जो विषय की अन्तर्वस्तु को शिक्षाशास्त्र के साथ अर्न्तग्रहित है और प्रयोग का एकीकरण सिद्धान्त के साथ करता है, स्कूल शिक्षा के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों के लिए अध्यापक तैयार करने का है। आईसीटी, लिंग, योग शिक्षा, और अशक्तता/समावेशी शिक्षा बीईएलएड पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग बनेगी।

सिद्धांतिक पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रमों में शिक्षा में परिप्रेक्ष्य अथवा आधार पाठ्यक्रम, विषय-आधारित कार्यक्रम और पाठ्यचर्या तथा शिक्षाशास्त्रीय पाठ्यक्रम शामिल होंगे। सिद्धांत के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के संगत क्षेत्र-आधारित यूनिट शामिल होंगे, जिनमें सौंपे गए कार्य और परियोजनाएं भी शामिल हैं। सिद्धांत और प्रायोगित्मक कार्य के पाठ्यक्रमों को 60 :40 के अनुपाल में भारांश दिया जाएगा। सिद्धांत के पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित किस्मों के पाठ्यक्रम शामिल होंगे।

(क) "परिप्रेक्ष्य अथवा आधार" पाठ्यक्रम बच्चों के विकास और सीखने की प्रक्रियाओं, शिक्षा की संकल्पनाओं और उसके परिप्रेक्ष्यों, उस सामाजिक-राजनीतिक सन्दर्भ जिसमें शिक्षा स्थित है, स्कूल संगठन और प्रबन्धन की प्रक्रियाओं और पद्धतियों, समाज और शिक्षा से संबंधित समकालीन मुद्दों, संबंध जोड़ने और संप्रेषण की व्यावसायिक क्षमताओं के भंडार के बारे में गठन अध्ययन मुहैया करने के लिए तैयार किए जाएंगे। भाषा, गणित, समाज विज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र के पाठ्यक्रम बच्चों को स्कूल में सीखी गई संकल्पनाओं का पुनर्निमाण करने और उन्हें एक अन्तर्विषयक और शिक्षाशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के भीतर एकीकृत करने का अवसर प्रदान करने के लिए तैयार किए जाएगे।

(ख) "पाठ्यचर्या और शिक्षणशास्त्रीय अध्ययनों" के पाठ्यक्रम 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पढ़ाने के विशिष्ट कौशलों और अध्यापन के अति मुख्य परिप्रेक्ष्य का विकास करने के लिए तैयार किए जाने हैं। इसमें ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित शिक्षाशास्त्र में परिप्रेक्ष्यों का विकास करना शामिल है। तीन अनिवार्य पाठ्यक्रम प्राथमिक अवस्था (1 से 5) में भाषा, गणित और पर्यावरणिक अध्ययनों में शिक्षणशास्त्रीय पद्धतियों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। उच्च प्राथमिक अवस्था (6 से 8) में भाषा, गणित, समाज विज्ञान और प्रकृति विज्ञान में ध्यान केन्द्रित करने वाले पाठ्यक्रमों के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। शिक्षा के विषय में नवोदित हो रहे क्षेत्रों में भी वैकल्पिक पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए जाएगे।

(ग) "विषय-आधारित पाठ्यक्रम" विद्यार्थी-अध्यापक के ज्ञान के आधार को समृद्ध बनाने के लिए और संबंधित विषयों में और आगे अध्ययन करने की अनुमति देने के लिए तैयार किए जाएंगे। विद्यार्थियों को संबंधित विषययों में स्नातकोत्तर अध्ययन करने में समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित संख्या में विषय-आधारित पाठ्यक्रम मुहैया किए जाने की आवश्यकता है। ये पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को विशिष्ट विषयों के क्षेत्रों की संकल्पनाओं से जुड़ने में समर्थ बनाएंगे और उस विषय में अन्य स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों के साथ शैक्षिक संयोजनों का निर्माण करेंगे।

4.2 प्रायोगिक कार्य

प्रायोगिक कार्य के पाठ्यक्रम प्रारम्भिक स्कूलों के अन्दर और बाहर बच्चों के साथ कार्य का विभिन्न प्रकार का अनुभव प्राप्त करने के लिए और आत्म–मंथन और विश्लेषण करने के कौशलों का विकास करने, वैज्ञानिक पूछताछ करने और सामाजिक वास्तविकताओं को समझने के अवसर प्रदान करने के लिए तैयार किए जाएंगे। पाठ्यक्रम शिक्षा में शिल्प, सृजनात्मक नाटक, संगीत, और थिएटर के बारे में व्यावसायिक क्षमताओं और कौशलों का भंडार बनाने, बच्चों के साहित्य और कहानियाँ सुनाने, पाठ्यचर्या की सामग्री का विकास और विश्लेषण करने कक्षा कमरे के प्रबन्धन, सुनियोजित प्रेक्षण, प्रलेखन और मूल्यांकन के अवसर प्रदान करने के लिए तैयार किए जाएंगे। जब कार्यक्रम अन्तिम वर्ष तक पहुंचेगा, तो सिद्धान्त, प्रेक्षणों और कक्षा के कमरे में अध्यापन के बीच संबंध का निर्माण करने के उद्देश्य से प्रयोगात्मक कार्य के संघटकों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएगी।

आत्म–विकास कार्यशालाएं : विद्यार्थियों को आत्म–चिन्तन और विश्लेषण करने के अवसर प्रदान करने के लिए क्रिया कलाप और कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी। विद्यार्थी अपनी आलोचना स्वयं करना, प्रश्न पूछना और आत्म–चिन्तन करना सीखते हैं और अपने आपको दूसरों से जोड़ने, विचार संप्रेषित करने की अपनी योग्यताओं को तीक्ष्ण बनाते हैं, और बच्चों के प्रति और अध्यापन के प्रति सकारात्मक अभिवृत्तियां विकसित करते हैं और संवैधानिक और मानव मूल्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं।

4.3 स्कूल के साथ परियुक्ति

स्कूल के साथ मेलजोल का कार्यक्रम स्कूल के बच्चों के साथ परियुक्ति के फोकस, प्रयोजन और स्वरूप को बदलने के लिए तैयार किया जाएगा। संघटकों में स्कूलों के साथ संपर्क स्थापित करना, बच्चों का प्रेक्षण अथवा निरीक्षण करना, सामग्रियों का विकास करना, शिक्षा में नवाचार के केन्द्रों का दौरा करना, समुदायों और स्कूल प्रबन्धन समितियों के साथ काम करना, और स्कूलों के बच्चों को पढ़ाना शामिल होना चाहिए।

4.4 स्कूल प्रशिक्षुता (इंटर्नशिप)

कार्यक्रम के दौरान स्कलों के साथ विद्यार्थी–अध्यापकों की संलग्नता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और इसके चरमोत्कर्ष के रूप कार्यक्रम के तीसरे और चौथे वर्ष के दौरान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर स्कूल प्रशिक्षुता का रूप ले लेती है।

स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण के संघटकों में अध्यापन की योजना बनाना, अध्यापन–शिक्षा प्राप्ति, कक्षाओं का प्रेक्षण, सीखने कलए सतत् और व्यापक मूल्यांकन के कार्य में व्यस्त रहना, विचारशील जर्नल लिखना, संसाधनों का विकास करना और क्रियाकलापों की रूपरेखा तैयार करना और कक्षा–आधारित अनुसन्धान परियोजनाएं हाथ में लेना शामिल होगा।

विद्यार्थी कार्यक्रम के अन्तिम वर्ष में कम से कम 16 सप्ताहों के लिए अध्यापन के कार्य में सक्रिय रूप से व्यस्त रहेंगे, जिसमें प्रारम्भिक एक सप्ताह के दौरान किसी नियमित अध्यापक के साथ किसी नियमित कक्षा का प्रेक्षण करना शामिल है। वे दो स्तरों पर, अर्थात प्राथमिक (कक्षा 1–5) और उच्च प्राथमिक (कक्षा 6–8) स्तरों पर अध्यापन में संलग्न रहेंगे। उन्हें सुनियोजित पर्यवेक्षी सहायता, संकाय से फीडबैक और सतत् संलग्नता के साथ सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

4.5 संस्थानों को अध्ययन के व्यावसायिक कार्यक्रम की निम्नलिखित विशिष्ट मांगों को पूरा करना होगा :

1. स्कूल प्रशिक्षुता सहित सभी क्रिययकलापों का एक कैलेंडर तैयार करना। स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण और स्कूल से संबंधित अन्य प्रायोगिकात्मक कार्यों को स्कूल के शैक्षणिक कैलेंडर के साथ समकालिक बनाया जाएगा।
2. स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए और स्कूल संलग्नता के लिए अपेक्षित अन्य प्रयोगात्मक क्रियाकलापों के लिए प्रबन्ध करने के लिए स्कूलों की रजामन्दी की जानकारी देते हुए कम से कम दस स्कूलों के साथ ऐसा प्रबन्ध किया जाए। इस प्रबन्ध के लिए संबंधित शिक्षा प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त किया जान होगा।
3. शिक्षा और पाठ्यचर्या में परिप्रेक्ष्य और शिक्षाशास्त्रीय अध्ययन पाठ्यक्रमों का कार्य–निष्पादन बहुविध और विभिन्न कार्य पद्धतियों का इस्तेमाल करने हुए किया जान चाहिए, जैसे मामला अध्ययन, समस्याएं हल करना, विद्वत गोष्ठी में विचारशील जर्नलों पर चर्चा, बहुविध सामाजिक–सांस्कृतिक पर्यावरण में बच्चों का प्रेक्षण, प्रशिक्षु विचारशील जर्नल और प्रेक्षण रिकार्ड रखेगा, जो विचारशील चिन्तन के लिए अवसर मुहैया कराते हैं।
4. विद्यार्थी–अध्यापकों को परामर्श देने, उनका पर्यवेक्षण करने, उन पर नजर रखने, और उनका मूल्यांकन करने के लिए अध्यापक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) और भाग लेने वाले स्कूलों के बीच एक परस्पर–सम्मत कार्यविधि स्थापित करें।
5. कालेज / संस्था में शिक्षा विभाग और अन्य विभागों के बीच अन्तर्विषय शैक्षिक क्रियाकलापों को बढ़ावा दें।
6. विद्यार्थियों और संकाय के लिए गोष्ठियों, वाद विवादों, भाषणों और चर्चा समूहों को आयोजित करने के द्वारा शिक्षा पर भाषणों की शुरूआत करें।
7. स्कूलों के अध्यापकों को अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थी–अध्यापकों को फीडबैक देने, और विस्तार / अतिथि भाषणों और विद्वत्गोष्ठियां आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन विभागों के संकाय सदस्यों को, जहां विद्यार्थी उदार पाठ्यक्रमों का अध्ययन करते हैं और सहयोगी विभागों को, जो अध्यापन के कार्य में शामिल

हैं, शिक्षा विभाग की विस्तारित संकाय समझा जाएगा। कम से कम एक संकाय को, जो विद्यार्थियों को शिक्षा के उदार संघटक पढ़ाने के कार्य में शामिल है, शिक्षा विभाग की अकादमिक समीक्षा और योजना–निर्माण बैठकों में भाग लेने के लिए नामित किया जाएगा। उन्हें फील्ड पर्यवेक्षण में भाग लेने लिए आमंत्रित किया जाएगा, ताकि प्रयोगात्मक क्रियाकलाप व आपसी समर्थन से कार्यान्वित किए जाए

8. संकाय के व्यावसायिक विकास के लिए शैक्षिक समृद्धि कार्यक्रम आयोजित किए जाए। संकाय को शैक्षिक कार्यों में भाग लेने के लिए और विशेष रूप से प्रारम्भिक शिक्षा में अनुसन्धान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

9. संस्था में विद्यार्थियों और शिक्षकों की शिकायतों की ओर ध्यान देने और शिकायतों का समाधान करने की कार्यविधि और व्यवस्था होगी।

4.6 मूल्यांकन

(1) प्रत्येक सिद्धांत पाठ्यक्रम में आन्तरिक मूल्यांकन के लिए 20% से 30%तक का भारांश और बाह्य मूल्यांकन के लिए 70%से 80 प्रतिशत तक का भारांश हो सकता है। कुल अकों/भारांश का एक चौथाई भाग स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए निर्धारित किया जाएगा। आन्तरिक और बाह्य मूल्यांकन के लिए भारांश संबद्धक विश्वविद्यालय द्वारा अनुपात की उपर्युक्त श्रृखला के भीतर नियत किया जाएगा।

(2) बी.एल.एड. कार्यक्रम में कुल अंकों का अनुपाल निम्नलिखित के अनुसार होगा : सिद्धान्त 60%, प्रयोगात्मक कार्य 20%, **स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण (इन्टर्नशिप) 20%**

(3) मूल्यांकन का आधार और इस्तेमाल किए गए मानदंड विद्यार्थियों के लिए पारदर्शी होने चाहिए, ताकि वे व्यावसायिक फीडबैक से अधिकतम लाभ उठा सके। विद्यार्थियों को व्यावसायिक फीडबैक के भाग के रूप में उनके ग्रेडों/अंकों के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि उन्हें अपने कार्य–निष्पादन को सुधारने का अवसर प्राप्त हो सके। आन्तरिक मूल्यांकन के आधारों में वैयक्तिक अथवा सामूहिक कार्य, प्रेक्षण रिकार्ड, डायरियां, विचारशील जर्नल, आदि शामिल हो सकते हैं।

5. स्टाफ

5.1 शैक्षणिक संकाय

50 विद्यार्थी प्रति यूनिट की भर्ती के लिए, संकाय के सदस्यों की संख्यया 16 होगी। शिक्षकों की भर्ती पाठ्यचर्या के क्षेत्रों, नामतः परिप्रेक्ष्य/आधार पाठ्यक्रमों ओर भाषा, विज्ञान, गणित, समाज विज्ञान, और स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, दृश्य और अभिनय कलाओं, और भाषा–विज्ञान के पाठ्यक्रमों के लिए होगी।

पूर्णकालिक संकाय का वितरण इस प्रकार हो सकता है :

1.	विभागाध्यक्ष/प्रिंसिपल	एक
2.	शिक्षा के परिप्रेक्ष्य अथवा आधार	तीन
3.	विज्ञान और उसका शिक्षाशास्त्र	दो
4.	गणित और उसका शिक्षाशास्त्र	दो
5.	समाज विज्ञान और उसका शिक्षाशास्त्र	दो
6.	भाषाएं और उसका शिक्षाशास्त्र	दो
7.	स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा	एक
8.	दृश्य कलाएं और अभिनय कलाएं	दो
9.	भाषा विज्ञान	एक

टिप्पणी : विभिन्न विषय श्रेणियों के अन्तर्गत सूचीबद्ध संकाय सदस्य विनिर्दिष्ट किए गए समूचे पाठ्यचर्या क्षेत्रों में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में पाठ्यक्रमों को पढ़ा सकते हैं। विषय–आधारित पाठ्यक्रमों का अध्यापन विज्ञानेतर विषयों, मानविकी, गणित, समाज विज्ञानों और विज्ञानों के सहयोगी विभागों के संकाय–सदस्यों द्वारा किया जाएगा। संबंधित कॉलेज/संस्था विशेषज्ञता वाले प्रयोगात्मक पाठ्यक्रमों, जैसे आत्म–विकास, रंगमंच, संगीत, शिल्प, कहानी सुनाना, आदि के पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए संबद्धक विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार संगत क्षेत्र में समकक्ष योग्यता/विशेषज्ञता वाले संसाधन व्यक्तियों का उपयोग कर सकती है।

5.2 अर्हताएं

संकाय में निम्नलिखित योग्यताएं होंगी।

क. प्रिंसिपल/विभागाध्यक्ष

1. विज्ञान/समाज विज्ञान कला/मानविकी में 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री और 55 प्रतिशत अंकों के साथ एम एड/एम ए (शिक्षा)

2. किसी अध्यापक शिक्षा संस्थान में अध्यापन का पांच वर्ष का अनुभव वांछनीयः शैक्षिक प्रशासन/नेतृत्व में डिग्री/डिप्लोमा

ख. वांछनीय शैक्षिक प्रशासन में डिग्री या डिप्लोमा शिक्षा में परिप्रेक्ष्य/आधार और पाठ्यचर्या तथा शिक्षणशास्त्रीय अध्ययन

समाज विज्ञानों/मानविकी/विज्ञानों/गणित/भाषाओं में 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि और 55 प्रतिशत अंकों के साथ एम एड {दर्शन शास्त्र, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान से तीन (3) पदो के सिवाय, जहां संकाय योग्यता इन तीनों विषयों में से किसी एक विषय में 55% अंकों के साथ बीईएलएड/बी एड होगी}

भाषा विज्ञान : भाषा विज्ञान में 55 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री और उसके साथ

बी. एड./बीईएलएड की डिग्री।

वांछनीय : शिक्षा में एम. फिल./पी.एच.डी.

ग. विशेषज्ञता वाले क्षेत्र

शारीरिक शिक्षा

1. शारीरिकशिक्षा में 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (एमपीएड)

दृश्य कलाएं

1 ललित कलाओं में 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (एमएफए)

निष्पादन(अभिनय) कलाएं

1. 55 प्रतिशत अंकों के साथ संगीत/नृत्य/रंगमंच कलाओं में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा अनुभव ओर व्यावसायिक अनुभव के अर्थो में उसके समकक्ष।

5.3 प्रशासनिक और व्यावसायिक स्टाफ

कार्यालय प्रबन्धक	एक
कार्यालय सहायक और आशुलिपिक	एक
संसाधन केन्द्र समन्वयकर्ता	एक
पाठ्यचर्या प्रयोगाशाला सहायक	एक
पुस्तकालय सहायक (बी.लिब)	एक
कम्प्यूटर प्रयोगशाला सहायक(बीसीए)	एक
कार्यालय परिचर	एक

टिप्पणी : किसी संयोजित संस्था में, प्रिंसिपल, और शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा तकनीकी स्टाफ को सांझा किया जा सकता है। वहां एक प्रिंसिपल होगा और अन्यों को विभागाध्यक्ष कहा जा सकता हैं।

5.4 सेवा के निबंधन और शर्ते

अध्यापन और गैर–अध्यापन स्टाफ की सेवा के निबंधन और शर्तें, जिनमें चयन की प्रक्रिया, वेतनमान, सेवानिवृत्ति की आयु और अन्य लाभ भी शामिल हैं, राज्य सरकार/संबद्धक निकाय की नीति के अनुसार होंगी।

6. सुविधाएं

6.1 बुनियादी ढांचा

(क) एकान्तिक भौतिक सुविधाएं

बीईएलएड प्रस्तुत करने वाली संस्था में मुहैया की जाने वाली भौतिक सुविधाओं में निम्नलिखित चीजें शामिल होंगी :

शैक्षणिक क्षेत्र में कक्षाओं के कमरे (4–5 कक्षा कमरे), पाठ्यचर्या प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, संसाधन केन्द्र, कार्यशालाओं के लिए स्थान, कम्प्यूटर रूम और पुस्तकालय शामिल होगा।

प्रशासनिक क्षेत्र में प्रिंसिपल का कमरा, संकाय के कमरे, केन्द्रीय कार्यलय, सम्मेलन कक्ष, रिकार्ड रूप, कम्प्यूटर कमरा और स्वागत कक्ष शामिल होगा।

सुविधा क्षेत्र में विद्यार्थियों का सांझा कमरा, स्टाफ के लिए कमरा, हाल, खेलकूद/मनोरंजन केन्द्र, कैंटीन, सहकारी स्टोर, डिस्पेन्सरी और सुरक्षा सेवाएं, शौचालय (पुरूष और महिला विद्यार्थियों और संकाय के सदस्यों के लिए अलग–अलग) शामिल होगा।

(ख) साझी सुविधाएं

जहां अध्यापक शिक्षा बहुत से संकायों और अध्ययन विभागों वाले विश्वविद्यालय/संस्थान के एक अभिन्न अंग के रूप में किसी विभाग/कॉलेज के द्वारा प्रदान की जाती है, वहां सभी केन्द्रीय सुविधाओं का उपयोग प्रारम्भिक शिक्षा विभाग और अन्य विभागों द्वारा आपस में सांझा किया जाएगा। प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं के मामले में, आवश्यक अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी, ताकि बीईएलएड के विद्यार्थी उनका उपयोग कर सकें। विश्वविद्यालय/कॉलेज के केन्द्रीय पुस्तकालय के अलावा, बीईएलएड विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विभागीय पुस्तकालय का विकास भी किया जाएगा। संसाधन प्रयोगशाला को शिक्षाशास्त्र–आधारित प्रयोगात्मक कार्य और अन्य स्कूल संपर्क कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित अन्य उपस्कर के साथ–साथ पर्याप्त पठन सामग्री से भी सज्जित किया जाना चाहिए श्रोताकक्ष, सम्मेलन कक्ष, आदि जैसी सुविधाओं का उपयोग अन्य विभागों के साथ बांट कर किया जा सकता है।

6.2 शैक्षणिक सुविधाएं

(क) पाठ्यचर्या प्रयोगशाला हाथ में आए कार्य को निपटाने पाला प्रयोगशाला क्षेत्र होगा। प्रयोगशाला शिल्प, कोर (मूल) गणित, भाषा, कोर विज्ञान, समाज विज्ञान और शिक्षाशास्त्र के पाठ्यक्रमों और सामग्री विकास जैसे सिद्धांत और प्रायोगिकात्मक कार्य के पाठ्यक्रमों के इस प्रयोजन को पूरा करेगी। प्रयोगशाला में भाषाओं, विज्ञान, समाज विज्ञान और गणित से संबंधित सामग्री होगी, जैसे उपकरण, रसायन, किट, नक्शे, ग्लोब, और हथौड़े, चिमटे, कैंची, और तार जैसे औजार एवं उपकरण होंगे। लघु समूह क्रियाकलापों के लिए प्रयोगशाला में कार्य करने के मेज होने चाहिए। फर्नीचर ऐसा होना चाहिए, जिसे एक जगह से खींच कर दूसरी जगह पर किया जा सके, ताकि फर्श पर काम करने की गुंजाइश हो सके। प्रयोगशाला में कक्षाएं आयोजित करने के लिए ओवरहोड प्रोजेक्टर, नोटिस बोर्डों और ब्लैकबोर्ड का इस्तेमाल करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

(ख) संसाधन केन्द्र प्रयोगशाला विभागीय पुस्तकालय के प्रयोजन को पूरा करेगा। इसमें एक स्टोर होना चाहिए और पुस्तकों, पाठ्यचर्या सामग्रियों, बाल साहित्य, पाठपुस्ताके, रिपोर्टों और दस्तावेजों, श्रव्य–दृश्य उपस्कर, एलसीडी प्रोजेक्टर, डीवीडी प्लेअर, कैमरा, शिक्षा संबंधी फिल्मों, आदि तक पहुंच होनी चाहिए। सामाग्रियां पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी स्कूलों में भी उनका इस्तेमाल कर सकें। संसाधन केन्द्र में संकाय और विद्यार्थियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए कम्प्यूटर सुविधा भी होनी चाहिए केन्द्र में विद्यार्थियों की सभाओं, कक्षाओं, समूह चर्चाओं के लिए और पढ़ने के भी लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।

(ग) किसी प्रदत्त कॉलेज/संयुक्त संस्था में विज्ञान प्रयोगशाला बीईएलएड की संकाय और उसके विद्यार्थियों के लिए भी उपलब्ध होगी और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त स्थान और पर्याप्त संख्या में प्रयोगशाला सामग्रियों, उपस्कर, श्रव्य–दृश्य संसाधनों और कम्प्यूटरों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(घ) कार्यशाला स्थान में रंगमंच कार्यशाला, आत्म–विकास कार्यशाला, शिल्प, संगीत और व्यायाम शिक्षा कार्यशालस (योग शिक्षा सहित) जैसे विशिष्ट प्रयोगात्मक क्रियाकलापों के संचालन के लिए दो अलग स्थानों की व्यवस्था होगी। इन स्थानों पर 25–30 विद्यार्थियों के समूह के लिए खुले रूप से आने जाने की गुंजाइश होनी चाहिए।

6.3 अन्य सुविधाएं

(क) अनुदेशात्मक प्रयोजनों और अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यातमक और उपयुक्त फर्नीचर।

(ख) वाहनों को पार्क करने के लिए प्रबन्ध किए जाएं।

(ग) संस्था में सुरक्षित पेय जल की प्राप्ति।

(घ) परिसर की नियमित रूप से सफाई करने के कारगर प्रबन्ध, जल और शौचालय सुविधाएं (पुरूषों, महिलाओं और पी डब्ल्यू डी के लिए अलग–अलग शौचालय), फर्नीचर और अन्य उपस्करों की मरम्मत और उनका प्रतिस्थापन।

(**टिप्पणी :** संयुक्त संस्थान के मामले में, उवसंरचनात्मक, अनुदेशात्मक और अन्य सुविधाओं का उपयोग विभिन्न कार्यक्रमों के लिए मिल–बांट कर किया जाएगा।)

7. प्रबंधन समिति

संस्थान में संबद्धक विश्वविद्यालय/संबंधित राज्य सरकार के मानदंडों के अनुसार गठित की गई एक प्रबन्ध समिति होगी। ऐसे मानदंडों के न होने पर, संस्था समिति का गठन स्वयं करेगी। समिति में संस्था को प्रायोजित करने वाली सोसाइटी/न्यास/कम्पनी के प्रतिनिधि, शिक्षाविद्और अध्यापक–शिक्षक, संबद्धक विश्वविद्यालय और संकाय के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

परिशिष्ट–4

शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.एड.) प्राप्त कराने वाले शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना :

शिक्षा स्नातक कार्यक्रम जिसे सामान्यतः बी.एड. कार्यक्रम कहा जाता है एक संवृत्तिक पाठयक्रम है जो उच्च प्राथमिक अथवा मिडिल स्कूल (कक्षा vi-viii), माध्यमिक स्तर (कक्षा ix-x), एवं उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा xi-xii), के लिए अध्यापक तैयार करता है।

2. अवधि तथा कार्य दिवस

2.1 अवधि :

बी.एड. कार्यक्रम दो शैक्षणिक वर्ष की अवधि का होगा, तथापि कोई अभ्यर्थी इस कार्यक्रम में प्रवेश से लेकर अधिकतम तीन वर्ष तक पूर्ण कर सकता है।

2.2 **कार्यदिवस**

(क) प्रत्येक वर्ष कम से कम दो सौ (200) कार्य दिवस होंगे। इसमें प्रवेश तथा परीक्षाओं की अवधि सम्मिलित नही है।

(ख) कार्यक्रम चलाने वाली संस्थाए प्रति सप्ताह कम से कम 36 घंटे (पांच या छः दिन) कार्य करेंगी जिस दौरान सभी अध्यापक तथा छात्र–अध्यापक को वास्तविक रूप से उपस्थित रहनाअनिवार्य होगा, ताकि आवश्यकतानुसार सलाह, निर्देशन तथा संवाद सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) सभी पाठ्यचर्यात्मक कार्य तथा प्रायोगिक कार्य के लिए छात्र–अध्यापकों के लिए न्यूनतम उपस्थिति 80% होगी तथा स्कूलबद्ध प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम उपस्थिति की सीमा 90% होगी।

3. दाखिला/क्षमता पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया, तथा शुल्क

3.1 दखिला क्षमता

छात्रों की एक मूल इकाई में 50 विद्यार्थी होंगे तथा किसी संस्था में अधिकतम दो इकाइयों को प्रवेश दिया जा सकता है। एक विद्यालयी विषय और कार्यक्रम के अन्य प्रायोगिक क्रियाकलाप के लिए प्रति अध्यापक 25 से अधिक विद्यार्थी नही होंगे ताकि सहभागिता पूर्ण अध्यापन और अधिगम को सुकर बनाया जा सके।

3.2 पात्रता

(क) कार्यक्रम में प्रवेश के लिए स्नातक डिग्री या/अथवा विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानविकी, में कम से कम 50 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त इंजिनीयरी, जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, में 55% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति/ओ.बी.सी./पी.डब्ल्यू.डी और अन्य वर्गों के लिए स्थान आरक्षण तथा अंकों में छूट केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों (जो भी लागू हो), के नियमों के अनुसार होगी।

3.4 शुल्क

कोई संस्थान समय–समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (गैर–सहायता प्राप्त अध्यापक शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्राचार्य शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों के विनियमन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार संबंधन प्रदान करने वाले संस्थान/संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित फीस ही लेगा और छात्रों से किसी भी प्रकार का दान, प्रति व्यक्ति शुल्क नही लेगा।

4. पाठ्यचर्या, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन

4.1 पाठ्यचर्या

बी.एड. की पाठ्यचर्या का अभिकल्पन इस प्रकार होगा जिसमें विषय के ज्ञान, मानव विकास, शिक्षा–शास्त्रीय ज्ञान तथा संप्रेषण कौशलों का संघटन हो। इस कार्यक्रम में तीन मुख्य पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्र सम्मिलित होंगे ये क्षेत्र हैं शिक्षा के परिप्रेक्ष्य, पाठ्यचर्यात्मक तथा शिक्षा–शास्त्रीय अध्ययन, तथा क्षेत्र के साथ विनियोजन

इन पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले पाठ्यक्रम मूल लेखों के सघन अध्ययन, संगोष्ठी/सत्र लेख प्रस्तुतीकरण, तथा क्षेत्र के साथ सतत् विनियोजन पर आधारित होंगे। पाठ्यक्रमों के कार्य संपादन में विभिन्न दृष्टिकोण का उपयोग किया जाएगा जैसेः मामला अध्ययन, विमर्शात्मक जर्नलों, बच्चों के प्रक्षणों, तथा विविध सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेशों के समुदाय के साथ अन्योन्यक्रिया पर चर्चा सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी), लिंग, तथा योग शिक्षा एवं निःशक्तता/समावेशी शिक्षा बी.एड. पाठ्यचर्या का एक अभिन्न अंग होगी।

(1) सैद्धांतिक पाठ्यक्रम

(क) शिक्षा के परिप्रेक्ष्य

शिक्षा के परिप्रेक्ष्यों के अन्तर्गत बाल्यावस्था अध्ययन, बाल विकास, तथा किशोरावस्था, समकालीन भारत व शिक्षा शिक्षा में दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, ज्ञान के सैद्धांतिक आधार तथा पाठ्यचर्या, अध्यापन और अधिगम, विद्यालय तथा समाज के संदर्भ में लिंग तथा समावेशी शिक्षा पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। बाल्यावस्था अध्ययन संबंधी पाठ्यक्रम छात्र–अध्यापक को भारतीय समाज और शिक्षा के साथ जोड़ने में समाजशास्त्रीय विश्लेषण के अवधारणात्मक साधनों और विविध समुदायों, बच्चों और विद्यालयों के साथ जुड़ने के प्रायोगिक अनुभवों की प्राप्ति में सक्षम बनाएगा। समकालीन भारत तथा शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम विविधता संबंधी मुद्दों, भारतीय समाज में असमानता तथा उपान्तिकीकरण और इनके शैक्षिक निहितार्थ तथा इनके साथ भारतीय शिक्षा में सार्थक नीतिगत विचार संबंधी विश्लेषणों के विषय में संप्रत्यात्मक समझ का विकास करेगा। ज्ञान और पाठ्यचर्या पर पाठ्यक्रम ऐतिहासिक, दार्शनिक तथा समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्यों की दृष्टि से विद्यालयी ज्ञान के सैद्धांतिक

आधारों पर प्रकाश डालेगा और इनके साथ–साथ पाठ्यचर्यात्मक उद्देश्यों और संदर्भ तथा पाठ्यचर्या, नीति और अधिगम में मध्य संबंध के विवेचनात्मक विश्लेषण को भी संबोधित करेगा। अध्यापन और अधिगम का पाठ्यक्रम सामाजिक तथा सांवेगिक विकास, आत्म तथा आत्म–परिचय, और संज्ञान तथा अधिगम के पक्षों पर बल देगा।

(ख) पाठ्यचर्या तथा **शिक्षणशास्त्रीय अध्ययन**

पाठ्यचर्या तथा शिक्षा शास्त्रीय अध्ययनों के पाठ्यक्रम में भाषा संबंधी पक्ष सम्मिलित होंगे जो पाठ्यचर्या तथा संप्रेषण, विषय की समझ, विद्यालयी विषय का सामाजिक इतिहास तथा इसके शिक्षा शास्त्रीय आधारों पर लागू होगा और जिनका बल अध्येता पर होगा। इसके अतिरिक्त इसमें अधिगम के लिए मूल्यांकन के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य भी सम्मिलित होंगे।

पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत किसी विशेष अनुशासन के स्वरूप का अध्ययन, विद्यालयी पाठ्यचर्या का विवेचित ज्ञान; विद्यालयी पाठ्यचर्या की विवेचनात्मक समझ; अध्येता, अनुशासन और अधिगम का समाजीय संदर्भ, तथा छोटे बच्चों के अधिगम के विभिन्न पक्ष सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम का परिरूप ऐसा होगा कि विद्यार्थी विद्यालय के एक या दो स्तरों पर किसी एक अनुशासनात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कर सके, जैसे, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, भाषाएं और उसी अनुशासन से एक विषय क्षेत्र/पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में पाठ्यचर्या की समझ, विद्यालयी ज्ञान की समुदायिक जीवन से संबद्धता का विकास करना है। उपयुक्त शिक्षा–शास्त्रीय प्रक्रियाओं और बच्चों के साथ सार्थक रूप से संप्रेषण के माध्यम से विषय के ज्ञान से अवधारणाओं की पुर्नरचना करने के लिए विभिन्न प्रकार की अन्वेषी परियोजनाए सम्मिलित की जाएंगी।

(ii) क्षेत्र/प्रायोगिक क्रियाकलाप के साथ संबंध

बी.एड. कार्यक्रम स्वयं के साथ, बच्चे, समुदाय, और विभिन्न स्तरों पर विद्यालय के साथ एक दीर्घ कालीन व अखंड संबंध स्थापित करेगा, यह कार्य विभिन्न पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्रों में निकट संबंध स्थापित करके किया जाएगा। यह पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्र (अर्थात क्षेत्र व प्रयोगात्मक क्रियाकलाप) उपर्युक्त दो मुख्य पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्र के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करेगा जो इसके तीन घटकों के माध्यम से संपादित होगा। ये घटक हैं :

- ऐसे कार्य और प्रदत्त कार्य असाइनमैंट जो सभी पाठ्यक्रमों में सम्मिलित हो।
- स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण (इन्टर्नशिप)
- व्यावसायिक क्षमताओं को संवर्धित करने वाले पाठ्यक्रम

"शिक्षा के परिप्रेक्ष्य" तथा "पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय अध्ययन" के पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्र समुदाय, विद्यालय, तथा विद्यालयी बच्चों और विद्यालय से विरत बच्चों का विभिन्न कार्यों और परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र के साथ संबंध स्थापित कर देंगे। ये कार्य और परियोजनाएं क्षेत्र आधारित अनुभवों के साथ एक अध्यापक–शिक्षा की कक्षा में विवेचित परिप्रेक्ष्यों और सैद्धांतिक ढाचों को प्रमाणित करने में सहायता करेंगी। इन कार्यो और परियोजनाओं में सतत् और व्यापक मूल्यांकन संबंधी पद्धतियों का विकास करने, सेवारत विद्यालयी अध्यापकों का व्यावसायिक विकास करने, अथवा विद्यालय प्रबंधन समिति इत्यादि के साथ संवाद करने के लिए सहयोगात्मक सहभागित्व सम्मिलित है। समुदाय आधारित परियुक्ति के अन्तर्गत समकालीन भारत और शिक्षा या सामाजिक विज्ञान/इतिहास के शिक्षा–शास्त्र के एक अंश के रूप में शिल्पकारों के साथ समुदाय उनके मौखिक इतिहास संबंधी परियोजनाएं आ सकती हैं। इसी प्रकार विज्ञान के शिक्षा–शास्त्रीय पाठ्यक्रम में ऐसी वातावरण आधारित परियोजनाएं आ सकती हैं जो एक विशेष गांव या समुदाय के सरोकारों या चिन्ताओं की और ध्यान देती हों।

छात्र–अध्यापकों की व्यावसायिक क्षमताओं को सवंर्धित करने के लिए अनेक विशिष्ट पाठ्यक्रम प्रस्तावित किए जा सकते हैं जैसे, भाषा और संप्रेषण संबंधी पाठ्यक्रम, नाटक तथा कला आत्म–विकास और आईसीटी। एक महत्त्वपूर्ण पाठ्यचर्यात्मक संसाधन के रूप में आईसीटी की विवेचित समझ पर एक पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया जा सकता है, जो एक अध्यापक की भूमिका को प्रमुखता प्रदान करेगा, डिजिटल संसाधनों के लोक स्वामित्व को सुनिश्चित करेगा और रचनावादी उपागमों को प्रोत्साहित करेगा जो मात्र आईसीटी की अभिगम्यता की बजाए प्रत्याशा तथा सहरचना को विशेषाधिकार प्रदान करेगा। ऐसे पाठ्यक्रमों का अभिकल्पन भी किया जाएगा जिन का बल एक अध्यापक के संवृत्तिक तथा आत्म–विकास पर हो और जिनमें सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक घटकों का समावेश हो तथा जिनका कार्य संपादन ऐसी संकेन्द्रित कार्यशालाओं के माध्यम से किया जाए जिनमें कला, संगीत और नाटक संबंधी घटक सम्मिलित हो।

ये पाठ्यक्रम ऐसे अवसर प्रदान करेंगे जिनसे आत्म पहचान, अन्तरवैयक्तिक संबंध, बच्चे और प्रौढ़ के मध्य अन्तरवैयक्तिक तथा सामाजिक संरचनाएं विद्यालय संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन के स्थल के रूप में योग शिक्षा को समझना और अभ्यास करना, सामाजिक संवेदनशीलता का विकास करना, सुनने और महत्त्व देने की क्षमता का विकास करना संबंधी मुद्दों पर अध्ययन सम्मिलित होगा।

(iii) स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण इन्टर्नशिप

स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण इंटर्नशिप का संबंध "क्षेत्र के साथ परियुक्ति नामक मुख्य पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्र के अंश के रूप में है और इस का अभिकल्पन परिप्रेक्ष्यों, व्यावसायिक क्षमता, अध्यापक प्रभावनीयताओं और कौशलों में एक व्यापक संग्रह के विकास की ओर अग्रसर करेगा। बी.एड. की पाठ्यचर्या अध्येताओं और विद्यालय जिसमें अधिगम

का सतत् और व्यापक मूल्यांकन भी सम्मिलित है, के साथ एक दीर्घीकृत व अविच्छिन्न परियुक्ति प्रदान करेगी जिससे वर्ष भर आस पड़ोस के विद्यालयों के साथ सहक्रिया संभव होगी। ये क्रियाकलाप प्रथम वर्ष 4 (चार) सप्ताहों में आयोजित किए जाएंगे।

पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के छात्रों को सक्रिय रूप से शिक्षण में प्रवृत्त किया जाएगा। उन्हें दो स्तरों पर प्रवृत्त किया जाएगा। अर्थात उच्च प्राथमिक कक्षा (कक्षा VI-VIII) तथा माध्यमिक (कक्षा IX-X) अथवा उच्च माध्यमिक (कक्षा XI-XII) जिसमें कम से कम 16 सप्ताह माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए होगें। जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस दो वर्षीय कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालयों में इंटर्नशिप कम से कम 20 सप्ताह की होगी (4 सप्ताह प्रथम वर्ष में और 16 सप्ताह, द्वितीय वर्ष में)। इसमें शिक्षण अभ्यास के अतिरिक्त एक सप्ताह की प्रारंभिक प्रावस्था होगी जिस अवधि में छात्राध्यापक सामान्य कक्षा के नियमित अध्यापक के अध्यापन का प्रेक्षण करेंगे। इसके अतिरिक्त अभ्यास पाठों का समकक्ष प्रेक्षण भी सम्मिलित होगा।

4.2 कार्यक्रम कार्यान्वयन

इस व्यावसायिक अध्ययन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक संस्था को निम्नलिखित अपेक्षाओं/स्थानबद्ध प्रशिक्षण को पूरा करना होगा।

(क) स्थानबद्ध प्रशिक्षण इंटर्नशिप समेत सभी क्रियाकलाप का एक कैलेंडर तैयार करें। विद्यालयी तथा अन्य विद्यालय संपर्क कार्यक्रमों को विद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर के साथ समक्रमिक किया जाएगा।

(ख) स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए तथा कार्यक्रम के अन्य विद्यालय आधारित क्रियाकलाप के लिए कम से कम दस (10) विद्यालयों की व्यवस्था करें। इस व्यवस्था के लिए जिला शिक्षा अधिकारी की स्वीकृति अनिवार्य होगी। ये विद्यालय इस कार्यक्रम की अवधि में सभी प्रायोगिक क्रियाकलाप और संबंधित कार्य के लिए मूल संपर्क बिंदु के रूप में समझे जाएंगे।

(ग) "शिक्षा के परिप्रेक्ष्यों" तथा "पाठ्यचर्या तथा शिक्षा—शास्त्रीय अध्ययन" संबंधी पाठ्यक्रमों का कार्य—संपादन करने में बहुल और बहुविध दृष्टिकोणों का उपयोग करना चाहिए, जैसे मामला अध्ययन, समस्या समाधान, विद्वत् गोष्ठी में विमर्शक जरनलों पर चर्चा, बहुल सामाजिक सांस्कृतिक वातावरणों में बच्चों का प्रेक्षण अंतरंग छात्राध्यापक विमर्शक दैनिकी तथा प्रेक्षण रिकार्ड बनाए रखेंगे जिनसे उन्हें विमर्शी चिंतन के अवसर प्राप्त होंगे।

(घ) समय समय पर विद्यार्थियों तथा संकाय के लिए सेमिनार, वाद—विवाद, लैक्चर, तथा चर्चा समूहों का आयोजन कर शिक्षा में चर्चा का प्रारंभ करें।

(ड.) मूल अनुशासनों के संकाय के साथ अन्योन्यक्रिया समेत शैक्षिक संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन करें और संकाय सदस्यों को शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेने और विशेषकर विद्यालयों में शोध कार्य करने के लिए प्रोत्सहित करें। विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में शोध/अध्यापन कार्य आरंभ करने संबंधी प्रावधान बनाए जाएंगे।

(च) अध्यापक—शिक्षा संस्थाओं में छात्राध्यापकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने और विस्तार अतिथि लेक्चरार के तथा विद्वत सम्मेलन आयोजित करने हेतु विद्यालयी अध्यापको को आमंत्रित किया जाएगा।

(छ) विद्यार्थियों व अध्यापक वर्ग की शिकायतों की ओर ध्यान देने तथा उनका समाधान करने के लिए एक तंत्र तथा प्रावधान किए जाएंगे।

(ज) विद्यालय स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए अध्यापक शिक्षा संस्थानों तथा संबद्ध विद्यालयों द्वारा छात्र—अध्यापकों को परामर्श देने, उनका पर्यवेक्षण करने, उन पर दृष्टि रखने और उनका आकलन करने के लिए एक परस्पर सम्मत प्रक्रिया स्थापित की जाएगी।

4.3 मूल्यांकन

"शिक्षा के परिप्रेक्ष्य" तथा "पाठ्यचर्या और शिक्षण—शास्त्रीय अध्ययन" के लिए कम से कम 20% से 30% तक अंक सतत् आन्तरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए जाने चाहिए तथा 70% से 80% तक अंक बाह्य परीक्षा के लिए कुल अंकों या भारिता का एक चौथाई भाग शिक्षण अभ्यास के लिए निर्धारित किया जाएगा। आन्तरिक और बाह्य परीक्षाओं की भारिता संबद्धकारी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी। "क्षेत्र के साथ परियुक्ति" के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर विद्यार्थियों का आन्तरिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, न केवल उस परियोजना/क्षेत्र कार्य पर जो उन्हें उन की इकाइयों के अध्ययन के एक भाग के रूप में दिया गया हैं। मूल्यांकन और उसके लिए प्रयुक्त निकष विद्यार्थियों के लिए पारदर्शी होने चाहिए ताकि व्यावसायिक प्रतिपुष्टि से वे अधिकतम रूप में लाभान्वित हो सकें। व्यावसायिक प्रतिपुष्टि के एक अंश के रूप में विद्यार्थियों को उनके अकों या ग्रेडों की सूचना दी जाती रहेगी ताकि उन्हें अपने निष्पादन में सुधार लाने का अवसर मिलता रहे। आन्तरिक मूल्यांकन के आधारों में व्यक्तिगत अथवा समूह प्रदत्त कार्य, प्रेक्षण रिकार्ड, डायरियां, दैनिकी इत्यादि सम्मिलित हो सकती हैं।

5. स्टाफ

5.1 शैक्षणिक संकाय

50—50 विद्यार्थियों की दो मूल इकाइयों की भर्ती के लिए, कुल 16 पूर्ण कालिक संकाय सदस्य होंगे। विभिन्न पाठ्यचर्यात्मक क्षत्रों के लिए संकाय का बंटन निम्नलिखित प्रकार से होगा:

1	प्रिंसीपल / विभागाध्यक्ष	एक
2	शिक्षा के परिप्रेक्ष्य	चार
3	शिक्षण विषय (गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा भाषा)	आठ
4	स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा	एक
5	ललित कलाएं	एक
6	निष्पादन कलाएं (संगीत / नृत्य / रंगमंच)	एक

नोट (i) विभिन्न विषय वर्गों के अन्तर्गत सूचीबद्ध अध्यापक वर्ग अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में निर्धारित पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्रों में से किसी भी अन्य पाठ्यक्रम को पढ़ा सकता है और इस प्रकार आधारित व शिक्षण शास्त्रीय पाठ्यक्रमों दोनों प्रकार के पाठ्यक्रमों में अपना योगदान दे सकता हैं यदि दो वर्षों के लिए विद्यार्थियों की संख्या 100 है (अर्थात एक मूल इकाई), तो

(ii) अध्यापक वर्ग का उपयोग एक लचीले ढंग से किया जा सकता है ताकि उपलब्ध शैक्षणिक विशेषज्ञता का अधिकतम लाभ उठाया जा सके।

5.2 **अर्हताएं**

संकाय की अर्हताएं निम्नलिखित रूप में होंगी।

ए. प्रिंसिपल / विभागाध्यक्ष

(i) कला / विज्ञान / सामाजिक विज्ञान / मानविकी / वाणिज्य में कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री, (ii) एम.एड., कम से कम 55% अंकों के साथ

(iii) शिक्षा में अथवा किसी शिक्षा शास्त्रीय विषय में जो उस संस्था में पढ़ाया जाता है, पी.एच.डी.

(iv) किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्था में न्यूनतम 8 वर्ष का अध्यापन अनुभव

वांछनीय : शैक्षिक प्रशासन या शैक्षिक नेतृत्व में डिग्री / डिप्लोमा

बी शिक्षा के प्ररिप्रेक्ष्य या आधारिक पाठ्यक्रम

(i) सामाजिक विज्ञान से संबंधी किसी विषय में स्थानकोत्तर डिग्री जिस में कम से कम 55% अंक होने चाहिए तथा

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एड. डिग्री जिसमें कम से कम 55% अंक हों

(ग) पाठ्यचर्या तथा शिक्षण–शास्त्रीय पाठ्यक्रम

(i) विज्ञान / गणित / सामाजिक विज्ञान / भाषाओं में से किसी एक कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री

(ii) 55% अंकों के साथ एम.एड. डिग्री

वांछनीय : विषय विशेज्ञता के साथ शिक्षा में पी.एच.डी. डिग्री

नोट : उपर्युक्त ख और ग को एक साथ मिला कर, दो संकाय पदो के लिए समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, या दर्शनशास्त्र में कम से कम 55% अंकों के साथ एक स्नातकोत्तर डिग्री तथा किसी माध्यमिक विद्यालय में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव विचारणीय होगा।

(घ) **विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम**

शारीरिक शिक्षा

(i) शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री (एमपीएड) जिसमें कम से कम 55% अंकों हों (योग शिक्षा में प्रशिक्षण / अर्हता वांछनीय समझी जाएगी)

दृश्य कलाएं

(i) ललित कलाओं में 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (एमएफए)

निष्पादन कलाएं

55% अंकों के साथ संगीत, नृत्य या रंगमंच में स्नातकोत्तर डिग्री

5.3 प्रशासनिक तथा व्यावसायिक स्टाफ

(क)	पुस्तकालय दृश्य (बी.लिब के साथ–55% अंक)	एक
(ख)	प्रयोगशाला सहायक (55% अंकों सहित बी.सी.ए)	एक
(ग)	कार्यालय एंव लेखा सहायक	एक
(घ)	कार्यालय सहायक एंव कम्प्यूटर प्रचालक	एक
(ड़)	स्टोर कीपर	एक
(च)	तकनीकी सहायक	एक
(छ)	प्रयोगशाला अटैंडैट/हैल्पर/सहयोगी स्टाफ	दो

अर्हताए : जैसाकि संबंधित राज्य सरकार/यूटी प्रबंधन द्वारा निर्धारित

नोट : किसी संयुक्त संस्था में, प्रिंसिपल तथा प्रशासनिक तथा तकनीकी स्टाफ सांझा हो सकता है। ऐसी अवस्था में एक प्रिंसीपल होगा और विभाग प्रभारियों को विभागाध्यक्ष कहा जाएगा।

5.4 सेवा की शर्तें और उपबंध

अध्यापन और गैर–अध्यापन स्टाफ की सेवा की शर्तें और उपबंध जिनमें चयन की प्रकिया वेतनमान, सेवानिवृत्ति की आयु और अन्य लाभ भी शामिल है, राज्य सरकार/संबंद्धक निकाय की नीति के अनुसार होगी।

6 सुविधाएं

6.1 आधारिक सुविधाएं

(i) प्रारंभिक 50 विद्यार्थियों की भर्ती के लिए संस्था के पास उसकी अपनी कम से कम 2500 वर्ग मीटर (दो हजार पांच सौ) भूमि होनी चाहिए जो भली भांति सीमांकित हो, और जिसमें से 1500 वर्ग मीटर (एक हजार पांच सौ वर्ग मीटर) निर्मित क्षेत्र हो तथा शेष भूमि लॉन, खेल के मैदान इत्यादि के लिए हो। अतिरिक्त पचास विद्यार्थियों की भर्ती के लिए संस्थान के पास 500 वर्ग मीटर भूमि और होनी चाहिए। दो सौ से अधिक और तीन सौ विद्यार्थियों की वार्षिक भर्ती के लिए संस्थान के पास अपनी 3500 वर्ग मीटर (तीन हजार पांच सो वर्ग मीटर) भूमि होनी चाहिए। इस अधिनियम की स्थापना से पूर्व स्थापित संस्थाओं के पास एक सौ विद्यार्थियों की अतिरिक्त भर्ती के लिए निर्मित क्षेत्र 500 वर्गमीटर अधिक बढ़ा दिया जाना चाहिए। इन संस्थाओं के लिए अतिरिक्त भूमि की शर्त लागू नहीं होगी।

(ii) बी.एड. के साथ अन्य अध्यापक शिक्षा कायक्रमों को चलाने के लिए निर्मित क्षेत्र निम्नलिखित प्रकार से होगा

पाठ्यक्रम	निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	भूमि क्षेत्र (वर्ग मीटर में)
बी.ए. बी.एड./बी.एस.सी. बी.एड. जिसमें बी.एड. शिक्षा घटक हो	1500	2500
डी.ई.सी.एड+बी.एड	2500	3000
डी.एल.एड.+बी.एड.	3000	3000
बी.एड+एम.एड.	2000	3000
डी.ई.सी.एड+बी.एड.+एम.एड.	3000	3500
डी.एल.एड.+बी.एड.+एम.एड.	3500	3500
डी.ई.एड+डी.ई.सी.एड+बी.एड.+एम.एड	4000	4000

नोट 1 बी.एड. की एक इकाई की अतिरिक्त भर्ती के लिए अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र 500 (पांच सौ वर्ग मीटर) वर्ग मीटर होगा

(iii) संस्था के पास निम्नलिखित आधारिक सुविधाएं अवश्य होनी चाहिए (प्रत्येक मद पी डब्ल्यू डी के लिए सुकरीकृत हो)

(क) प्रत्येक 50 विद्यार्थियों के लिए एक कक्षा कक्ष

(ख) एक बहु प्रयोजन हॉल जिसमें दो सौ विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता और एक डायस भी हो (2000 वर्ग फुट)

(ग) पुस्तकालय+वाचनालय कक्ष

(घ) सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आइसीटी) संसाधन केंद्र

(ड़) पाठ्यचर्या प्रयोगशाला

(च) कला और शिल्प संसाधन केंद्र

(छ) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा संसाधन केंद्र (योग शिक्षा समेत)

(ज) प्रिंसीपल कार्यालय

(झ) स्टाफ कक्ष

(ञ) प्रशासनिक कार्यालय

(ट) आगंतुक कक्ष

(ठ) पुरूष और महिला विद्यार्थियों के अलग अलग कॉमन कक्ष

(ड) सेमिनार कक्ष

(ढ) कैंटीन

(ण) पुरूष और महिलाओं विद्यार्थियो के लिए, स्टाफ, तथा पीडब्लूडी के लिए अलग अलग प्रसाधन सुविधाएं

(त) पार्किंग स्थल

(थ) स्टोर कक्ष (दो)

(द) बहु–प्रयोजन क्रीड़ा स्थल

(ध) अतिरिक्त आवास के लिए खुली जगह

(iv) संस्था में खेल के मैदान के साथ साथ खेलने संबंधी सुविधाएं होंगी। जहाँ पर स्थानाभाव है : (जैसे किसी महानगर में/पहाड़ी क्षेत्रों में) योग के लिए, स्मार्ट कोर्ट तथा इन्डोर खेलों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए।

(v) भवन के सभी भागों में अग्नि आपद के लिए सुरक्षा प्रबंध होने चाहिए

(vi) संस्था के परिसर, भवन, फर्नीचर इत्यादि बाधा रहित होने चाहिए

(vii) पुरूष और महिलाओं के लिए अलग अलग छात्रवास सुविधाएं तथा कुछ आवासीय निवास स्थान वांछनीय होंगे

6.2 अनुदेशात्मक

(क) संस्था में प्रशिक्षणार्थियों के क्षेत्र–कार्य तथा शिक्षण अभ्यास संबंधी क्रियाकलाप के लिए समुचित दूरी के भीतर पर्याप्त संख्या में मान्यता प्राप्त माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुलभ होने चाहिए। संस्थान उन विद्यालयों से इस आशय का लिखित आश्वासन प्रस्तुत करेगा कि वे शिक्षण–अभ्यास के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार है। राज्य का शिक्षा निदेशालय विभिन्न अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए विद्यालय निर्धारित करेगा जिस विद्यालय की विद्यार्थी संख्या 1000 तक होगी उसके साथ 10 से अधिक छात्राध्यापक तथा जिसकी विद्यार्थी संख्या 2000 तक होगी उसके साथ 20 से अधिक छात्राध्यापक नहीं लगाए जाएंगे। यह अपेक्षित होगा यदि किसी संस्थान के साथ एक उसका अपना संबंद्ध विद्यालय भी हो।

(ख) कम से कम पचास प्रतिशत विद्यार्थियों के बैठने की सुविधा सहित एक ऐसा पुस्तकालय एवं वाचनालय होगा जिसमें अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए एक हजार पुस्तक–शीर्षक हों और ऐसी शीर्षकों की 3000 पुस्तकें हो। इनमें पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त संदर्भ पुस्तकें, शैक्षिक विश्वकोष, शब्दकोष, इलैक्ट्रानिक प्रकाशन (सी.डी.रोम), ऑन लाइन संसाधन, तथा कम से कम शिक्षा पर पांच रैफ्रीड जर्नल तथा संबद्ध विषयों पर पांच अन्य पत्रिकाएं मंगाई जाएंगी। पुस्तकालय के संग्रह में प्रतिवर्ष 200 शीर्षक जोड़े जाएंगे जिसमें पुस्तकें और पत्रिकाएं दोनों सम्मिलित हैं। पुस्तकालय के अन्दर फोटोकॉपी करने की सुविधा होगी तथा इंटरनैट युक्त कंप्यूटर होगा ताकि संकाय तथा विद्यार्थी दोनों इसका प्रयोग कर सकें। पाठ्य पुस्तकों तथा संदर्भ ग्रंथों के अतिरिक्त प्रत्येक शीर्षक की तीन से अधिक प्रतियां नही होंगी।

(ग) एक पाठ्यचर्या प्रयोगशाला होगी जिसमें विद्यालयी पाठ्यचर्या के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सामग्री और अन्य संसाधन होंगे।

(घ) सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी सुविधाएं होंगी जिसमें कंप्यूटर, टीवी, कैमरा, आइसीटी उपकरण जैसे आर ओ टी, (रिसीव ऑनली टर्मिनल), एसआईटी (सैटेलाइट इन्टरलिंकिंग टर्मिनल) इत्यदि सम्मिलित होंगे।

(ड़) कला और कार्यानुभव के लिए एक पूर्णरूप से सुसज्जित अध्यापन–अधिगम संसाधन केंद्र होगा।

(च) भीतरी और बाह्य खेलों के लिए खेल और क्रीड़ा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।

(छ) सामान्य संगीत उपकरण जैसे हार्मोनियम, तबला, मंजीरा तथा अन्य देशी उपकरण होंगे।

6.3 अन्य सुविधाएं

(क) शैक्षणिक और अन्य कार्यों के लिए समुचित मात्रा में कार्यात्मक तथा उपयुक्त फर्नीचर

(ख) वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था

(ग) संस्थान के अन्दर सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था

(घ) परिसर जल तथा जन–सुविधाओं की नियमित सफाई, फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की मरम्मत तथा बदलाई

नोट : संयुक्त समेकित संस्थाओं के लिए आधारिक, शैक्षणिक तथा अन्य सुविधाएं सभी कार्यक्रमों के सांझी होंगी।

7. प्रबंधन समिति

संबंधन कारी विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के नियमानुसार गठित प्रत्येक संस्था की एक प्रबंधन समिति होगी। यदि इस प्रकार के कोई नियम नहीं है तो संस्था प्रबंधन समिति का गठन अपने आप करेगी। इस समिति में संबंधित सोसाइटी/ट्रस्ट के प्रतिनिधि, कुछ शिक्षाविद् अध्यापक–शिक्षक, संबंधन विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि, तथा अध्यापक वर्ग के प्रतिनिधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करेंगे।

परिशिष्ट–5

शिक्षा में मास्टर(एम.एड) डिग्री प्राप्त कराने वाले शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1. **प्रस्तावना**

शिक्षा (एम.एड) कार्यक्रम शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में द्विवर्षीय व्यावसायिक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य शिक्षक प्रशिक्षकों और अन्य शिक्षा–व्यवसायियों को तैयार करना है जिसमें पाठ्यचर्या निर्माता, शिक्षा–नीति विश्लेषक, योजनाकार, प्रशासक, पर्यवेक्षक, विद्यालय–प्राचार्य और शोधार्थी आते हैं। कार्यक्रम के समापन पर प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा VIII तक) या माध्यमिक शिक्षा (कक्षा VI से XII) में विशेषज्ञता के साथ शिक्षा एम.एड की उपाधि प्रदान की जाएगी।

2. **आवेदन के लिए पात्र संस्थाएं**

(i) न्यूनतम पांच शैक्षणिक वर्षों के लिए शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले ऐसे संस्थान जो किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो और **नैक** या किसी **राअशिप** द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य प्रत्यायन अभिकरण से प्रत्यायन के लिए आवेदन किया हो।

(ii) विश्वविद्यालयों के शिक्षा–विभाग

3. **अवधि एवं कार्य दिवस**

3.1 अवधि

शिक्षा एम.एड कार्यक्रम की अवधि न्यूनतम 4 सप्ताह के क्षेत्रीय कार्य तथा लघु शोध पत्र समेत दो शैक्षणिक वर्षों की होगी। विद्यार्थियों को इस द्विवर्षीय कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कार्यकम में दाखिले की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष के भीतर पूरा कर लेने की अनुमति होगी। क्षेत्रीय कार्य/प्रायोगिक परीक्षा/अन्य गतिविधियां ग्रीष्म ऋतु में करायी जानी चाहिए।

3.2 कार्य–दिवस

प्रवेश की अवधि को छोड़कर तथा कक्षा संचालन प्रायोगिक कार्य परीक्षा, क्षेत्रीय अध्ययन एवं परीक्षा के आयोजन समेत प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो सौ कार्यदिवस होंगे। संस्थान सप्ताह (पाँच या छः दिन) में न्यूनतम 36 घंटे कार्य करेगा। इस दौरान कार्यक्रम से सम्बद्ध अध्यापक एवं विद्यार्थी अंतःक्रिया, संवाद, परामर्श एवं मार्ग दर्शन के लिए विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होंगे।

सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम और प्रायोगिक कार्य के लिए 80% तथा क्षेत्रीय कार्य के लिए 90% न्यूनतम उपस्थिति होगी।

4. **दाखिला क्षमता, पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया और फीस**

4.1 प्रवेश

इस कार्यक्रम की मूल इकाई में 50 विद्यार्थी होंगे। प्रत्येक संस्थान को केवल एक इकाई रखने की अनुमति होगी। अतिरिक्त इकाई की अनुमति केवल बुनियादी सुविधाओं, अध्यापकों तथा अन्य संसाधनों की गुणवत्ता के आधार पर दी जाएगी। साथ ही संस्थान ने तीन वर्षों तक यह कार्यक्रम चलाया हो और उसे **नैक** अथवा **राअशिप** द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्यायन अभिकरण द्वारां न्यूनतम बी+ ग्रेड दिया गया हो।

4.1 पात्रता

(ए) बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित कार्यक्रमों में कम से कम 50 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड होने चाहिए–

(i) बी.एड

(ii) बी.ए.बी.एड, बी.एससी.बी.एड

(iii) बी.एल.एड

(iv) अवर स्नातक उपाधि के साथ डी.एल.एड. (प्रत्येक में 50 प्रतिशत अंक)

(बी) अजा/अजजा/अपिव/विकलांग तथा अन्य उपयुक्त श्रेणियों के लिए आरक्षण एवं छूट केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, जो भी प्रयोज्य हो, के नियमों के अनुसार दी जाएगी।

4.3 प्रवेश प्रक्रिया

कार्यक्रम में प्रवेश अर्हर परीक्षा और प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन की नीतियों के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया द्वारा दिया जाएगा।

4.4 फीस

संस्थान केवल वही फीस लेगा जो राअशिप (गैर–सहायता प्राप्त शिक्षक शिक्षा संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क और अन्य शुल्कों के विनियमों के लिए दिशानिर्देश) विनियम 2002 (समय–समय पर संशोधित) के प्रावधानों के अनुरूप सम्बद्ध राज्य/संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हो। संस्थान विद्यार्थियों से चंदा, प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लेगा।

5. पाठ्यचर्या, कार्यक्रम का कार्यान्वयन और मूल्यांकन

5.1 पाठ्यचर्या

एम.एड. कार्यक्रम का निर्माण/रूपांकन विद्यार्थियों को अपने ज्ञान के विस्तार के साथ ही उसे और भी गहरा करने एवं शिक्षा को भलीभांति समझने, निश्चित क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करने तथा शोध–क्षमता विकसित करने, जिसके परिणामस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा में विशेषज्ञता मिलती है, का अवसर उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। द्विवर्षीय एम.एड. कार्यक्रम की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित घटक सम्मिलित होंगे: 1) सांझा *पाठ्यक्रम* जिसमें परिप्रेक्ष्य पाठ्यक्रम, टूल पाठ्यक्रम, शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम तथा एक आत्म–विकास अवयव होगा; 2) *विशेषज्ञता शाखाएं* जहां विद्यार्थी विद्यालयी स्तरों/क्षेत्रों (जैसे प्रारंभिक या माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक) में से किसी एक का चुनाव करें; 3) *लघु शोध प्रबंध के लिए शोध; 4) क्षेत्रीय कार्य/प्रशिक्षुता।* प्रारंभिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा में आधारभूत पाठ्यक्रम (जिनका क्रेडिट लगभग 60% होगा) और विशेषज्ञता पाठ्यक्रम होंगे तथा लघु प्रबंध के लगभग 40% क्रेडिट होंगे।

(ए) सैद्धान्तिक (कोर) पाठ्यक्रम

सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम कोर पाठ्यक्रमों और विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों में विभाजित है। मुख्य आधारभूत पाठ्यक्रमों में परिप्रेक्ष्य, टूल पाठ्यक्रम और शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम पाठ्यक्रम सम्मिलित होंगे।

परिप्रेक्ष्य पाठ्यक्रम इन क्षेत्रों में शामिल होंगे: शिक्षा का दर्शन, शिक्षा का समाजशास्त्र, इतिहास–राजनीतिक अर्थशास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा अध्ययन तथा पाठ्यचर्या अध्ययन। *टूल पाठ्यक्रम* में बुनियादी और उन्नत स्तरीय शिक्षा शोध, शैक्षिक/पेशेवर लेखन और सम्प्रेषण कौशल तथा शैक्षिक तकनीक समेत आईसीटी में कार्यशालाएं/पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। *शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम* (जो किसी शिक्षक शिक्षा संस्थान में क्षेत्रीय स्थानबद्ध प्रशिक्षण/प्रशिक्षुता सहयोजन के साथ से भी जुड़े होंगे) भी कोर पाठ्यक्रम में शामिल होंगे।

विशेषज्ञता घटक/शाखाएं विद्यार्थियों को विद्यालय स्तरों में से किसी एक – प्रारंभिक शिक्षा (VIII तक), या माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक (VIII से XII) में विशेषज्ञता प्रदान करेंगी। विद्यालय स्तर विशेषज्ञताओं में शामिल पाठ्यक्रम उस स्तर के संगत निश्चित विषयगत क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व/को शामिल करेगा जैसे: पाठ्यचर्या, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन; नीति; अर्थशास्त्र और योजना; शिक्षा प्रबंधन एवं प्रशासन; विद्यार्थियों की शिक्षा; इत्यादि। अन्य विशेषज्ञताओं की भी व्यवस्था की जा सकती है। विशेषज्ञता के क्षेत्र के संदर्भ में प्रासंगिक क्षेत्रीय स्थानबद्ध प्रशिक्षण/सहयोजन कार्यक्रम के दौरान का आयोजन किया जाएगा।

लिंग, विकलांगता और हाशियाकरण पर आलोचनात्मक चिंतन कोर और विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों का हिस्सा होगा। उसी प्रकार सीआईटी से सम्बद्ध कौशल और शैक्षिक तकनीक को भी कार्यक्रम के विभिन्न पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। इसके इतर, योग शिक्षा पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग होगी।

(बी) प्रायोगिक कार्य

विद्यार्थियों के व्यावसायिक कौशल और समझ में बढ़ोतरी के लिए कार्यशालाओं का आयोजन, प्रायोगिक गतिविधियां और संगोष्ठियां पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रमों के शिक्षण–प्रविधि का हिस्सा होंगी।

(सी) स्थानबद्ध प्रशिक्षण और सम्बद्धता

क्षेत्रीय सहयोजन/स्थानबद्ध प्रशिक्षण की व्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे संगठनों एवं संस्थाओं की मदद से की जाएगी। इनका लक्ष्य विद्यार्थियों को क्षेत्र–आधारित परिस्थितियों से जोड़ना तथा शिक्षा के प्रारंभिक एवं अन्य स्तरों पर कार्य करना तथा इन पर चिंतन और लेखन का अवसर प्रदान करना है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी द्वारा चयनित विशेषज्ञता क्षेत्र में किसी शिक्षक शिक्षा संस्थान में सुव्यवस्थित क्षेत्रीय स्थानबद्ध प्रशिक्षण/प्रशिक्षुता का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में अनुशिक्षण कक्षाओं, निर्देशित पठन समूह, क्षेत्रीय कार्य, तथा निर्देशित लघु शोध प्रबंध के रूप में प्रासंगिक क्षेत्रों में संकाय द्वारा गहन परामर्श दिया जाना चाहिए।

5.2 कार्यक्रम का कार्यान्वयन

संस्थान को इस व्यावसायिक कार्यक्रम (एम.एड.) की निम्नलिखित विशिष्ट मांगों को पूरा करना होगा--

(i) स्थानबद्ध प्रशिक्षण और क्षेत्रीय कार्य समेत सभी गतिविधियों के लिए एक कैलेण्डर तैयार करना। एम.एड. कार्यक्रम का कैलेण्डर स्थानबद्ध प्रशिक्षण और क्षेत्रीय कार्य के लिए अभिनिर्धारित संस्थानों के शैक्षिक कैलेण्डर के समकालिक होगा।

(ii) लघु शोध प्रबंध जो कि प्राथमिक क्षेत्रीय आंकड़ों या द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित हो अथवा एक आलेख जिसमें स्वीकृत विषय पर एक विस्तृत विचारशील और आलोचनात्मक निबंध शामिल हो, का प्रस्तुतीकरण अनिवार्य होगा।

(iii) लघु शोध प्रबंध के संचालन के लिए, दिशानिर्देश और परामर्श के लिए छात्रों के प्रति संकाय का अनुपात 1:5 होगा।

(iv) एम.एड. के विद्यार्थियों को व्यवस्थित रूप से शैक्षिक स्थलों/क्षेत्रों से कम से कम चार सप्ताह के लिए जोड़ा जाएगा, जिस पर वे एक विचारशील प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। सुझाए गए स्थल/क्षेत्र निम्नलिखित हैं–

(क) व्यावसायिक सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम

(ख) एक संगठन जो अभिनव पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियों के विकास में संलग्न हो।

(ग) पाठ्यचर्या निर्माण; पाठ्यपुस्तक के विकास; शिक्षा नीति की योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन; शैक्षिक प्रशासन तथा प्रबंधन से जुड़ा कोई अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य संस्थान।

(घ) सेवारत विद्यालयी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(v) संस्थान समय–समय पर संगोष्ठियों, वाद–विवाद, व्याख्यानों के आयोजन तथा विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए परिचर्चा समूह के गठन द्वारा शिक्षा में संवाद को बढ़ावा देंगे। साप्ताहिक शोध परिचर्चा/संगोष्ठी में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

(vi) संस्थान में विद्यार्थियों और अध्यापकों की शिकायतों की ओर ध्यान देने तथा विवादों के निपटारे के लिए तंत्र और प्रावधान होंगे।

(vii) ऐसे स्थानों पर जहां पाठ्यक्रम से वस्तुतः सम्बद्ध संकाय के अलावा अन्य संकाय को संस्थान के कार्य में सहयोजित किया जाएगा, तंत्र तैयार किए जाने होंगे।

5.3 मूल्यांकन

प्रत्येक सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम के लिए, कम से कम 30% भारांक सतत आंतरिक मूल्यांकन के लिए तथा 70% भारांक परीक्षा निकाय द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए होंगे। आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन (सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक पाठ्यक्रम दोनों) के लिए भारांक उपर्युक्त सूत्र के आधार पर संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। वैयक्तिक/सामूहिक समनुदेशन, संगोष्ठी में प्रस्तुति, क्षेत्रीय कार्य की मूल्याकंन रिपोर्ट आदि आंतरिक मूल्यांकन का आधार हो सकते हैं। कुल अंकों/केडिटों/भारांकों का एक–चौथाई, प्रायोगिकी, स्थानबद्ध प्रशिक्षण, क्षेत्रीय कार्य और लघु शोध प्रबंध के लिए होगा।

6. स्टाफ

6.1 अध्यापक

प्रति इकाई 50 विद्यार्थियों के प्रवेश पर, द्विवर्षीय कार्यक्रम में 100 विद्यार्थियों के लिए संकाय –विद्यार्थी अनुपात 1:10 होगा। संकाय के पद पर निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत होंगे–

1. प्रोफेसर	दो
2. सह प्रोफेसर	दो
3. सहायक प्रोफेसर	छः

अध्यापकों की नियुक्ति पाठ्यचर्या में प्रदत्त सभी आधारभूत और विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए की जाएगी। एम.एड. कार्यक्रम चलाने वाले किसी महाविद्यालय का प्राचार्य प्रोफेसर के पद और वेतनमान पर होगा।

6.2 अर्हता

ए. प्राचार्य/विभागाध्यक्ष

(i) संबंधित अनुशासन में स्नातकोत्तर उपाधि

(ii) न्यूनतम 55% अंको के साथ एम.एड.

(iii) शिक्षा में पीएच.डी

(iv) शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में दस वर्ष का व्यावसायिक अनुभव

बी. प्रोफेसर एवं सह प्रोफेसर

(i) विशेषज्ञता के क्षेत्र में प्रासंगिक अनुशासन में न्यूनतम 55% के साथ स्नातकोत्तर उपाधि

(ii) न्यूनतम 55% अंको के साथ शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.एड./शिक्षा में एम.ए)।

(iii) शिक्षा या विशेषज्ञता के क्षेत्र में प्रासंगिक विषय क्षेत्र में पीएच.डी की उपाधि।

(iv) यूजीसी द्वारा निर्धारित कोई अन्य योग्यता जैसे नेट परीक्षा या प्रोफेसर तथा असोसिएट प्रोफेसर पद के लिए यूजीसी या राज्य सरकार के मानकों के अनुसार व्यावसायिक शिक्षण अनुभव।

(सी) सहायक प्रोफेसर

(i) विशेषज्ञता के क्षेत्र में प्रासंगिक विषय क्षेत्र में न्यूनतम 55% अंको के साथ स्नातकोत्तर उपाधि।

(ii) न्यूनतम 55% अंको के साथ शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.एड./शिक्षा में एम. ए)

(iii) यूजीसी द्वारा निर्धारित कोई अन्य अर्हता जैसे नेट परीक्षा।

(**टिप्पणी:** संकाय की सेवाओं का प्रयोग नमनशील तरीके से पढ़ाने के लिए किया जा सकता है जिससे कि उपलब्ध शैक्षणिक विशेषज्ञता इस्टतम की जा सके।)

6.3 प्रशासनिक एवं व्यावसायिक सहयोग सहायता स्टाफ

(ए) निम्नलिखित प्रशासनिक स्टाफ उपलब्ध कराए जाएंगे:

(i)	कार्यालय प्रबंधक	एक
(ii)	आईटी कार्यकारी/अनुरक्षण स्टाफ	एक
(iii)	पुस्तकालय सहायक/संसाधन केन्द्र समन्वयक	एक
(iv)	कार्यालय सहायक	दो
(v)	सहायक	एक

(बी) विश्वविद्यालय के शिक्षा विभागों में प्रशासनिक स्टाफ की तैनाती विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार होगी।

6.4 सेवा के नियम एवं शर्तें

चयन प्रक्रिया, वेतन मान, सेवानिवृत्ति की आयु और अन्य भत्तें समेत शिक्षण एवं गैर–शिक्षण स्टाफ की सेवा के नियम एवं शर्तें राज्य सरकार/सम्बद्ध निकाय की नीति के अनुसार होगी।

7. सुविधाएं

7.1 बुनियादी सुविधाएं

एक संस्थान जो पहले ही एक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चला रहा है और एम.एड. के लिए एक आधार इकाई का प्रस्ताव रखता है तो उसके पास कम से कम 3000 वर्गमीटर भूमि होनी चाहिए। निर्मित क्षेत्र 2000 वर्ग मीटर का होगा। एक आधार इकाई के अतिरिक्त प्रवेश के लिए न्यूनतम अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र 500 वर्गमीटर होगा।

(क) क्लास रूम

50 विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए कम से कम दो क्लास रूमों का प्रावधान होगा जिसमें सभी विद्यार्थियों के बैठने के लिए स्थान और फर्नीचर होंगे। कक्षा का न्यूनतम आकार 50 वर्गमीटर होगा। संस्थान में अनुशिक्षण कक्षाओं तथा सामूहिक चर्चाओं के आयोजन के लिए 30 वर्गमीटर के कम से कम तीन कमरे होंगे।

(ख) संगोष्ठी कक्ष

संस्थान में बहुउद्देशीय हॉल होगा। इसके अतिरिक्त संस्थान में एक संगोष्ठी कक्ष होगा जिसमें 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी और उसका क्षेत्र कम से कम 100 वर्गमीटर होगा। यह हॉल संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के आयोजन के लिए पूर्णतया सुसज्जित होगा।

(ग) संकाय कक्ष

प्रत्येक अध्यापक के लिए एक अलग केबिन होगा जिसमें एक कार्यरत कम्प्यूटर तथा भंडारण स्थान होगा।

(घ) प्रशासनिक कार्यालय के लिए स्थान

संस्थान कार्यालयी स्टाफ के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराएगा, जिसमें फर्नीचर; भंडारण स्थान एवं कम्प्यूटर की सुविधा होगी।

(ड.) कामन रूम

संस्थान कम से कम दो पृथक कामन रूम होंगे, एक पुरूषों के लिए और एक महिलाओं के लिए।

7.2 उपकरण एवं सामग्री

(ए) लाइब्रेरी

संस्थान/विश्वविद्यालय का पुस्तकालय सांझा होगा तथा कार्यक्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। उसमें एम.एड. कार्यक्रम के लिए कम से कम 1000 पुस्तकें (प्रासंगिक पाठ्यपुस्तकों की कई प्रतियां) होंगी, जिसमें सभी पाठ्यक्रमों से संबंधित संदर्भ पुस्तकें, लेख एवं एम.एड. कार्यक्रम में नियोजित उपागमों संबंधी साहित्य; शैक्षणिक विश्वकोश, इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन (सीडी–रोम) जिसमें ऑनलाइन संसाधन तथा कम से कम पाँच शोध–पत्रिकाएं जिनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन हो, होंगी। पुस्तकालय के संसाधनों में राअशिप, एनसीईआरटी तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें एवं शोध–पत्रिकाएं होंगी। पुस्तकालय में पढ़ने के स्थान तथा संदर्भ खंड की भी व्यवस्था होगी। प्रत्येक वर्ष कम से कम 100 अच्छी पुस्तकें पुस्तकालय में मंगायी जाएंगी। पुस्तकालय में अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए फोटोकॉपी की सुविधा तथा इन्टरनेट की व्यवस्था होगी।

(बी) संसाधन केन्द्र

एक विशेष संसाधन केन्द्र संसाधन केन्द्र सह विभागीय पुस्तकालय के रूप में कार्य करेगा। यह केन्द्र विभिन्न प्रकार के संसाधन तथा सामग्री उपलब्ध कराएगा जिससे शिक्षण–अधिगम की गतिविधियों का रूपांकन एवं चयन किया जा सकेगा। साथ ही प्रासंगिक पाठ, नीति दस्तावेजों की प्रतियां और आयोगों के प्रतिवेदन; प्रासंगिक पाठ्यचर्या दस्तावेज जैसे एनसीएफ, एनसीएफटीई, शोध प्रतिवेदन, सर्वेक्षणों (राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय) के प्रतिवेदन, जिला एवं राज्य स्तरीय आँकड़े; अध्यापकों की पुस्तके; पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक पुस्तकें एवं पत्रिकाएं; क्षेत्रीय प्रतिवेदन तथा शोध–संगोष्ठियों के प्रतिवेदन, श्रव्य–दृश्य उपकरण – टी.वी., डीवीडी प्लेयर, एलसीडी प्रोजेक्टर, फिल्में (वृत्तचित्र, बाल फिल्में, सामाजिक सरोकारों/मुद्दों से जुड़ी रिकार्डिंग यंत्र; तथा ऐच्छिक रूप से आरओटी (आरओटी) (सैटेलाइट रिसीव ओनली टर्मिनल) एवं (एसआईटी) (सैटेलाइट इंटरैक्टिव टर्मिनल) भी उपलब्ध कराएगा।

टिप्पणी: 7.1 एवं 7.2 में वर्णित उपर्युक्त सुविधाएं संस्थान द्वारा चलाए जा रहे अन्य शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को पहले से दी जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त होगी।

7.3 अन्य सुविधाएं

(ए) निर्देशन एवं अन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक संख्या में सुचारू एवं समुचित प्रयोगशालाएं एवं फर्नीचर।

(बी) वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था।

(सी) संस्थान में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था।

(डी) परिसर, जल संसाधनों, शौचालयों (पुरूष, महिला एवं अध्यापक के लिए पृथक) की प्रतिदिन साफ–सफाई की प्रभावी व्यवस्था, फर्नीचर के रख–रखाव और अन्य उपकरणों की मरम्मत आदि की व्यवस्था।

(**टिप्पणी:** यदि शिक्षक शिक्षा के एक से अधिक कार्यक्रम एक ही संस्थान द्वारा एक ही परिसर में चलाए जा रहे हों तो खेल परिसर, बहुउद्देशीय हॉल, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला (पुस्तकों और उपकरणों की आनुपातिक वृद्धि के साथ) आदि में हिस्सेदारी की जा सकती है। संस्थान में एक प्राचार्य होगा तथा विभिन्न शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के अध्यक्ष होंगे।)

8. प्रबंधन समिति

संस्थान में एक प्रबंधन समिति होगी, जिसमें बारी बारी से प्रायोजक सभा/प्रबंधक सभा/न्यास के सदस्य, दो शिक्षाविद, प्राथमिक/प्रारंभिक शिक्षा विशेषज्ञ, एक संकाय सदस्य क्षेत्रीय कार्य के लिए चयनित दो संस्थानों के प्रमुख होंगे।

परिशिष्ट–6

शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) प्राप्त कराने वाले शारीरिक शिक्षा कार्यकम में डिप्लोमा के लिए मानदण्ड और मानक

1. प्रस्तावना

शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.)कार्यकम स्कूल शिक्षा के प्रारम्भिक चरण के लिए कक्षा (**कक्षा** I-VIII) शारीरिक शिक्षा शिक्षक तैयार करने के लिए एक व्यावसायिक कार्यकम है ।

2. अवधि और कार्य दिवस

2.1 अवधि

शारीरिक शिक्षा कार्यकम में डिप्लोमा की अवधि दो शैक्षणिक वर्ष होगी तथापि छात्रों को कार्यकम में प्रवेश की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष के अन्दर कार्यक्रम आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति होगी ।

2.2 कार्य दिवस

प्रवेश की अवधि को छोड़कर परंतु परीक्षा अवधि समेत कम से कम 200 कार्य दिवस होंगे तथापि, प्रत्येक सप्ताह कम से कम छत्तीस घंटे कार्य किया जाएगा।

3. दाखिला, पात्रता और प्रवेश प्रकिया

3.1 दाखिला

प्रत्येक वर्ष के लिए 50 छात्रों की एक बुनियादी इकाई होगी।

3.2 पात्रता

उच्च माध्यमिक स्कूल (+2) अथवा समकक्ष परीक्षा, कम से कम 50: अंकों के साथ पास। तथापि, 5 प्रतिशत अंकों की छूट उन उम्मीदवारों को दी जाएगी जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/एसजीएफआई खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है। अर्हक परीक्षा में अंकों की प्रतिशतता और अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों व अन्य श्रेणियों के लिए सीटों के आरक्षण में और अंकों में छूट केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार, जो भी लागू हो, प्रदान की जाएगी ।

3.3 प्रवेश प्रक्रिया

प्रवेश परीक्षा में (खेल दक्षता परीक्षण, शारीरिक, स्वस्थता परीक्षण और अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंक) अथवा किसी अन्य चयन प्रक्रिया में, राज्य सरकार की नीति के अनुसार प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता के आधार पर किया जाएगा ।

3.4 फीस

संस्थान ऐसी फीस प्रभारित करेगा, जैसी कि एन.सी.टी.ई. विनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार समय–समय पर यथासंशोधित संबंधित निकाय/संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाए; ट्यूशन फीस व अन्य फीस के विनियमन के संबंध में गैर–सहायता प्राप्त शिक्षक शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रभारित योग्य अन्य फीस के विनियमन संबंधी मार्गनिदेश ।

4. पाठ्यचर्या, कार्यक्रम कार्यान्वयन और मूल्यांकन

4.1 पाठ्यचर्या

डी.पी.एड. कार्यक्रम, बाल्यावस्था, शिक्षा के सामाजिक संदर्भ, विषय जानकारी, शिक्षा राष्ट्रीय ज्ञान, शिक्षा के उद्देश्य और संचार दक्षताओं के अध्ययन को एकीकृत करने के लिए तैयार किया गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत अनिवार्य और वैकल्पिक सिद्धान्त पाठ्यक्रम और अनिवार्य स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण सम्मिलित है। सिद्धान्त और अभ्यास पाठ्यक्रमों को अनुपात के अनुसार भारित प्रदान किया जाएगी जैसा कि संबंधित निकाय द्वारा तय किया जाए। यह, स्थूल रूप में एन.सी.टी.ई. द्वारा सुझाए गए; समय–समय पर संशोधित पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के अनुरूप होगी, उसे संबंधित राज्य अथवा क्षेत्र के लिए संदर्भित करते हुए।

आई.सी.टी., लिंग, योगा शिक्षा और निःशक्तता/समावेशी शिक्षा डी.पी.एड. पाठ्यचर्या का एक अभिन्न भाग होगा।

(क) सैद्धान्तिक विषयों का पाठ्यक्रम

सैद्धान्तिक विषयों के पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत शारीरिक षिक्षा में परिप्रेक्ष्यों पर पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और खेल शिक्षा शास्त्र और बाल मनोविज्ञान सम्मिलित है। प्रथम वर्ष में सिद्धान्त पाठ्यक्रमों में सम्मिलित है शारीरिक शिक्षा का इतिहास और सिद्धान्त शारीरिक शिक्षा के आधार; बुनियादी शरीर रचना और शरीर विज्ञान योग शिक्षा शारीरिक शिक्षा की पद्धतियां शारीरिक शिक्षा का आयोजन और संचालन; मनोरंजन; स्वास्थ्य शिक्षा; पर्यावरणीय अध्ययन; मूल्य शिक्षा और द्वितीय वर्ष में सम्मिलित है; खेल प्रशिक्षण, बाल मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शारीरिक शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी, शरीरिक शिक्षा में परीक्षण और मान; खेल चोट और पुनर्वास; युवा नेतृत्व और समाज कल्याण, पोषाहार और प्राकृतिक चिकित्सा।

(ख) प्रायोगिक कार्य

प्राथमिक पाठ्यक्रम, प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए उपयुक्त, विभिन्न खेलों में शारीरिक कार्यकलाप और योग अभ्यास में व्यावसायिक दक्षताएं और क्षमताएं प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

कार्यकलाप के अन्तर्गत सम्मिलित है : ट्रेक और क्षेत्र; तैराकी (यदि सम्भव हो); जिमनास्टिक्स; योग; एयरोबिक्स; रेकेट खेल; बेडमिन्टन; टेबिल टेनिस; टेनिस; स्क्वेश; टीम खेल; बास्केटबॉल; बेसबॉल; क्रिकेट; फुटबाल; हेण्डबाल; हॉकी; नेटबाल; साफ्टबाल; शूटिंग; बॉलीबॉल; लड़ाकू खेल; बॉक्सिंग, फेन्सिंग, जूडो, कराटे, मलखम्भ, लडाकू कलाए; ताइक्वान्डो, कुश्ती, मनोरेजन/लघु खेल; रिले खेल; समूह खेल, लघु खेल, लीड–अप खेल, स्वदेशी खेल; कबड्डी, खो–खो; राष्ट्रीय महत्व के कार्यकलाप; ध्वजारोहरण, सलामी (मार्च पास्ट), समारोह शुभारम्भ, समापन; विजय शिविर, सैर–सपाटा/डाइविंग/ट्रेकिंग, सामूहिक प्रदर्शन कार्यकलापय डम्ब बेल, अम्ब्रेला, टिपरी, वेण्ड, हूप अथवा कोई अन्य उपकरण ।

(ग) स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण (इन्टर्नशिप)

डी.पी.एड. कार्यक्रम के अन्तर्गत अध्येताओं और स्कूल के साथ लगातार कार्य की व्यवस्था है जिससे कि सामन्जस्यपूर्ण वातावरण कायम किया जा सके । कार्यक्रम के अन्तर्गत, शिक्षण–अध्ययन प्रक्रिया में शिक्षकों को जानकारी प्रदान करते हुए खेलकूद और स्वदेशी कार्यकलापों में बुनियादी दक्षताओं का शिक्षण प्रदान करना सम्मिलित है ।

स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण/शिक्षण अभ्यास के अन्तर्गत समुदाय के साथ अन्योन्यक्रिया सम्मिलित है। स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण/शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम में निम्नलिखित संघटक सम्मिलित होंगे।

स्कूलों में न्यूनतम 20 पाठ, जिस पाठ्यक्रम के दौरान 4 पाठ कक्षा प्रेक्षण आदि के लिए समर्पित होंगे । प्रथम वर्ष के दौरान और द्वितीय वर्ष के दौरान प्रारम्भिक कक्षाओं के लिए कम से कम 10 पाठ होंगे ।

4.2 कार्यक्रम कार्यान्वयन

कालेज/संस्थान को कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित का आयोजन करना होगा।

(क) सभी कार्यकलापों के संबंध में, स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण सहित, एक कलेण्डर तैयार करना जिसका कालक्रम स्कूल के शैक्षणिक कलेण्डर के साथ बिठाया जाएगा।

(ख) कम से कम दस स्कूलों के साथ व्यवस्था करना, जिसमें स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण प्रदान करने और साथ ही कार्यक्रम के अन्य स्कूल आधारित कार्यकलापों के संबंध में भी उनकी इच्छा का उल्लेख किया जाएगा। ये स्कूल, कार्यक्रम की अवधि के दौरान सभी प्रयोगात्मिक कार्यकलापों और सम्बद्ध कार्य के लिए बुनियादी सम्पर्क सूत्र होंगे। राज्य शिक्षा विभाग के जिला/ब्लॉक कार्यालय द्वारा विभिन्न शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए स्कूल आबंटित किए जा सकते हैं।

(ग) छात्रों और संकाय के लिए समय–समय पर सेमिनार, संवाद, व्याख्यान और चर्चा समूह आयोजित करके शारीरिक शिक्षा और योग शिक्षा पर व्याख्यान प्रारंभिक प्रारंभ करना।

(घ) शैक्षणिक संवर्धन कार्यक्रम, मूल विषयों से संकाय के साथ अन्योन्यक्रिया सहित, आयोजित करना, संकाय सदस्यों को शैक्षिक अध्ययन में भाग लेने और अनुसंधान आयोजित करने के लिए, विशेष रूप से प्रारंभिक स्कूलों में, प्रोत्साहित करना। विश्वविद्यालय में अनुसंधान आयोजित करने के लिए संकाय के लिए छुट्टी की व्यवस्था करना।

(ङ) छात्रों को विमर्शक चिंतन और विवेचनात्मक प्रश्न पूछने की दक्षताओं का विकास करने के लिए उन्हें सहायता प्रदान करने के वास्ते कक्षा में भागीदारीपूर्ण शिक्षण दृष्टिकोण अपनाना। छात्र, सतत और व्यापक मूल्यांकन रिपोर्ट और प्रेक्षण रिकार्ड रखेंगे जिससे प्रतिक्रियात्मक विचारधारा के लिए अवसर उपलब्ध होते हैं।

(च) स्कूल के लिए संसाधनों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए तथा अध्यापक शिक्षा संस्था और स्कूल के बीच भागीदारी को पाठ्यचर्या और शारीरिक शिक्षा के शिक्षक शिक्षा संस्थान के संचालन, दोनों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

(छ) छात्रों और संकाय की शिकायतों का समाधान करने और कठिनाइयों को दूर करने के लिए संस्थान में प्रणालियां और प्रावधान किए जाएंगे।

(ज) स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए, शिक्षक शिक्षा संस्था और प्रतिभागी स्कूल, छात्र–शिक्षकों के मॉनीटरन, पर्यवेक्षण, शिक्षण और आकलन के लिए एक परस्पर रूप से सहमत पद्धति कायम करेंगे।

4.3 मूल्यांकन

प्रत्येक सिद्धांत पाठ्यक्रम के लिए, कम से कम 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक अंक सतत आंतरिक आकलन के लिए और 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत अंक परीक्षा निकाय द्वारा आयोजित टर्म के अंत में परीक्षा के लिए निश्चित किए जा सकते हैं तथा कुल अंकों का एक–चौथाई स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण कार्यो का, अभ्यास शिक्षण के कार्यो सहित, आबंटित किया जा सकता है। आंतरिक और बाह्य आकलन के लिए भारांश सम्बद्धन निकाय द्वारा निश्चित किया जाएगा। उम्मीदवारों का पूरे प्रायोगिकात्मक कार्य पाठ्यक्रम के संबंध में आंतरिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए और न कि केवल अध्ययन की उनकी इकाई के भाग के रूप में उन्हें दिए गए प्रोजेक्ट/क्षेत्र कार्य के संबंध में। मूल्यांकन के लिए आधार और प्रयुक्त मापदण्ड छात्रों के लिए पारदर्शी होना चाहिए ताकि उन्हें व्यावसायिक फीडबैक से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। छात्रों को व्यावसायिक फीडबैक के भाग के रूप में उनके ग्रेडों/अंकों के बारे में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि उन्हें अपना निष्पादन सुधारने का अवसर प्राप्त हो सके। आंतरिक मूल्यांकन के लिए आधार के अंतर्गत अलग अलग अथवा समूह कार्य, प्रेक्षण रिकार्ड, डायरियां, प्रतिक्रियात्मक पत्रिकाएं आदि शामिल हो सकती हैं।

5. स्टाफ

5.1 शैक्षिक संकाय

(i) (पचास छात्रों की एक बेसिक इकाई अथवा एक सौ की मिली–जुली संख्या से कम अथवा दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए कम के लिए):

1.	प्रिंसिपल/अध्यक्ष	:	एक
2.	प्राध्यापक	:	छः
3.	पुस्तकाध्यक्ष	:	एक
4.	फिजियोथेरापिस्ट	:	एक
5.	विशेषज्ञ अंशकालिक संकाय (खेल विशेषज्ञ)	:	चार (अंशकालिक)
6.	आहार–विज्ञानी/पोषाहार विशेषज्ञ	:	एक (अंशकालिक)
7.	आईसीटी अनुदेशक	:	एक (अंशकालिक)

(ii) अतिरिक्त दाखिले के लिए, जो पचास छात्रों के गुणक में होगा, पूर्णकालिक संकाय की संख्या में छः प्रतिशत अतिरिक्त इकाई के हिसाब से वृद्धि की जाएगी। प्रत्येक अवसर पर एक बुनियादी इकाई के अतिरिक्त दाखिले पर विचार किया जाएगा। शारीरिक शिक्षा शिक्षक तैयार पाठ्यक्रमों को भी, एनसीटीई द्वारा निर्धारित मानदण्डों और मानकों को पूरा किए जाने के अध्यधीन व्यापक और संयुक्त संस्थानों में संचालित किया जा सकता है।

(iii) शिक्षकों की नियुक्ति को इस प्रकार से विभाजित किया जाएगा कि पाठ्यक्रमों/विषयों और शारीरिक शिक्षा से सम्बद्ध कार्यकलापों के शिक्षण के लिए अपेक्षित प्रकृति और विशेषज्ञता का स्तर सुनिश्चित हो सके।संकाय का उपयोग शिथिलनीय ढंग से शिक्षण के लिए किया जाएगा जिससे कि उपलब्ध शैक्षिक विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग हो सके।

(iv) **अर्हताएं**

(ए) प्रिंसिपल/विभागाध्यक्ष/प्रभारी शिक्षक शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हताएं प्राध्यापक के पद के लिए निर्धारित अनुसार होंगी। शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में एक प्राध्यापक के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव।

(बी) प्राध्यापक

कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ एम.पी.एड. अथवा समकक्ष डिग्री।

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी.पी. एड. तथा स्कूल स्तर पर शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक/शारीरिक शिक्षा शिक्षक के रूप में आठ वर्ष का अनुभव।

(सी) पुस्तकाध्यक्ष

पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री।

(डी) शारीरिक चिकित्सक (फिजियोथेरापिस्ट)

खेल फिजियोथेरेपी में विशेषज्ञता के साथ फिजियोथेरेपी में स्नातकोत्तर डिग्री।

(ई) विशेषज्ञ अंशकालिक संकाय (खेल विशेषज्ञ)

कम से कम एक खेल में विशेषज्ञता खेल में कोचिंग में डिप्लोमा के साथ शारीरिक शिक्षा में किसी एक खेल में विशेषज्ञता/स्नातक डिग्री के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक/मास्टर्स डिग्री।

(एफ) आहार विज्ञानी/पोषाहार विशेषज्ञ – एक (अंशकालिक)

पोषाहार विज्ञानों में स्नातकोत्तर डिग्री।

(जी) आईसीटी अनुदेशक – एक (अंशकालिक)

सूचना प्रथाओं/सूचना विज्ञानों में स्नातकोत्तर डिग्री।

(**टिप्पणी** : संयुक्त संस्थान के मामले में प्रिंसिपल और शैक्षिक, प्रशासनिक और तकनीकी स्टाफ की सेवाओं में भागीदारी की जा सकती है।)

5.2 **तकनीकी सहयोगी और प्रशासनिक स्टाफ**

1. ग्राउण्ड स्टाफ : एक

(ग्राउण्डों की मार्किंग करने और खेल मैदानों के अनुरक्षण की जानकारी के साथ)

2. तकनीकी सहायक : एक (अंशकालिक)
3. कार्यालय सहायक : एक

(कंप्यूटरों और लेखांकन सॉफ्टवेयर के साथ काम करने के ज्ञान के साथ)

4. स्टोरकीपर : एक

(स्टोर की हैंडलिंग की जानकारी के साथ)

5. हेल्पर/परिचर : दो

अर्हताएं

संबंधित सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित

5.3 **सेवा की शर्तें और उपबंध**

शिक्षण और गैर–शिक्षण स्टाफ की सेवा शर्तें, चयन प्रक्रिया, वेतनमान, सेवानिवृति की आयु व अन्य लाभ राज्य सरकार/सम्बद्धन निकाय की नीति के अनुसार होंगे।

6. **सुविधाएं**

6.1 भौतिक सुविधाएं

(i) ये सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रबंधन/संस्थान के पास आवेदन करते समय उसके कब्जे में न्यूनतम पांच एकड़ भूमि एकमात्र रूप से, भली–भांति सीमा अंकित, या तो मिल्कियत के आधार पर अथवा पट्टे पर/सरकार से उस पर निर्मित इमारत के साथ होनी चाहिए।

(ii) दाखिले की प्रति इकाई दो कक्षा कमरों, एक बहु–प्रयोजन हॉल, एक बहु–प्रयोजन प्रयोगशाला, सेमिनार/ट्युटोरियल कमरे, प्रिंसिपल, संकाय सदस्यों के लिए अलग–अलग कमरे, प्रशासनिक स्टाफ के लिए कार्यालय तथा एक स्टोर का प्रावधान होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षण कमरे के लिए, जैसेकि

कक्षा कमरे, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि के लिए स्थान प्रति छात्र 10 वर्ग फुट से कम नहीं होगा। बहु—प्रयोजन हॉल में कुल 2000 वर्ग फुट के साथ दो सौ व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी।

(iii) कम से कम दो सौ मीटर ट्रैक के साथ, बाह्य खेलों के लिए एक बहु—प्रयोजन क्षेत्र और जिमनास्टिक व अंतरंग खेल—कूद के लिए एक हॉल होना चाहिए।

(iv) इमारत के सभी भागों में अग्नि संकट के विरुद्ध सुरक्षोपाय की व्यवस्था की जाएगी।

(v) संस्थागत कैम्पस, इमारत, फर्नीचर आदि विकलांग अनुकूल होने चाहिए।

(vi) आवश्यक होने पर, लड़के और लड़कियों के लिए पृथक छात्रावास की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त, संकाय के लिए कुछ रिहायशी क्वार्टरों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

6.2 अनुदेशात्मक

(i) संस्थान के पास उचित फेन्सिंग के साथ कम से कम पांच एकड़ भूमि होगी जिससे संस्थागत इमारत के लिए और भावी विस्तार के लिए पर्याप्त जगह तथा खेल—कूद आयोजित करने के लिए खुली जगह होगी। कक्षा कमरों को मिलाकर निर्मित क्षेत्र 1200 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में भी, जहां कुल भूमि अपेक्षित पांच एकड़ से कम हो सकती है, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। डी.पी.एड. कार्यक्रम के साथ मिलकर अन्य पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए निर्मित क्षेत्र निम्नवत होगा:

1.	केवल डी. पी. एड.	—	1200 वर्ग मीटर
2.	डी.पी.एड. तथा बी. पी. एड.	—	2700 वर्ग मीटर
3.	डी.पी.एड. तथा बी. पी. एड. और एम. पी. एड.	—	3900 वर्ग मीटर

डी.पी.एड. की एक इकाई के अतिरिक्त दाखिले के लिए 500 वर्ग मीटर के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता होगी।

(ii) एक पुस्तकालय होगा, जो न्यूनतम दो हजार शीर्षकों और अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रमों से सम्बद्ध संदर्भ पुस्तकों, शैक्षिक विश्वकोष, वार्षिकी, इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशनों (सीडी—रोम) और कम से कम शारीरिक शिक्षा और सम्बद्ध विषयों पर पांच पत्रिकाओं से सज्जित होगा। पुस्तकालय में फोटोकॉपिंग सुविधा और संकाय तथा छात्र—शिक्षकों के उपयोगार्थ इंटरनेट सुविधा के साथ कंप्यूटर होगा।

(iii) प्रयोगशालाएं

(क) शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला उपस्कर

प्रोजेक्शन और दोहरेपन के लिए हार्डवेयर और आईसीटी साक्षरता प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रणाली; टी.वी.; एलसीडी प्रोजेक्टर; प्रदर्शन बोर्ड (तीन), इंटरनेट संयोजकता के साथ कम से कम दस मूवी कैमरा; संगीत प्रणाली, कंप्यूटर प्रणाली — प्रिंटर के साथ दो; फोटोकॉपी मशीन; जीओ/डीवीडी/आरओएम, विभिन्न खेलों/दक्षता शिक्षण के लिए बीस; स्मार्ट बोर्ड।

(ख) शरीर रचना, शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला उपस्कर, मानव कंकाल — आर्टिकुलेटिड (एक), अ—आर्टिकुलेटिड (दो); इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल/लीवर आधारित तुला मशीन — एक; एन्थ्रोपोमीट्रिक किट — एक सेट; स्टेडियोमीटर — एक; ग्रोथ चार्ट और बॉडी सिस्टम चार्ट — दस; वांछनीय भार और ऊंचाई टेबल्स— दो; स्किनफोल्ड कैलिपर्स — दो; मापन टेप (स्टील) — एक; पीक फ्लो मीटर — एक; ग्रिप डायनमोमीटर — दो; फ्लेक्सोमीटर (सिट एंड रीच ऐपेरेटस) — दो; बी.पी. ऐपेरेटस (साइग्मोमैनोमीटर, स्टेथस्कोप और स्टाप वाचिज) — दो।

6.3 खेल और क्षेत्र उपकरण

खेल और क्षेत्र उपस्करों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा:

(i) एथलेटिक्स

मापन टेप (स्टील) — 15 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर; ट्रैक की मार्किंग के लिए वायर (पचास मीटर) — एक; स्टाप वाचिज — चार; स्टार्टिंग क्लैपर — एक, समाप्ति पर न्यायाधीशों के लिए स्टैण्ड — दो; फ्लैग पोल — 6, स्टार्टिंग ब्लॉक्स — 6; स्टाप बोर्ड — दो; टेक ऑफ बोर्ड — दो; हर्डल्स — बीस; हाई जम्प स्टैंड — एक जोड़ी; हाई जम्प क्रॉस बार्स — 6; पुरुषों और महिलाओं के लिए शॉट—पुट — दो—दो; पुरुषों और महिलाओं के लिए डिस्कस — दो—दो; पुरुषों और महिलाओं के लिए हैमर्स — दो—दो; पुरुषों और महिलाओं के लिए जलेविलन — छः—छः, जम्पिंग के लिए वाल्टिंग बॉक्स —दो; रिले बैटन — छः, मैट्रेस, वज़न प्रशिक्षण (मैट्स), हाई जम्प के लिए लैंडिंग।

(ii) खेलकूद

बैडमिंटन – पोस्ट, नेट, रैकेट, शटल कॉक, बास्केटबाल – स्टैंड और बोर्ड, नेट, बाल्स; क्रिकेट – बैटिंग पैड, बैटिंग ग्लोव्ज, एबडोमिनल गार्ड, हेल्मेट, विकेट कीपिंग ग्लोव्ज, विकेट कीपर लेग गार्ड, स्टम्प्स, बेल्स, बाल्स, टैनिस बाल; फुटबाल–गोल पोस्ट, नेट, बाल्स (सूक्ष्म आकार 4); फ्लेग के साथ पोस्ट; जिमनास्टिक्स – वाल्टिंग टेबल/हॉर्स (पुरुष और महिलाएं), पैरेलल बार (पुरुष), हॉरिजोंटल बार (पुरुष), बैलेंस बीम (समायोजन–योग्य); जिमनास्टिक्स मैट्रेसिज : हैंडबाल – गोल पोस्ट,नेट्स, बाल्स; हॉकी – गोल पोस्ट्स, नेट, बाल्स, स्टिक्स, गोल कीपिंग किट; खो–खो – खो पोल्स; लॉन टेनिस – पोस्ट्स, नेट्स, बाल्स, ऐन्टेना; वजन प्रशिक्षण – रॉड्स, वज़न प्लेट्स 2.5 किग्रा, 5 किग्रा, 10 किग्रा, 15 किग्रा, 20 किग्रा, कोलर्स, बेन्चिज, भार स्टैंड, भार बेल्ट और भार जैकेट, एक मल्टी–जिम अथवा पृथक स्टेशन–वार (कम से कम दस स्टेशन); जूडो/ताइक्वांडो/कुश्ती–मैट्स।

(iii) स्वदेशी कार्यकलापों/सामूहिक प्रदर्शन के लिए उपस्कर

लेजियम्स, डम्बवेल्स, फ्लेग्स, हूप्स, वेण्ड्स, ब्राल्स, अम्ब्रेलाज, स्किपिंग रॉप्स, संगीत प्रणाली' संगीत सीडी कैसेट, सामग्री, जैसेकि स्कार्फ, ड्रिल, रिबन, प्लेकार्ड आदि, सामूहिक प्रदर्शन कार्यकलापों के लिए; लड़ाकू कलाओं के लिए प्रदर्शन उपस्कर।

6.4 सांस्कृतिक कार्यकलाप

उपयुक्त और पर्याप्त वाद्य यंत्र, जब भी विभिन्न कार्यकलापों के लिए आवश्यक हों, उपलब्ध कराए जाएंगे।

6.5 विविध

बड़े खेलों, लघु खेलों, मनोरंजन खेलों, रिलेज, लड़ाकू खेलों और योग के लिए अपेक्षित अन्य उपस्कर।

6.6 सुविधाएं

(i) शिक्षण व अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर।

(ii) संस्थान, पुरुष और महिला अध्यापक शिक्षकों/छात्र–शिक्षकों के लिए पृथक सामान्य कक्षों की व्यवस्था करेगा।

(iii) स्टाफ और छात्रों के लिए पर्याप्त संख्या में शौचालय, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग–अलग उपलब्ध कराए जाएंगे।

(iv) वाहनों की पार्किंग के लिए व्यवस्था की जा सकती है।

(v) संस्थान में सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था की जाएगी।

(vi) कैम्पस की नियमित सफाई, पानी और शौचालय सुविधाओं, फर्नीचर व अन्य उपस्करों की मरम्मत और उन्हें बदलने के लिए प्रभावी व्यवस्था की जानी चाहिए।

(**टिप्पणी** : संयुक्त संस्थान के मामले में बहु–प्रयोजन हाल, खेल मैदान, पुस्तकालय और प्रयोगशाला की सुविधाओं (पुस्तकों और उपस्करों में आनुपातिक वृद्धि के साथ) तथा अनुदेशात्मक स्थान से विभिन्न कार्यक्रमों के लिए भागीदारी की जा सकती है।)

7. प्रबंधन समिति

संस्थान में एक प्रबंध समिति होगी, जिसका गठन सम्बद्धन विश्वविद्यालय/संबंधित राज्य सरकार के नियमानुसार, यदि कोई हो, किया जाएगा। ऐसे नियमों के अभाव में, संस्थान अपने आप प्रबंध समिति का गठन करेगा। समिति के अंतर्गत प्रायोजक सोसायटी/ट्रस्ट के प्रतिनिधि, शारीरिक शिक्षाविद, सम्बद्धन विश्वविद्यालय और स्टाफ के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

परिशिष्ट–7

शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी. एड.) डिग्री प्राप्त कराने वाले शारीरिक शिक्षा स्नातक कार्यक्रम के लिए मानदण्ड और मानक

1. प्रस्तावना

शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.एड.) कार्यक्रम एक व्यावसायिक कार्यक्रम है, जो कक्षा VI-X में शारीरिक शिक्षा के लिए शिक्षक तैयार करने और कक्षा XI-XII में शारीरिक शिक्षा और खेलकूद कार्यकलाप आयोजित करने के लिए है।

2. अवधि और कार्य दिवस

2.1 अवधि

बी.पी. एड. कार्यक्रम दो शैक्षिक वर्षों अथवा चार सेमेस्टरों की अवधि के लिए होगा। तथापि, छात्रों को कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष के अंदर कार्यक्रम अपेक्षाओं को पूरा करने की अनुमति होगी।

2.2 कार्य दिवस

प्रति वर्ष कम से कम 200 कार्य दिवस होंगे, दाखिले और परीक्षा आदि को छोड़कर। संस्थान, एक सप्ताह में (सप्ताह में पांच अथवा छः दिन) न्यूनतम 36 घंटे के लिए कार्य करेगा।

3. दाखिला, पात्रता और प्रवेश प्रक्रिया

3.1 दाखिला

पचास–पचास के दो सेक्शनों के साथ एक सौ छात्रों की बुनियादी इकाई होगी।

3.2 पात्रता

50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी विषय में स्नातक डिग्री और कम से कम एआईयू/आईओए/एसजीएफआई/भारत सरकार द्वारा यथामान्यताप्राप्त खेल–कूद में अंतर–कॉलेज/अंतर–क्षेत्रीय/जिला/स्कूल प्रतियोगिता में भागीदारी की हो।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों के साथ किसी विषय में स्नातक डिग्री तथा एक अनिवार्य विषय। वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा का अध्ययन किया हो।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री और राष्ट्रीय/अंतर–विश्वविद्यालय/राज्य प्रतियोगिता में भाग लिया हो अथवा एआईयू/आईओए/एसजीएफआई/भारत सरकार द्वारा यथामान्यताप्राप्त खेल–कूद में अंतर–कॉलेज/अंतर–क्षेत्रीय/जिला/स्कूल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

अथवा

अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी के साथ स्नातक डिग्री अथवा संबंधित संघों/एआईयू/एसजीएफआई/भारत सरकार द्वारा यथामान्यताप्राप्त खेल–कूद में राष्ट्रीय/अंतर–विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री और कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव (प्रतिनियुक्त सेवाकालीन उम्मीदवारों के लिए, अर्थात प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा शिक्षक/कोच)।

तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/पीडब्ल्यूडी व अन्य श्रेणियों के लिए सीटों का आरक्षण केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार नियमों के अनुसार होगा।

3.3 प्रवेश प्रक्रिया

प्रवेश, प्रवेश परीक्षा में (लिखित परीक्षा, खेल दक्षता परीक्षण, शारीरिक स्वस्थता परीक्षण और अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंक) प्राप्त अंकों अथवा विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया के आधार पर गुणावगुणों के आधार पर किया जाएगा।

3.4 फीस

संस्थान केवल ऐसी फीस प्रभारित करेगा जैसी कि एनसीटीई (ट्युशन फीस व अन्य फीस के विनियमन के संबंध में गैर–सहायताप्राप्त शिक्षक शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रभारित योग्य अन्य फीस के विनियमन संबंधी मार्गनिर्देश) विनियमावली, 2002 के प्रावधानों के अनुसार, समय–समय पर यथासंशोधित, सम्बद्धन निकाय/संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाए, और छात्रों से दान, प्रति व्यक्ति फीस आदि प्रभारित नहीं करेगा।

4. पाठ्यचर्या, कार्यक्रम कार्यान्वयन और मूल्यांकन

4.1 पाठ्यचर्या

बी.पी.एड. कार्यक्रम, बाल्यावस्था, शिक्षा के सामाजिक संदर्भ, विषय जानकारी, शिक्षाशास्त्रीय ज्ञान, शारीरिक शिक्षा और संचार दक्षताओं के ध्येयों के अध्ययन को एकीकृत करने के लिए तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत अनिवार्य तथा वैकल्पिक सिद्धांत पाठ्यक्रम और अनिवार्य स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण सम्मिलित होगी। सिद्धांत तथा व्यावहारिक पाठ्यक्रमों को अनुपात के आधार पर सारांश प्रदान किया जाएगा, जैसाकि सम्बद्धन निकाय द्वारा तय किया जाए। यह स्थूल रूप से एनसीटीई द्वारा सुझाए गए (समय–समय पर संशोधित) संबंधित राज्य अथवा क्षेत्र के लिए पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के अनुरूप होगा।

(क) सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम

4728 GI/14-6

सिद्धांत पाठ्यक्रमों के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा, पाठ्यचर्या और खेल–कूद शिक्षाशास्त्र में परिप्रेक्ष्यों के संबंध में पाठ्यक्रम सम्मिलित होंगे। प्रथम वर्ष में सिद्धांत पाठ्यक्रम में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: इतिहास, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत के आधार, शरीर रचना और शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यावरणीय अध्ययन, योग शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और शिक्षण, संगठन तथा प्रशासन की पद्धतियां, खेल प्रशिक्षण, कंप्यूटर अनुप्रयोग, खेल–कूद के सिद्धांत; स्थानापन्न और कोचिंग तथा द्वितीय वर्ष में सम्मिलित होंगे: शारीरिक शिक्षा में समकालीन मुद्दे – स्वच्छता, कल्याण, ओलम्पिक अभियान, पोषाहार और वज़न प्रबंधन, खेल शरीर विज्ञान तथा समाजशास्त्र, किनेसियोलॉजी और बायोमेकेनिक्स, खेल औषधि, शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास, माप और मूल्यांकन, खेल प्रबंधन और पाठ्यचर्या डिजाइन, अनुसंधान और सांख्यिकी तथा अनुसंधान प्रोजेक्ट।

(ख) प्रायोगिक कार्य

प्रायोगिक कार्य पाठ्यक्रम, स्कूली बच्चों के लिए उपयुक्त विभिन्न खेल–कूदों और शारीरिक कार्यकलापों में व्यावसायिक दक्षता और क्षमताएं प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से डिजाइन किया जाएगा। इसके अंतर्गत ट्रैक और फील्ड; तैराकी (यदि संभव हो); व्यायाम (जिमनास्टिक्स); योग; एयरोबिक्स; रैकेट खेल : बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस, स्क्वैश; टीम खेल : बेसबाल, बास्केटबाल, क्रिकेट, फुटबाल, हैंडबाल, हॉकी, नेटबाल, सॉफ्टबाल, शूटिंग, वालीबाल; लड़ाकू खेल, जैसेकि बॉक्सिंग, फेन्सिंग; जूडो, कराटे, मलखम्ब, लड़ाकू कलाएं, ताइक्वांडो, कुश्ती; मनोरंजन/लघु खेल, जैसेकि रिले खेल, समूह खेल, लघु खेल, लीड–अप खेल : स्वदेशी खेल जैसेकि कबड्डी, खो–खो; राष्ट्रीय महत्त्व के कार्यकलाप, जैसेकि ध्वजारोहण, सलामी (मार्च पास्ट), समारोह, जैसेकि शुभारम्भ, समापन, विजय; कैम्पिंग/सैर–सपाटा/हाइकिंग, ट्रैकिंग, सामूहिक प्रदर्शन कार्यकलाप, जैसेकि लेजिम, डम्ब–बेल, अम्ब्रेला, टिपरी, वण्ड, हूप अथवा कोई अन्य उपकरण।

(ग) स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण(इंटर्नशिप)

बी.पी. एड. कार्यक्रम के अंतर्गत अध्येताओं और स्कूल के साथ लगातार क्षेत्र कार्य के लिए व्यवस्था की जाएगी जिससे कि सामंजस्यपूर्ण वातावरण तैयार किया जा सके। कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण–अध्ययन प्रक्रिया में शिक्षकों को अनुभव प्रदान करके खेल–कूद और स्वदेशी कार्यकलापों में बुनियादी दक्षताओं में शिक्षण प्रदान करना है।

स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण शिक्षण अभ्यास के अंतर्गत सामुदायिक भागीदारी सम्मिलित है। स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित संघटक शामिल किए जाने चाहिए:

कम से कम 30 पाठ आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 20 पाठ स्कूलों में और 10 पाठ कॉलेज/संस्थान/विभाग में ही कोचिंग पाठ होंगे।

संस्थान को, क्षेत्र कार्य और छात्र–शिक्षकों के अभ्यास शिक्षण–सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए मान्यताप्राप्त प्रारंभिक स्कूल पर्याप्त संख्या में सहज सुलभ होंगे। वांछनीय है कि उसके अपने खुद के समबद्ध माध्यमिक स्कूल हों। संस्थान, अभ्यास शिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करने के इच्छुक स्कूलों से वचन–पत्र प्राप्त करेंगे।

4.2 कार्यक्रम कार्यान्वयन

कॉलेज/संस्थान को कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित का आयोजन करना होगा:

(क) सभी कार्यकलापों के संबंध में, स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण सहित एक कैलेंडर तैयार करना और स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण और अन्य स्कूल संपर्क कार्यक्रम स्कूल के शैक्षिक कैलेंडर के साथ सिंक्रोनाइज किए जाएंगे।

(ख) कम से कम दस स्कूलों के साथ व्यवस्था करना, जिसमें स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण और साथ ही कार्यक्रम के अन्य स्कूल–आधारित प्रायोगिकात्मक कार्य के लिए भी उनकी इच्छा का उल्लेख किया जाए। ये स्कूल सभी कार्यकुशलता कार्यकलापों और कार्यक्रम के पाठ्यक्रम के दौरान सम्बद्ध कार्य के संबंध में बुनियादी सम्पर्क बिन्दु कायम करेंगे। राज्य शिक्षा विभाग का जिला/ब्लॉक कार्यालय भिन्न–भिन्न टीईआई के लिए स्कूलों का आबंटन कर सकता है।

(ग) छात्रों और संकाय के लिए समय–समय पर सेमिनार, संवाद, व्याख्यान और चर्चा समूह आयोजित करके शारीरिक शिक्षा और योग शिक्षा पर व्याख्यान शुरू करना।

(घ) शैक्षिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करना, मूल विषयों से संकाय के साथ अन्योन्यक्रिया सहित, संकाय सदस्यों को शैक्षिक अध्ययन में भाग लेने, अनुसंधान आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करना, विशेष रूप से प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूलों में। विश्वविद्यालयों और स्कूलों में अनुसंधान/शिक्षण आयोजित करने के लिए संकाय के लिए छुट्टी का प्रावधान किया जा सकता है।

(ङ) छात्रों को विमर्शक चिंतन और विवेचित प्रश्न पूछने की दक्षताएं विकसित करने में सहायता प्रदान करने में कक्षा में भागीदारीपूर्ण शिक्षण दृष्टिकोण अपनाना। छात्र, सतत् और व्यापक मूल्यांकन रिपोर्टें और प्रेक्षण रिकार्ड रखेंगे जिनमें प्रतिक्रियात्मक विचारधारा के लिए अवसर उपलब्ध होते हैं।

(च) स्कूल के लिए संसाधनों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए और अध्यापक शिक्षा संस्थान तथा स्कूल के बीच भागीदारी को पाठ्यचर्या और शारीरिक शिक्षा के शिक्षक शिक्षा संस्थान के संचालन दोनों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

(छ) छात्रों और संकाय की शिकायतों का समाधान करने के लिए तथा कठिनाई समाधान के लिए संस्थान में प्रणालियां तथा प्रावधान किए जाने चाहिए।

(ज) स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए, टीईआई तथा प्रतिभागी स्कूल, छात्र–शिक्षकों के मॉनीटरन, पर्यवेक्षण, शिक्षण और मूल्यांकन के लिए एक परस्पर रूप से सहमत प्रणाली कायम करेंगे।

4.3 मूल्यांकन

प्रत्येक सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम के लिए कम से कम 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक अंक सतत आंतरिक मूल्यांकन के लिए और 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक अंक परीक्षा निकाय द्वारा आयोजित अवधि के अंत में परीक्षा के लिए निश्चित किए जाने चाहिए तथा कुल अंकों में से एक–चौथाई स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए आबंटित किए जाएंगे, अभ्यास शिक्षण के कार्य के मूल्यांकन सहित। आंतरिक और बाह्य आकलन के लिए भारांश का निर्धारण सम्बद्धन निकाय द्वारा किया जाएगा। छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन पूरे कार्यकुशलता पाठ्यक्रम के दौरान किया जाना चाहिए न कि केवल उन्हें अध्ययन के अपने यूनिटों के भाग के रूप में दिए गए प्रोजेक्ट/क्षेत्र कार्य के आधार पर। आकलन के लिए आधार और प्रयुक्त मानदण्ड छात्रों के लिए पारदर्शी होना चाहिए ताकि उन्हें व्यावसायिक फीडबैक से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। छात्रों को, व्यावसायिक फीडबैक के भाग के रूप में उनके ग्रेडों/अंकों के बारे में जानकारी दी जाएगी जिससे कि उन्हें अपने निष्पादन में सुधार करने का अवसर प्राप्त हो सके। आंतरिक आकलन के आधार के अंतर्गत अन्य बातों के साथ–साथ अलग–अलग अथवा समूह कार्य, प्रेक्षण रिकार्ड, डायरियां, प्रतिक्रियात्मक पत्रिकाएं आदि शामिल हो सकती हैं।

5. स्टाफ

5.1 शैक्षणिक संकाय

(i) संख्या (एक सौ छात्रों के एक बुनियादी यूनिट के लिए):

1. प्रिंसिपल : एक
2. सह प्रोफेसर : दो
3. सहायक प्रोफेसर : छः
4. सहायक प्रोफेसर : तीन (अंशकालिक) यदि जरूरी हों
5. खेल प्रशिक्षक : तीन (अंशकालिक)
6. योग प्रशिक्षक : एक (अंशकालिक)
7. आहार–विज्ञानी : एक (अंशकालिक)

(ii) एक सौ अतिरिक्त छात्रों के दाखिले के लिए, पूर्णकालिक शिक्षक प्रशिक्षकों की संख्या में शारीरिक शिक्षा में आठ तक प्राध्यापकों/सहायक प्रोफेसरों की वृद्धि की जाएगी।

(iii) शारीरिक शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति इस प्रकार से की जाएगी कि सभी पाठ्यक्रमों/विषयों के शिक्षण और शारीरिक शिक्षा से सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए विशेषज्ञता की उपलब्धि सुनिश्चित हो सके।

5.2 अर्हताएं

(ए) प्रिंसिपल/अध्यक्ष

(i) 55 प्रतिशत अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ शारीरिक शिक्षा में मास्टर्स डिग्री (एम.पी.एड./एम.पी.ई.), अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्ड के अनुसार अक्षर ग्रेड "ओ", "ए", "बी", "सी", "डी", "ई", "एफ" के सात बिन्दु पैमाने में "बी"।

(ii) शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में पीएच–डी.।

(iii) आठ वर्ष का शिक्षण अनुभव जिसमें से पांच वर्ष का अनुभव किसी संस्थान/कॉलेज/शारीरिक शिक्षा विभाग में होना चाहिए।

(iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सम्बद्धन निकाय/राज्य सरकार द्वारा प्रिंसिपल के पद के लिए समय–समय पर निर्धारित कोई अन्य निर्धारण अनिवार्य होगा।

(बी) सह प्रोफेसर

(क) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ एम.पी.एड. डिग्री अथवा इसके समकक्ष, अर्थात, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्ड के अनुसार अक्षर ग्रेड "ओ", "ए", "बी", "सी", "डी", "ई", "एफ" के सात पॉइंट पैमाने में "बी"।

(ख) किसी शैक्षणिक/अनुसंधान पद पर, जो विश्वविद्यालय, कॉलेज अथवा प्रत्यायित अनुसंधान संस्थान/उद्योग में सहायक प्रोफेसर के समकक्ष हो, पीएच–डी अनुसंधान की अवधि को छोड़कर, न्यूनतम आठ वर्ष का अनुभव, प्रकाशित कार्य और पुस्तकों और/या अनुसंधान/नीति पत्रों के रूप में न्यूनतम प्रकाशनों के साक्ष्य के साथ।

टिप्पणी : सह प्रोफेसर के पद के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सम्बद्धन निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित कोई अन्य निर्धारण अनिवार्य होगा।

(सी) सहायक प्रोफेसर

55 प्रतिशत अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ एम.पी. एड. डिग्री अथवा अथवा इसके समकक्ष, अर्थात, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुसार अक्षर ग्रेड "ओ", "ए", "बी", "सी", "डी", "ई", "एफ" के सात पॉइंट पैमाने में "बी"।

टिप्पणी : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सम्बद्धन निकाय/राज्य सरकार द्वारा सहायक प्रोफेसर के पद के लिए समय–समय पर निर्धारित कोई अन्य निर्धारण अनिवार्य होगा।

(डी) खेल प्रशिक्षक (अंशकालिक)

कम से कम एक खेल में (जैसा लागू हो) विशेषज्ञता के साथ शारीरिक शिक्षा में मास्टर्स डिग्री/स्नातक डिग्री अथवा खेल में (जैसा लागू हो) कोचिंग में डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

(ई) योग प्रशिक्षक (अंशकालिक)

योग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

(एफ) आहार–विज्ञानी (अंशकालिक)

पोषाहार में मास्टर्स डिग्री अथवा पोषाहार और आहार–विज्ञान में डिप्लोमा के साथ गृह विज्ञान में स्नातक डिग्री।

5.3 तकनीकी सहायता और प्रशासनिक स्टाफ

पुस्तकालय	:	एक
फिजियोथेरापिस्ट	:	एक
ग्राउंड्समेन/मार्कर्स/हेल्पर्स	:	दो
संगीत शिक्षक/बैंड मास्टर	:	एक (अंशकालिक)
आईसीटी अनुदेशक	:	एक (अंशकालिक)
तकनीकी सहायक	:	एक (अंशकालिक)
लेखा सहायक	:	एक
कार्यालय सहायक	:	एक
स्टोरकीपर	:	एक
हेल्पर्स/परिचर	:	दो

अर्हताएं:

संबंधित राज्य सरकार/सम्बद्धन विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा विनिर्धारित

टिप्पणी : मिले–जुले संस्थान के मामले में, प्रिंसिपल तथा शैक्षिक, प्रशासनिक और तकनीकी स्टाफ की कार्यक्रमों के बीच भागीदारी की जा सकती है। प्रिंसिपल एक होगा तथा अन्यों को एचओडी कहा जा सकता है।

5.4 सेवा की शर्तें और निबंधन

शिक्षण और गैर–शिक्षण स्टाफ की सेवा शर्तें, चयन प्रक्रिया, वेतनमान अधिवार्षिकी की आयु तथा तथा अन्य लाभों सहित, राज्य सरकार/सम्बद्धनं निकाय की नीति के अनुसार होंगी।

6. सुविधाएं

6.1 आधारिक सुविधाएं

(i) कम से कम दो कक्ष कमरों, एक बहु–प्रयोजन हाल, एक सेमिनार कक्ष/दस ट्युटोरियल विशेषज्ञता कक्ष कमरों, प्रिंसिपल, संकाय सदस्यों के लिए पृथक कक्षों, मेडिकल सुविधा कक्ष, प्रशासनिक स्टाफ के लिए कार्यालय तथा एक स्टोर के लिए व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक शिक्षण कक्ष के लिए, जैसेकि कक्षा कमरा, प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय आदि के लिए, प्रति छात्र कम से कम 10 वर्ग फुट स्थान के लिए व्यवस्था की जाएगी। बहु–प्रयोजन कक्ष में, कुल निर्मित क्षेत्र के साथ, दो हजार वर्ग मीटर के डायस को मिलाकर, कम से कम दो सौ व्यक्तियों के लिए बैठने की व्यवस्था होगी।

(ii) बी.पी. एड. कार्यक्रम के साथ मिलाकर अन्य पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए निर्मित क्षेत्र निम्नवत होगा:

- केवल बी.पी. एड. – 1500 वर्ग मीटर
- बी.पी. एड. एम.पी. एड. – 2700 वर्ग मीटर
- बी.पी. एड. डी.पी. एड. एम.पी. एड. – 3900 वर्ग मीटर

बी.पी. एड. के एक यूनिट के अतिरिक्त दाखिले के लिए पांच सौ वर्ग मीटर अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता होगी।

(iii) बाह्य खेलों के लिए एक बहु–प्रयोजन खेल मैदान, चार सौ मीटर एथलेटिक ट्रैक (मेट्रो नगरों में 200 मीटर हो सकता है), व्यायामशाला और अंतरंग खेल–कूद के लिए एक हाल होगा।

(iv) संस्थान कैम्पस, इमारत, फर्नीचर आदि विकलांग अनुकूल होने चाहिए।

(v) इमारत व सभी भागों में अग्नि संकट के विरुद्ध सुरक्षोपायों की व्यवस्था की जाएगी।

(vi) बाहरी छात्रों के लिए लड़कों और लड़कियों के लिए अलग–अलग छात्रावास।

6.2 अनुदेशात्मक सुविधाएं

(i) संस्थान के पास उचित बाड़े के साथ कम से कम 5–8 एकड़ भूमि होनी चाहिए, जिसमें संस्थागत इमारत और भावी विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान और खेल–कूद आयोजित करने के लिए खुला स्थान होना चाहिए। कक्षा कमरों आदि को मिलाकर निर्मित क्षेत्र 1500 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अतिरिक्त यूनिट के लिए निर्मित क्षेत्र में 3000 वर्ग फुट तक की वृद्धि की जानी चाहिए। एक संस्थान की अधिकतम दाखिला क्षमता, सभी शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को मिलाकर तीन सौ छात्र बनी रहेगी। शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम अन्य शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों के साथ नहीं चलाए जाने चाहिए। तीन सौ छात्रों तक की दाखिला क्षमता के लिए सभी शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए पांच से आठ एकड़ तक की भूमि पर्याप्त है। प्रयोगशाला, व्यायामशाला, पुस्तकालय, खेल सुविधाओं की भागीदारी उसी कैम्पस में चलाए जा रहे अन्य शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के साथ की जा सकती है।

(ii) **संस्थान, निकटवर्ती क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में मान्यताप्राप्त माध्यमिक स्कूलों** (पांच से दस तक) के लिए, **क्षेत्र कार्य और छात्र–शिक्षकों के अभ्यास शिक्षण सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए सहज रूप में सुलभ** होगा। ऐसे संस्थानों से निर्धारित प्रपत्र में एक वचन–पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए। वांछनीय है कि संस्था का अपने नियंत्रण के अधीन एक संबद्ध स्कूल होना चाहिए।

(iii) एक पुस्तकालय–सह–वाचनालय कक्ष होगा, जो कम से कम दो हजार शीर्षकों और निर्धारित अध्ययन पाठ्यक्रम से सम्बद्ध संदर्भ पुस्तकों, शैक्षिक शब्दकोशों, वार्षिकी, इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशनों (सीडीरोम) और शारीरिक शिक्षा व सम्बद्ध विषयों पर न्यूनतम पांच संदर्भित पत्रिकाओं से सज्जित होगा। पुस्तकालय में फोटोकॉपिंग सुविधा और संकाय व छात्र–शिक्षकों के उपयोगार्थ इंटरनेट सुविधा के साथ कंप्यूटर होगा।

(iv) संस्थान में, अंतरंग खेलों, बाह्य खेलों और शारीरिक कार्यकलापों के लिए उपस्कर और सुविधाएं; खेल औषधि प्रयोगशाला; शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला; शरीर रचना, शरीर विज्ञान तथा स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला; मानव निष्पादन प्रयोगशाला; शारीरिक चिकित्सा, एथलीट देखभाल और पुनर्वास प्रयोगशाला, खेल मनोविज्ञान प्रयोगशाला और साथ ही शारीरिक कार्यकलापों के लिए भी, एथलेटिक्स, खेल–कूद, सामूहिक प्रदर्शन ड्रिल्स आदि सहित, जैसाकि संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित और नीचे सुझाया गया है:

(v) **शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला; डिजिटल कैमरा, प्लाज़्मा एलईडी/एलसीडी टी.वी., डीवीडी रिकार्डर और प्लेयर, स्मार्ट बोर्ड, फोटोकॉपियर मशीन, सीडी/डीवीडी/रोम, विभिन्न खेलों/दक्षता शिक्षण के लिए, मीडिया प्रोजेक्टर, विडियो कैमरा (हैंडी कैम डिजिटल), डेस्क टॉप्स (टीएफटी)–20, कलर प्रिंटर,**

स्कैनर, सार्वजनिक व्याख्यान सिस्टम, वहनीय प्रदर्शन बोर्ड (4 फुट X 7 फुट), कंप्यूटर प्रयोगशाला, 15 डेस्कटॉप (टीएफटी) और इंटरनेट के साथ, इंट्रानेट सुविधाएं, लिब–नेट सेवाओं के साथ, संगीत सिस्टम, सीसीटीवी।

(vi) प्रयोगशाला उपस्कर : संस्थान में विभिन्न प्रयोगशालाओं के लिए निम्नलिखित उपस्कर और सुविधाएं होंगी:

(क) शरीर रचना, शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला, हेमोग्लोबिन मीटर – एक, रेस्पीरोमीटर (वेट) – दो, मानव स्केलटन – एक, तुला मशीन – एक, मानव शरीर सिस्टम चार्ट, सभी सिस्टमों को दर्शाते हुए (प्रत्येक शरीर सिस्टम के लिए कम से कम एक पृथक चार्ट) – कम से कम 10 मानव शरीर अंग सिस्टम मॉडल, खाद्य पोषण चार्ट, संचारणीय और गैर–संचारणीय रोग चार्ट, सड़क सुरक्षा यंत्र चार्ट, प्राथमिक सहायता बॉक्स (प्रारंभिक और उन्नत), ऊंचाई और वज़न चार्ट।

(ख) मानव निष्पादन प्रयोगशाला : शीर्ष प्रवाह मीटर, ड्राई स्पिरो मीटर, पेडोमीटर, हार्ट रेट मॉनीटर, स्टाप वाचिज (इलेक्ट्रॉनिक माप सेकंड के 1/100वें तक टाइम अप), ग्रिप डायनमोमीटर, बैक और लेग डायनमोमीटर्स, गोनियोमीटर, एन्थ्रोपोमीटर्स, स्लाइडिंग कैलिपर्स, स्किनफोर्ड कैलिपर्स, स्टील टेप्स, बी.पी. ऐपेरेटस (साइग्मोमैनोमीटर्स और स्टेथोस्कोप), हार्वर्ड स्टेप टेस्ट बेन्चिज, वाल थर्मोमीटर और बैरोमीटर, मेट्रोनोमे, फ्लेक्सोमीटर (शिथिलता मापने के लिए), फिंगर डेक्सटेरिटी परीक्षण, रिएक्शन टाइम ऐपेरेटस (दृश्यक और श्रव्य), फुट एंड हैंड रिएक्शन टाइम एपेरेटस, वाइब्रेटर्स।

(ग) शारीरिक चिकित्सा, एथलीट देखभाल और पुनर्वास प्रयोगशाला : इन्फ्रा रेड लैम्प, डायग्नोस्टिक टेबल, स्टरलाइजिंग यूनिट, प्राथमिक सहायता बॉक्स (प्रारंभिक और उन्नत), बी.पी. ऐपरेटस (साइग्मोमैनोमीटर और स्टेथोस्कोप), थर्मोमीटर (क्लिनिकल), अल्ट्रासाउंड थेरेपी यूनिट, व्हील चेयर, विज़न चार्ट, क्लचिज, तुला मशीन, आइस बॉक्स, स्ट्रेचर, वैक्स बाथ थेरेपी, आईएफटी (शार्ट वेव डायथर्मी), हॉट पैक्स, आइस पैक्स, मसाज टेबल्स, रेफ्रीजरेटर।

(घ) खेल–कूद शरीर विज्ञान प्रयोगशाला : वांछनीय : कम से कम दस मनोवैज्ञानिक परीक्षण और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के परीक्षण के लिए पत्र (रेटिंग स्केम्पस और मैनुअलों के साथ)।

(vii) खेल और क्षेत्र उपस्कर

(क) एथलेटिक्स : मापन टेप (स्टील) – 15 मीटर (एक), 30 मीटर (दो), 50 मीटर (एक), 100 मीटर (एक); ट्रैक पर निशान लगाने के लिए तार (पचास मीटर) – एक; स्टॉप वाचिज (10 लैप मेमोरी के साथ) – 06; स्टार्टिंग क्लैपर – 02; टेक ऑफ बोर्ड – 02; हर्डल्स – 30; हाई जम्प स्टैंड – एक जोड़ी, हाई जम्प क्रॉस बार्स – 06, पुरुषों और महिलाओं के लिए शॉट–पुट – 6–6; पुरुषों और महिलाओं के लिए डिस्कस – 6–6; पुरुषों और महिलाओं के लिए हैमर्स – 3–3; पुरुषों और महिलाओं के लिए जावेलिन – 5–5; जम्पिंग के लिए वाल्टिंग बॉक्स – दो, रिले बेटन्स – 12, वेट–लिफ्टिंग सेट (ओलम्पिक सेट) – एक सेट।

(ख) खेलकूद : (i) बैडमिंटन : बैडमिंटन पोस्ट्स (दो सेट), बैडमिंटन नेट्स (6), बैडमिंटन रैकेट (20), शटल कॉक (दस बैरल); (ii) बॉस्केटबाल : बास्केटबाल स्टैण्ड और बोर्ड (दो सेट), बास्केटबाल बाल (एक दर्जन), बास्केटबाल नेट (चार जोड़ी), बॉक्सिंग – ग्लोव्ज, पंचिंग बैग, रिंग (यदि संभव हो); (iii) क्रिकेट : क्रिकेट बैटिंग पैड (तीन सेट), क्रिकेट बैटिंग ग्लोव्ज (दो जोड़ी), ऐबडॉमिनल गार्ड (तीन), हेल्मेट (तीन), विकेट कीपिंग ग्लोव्ज (दो जोड़ी), विकेट कीपर लेग गार्ड (दो जोड़ी), स्टम्प्स (बारह संख्या), बेल्स (दस संख्या), क्रिकेट बाल; (iv) फुटबाल : फुटबाल पोस्ट (दो सेट), फुटबाल, फुटबाल नेट (चार सेट), फ्लेग के साथ पोस्ट (आठ); (v) हैंडबाल : हैंडबाल पोस्ट (दो सेट), हैंडबाल – बाल (एक दर्ज), हैंडबाल – नेट (चार जोड़ी); (vi) हॉकी : हॉकी पोस्ट (दो सेट), हॉकी – बेल्समेन दर्जन), हॉकी स्टिक (तीस), हॉकी गोल कीपिंग किट (एक); (vii) खो–खो : खो–खो पोल्स (दो सेट); (viii) लॉन टेनिस : लॉन टेनिस पोस्ट (दो), टेनिस बाल्स, टेनिस रैकेट; (ix) टेबल टेनिस : टेबल टेनिस बेल्समेन (दर्जन); (x) वालीबाल : वालीबाल पोस्ट (दो सेट), वालीबाल (बीस), वालीबाल नेट (चार), ऐन्टेना (चार); (xi) वेट–लिफ्टिंग : वेट प्रशिक्षण रॉड (दस), वेट प्लेट्स 2.5 किग्रा, पांच किग्रा, दस किग्रा, पंद्रह किग्रा, 20 किग्रा (दस–दस), कोलर्स (बीस), बेंच (चार), वेट स्टैण्ड (दो), स्केट स्टैण्ड, एक मल्टी–जिम अथवा पृथक स्टेशन–वार (कम से कम दस स्टेशन), वेट जैकेट और वेट बेल्ट; एक मल्टी–जिम अथवा पृथक स्टेशन–वार (कम से कम दस स्टेशन); जूडो/ताइक्वांडो/कुश्ती के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मैट।

(ग) स्वदेशी कार्यकलापों/सामूहिक प्रदर्शन के लिए उपस्कर : लेजियम (50 जोड़ी); डम्बल्स (50 जोड़ी); भारतीय क्लब (50 जोड़ी), फ्लैग; हूप्स; वैण्ड्स; बाल्स; अम्ब्रेला; स्किपिंग रोप्स; संगीत सिस्टम; संगीत – सीडी/कैसेट; सामग्री जैसेकि स्कार्फ ड्रिल, रिबन, प्लेकार्ड आदि, सामूहिक प्रदर्शन कार्यकलापों के लिए।

(ङ) जिमनास्टिक्स एपेरेट्स : पैरेलल बार (एक सेट) असमान पैरेलल बार (एक सेट), हॉरिजोंटल बार (एक सेट); दो रोमन रिंग (एक सेट), क्लाइम्बिंग रोप (मनीला) (छः), मैट (बारह रबड़, बारह कॉयर), बैलैंस बीम (समायोजन योग्य सेट), मल्टी–जिम (बारह स्टेशन) (एक सेट), वाल्टिंग टेबल (एक सेट), बीट बोर्ड (दो), क्रैश मैट (एक)।

6.3 सांस्कृतिक कार्यकलाप

आवश्यक होने पर विभिन्न कार्यकलापों के लिए उपयुक्त और पर्याप्त वाद्य उपलब्ध कराए जाने चाहिए।। लघु खेलों, मनोरंजन खेलों, रिलेज और लड़ाकू खेल के लिए अपेक्षित अन्य उपस्कर जरूरत होने पर और विशेषज्ञता आधार पर खरीदे जाने चाहिए।

6.4 अन्य सुविधाएं

(i) शिक्षण व अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर।

(ii) संस्थान, पुरुष और महिला स्टाफ और छात्रों के लिए पृथक सामान्य कक्षों की व्यवस्था करेगा।

(iii) पर्याप्त संख्या में शौचालयों की पुरुषों और महिलाओं के लिए, स्टाफ और छात्रों के लिए अलग–अलग व्यवस्था की जाएगी।

(iv) वाहनों की पार्किंग के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।

(v) संस्थान में सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(vi) कैम्पस की नियमित सफाई, पानी और शौचालय सुविधाओं, फर्नीचर व अन्य उपस्करों की मरम्मत और उन्हें बदलने की प्रभावी व्यवस्था की जानी चाहिए।

(**टिप्पणी:** संयुक्त संस्थान के मामले में, अवसंरचना व अन्य सुविधाओं की विभिन्न शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए भागीदारी की जानी चाहिएं।)

7. प्रबंधन समिति

संस्थान में एक प्रबंध समिति होगी, जिसका गठन सम्बद्धन विश्वविद्यालय/संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, यदि कोई हों, किया जाएगा। ऐसे नियमों के अभाव में संस्थान अपने आप प्रबंध समिति का गठन करेगा। समिति में प्रायोजक सोसायटी/ट्रस्ट के प्रतिनिधि, शिक्षाविद, शारीरिक शिक्षा विशेषज्ञ, सम्बद्धन विश्वविद्यालय और स्टाफ के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

परिशिष्ट–8

शारीरिक शिक्षा में मास्टर (एम.पी.एड.) डिग्री प्राप्त कराने वाले वाले शारीरिक शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम के लिए मानदण्ड और मानक

1. प्रस्तावना

1.1 शारीरिक शिक्षा में मास्टर (एम.पी.एड.)कार्यक्रम एक व्यावसायिक कार्यक्रम है जो उच्च माध्यमिक (कक्षा XI और XII) स्तर के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक तैयार करने और साथ ही कालेजों/विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर/निदेशक/खेल अधिकारी और शारीरिक शिक्षा कालेजों में शारीरिक शिक्षा के विश्वविद्यालय विभागों में शिक्षक प्रशिक्षण तैयार करने के लिए भी है ।

2. अवधि तथा कार्य दिवस

2.1 अवधि

एम.पी.एड. कार्यक्रम दो शैक्षणिक वर्षों अथवा चार सेमेस्टरों की अवधि के लिए होगा तथापि, छात्रों को अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के अन्दर पाठ्यक्रम को पूरा करने की अनुमति होगी ।

2.2 कार्य दिवस

(क) प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में कम से कम 200 कार्य दिवस/प्रत्येक सेमेस्टर में, परीक्षा और प्रवेश आदि की अवधि को छोडकर, एक सौ कार्य दिवस होंगे ।

(ख) संस्थान एक सप्ताह में (पांच अथवा छः दिन का एक सप्ताह) कम से कम 36 घन्टे के लिए कार्य करेगा जिसके दौरान संस्थान में सभी शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों की वास्तविक उपस्थिति आवश्यक है ताकि सलाह, मार्गदर्शन और परामर्श आदि के लिए, जब भी जरूरत हो, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

3. दाखिला, पात्रता और प्रवेश प्रकिया

3.1 दाखिला

प्रत्येक वर्ष के लिए 40(चालिस) छात्रों की एक बुनियादी इंकाई होगी।

3.2 पात्रता

(क) कम से कम 50: अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) अथवा समकक्ष अथवा कम से कम 50: अंकों के साथ स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा विज्ञान में स्नातक (बी.एस.सी.)।

(ख) अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछडे. वर्गों व अन्य श्रेणियों के लिए अर्हक अंकों में सीटों में आरक्षण और शिथिलता केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार, जो भी लागू हो, प्रदान की जाएगी।

3.3 प्रवेश प्रकिया

प्रवेश, प्रवेश प्रक्रिया में (लिखित परीक्षा, स्वस्थता परीक्षण, साक्षात्कार और अर्हक परीक्षा में प्रतिशतता) प्राप्त अंकों अथवा राज्य सरकार। संबंधित विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया के आधार पर गुणावगुणों के आधार पर किया जाएगा।

3.4 फीस

संस्थान केवल वही शुल्क लेगा जो एनसीटीई (गैर–सहायता प्राप्त शिक्षक शिक्षा संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क और अन्य शुल्कों के विनियमों के लिए दिशानिर्देश) विनियम 2002 (समय–समय पर संशोधित) के प्रावधानों के अनुरूप सम्बद्ध राज्य/संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हो। संस्थान विद्यार्थियों से चंदा, प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लेगा।

4.0 पाठ्यचर्या, कार्यक्रम कार्यान्वयन और मूल्यांकन

4.1 पाठ्यचर्या

एम.पी.एड. कार्यक्रम, बाल्यावस्था, शिक्षा के सामाजिक संदर्भ, विषय जानकारी, शिक्षाशास्त्रीय ज्ञान, शारीरिक शिक्षा और संचार दक्षता के ध्येयों के अध्ययन को एकीकृत करने के लिए तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत अनिवार्य तथा वैकल्पिक सिद्धान्त पाठ्यक्रम और स्कूलों/कालेजों/खेल संगठनों/खेल अकादमी/खेल क्लब में अनिवार्य स्थानबद्ध प्रशिक्षण सम्मिलित होगी। सिद्धान्त तथा व्यावहारिक पाठ्यकमों को अनुपात के आधार पर भारिता प्रदान की जाएगी, जैसा कि संबंधन निकास द्वारा तय किया जाए। यह स्थूल रूप से एन.सी.टी.ई. द्वारा सुझाए गए (समय–समय पर संशोधित) पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के अनुरूप होगा, उसे संबंधित राज्य अथवा क्षेत्र के लिए संदर्भित करते हुए।

आई.सी.टी., लिंग, योगा शिक्षा और अक्षमता/समावेशी शिक्षा, एम.पी.एड. पाठ्यचर्या का एक अभिन्न भाग होगी।

(क) सिद्धान्त पाठ्यकम

सिद्धान्त पाठ्यकमों के अन्तर्गत, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्रों में अनुसंधान को समझने और शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञानों में उच्च अध्ययनों के अनुप्रयुक्त क्षेत्रों में पाठ्यकम सम्मिलित होंगे । प्रथम वर्ष में सिद्धान्त पाठ्यकमों में सम्मिलित होंगेः शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञानों में अनुसंधान प्रकिया, शारीरिक शिक्षा और खेलों में अनुप्रयुक्त सांख्यिकी, शारीरिक शिक्षा में परीक्षण, माप और मूल्यांकन, योगा विज्ञान, खेल प्रशिक्षण के वैज्ञानिक सिद्धान्त, खेल प्रौघोगिकी, कसरत का शारीरिक विज्ञान, खेल मनोविज्ञान, खेल बायोमेकेनिक्स और किनोसिओलाजी, खेल औषधि। द्वितीय वर्ष में पाठ्यकम में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे – खेल प्रबंधन, शारीरिक शिक्षा में पाठ्यचर्या डिजाइन, एथलेटिक देखभाल और पुनर्वास, खेल पत्रकारिता और जन संचार प्रौघोगिकी, खेल इंजीनियरी, शारीरिक स्वस्थता और कल्याण, मूल्य और प्र्यावरणीय शिक्षा, शारीरिक शिक्षा में शिक्षा प्रौघोगिकी, स्वास्थ्य शिक्षा और खेल पोषाहार, और एक शोध निबंध।

(ख) प्रायोगिक कार्य

प्रायोगिक कार्य पाठ्यकम, जो क्षेत्र आधारित है, छात्रों के लिए उपयुक्त विभिन्न खेलों, खेल–कूद, शारीरिक कार्यकलापों और योगा कार्यकलापों में व्यावसायिक दक्षताएं और क्षमताएं प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया जाएगा । शिक्षण, प्रशिक्षण और स्थानापन्न संबंधी कार्यकलापों के अन्तर्गत सम्मिलित है : ट्रेक और फील्ड, तैराकी, जिमनास्टिक्स, योगा, एयरोबिक्स (आत्म रक्षा तकनीकों सहित), रेकेट खेल, जैसे कि बेडमिन्टन, टेबल टेनिस, स्क्वेश, टीम खेल, जैसे कि बेस बाल, बास्केटबाल, क्रिकेट, फुटबाल, हेण्डबाल, हॉकी, नेटबाल, साफ्टबाल, शूटिंग, बालीबाल, लडाकू (काम्बोटिव) खेल जैसे कि बाक्सिंग, फेन्सिंग, जूडो, कराटे, मलखम्ब, लडाकू कलाएं, ताइकवाण्डो, कुश्ती, मनोरंजन खेल, जैसे कि रीले खेल, लघु खेल,

लीड—अप खेल, स्वदेशी खेल, जैसे कि कबड्डी, खो—खो आदि। राष्ट्रीय महत्व के कार्यकलाप, जैसेकि ध्वजारोहण, सलामी (मार्च पास्ट), समारोह, जैसे कि विभिन्न खेलों का शुभारम्भ, समापन, विजय समारोह, साहसिक कार्यकलाप, सामूहिक प्रदर्शन कार्यकलाप, जैसे कि डम्ब बेल, अम्ब्रेला, टिपरी, वैण्ड, अथवा कोई अन्य उपकरण ।

(ग) स्थानबद्ध प्रशिक्षण

एम.पी.एड. कार्यक्रम के अन्तर्गत नवसीखियों और संस्थान के साथ लगातार क्षेत्र कार्य के लिए व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि सामन्जस्यपूर्ण वातावरण तैयार किया जा सके। कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे सभी कार्यकलापों में छात्रों को अभ्यास प्रदान करके खेल—कूद तथा स्वदेशी दक्षताओं में शिक्षण सम्मिलित होगा। स्थानबद्ध प्रशिक्षण/शिक्षण अभ्यास के अन्तर्गत समुदाय के साथ, अर्थात स्कूल/कालेज/खेलसंगठन/खेल अकादमी/खेल क्लब के साथ अन्योन्यक्रिया सम्मिलित होगी तथा उसमें निम्नलिखित संघटक शामिल किए जाने चाहिए।

कम से कम 30 पाठ आयोजित किए जाएंगे जिसमें 10 शिक्षण, 10 प्रशिक्षण और स्कूलों/कालेजों/संस्थान/विभाग में 10 स्थानापन्न सम्मिलित होंगे। संस्थान को, छात्र—शिक्षकों के क्षेत्र कार्य और अभ्यास शिक्षण सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए पर्याप्त संख्या में मान्यता प्राप्त स्कूल/कालेज/खेल संगठन/खेल अकादमियां/खेल क्लब सहज रूप से सुलभ होंगे । संस्थान, अभ्यास शिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करने के इच्छुक स्कूल/कालेज/खेल संगठन/खेल अकादमी/खेल क्लब से एक वचनपत्र प्रस्तुत करेंगे ।

संस्थान, कम से कम दस संस्थानों के साथ व्यवस्था करेंगे जिसमें स्थानबद्ध प्रशिक्षण और कार्यक्रम के अन्य कार्यकलापों के लिए भी अनुमति प्रदान करने की उनकी इच्छा का उल्लेख किया जाएगा । ये संस्थान, सभी कार्यकुशलता कार्यकलापों तथा कार्यक्रम के पाठ्यक्रम के दौरान सम्बद्ध कार्य करने के लिए मूल सम्पर्क बिन्दु कायम करेंगे ।

4.2 कार्यक्रम कार्यान्वयन

विश्वविद्यालय/संस्थान, कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे —

(i) सभी कार्यकलापों के लिए, कार्यकुशलता और स्थानबद्ध प्रशिक्षण सहित, एक कलेण्डर तैयार करेंगे जिसका स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए विनिर्धारित संस्थान (स्कूल/कालेज/खेल संगठन/खेल अकादमी/खेल क्लब) के कार्यकलाप कलेण्डर के साथ सामन्जस्य किया जाएगा ।

(ii) आवधिक रूप से सेमिनार, संवाद, व्याख्यान, चर्चा समूह और छात्रों तथा संकाय के लिए योगा अभ्यास शिविर आयोजित करके शारीरिक शिक्षा और योगा शिक्षा पर व्याख्यान आरम्भ करना।

(iii) शैक्षिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करना, मूल विषयों से संकाय के साथ अन्योन्यक्रिया सहित, और शैक्षिक अध्ययन व अनुसंधान के आयोजन में भाग लेने के लिए संकाय सदस्यों को प्रोत्साहित करना।

(iv) छात्रों को विचारशील विचारधारा और कान्तिक जिज्ञासात्मक दक्षताएं विकसित करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कक्षा में सहभागी शिक्षण दृष्टिकोण अपनाना, छात्र, सतत और व्यापक मूल्यांकन रिपोर्ट और प्रेक्षण रिकार्ड रखेंगे जिनसे विचारशील विचारधारा के लिए अवसर उपलब्ध होता है ।

(v) संस्थान के लिए संसाधनों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए और पाठ्यचर्या व शिक्षक शिक्षा संस्थाम के संचालन दोनों के माध्यम से स्थानबद्ध प्रशिक्षण संस्थान को बढावा दिया जाना चाहिए ।

(vi) छात्रों और संकाय की शिकायतों का समाधान करने के लिए तथा कठिनाई समाधान के लिए संस्थान में प्रणालियों तथा प्रावधान किए जाने चाहिए ।

(vii) स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए, शिक्षक शिक्षा संस्थान और प्रतिभागी संस्थान, छात्र—शिक्षकों के मानीटरन, पर्यवेक्षण, ट्रेकिंग और आंकलन के लिए एक परस्तर रूप से सहमत पद्धति कायम करेंगे।

4.3 मूल्यांकन

प्रत्येक सिद्धान्त पाठ्यक्रम के लिए कम से कम 20: से 30: तक अंक सतत आन्तरिक मूल्यांकन के लिए और 70: से 80: तक अंक परीक्षा निकाय द्वारा आयोजित टर्म के अन्त में परीक्षा श्के लिए निश्चित किए जाने चाहिए तथा कुल अंकों में से एक चौथाई अंक, स्थानबद्ध प्रशिक्षण कार्यों में छात्रों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए आवंटित किएं जाएंगे, अभ्यास शिक्षण के मूल्यांकन सहित आन्तरिक और बाहरी आंकलन के लिए भारिता का निर्धारण संबंधन निकाय द्वारा किया जाएगा । छात्रों का आन्तरिक आंकलन पूरे प्रायोगिक कार्य पाठ्यक्रम के दौरान किया जाना चाहिए और न कि केवल उन्हें अध्ययन के अपने यूनिटों के भाग के रूप में दिए गए प्रोजेक्ट। क्षेत्र कार्य के आधार पर प्रयुक्त आंकलन के लिए आधार और प्रयुक्त मापदण्ड छात्रों के लिए पारदर्शी होना चाहिए ताकि उन्हें व्यावसायिक फीडबैक से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। छात्रों को, व्यावसायिक फीडबैक के भाग के रूप में उनके ग्रेडों/अंकों के बारे में जानकारी दी जाएगी जिससे कि उन्हें अपने निष्पादन में सुधार करने का अवसर प्राप्त हो सके। आन्तरिक आंकलन के आधार के अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ—साथ अलग—अलग अथवा समूह कार्य, प्रेक्षण रिकार्ड, खेल—विशिष्ट और सामग्री—सम्बद्ध डायरियांविचारशील जर्नल शामिल हो सकते हैं ।

5. स्टाफ

5.1 संकाय

(क) संख्या (दो वर्षीय कार्यक्रम के लिए 80 की संयुक्त संख्या के साथ चालीस छात्रों की बुनियादी इकाई के लिए) :

प्रोफेसर	:	एक
सह प्रोफेसर	:	दो
सहायक प्रोफेसर	:	तीन
खेल प्रशिक्षक	:	तीन (अंशकालिक)

अध्यापक, पाठ्यचर्या में सम्मिलित अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों से लिए जाएंगे।

5.2 अर्हताएं

(ए) प्रोफेसर 55: अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.पी.एड./एम.पी.ई.) अथवा इनके समकक्ष ग्रेड।

(i). **शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में पी.एच.डी.।**

(ii). शारीरिक शिक्षा कालेज/विभाग में कम से कम दस वर्ष का शिक्षण/अनुसंधान अनुभव, जिसमें से कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव स्नातकोत्तर संस्थान/विश्वविद्यालय विभाग में होना चाहिए ।

टिप्पणी :—वि.अ.आ./संबंधन निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित कोई अन्य अपेक्षा।

(बी) एसोसिएट प्रोफेसर

(i). शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.पी.एड./एम.पी.ई.) अथवा 55: अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ कोई संगत विषय।

(ii). शारीरिक शिक्षा के विषय में पी.एच.डी ।

(iii). शारीरिक शिक्षा विभाग/कालेज में कम से कम आठ वर्ष का शिक्षण/अनुसंधान अनुभव, जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव स्नातकोत्तर स्तर पर होना चाहिए ।

टिप्पणी :—वि.अ.आ/संबंधन विकाय/राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित कोई अन्य निर्धारण ।

(सी) सहायक प्रोफेसर

(i). कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.पी.एड/एम.पी.ई) अथवा समकक्ष ग्रेड।

(ii). वि.अ.आ/संबंधन निकाय / राज्य सरकार द्वारा सहायक प्रोफेसर के पद के लिए निर्धारित कोई अन्य निर्धारण अनिवार्य होगा ।

(डी) सहायक योग प्रोफेसर

न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ योग में स्नातकोत्तर डिग्री ।

टिप्पणी :—वि.अ.आ./संबंधन निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित कोई अन्य अपेक्षा।

(ई) खेल प्रशिक्षक/कोच

कम से कम एक खेल में (जो भी लागू हो) विशेषज्ञता के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातक डिग्री अथवा खेल में (जो भी लागू हो) किसी कोचिंग में डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा ।

टिप्पणी :— वि.अ.आ/संबंधन निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित कोई अन्य अपेक्षा ।

(संकाय का उपयोग एक शिथिलनीय ढंग से शिक्षण के लिए किया जा सकता है जिससे कि उपलब्ध शैक्षिक विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग किया जा सके)

5.3 व्यावसायिक सहयोगी स्टाफ/प्रशासनिक

1.	कार्यालय अधीक्षक	:	एक
2.	तकनीकी सहायक	:	दो
3.	कम्प्यूटर सहायक	:	एक
4.	हेल्पर/ग्राउण्ड व्यक्ति/मार्कर्स	:	दो
5.	प्रयोगशाला परिचर	:	दो

अर्हताएं :

संबंधित संबंधन विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/वि.अ.आ. द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार होगी ।

5.4 **सेवा की शर्तें**

शिक्षण और गैर–शिक्षण स्टाफ की सेवा शर्तें, चयन प्रकिया, वेतनमान, सेवानिवृत्ति की आयु व अन्य लाभ सहित, राज्य सरकार/संबंधन निकाय की नीति के अनुसार होगी ।

6. **सुविधाएं**

6.1 **आधारिक (भौतिक) सुविधाएं**

(i). संस्थान के पास कम से कम आठ एकड भूमि होनी चाहिए जिससे संस्थागत इमारत के लिए तथा भावी विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान और खेल–कूद आयोजित करने के लिए खुली जगह उपलब्ध होगी । निर्मित क्षेत्र, कक्षा कमरे आदि को मिलाकर 1200 वर्ग मीटर (एक हजार दो सौ वर्ग मीटर) के कम नहीं होगा । पर्वतीय क्षेत्रों में भी यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए जहाँ कम से कम दो एकड भूमि प्रशासनिक इमारत के लिए और तीन एकड भूमि खेल–कूद सुविधाओं के लिए होगी ।

(ii). बीस–बीस छात्रों के लिए चार कक्षा कमरों (एम.पी.एड प्रथम वर्ष के लिए और द्वितीय वर्ष छात्रों के लिए दो–दो) तथा दो सौ व्यक्तियों के वास्ते एक बहु–प्रयोजन हाल होना चाहिए, जिसका कुल क्षेत्र 2000 वर्ग फुट होगा, डायस को मिलाकर, विशेषज्ञता कक्षाओं के आयोजन के लिए पन्द्रह छात्रों के वास्ते चार छोटे कमरे, सेमिनार/ट्यूटोरियल कमरे, प्रोफेसर/अध्यक्ष, संकाय सदस्यों के लिए पृथक कमरे, प्रशासनिक स्टाफ के लिए कार्यालय और एक भण्डार होगा। प्रत्येक शिक्षण कमरे के लिए, जैसे कि कक्षा कमरा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि के लिए प्रति छात्र के वास्ते 10 वर्ग फुट (दस वर्ग फुट) से कम स्थान नहीं होगा।

एम.पी.एड. कार्यक्रम के साथ मिलाकर अन्य कक्षाओं के संचालन के लिए निर्मित क्षेत्र निम्न प्रकार होगा :

बी.पी.एड./जमा एम.पी.एड. 2700 वर्ग मीटर

बी.पी.एड जमा डी.पी.एड जमा एम.पी.एड. 3000 वर्ग मीटर

एम.पी.एड. की एक यूनिट के लिए अतिरिक्त दाखिले के लिए क्रमशः 400 वर्ग मीटर के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता होगी ।

(iii). अन्तरंग खेलों के लिए एक बहु–प्रयोजन हॉल/व्यायामशाला तथा बाह्य खेलों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था होगी ।

(iv). संस्थान द्वारा पुरूष और महिला संकाय और छात्रों के लिए पृथक सामान्य क्रमरों की व्यवस्था की जाएगी।

(v). पर्याप्त संख्या में शौचालयों – पुरूषों और महिलाओं और पी.डब्ल्यू.डी. के लिए अलग–अलग, स्टाफ और छात्रों के लिए, की व्यवस्था की जाएगी।

(vi). लडकों और लडकियों के लिए अलग–अलग छात्रावास तथा शिक्षकों के लिए कुछ रिहायशी क्वार्टरों की व्यवस्था वांछनीय है ।

6.2 **उपस्कर और सामग्री**

(i). पुस्तकालय

वाचनालय कमरों की सुविधा के साथ एक पुस्तकालय होगा जो शारीरिक शिक्षा में सभी विशेषज्ञताओं और पाठ्यक्रमों से सम्बद्ध न्यूनतम दो हजार पुस्तकों, शैक्षिक विश्वकोशों, इलेक्ट्रानिक प्रकाशनों (सी.डी.रोम), आनलाइन संसाधनों, स्वास्थ्य/खेल शिक्षा और शिक्षक शिक्षा/स्टाफ विकास पर कम से कम पाँच संदर्भ पत्रिकाओं से सज्जित और इन्टरनेट संयोजकता से भी जुडा होगा। पुस्तकालय में प्रत्येक वर्ष कम से कम एक सौ उत्तम पुस्तकें शामिल की जाएंगी। पुस्तकालय में संकाय और छात्रों के उपयोगार्थ फोटोकापिंग सुविधा तथा इन्टरनेट सुविधा के साथ पर्याप्त संख्या में कम्प्यूटर होंगे ।

(ii). प्रयोगशाला उपस्कर

बी.पी.एड. कार्यकम के अन्तर्गत उल्लिखित प्रयोगशालाओं के अलावा, एम.पी.एड., कार्यक्रम का संचालन करने वाले संस्थानों में नीचे वर्णित प्रयोगशालाओं के लिए विनिर्दिष्ट सुविधाएं और उपस्कर होंगे ।

(क) व्यायाम शरीर विज्ञान प्रयोगशाला

लेकटेट एनेलाइजर, शरीर संरचना एनेलाइजर, मेटाबोलिक एनेलाइजर, पेडोमीटर, बी.पी. उपकरण (शारीरिक), बी.पी. उपकरण (हस्तचालित बी.पी. उपकरण)(इलेक्ट्रानिक), स्किन फोल्ड कोलिपर, ड्राई स्पिरोमीटर (5) हार्ट रेट मानीटर, मल्टी – फंक्शन पेडोमीटर (10), कम्प्यूटरीकृत ट्रेड मिल।

(ख) खेल मनोविज्ञान प्रयोगशाला

ईएमजी, बायोफीडबेक, व्यक्तित्व, उत्सुकता, समूह तालमेल, आक्रोश, अभिप्रेरण, मानसिक कठोरता, आत्मसम्मान, नियंत्रण क्षेत्र पर प्रश्नावलियाँ तथा ऐसी ही अन्य प्रश्नावलियां, पाठ्य–विवरण सामग्री, गहन बोध उपकरण प्रत्याशा, आकलन उपकरण, फिंगर डेक्सटेरिटी टेस्ट की आवश्यकता के अनुसार।

(ग) खेल बायो–मेकेनिक्स प्रयोगशाला

कोर्स प्लेट (नवीनतम मोड्यूल पूर्ण सेट), इलेक्ट्रानिक गोनिओमीटर (नवीनतम माड्यूल), गैट इनेलीसिस सिस्टम, किसी भी समय कहीं भी वैकल्पिक प्रेशर प्लेट।

(घ) माप और खेल प्रशिक्षण प्रयोगशाला

डिजिटल बैंक/लैग डायनामोमीटर, डिजिटल हैण्ड ग्रिप डायनामोमीटर (प्रौढ और बच्चे), स्किन कोल्डकोपिलरी, एन्थ्रोपोमीटरी किट (कम्प्यूटर) स्लाइडिंग और स्प्रेडिंग, क्लिपर, गर्थ माप – गोनिओमीटर, स्टील टेप्स, प्लेक्सोमेजर, हीथर रेट मानीटर वेइंग मशीन, रीएक्शन टाइम एपेरेटस (दृष्य तथा श्रृव्य), फूड एण्ड हैण्ड रिएक्शन, टाइम सपेरेटस वाईब्रेटर्स।

(ड) **योग कियाओं के लिए सुविधाएं** – योग मेट

6.3 सांस्कृतिक कार्यकलाप

विभिन्न कार्यकलापों के लिए, जब भी आवश्यक हो, उपयुक्त और पर्याप्त यंत्र उपलब्ध कराए जाने चाहिएं। छोटे–मोटे खेलों, मनोरंजन खेलों, रीलेज और काम्बेटिव खेलों के लिए अपेक्षित अन्य उपस्कर जरूरत और विशेषज्ञता के आधार पर खरीदे जाने चाहिएं।

6.4 अन्य सुविधाएं

(क) **शिक्षण व अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर।**

(ख) वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

(ग) संस्थान में सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(घ) कैम्पस की नियमित सफाई, पानी और शौचालय सुविधाओं की व्यवस्था (पुरूष और महिला छात्रों और शिक्षकों के लिए अलग–अलग); फर्नीचर व अन्य उपस्करों की मरम्मत और बदलने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

टिप्पणी : यदि एक ही संस्थान द्वारा उसी कैम्पस में शिक्षा में एक से अधिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं तो खेल के मैदान, बहुप्रयोजन हॉल, पुस्तकालय और प्रयोगशाला की सुविधाओं में (पुस्तकों और उपस्करों में आनुपातिक वृद्धि के साथ) तथा शिक्षण स्थान में भागीदारी की जा सकती है। पूरे संस्थान के लिए संस्थान का एक प्रिंसीपल होगा तथा भिन्न–भिन्न शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए संस्थान में अध्यक्षों की व्यवस्था की जा सकती है।

7. प्रबंधन समिति

संस्थान की एक प्रबंधन समिति होगी जिसका गठन संबंधन विश्वविद्यालय/संबंधित राज्य सरकार के नियमानुसार किया जा सकता है । ऐसे नियमों के अभाव में, संस्थान द्वारा अपनी एक प्रबंधन समिति गठित की जाएगी । समिति में प्रायोजक सोसायटी/ट्रस्ट के प्रतिनिधि, शारीरिक शिक्षाविद्, संबंधन विश्वविद्यालय और स्टाफ के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

परिशिष्ट–9

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रद्धति के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड.) प्राप्त कराने वाले प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा के मानक और मानदण्ड

1. प्रस्तावना

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से आयोजित किया जाने वाला प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक स्कूलों (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक/मिडिल) में कार्यरत अध्यापकों की व्यावसायिक क्षमता का स्तरोन्नयन करना है। साथ ही इस पाठ्यक्रम में उन अध्यापकों को शामिल करने की परिकल्पना भी की गई है जिन्होंने औपचारिक अध्यापक प्रशिक्षण के बिना व्यवसाय में प्रवेश किया है। यह कार्यक्रम कक्षा I से VIII तक के अन्य हेतु प्रारंभिक कक्षाओं के अध्यापकों को तैयार करवाता है। इस कार्यक्रम का मिश्रित उपयोग डिजाइन, विकास तथा उसके निष्पादन हेतु किया जाएगा।

1. संस्थानों की पात्रता तथा क्षेत्रीय अधिकार–क्षेत्र

2.1 संस्थानों की पात्रता

इस अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाने के लिए जो संस्थान पात्र है वे है विशेष रूप से राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राज्य मुक्त विश्वविद्यालय तथा निदेशालय, यूजीसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों के मुक्त तथा दूर अधिगम स्कूल जिनकी स्थापना; ओडीएल कार्यक्रम चलाने के लिए की गई है सम विश्वविद्यालय कृषि, तकनीकी या संबद्ध विश्वविद्यालय जिनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र अध्यापक शिक्षा न हो कर कोई और है, और अन्य विषय क्षेत्र विश्वविद्यालय या संस्थान ओडीएल पद्धति से अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाने के लिए पात्र नहीं है।

2.2 क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र

ओडीएल के माध्यम से अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय अथवा संस्थानों का अधिकारक्षेत्र वही होगा जो उनके अधिनियम में परिभाषित है अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

उस विश्वविद्यालय/संस्थान के अध्ययन केंद्र भी उन के क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र में स्थित होंगे।

2. अवधि

इस कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक सत्र/वर्ष होगी। तथापि, विद्यार्थियों को यह छूट होगी कि वे कार्यक्रम को अधिक से अधिक पांच वर्ष तक की अवधि में पूरा कर सकते हैं। कार्यक्रम का आरंभ तथा समाप्ति इस प्रकार विनियमित होगी कि अध्येताओं को निर्देशित/पर्यवेक्षित शिक्षण अथवा आमने- सामने संपर्क सूत्रों के लिए अवकाश की दो लम्बी अवधियां उपलब्ध हो सकें। ये अवधियां (ग्रीष्म अवकाश, शीत अवकाश या भिन्न भिन्न में) हो सकती हैं। यह कार्यक्रम आमने-सामने के दो ग्रीष्म अवकाश के मध्य भी रखा जा सकता है जो(अपनी इच्छानुसार और अपनी गति से किए गए स्वअध्ययन से अतिरिक्त होगा।)

4. दाखिला क्षमता, पात्रता तथा फीस

4.1 दाखिला

इस डी.एल.एड. कार्यक्रम में प्रवेश की मूल इकाई पांच सौ विद्यार्थियों से अधिक नहीं होगी। इसके साथ यह शर्त होगी कि एक अध्ययन केंद्र में एक सत्र में 100 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन नहीं होगा। अतिरिक्त इकाइयों के लिए अनुरोध एनसीटीई द्वारा इस आधार पर परखा जाएगा कि क्या उस संस्थान के पास उनके क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र में अध्ययन केंद्रों तथा संबंधित सहायता सेवाओं के रूप में अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध हैं।

4.2 पात्रता

(i) ऐसे अभ्यार्थी जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

(ii) ऐसे अध्यापक जिनके पास सरकारी अथवा सरकारी मान्यताप्राप्त प्राथमिक/प्रारंभिक स्कूल में दो वर्ष के अध्यापन का अनुभव प्राप्त हो।

(iii) इस कार्यक्रम के आवेदन के समय अभ्यर्थी कार्यरत अध्यापक होना अनिवार्य है तथा अपना आवेदन-पत्र अपने स्कूल के प्राचार्य द्वारा अग्रेषित करवाना चाहिए।

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूडी तथा अन्य ऐसे वर्ग के लिए अंकों में छूट तथा आरक्षण केंद्रीय/राज्य सरकार, जो भी लागू हो, के नियमानुसार होगा।

4.3 प्रवेश प्रक्रिया

अभ्यर्थियों के चयन के लिए संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था एक उपयुक्त प्रक्रिया का विकास करेगी।

4.4 फीस

संस्थान केवल वही फीस लेगी, जो संबंधन निकाय द्वारा निर्धारित की गई हो। ली गई फीस राअशिप के अधिनियम, 2002 के प्रावधानों (गैर-सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली ट्युशन फीस तथा अन्य शुल्क संबंधी अधिनियमों के मार्गदर्शी सिद्धांत) के अनुसार, जो समय-समय पर संशोधित होगी। ये संस्थान किसी भी रूप में दान, प्रति व्यक्ति शुल्क विद्यार्थियों से नहीं लेंगे।

5. अध्ययन-केंद्र के लिए पात्रता

(क) केवल निम्नलिखित वर्ग के संस्थान अध्ययन-केंद्र चलाने के योग्य होंगी:

एनसीटीई द्वारा मान्यताप्राप्त वे वर्तमान अध्यापक शिक्षा संस्थान, जो नियमित प्रणाली से वही कार्यक्रम चला रहे हैं और उनके पास सभी प्रकार की आधारिक तथा स्टाफ, राअशिप के प्रतिमानों के अनुकूल है। ये संस्थान ऐसे हों जो पिछले पांच वर्षों से संगत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चला रहे हैं। ऐसे संस्थान, जिन्हें किसी भी विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम के लिए अध्ययन केंद्र बनाया गया है, उन्हें किसी अन्य कार्यक्रम के लिए अध्ययन केंद्र बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वह कार्यक्रम उस विश्वविद्यालय/संस्थान का हो या किसी अन्य का।

(ख) **(i) किसी अध्ययन केंद्र के निर्धारित विद्यार्थियों की संख्या एक सौ (100) से अधिक नहीं होगी (प्रथम वर्ष के** पचास तथा द्वितीय वर्ष के पचास), (ii) अध्ययन केंद्र उसके लिए निर्धारित/दूरस्थ अध्येताओं को केंद्र के पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा अन्य भौतिक सुविधाएं प्रदान करेगा, (iii) ओडीएल संस्थान (विश्वविद्यालय) का क्षेत्रीय केंद्र भी अध्ययन केंद्र के रूप में कार्य कर सकता है। इसमें विद्यार्थियों की संख्या कम से कम एक सौ (प्रथम वर्ष के 50 तथा द्वितीय वर्ष के 50) होगी।

(ग) अध्यापक केन्द्र के विभिन्न क्रियाकलापों में प्रवृत्र अध्यापक प्रक्षिण/पर्यवेक्षक/शैक्षणिक सलाहकार राअशिप मानदडों के अनुरूप पूर्वतः अर्हता प्राप्त होगें।

(घ) अध्ययन केंद्रों के क्रियाकलाप से संबद्ध सभी अधिकारियों का समय-समय पर, परंतु वर्ष में एक बार ओडीएल प्रणाली से विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा दिशा अनुकुलन अवश्य कराया जाएगा।

(ङ) किसी भी कार्यक्रम में अतिरिक्त दाखिले के अनुरोध की राअशिप द्वारा अध्यापक केन्द्रों के संबंध में अपेक्षित सुविधाओं तथा संस्थान के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से सबंधित सहयोग की उपलब्धता के आधार पर जांच की जाएगी।

6. पाठ्यचर्या, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन

6.1 पाठ्यचर्या

ओडीएल विधि में डी.एल.एड. पाठ्यचर्या वही होगी, जो नियमित (आमने–सामने) में डी.एल.एड. की पाठ्यचर्या है। शिक्षास्व–अधिगम सामग्री जो कि दूरस्थ परिषद्/ब्यूरो द्वारा अनुमोदित कि गई हो का ही प्रयोग संस्थान करेगा।

6.2 कार्यक्रम का कार्यान्वयन

(क) विश्वविद्यालय या संस्थान स्वयं पाठ्यचर्या आधारित श्रव्य–दृश्य संसाधनों का विकास करेंगी या ऐसे संसाधनों को अन्य संस्थानों करेंगे अथवा ओईआर से लेकर उनको रूपांतरित कर अपने अनुकूल बनाएगें और इन श्रव्य–दृश्य संस्थानों को मुख्यालय, अध्ययन केंद्र एवं क्षेत्रीय केंद्रों पर सुलभ कराएंगे। राज्य संसाधन केंद्रों (एसआरसी), राज्य सरकारों तथा मुक्त विश्वविद्यालयों में उपलब्ध टेलीकान्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपयोग भी किया जा सकता है।

(ख) यह कार्यक्रम एक सम्मिश्रित रूप में संपादित किया जाएगा। इसके लिए संसाधनं–आधारित स्व–अधिगम, आमने–सामने परामर्श, कार्यशालाओं तथा प्रौद्योगिकी–समर्थित अंतःक्रिया और अधिगम के घटकों को विवेकपूर्ण ढंग से मिलाया जा सकता है।

(ग) *स्व–अधिगम सामग्री :* यह कार्यक्रम पूर्ण व्यावसायिक विशेषज्ञता के साथ संचालित किया जाएगा। स्व–अधिगम सामग्री, मुद्रित तथा गैर–मुद्रित – अनुदेशात्मक अभिकल्पन तथा स्व–अधिगम के शिक्षा–शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए तथा यह समुचित रूप में डी.ई.सी. (दूरस्थ शिक्षा परिषद्) द्वारा अनुमोदित हो। एक सम्मिश्रित अधिगम दृष्टिकोण (प्रविधि तथा मीडिया का समेकन) का उपयोग किया जाना चाहिए। पाठ्यसामग्री मोड्युलर तथा क्रेडिट–आधारित होनी चाहिए।

अध्ययन सामग्री अध्येताओं को कार्यक्रम की अपेक्षाओं के अनुकूल चरणबद्ध रूप में सत्र के आरंभ में ही दे दी जाएगी।

(घ) *संपर्क कार्यक्रम :* दो वर्ष की अवधि के इस कार्यक्रम में विद्यालय आधारित क्रियाकलाप तथा शिक्षण अभ्यास के अतिरिक्त, संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत परामर्श और कार्यशालाएं, सेमिनार प्रस्तुतीकरण, रिपोर्ट लेखन इत्यादि आते हैं। इनका संचालन अध्येताओं की सुविधानुसार मुख्यालय या अध्ययन केंद्र पर 6 महीने की कुल अवधि के लिए किया जाना चाहिए। वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किया जाना चाहिएः

(ङ) *शैक्षणिक परामर्श :* शैक्षणिक परामर्श सत्र कार्यक्रम की समस्त अवधि में फैला दिए जाने चाहिए और अध्येताओं की आवश्यकताओं और सुविधानुसार नियमित आधार पर संचालित किए जाने चाहिए। इन परामर्श सत्रों में अध्येताओं की शैक्षणिक और पाठ्यक्रम से संबंधित वैयक्तिक समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। परामर्श सत्रों का उपयोग अध्येताओं को विषय–वस्तु संबंधी कठिनाई, क्षेत्र कार्य, शिक्षण अभ्यास, प्रदत्त कार्य वैयक्तिकृत (असाइनमेंट), शोध निबंध, समय प्रबंधन, अध्ययन कौशल इत्यादि से संबंधित व्यक्तिकृत निर्देशन के लिए किया जाएगा। परामर्श सत्रों के लिए कम से कम 144 अध्ययन घंटे, जो पूरे दो वर्ष की अवधि तक फैले हों, दिए जाएंगे। परामर्श सत्रों का आयोजन ट्यूटोरियल के रूप में किया जाएगा न कि अध्ययन सत्रों के रूप में, क्योंकि अध्यापन का कार्य तो दी गई अधिकतम सामग्री कर देगी।

(च) *कार्यशालाएं :* कार्यशालाओं में अध्येता उन सक्षमताओं या योग्यताओं को ग्रहण करेगा जिनकी अपेक्षा एक अध्यापक अथवा अध्यापक–शिक्षक से होती है। अतः वे व्यक्तिगत रूप में अथवा समूह में अपने आपको कुछ क्रियाकलाप में परियुक्त रखेंगे। अध्ययन केंद्र का यह दायित्व होगा कि वह पूर्ण कक्षाओं में अथवा अनुरूपित अवस्थितियों में शिक्षण अभ्यास की व्यवस्था करे। अध्येताओं को आईसीटी के निर्माण और उपयोग में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्य के लिए उन्हें अध्ययन सहायक सामग्री, शोध उपकरण कार्यपत्रक, पाठ्य इकाइयां, प्रदत्त कार्य, मूल्यांकन शीर्षक आदि के निर्माण में सम्मिलित या परियुक्त किया जाएगा। अध्येताओं को जो कुछ उन्होंने सैद्धांतिक विषयों में सीखा है और जिसकी उनसे कक्षा में करने की अपेक्षा है, उसका अभ्यास करने के लिए यथोचित व पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। दो वर्ष की अवधि में कुल 12 दिन प्रतिदिन 6 घंटे की कुल दो कार्यशालाएं (प्रति वर्ष एक) आयोजित की जाएंगी। अर्थात कार्यशालाओं के प्रति कम से कम 144 घंटे समर्पित होंगे।

(छ) *विद्यालय आधारित क्रियाकलाप :* ओडीएल पद्धति के माध्यम से डी.एल.एड. करने वाले अध्येताओं को उन क्रियाकलाप में सम्मिलित किया जाएगा जो एक अध्यापक विद्यालय में संपादित करता है। विद्यालय आधारित क्रियाकलाप का जिक्र बी.एड. के पाठ्यचर्या ढांचे में किया गया है। विद्यालय–आधारित क्रियाकलाप संपादित करने के लिए अध्येता किसी अध्यापक से अन्योन्यक्रिया करेगा, जो उस विद्यालय का एक वरिष्ठ अनुभवी अध्यापक/प्रिंसिपल हो सकता है, जहां वह कार्य कर रहा है। इस प्रकार अध्येता का पर्यवेक्षण/निर्देशन कम से कम 15 अध्ययन घंटों के लिए इस परामर्शदाता (मेंटर) द्वारा किया जाएगा।

(ज) *शिक्षण अभ्यास :* अध्येता, जो इस मोड (रीति) में डी.एल.एड. कार्यक्रम में पंजीकृत है, उस विद्यालय के एक वरिष्ठ अध्यापक/शैक्षणिक परामर्शदाता के पर्यवेक्षण में जहां वह कार्य करता है, तीन महीने की अवधि के लिए शिक्षण अभ्यास करेगा। प्रत्येक पाठ, जो वह पढ़ाएगा, उसमें उसे मार्गदर्शन दिया जाएगा, उसका पर्यवेक्षण किया जाएगा तथा प्रतिपुष्टि भी दी जाएंगी। अध्येता को उसके निष्पादन पर पर्यवेक्षक/शिक्षक–अध्यापक द्वारा रचनात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान की जाएगी, जिसके द्वारा उसे उसकी कमियों और सबलताओं दोनों से अवगत कराया जाएगा। इस प्रकार अध्येयता पाठ योजनाओं, पाठों की प्रस्तति और प्रस्तुत किए गए पाठों पर फीडबैक के संबंध में पर्यवेक्षकों/अध्यापक प्रशिक्षकों से चर्चा करेगा। प्रत्येक अध्येयता अपने शिक्षण अभ्यास के बाबत अध्यापक से वैयक्तिक पर्यवेक्षण प्राप्त करेगा।

(झ) मुख्यालय का स्टाफ पाठ्यचर्या, स्व–अधिगम सामग्री, प्रतिमान पाठ–योजनाएं तथा मल्टीमीडिया अधिगम संसाधनों का विकास करेगा जिनका उपयोग अध्ययन केंद्रों पर किया जाएगा। विद्यार्थी को प्रदत्त कार्य दिया जाएगा और उन प्रदत्त कार्यो के मूल्यांकन को कम से कम 25% भारिता दी जाएगी। प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर निर्धारित परीक्षा निकाय द्वारा बाह्य परीक्षा ली. जाएगी। अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में स्थित अध्ययन केंद्र शिक्षण अभ्यास तथा कार्यानुभव घटकों की परीक्षा लेंगे। इस के लिए आन्तरिक और बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति करना भी अध्ययन केंद्र के अधिकार–क्षेत्र में होगा।

(ञ) **कार्यक्रम आयोजना** : ओ.डी.एल के माध्यम से डी.एल.एड कार्यक्रम चलाने वाले संस्थान अपनी वैबसाइट बनाएंगे ताकि विद्यार्थी समस्त अधिगम सामग्री तथा संसाधनों का उपयोग कर सकें, अपने समकक्षियों से अन्योन्यक्रिया कर सकें तथा संकाय–विद्यार्थी उपयुक्त सामाजिक मीडिया या नेटवर्किंग सेवाओं पर चर्चा को सुकर बना सकें।

(ट) ओडीएल कार्यक्रमों चलाने वाले सभी संस्थान विद्यार्थी पंजीयन, कार्यक्रम अधिगम केंद्रों की सूची, शैक्षणिक परमर्शदाताओं, मेंटरों, क्षेत्रीय परामर्शदाताओं और उन विद्यालयों, जहां अध्यापक स्थानबद्ध प्रशिक्षण प्राप्त करेगें, संबंधी विवरण अपनी वैबसाइटों पर प्रस्तुत करेंगे, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो।

(ठ) विश्वविद्यालय/ओडीएल संस्था अपने सभी क्रियाकलाप का एक कैलेंडर तैयार करेंगे जिस में प्रवेश, परामर्श, प्रायोगिक कार्यतथा परीक्षाएं सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्रियाकलाप का संचालन कैलेंडर के अनुसार हो रहा है।

(ड) कार्यक्रम संबंधी क्रियाकलाप के कार्यन्वयन के लिए संस्थान नियमावली तैयार करेंगे (अध्येताओं और मैंटरों, परामर्शदाताओं और विशषज्ञों के लिए)

(ढ) सभी ओडीएल संस्थान/विश्वविद्यालय उन अध्ययन केंद्रों के साथ जिन्हें कार्यक्रम संचालन के लिए चुना गया है एक एमओयू निष्पादित करेंगे जिसमें उनके अध्ययन केंद्रों के ओडीएल अध्येताओं को सहायता देने के लिए आधारिक और अन्य सुविधाओं को सांझा करने संबंधी सहयोग और प्रतिबद्धता स्पष्ट होती हो।

6.3 मूल्यांकन

संस्था द्वारा द्वि–सोपान मूल्यांकन का प्रयोग किया जाएगाः सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन और सत्रांत परीक्षा; जिसमें सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन को यथेष्ट भारिता दी जाएगी। इसमें कार्यशाला में भागीदारी और निष्पादन सम्मिलित होगा जैसा कि पाठ्यचर्या ढांचे में निर्धारित किया गया है। अध्येताओं द्वारा दिए गए प्रदत्त कार्य, रिपोर्टो का मूल्यांकन ट्यूटरों/परमार्शदाताओं द्वारा नियत समय में किया जाएगा और अपनी रचनात्मक टिप्पणियों तथा सुझावों के उन्हें लौटाया जाएगा ताकि वे अपने निष्पादन में सुधार ला सकें। प्रदत्त कार्यो/परियोजनाओं के **मूल्यांकन का प्रमुख कार्य अध्येताओ को समयोचित प्रतिपुष्टि प्रदान करना है ताकि उनकी अभिप्रेरणा बनी रहे और समझने की उनकी योग्यता में वृद्धि की जा सके। प्रदत्त कार्य, कार्यशाला आधारित क्रियाकलाप, विद्यालय आधारित क्रियाकलाप तथा शिक्षण अभ्यास का मूल्यांकन सतत् रूप से किया जाना चाहिए। प्रत्येक छात्र–अध्यापक उसके द्वारा पूर्ण किए गए कार्य की एक पोर्टफोलियो तैयार करेगा और इसे वर्ष भर रखेगा।** इसका उपयोग आन्तरिक मूल्यांकन के लिए किया जा सकेगा।

सत्रांत परीक्षा का अभिकल्पन तथा संचालन परीक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन क्रमशः 30 : 70 के अनुपात में होगा।

6.4 मानीकरन तथा पर्यवेक्षण

ओडीएल संस्थान एक सुव्यवस्थित मानकरन तन्त्र को लागू करेगा। प्रबोधन की विभिन्न कार्यनीतियां जैसे समय समय पर संकाय द्वारा क्षेत्र–निरीक्षण, अध्येताओं तथा अध्ययन–केन्द्र समन्वयक दोनो से नियमित रूप से प्रतिपुष्टि प्राप्त करना, अध्येताओं के साथ आईसीटी के माध्यम से अन्योन्यक्रिया करना इत्यादि, तथा संस्थानों द्वारा विनिर्दिष्ट रिकार्ड रखना इस प्रक्रिया के कुछ घटक होंगे। अध्येता–संतुष्टि–सर्वेक्षण नियमित आधार पर संचालित किए जांऐगे ताकि मुख्यालय में परामर्शदाताओं तथा संकाय को प्रतिपुष्टि दी जा सकें पाठ्यवस्तु पर प्राप्त प्रतिपुष्टि कार्यक्रम को काफी समय तक जारी रखने तथा उसमें छोटे मोटे संशोधन करने के कार्य को सुसाध्य बनाएगी। समय समय पर कार्यक्रम संरचना तथा इसके कार्यान्वयन का एक व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा।

7. **स्टाफ**

7.1 **मुख्यालय**

(i) संस्था या विश्वविद्यालय जो ओडीएल प्रणाली के माध्यम से इस कार्यक्रम को चलाएगा उसकी अपने एकान्तिक 7 सदस्यों की अभ्यन्तर संकाय होगा जिनकी विशेषज्ञता अलग अलग संगत विषय क्षेत्रों में होजैसे–शिक्षाशास्त्र, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, तथा भाषाएं। दूरस्थ–शिक्षा में प्राप्त अर्हता वांछनीय होगी।

संकाय का वितरण निम्नलिखित प्रकार से होगा

प्रोफैसर	एक
रीडर/असोसिएट प्रोफैसर	दो
लेक्चरर	चार

नोट : *[संकाय के विभिन्न पदनाम राज्य सरकार/संस्था नीति के अनुसार होगें]*

(ii) संकाय का दायित्व निम्नलिखित होगा : पाठ्यक्रम रचना, अधिगम संसाधनों का विकास, प्रदत्त कार्यो का मूल्यांकन, अध्ययन केंद्र के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ का दिशा अनुकुलन, अधिगम केंद्रों का मानीकरन व पर्यवेक्षण, पाठ्यचर्याओं का रख–रखाव व संशोधन, कार्यक्रम मूल्यांकन तथा अन्य कार्यकलाप जो विश्वविद्यालय/संस्थान निर्धारित करते हैं।

(iii) प्रत्येक अतिरिक्त 500 विद्यार्थियों की इकाई या उसका अंश जोड़ने पर, संकाय की संख्या में एक सदस्य की वृद्धि हो जाएगी।

(iv) इस ओडीएल कार्यक्रम के लिए संकाय के एक सदस्य को "कार्यक्रम समन्वयक" मनोनीत किया जाएगा। समन्वयक का कार्य होगा संकाय के सदस्यों, मुख्यालय तथा अध्ययन केंद्र के मध्य समन्वय करना।

(v) अध्ययन केंद्रों पर विभिन्न क्रियाकलाप के परियुक्त अध्यापक–शिक्षक/पर्यवेक्षक बी.एड. कार्यक्रम के लिए निर्दिष्ट एनसीटीई के मानदंडों के अनुसार अर्हता प्राप्त होंगे।

7.2 **अध्ययन केंद्र**

समन्वयक	एक
सहायक–समन्वयक	एक
अंश–कालिक शैक्षणिक परामर्शदाता	आवश्यकतानुसार
प्रशासनिक स्टाफ	आवश्यकतानुसार

नोट : अध्ययन केंद्र पर लगाये जाने वाला (अंशकालिक) स्टाफ सदस्य उसी अध्ययन केंद्र की संकाय में से परियुक्त किए जाएंगे और यदि आवश्यकता पड़े तो क्षेत्रबीन संस्थाओं से वर्तमान और पूर्व अध्यापक शिक्षकों को परियुक्त किया जा सकता है। शैक्षणिक सलाहकार उनके द्वारा अनुपातः 1:30 से बढ़ना कर नहीं होना चाहिए।

7.3 **क्षेत्रीय केंद्र**

यदि आवश्यकता समझी जाए क्षेत्रीय केंद्र पर भी एक ओडीएल संस्थान स्थापित किए जा सकता है जो इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले अध्ययन केंद्रो के कार्य का समन्वयन कर सके। क्षेत्रीय केंद्र पर निम्नलिखित स्टाफ होगाः

समन्वयक/क्षेत्रीय निदेशक	एक
सहायक समन्वयक/सहायक क्षेत्रीय निदेशक	एक
प्रशासनिक स्टाफ	आवश्यकतानुसार

7.4 **अर्हताएं**

(क) शिक्षण स्टाफ

शैक्षणिक स्टाफ की शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यताएं वही होंगी जैसी कि डी.एल.एड. नियमित कार्यक्रम के लिए परियुक्त स्टाफ के लिए निर्धारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त ओडीएल प्रणाली में प्राप्त अनुभव को वरीयता दी जाएगी

(ख) मुख्यालय के लिए व्यावसायिक सहयोगी/प्रशासनिक स्टाफ

प्रशासनिक और अन्य सहायोगी स्टाफ निम्नलिखित प्रतिमानों के अनुसार दिए जाने चाहिए।

1.	कार्यालय प्रबंधक/अधीक्षक	एक
2.	साफ्टवेयर विशेषज्ञ/व्यावसायिक	एक
3.	मूल्यांकन प्रभारी	एक
4.	डेटाबेस अनुरक्षण के लिए कम्प्युटर प्रचालक	एक
5.	कार्यालय सहायक	एक
6.	हैल्पर (अध्ययन सामग्री डिस्पैच करने के लिए)	एक

7.5 स्टाफ की सेवा संबंधी निबंधन और शर्तें

शिक्षण और गैर–शिक्षण स्टाफ के सेवा संबंधी निबंधन और शर्तें, जिसमें चयन प्रक्रिया, वेतनमान, अधिकावधि की आयु तथा अन्य भत्ते सम्मिलित है, वे सभी राज्य सरकार अथवा संबंधन संस्था की नीति के अनुसार होंगे।

8 सुविधाएं

8.1 मुख्यालय पर

सेमिनार कक्षों की पर्याप्त संख्या तथा प्रत्येक संकाय सदस्य के एक एक कैबिन, फोटो कॉपियों के लिए एक ऑफिस कक्ष, विद्यार्थियों संबंधी डेटाबेस, अनुरक्षण के लिए डेटाएन्ट्री ऑप्रेटरों के लिए एक बड़ा कमरा, एक अन्य कक्ष जिसमें अधिगम सामग्री का निर्माण/प्रक्रमण किया जा सके, अधिगम सामग्री के भंडारण और प्रेषण के लिए एक काफी बड़ा स्टोर, पाठों (इकाइयों) को रिकॉर्ड करने तथा सी.डी. निर्माण के लिए एक श्रव्य–दृश्य स्टूडियो, तथा बैठकों/टैलिकाफ्रैसिंग के संचालन के लिए का विस्तृत कॉन्फ्रैंस कक्ष।

टैलिकॉन्फ्रैसिंग/ऑडियो कॉफ्रैंसिग तथा कंप्यूटर कॉन्फ्रैंसिंग सुविधाएं, जिसमें ऑन–लाइन अधिगम तथा मुक्त–प्रौद्योगिकी/मुक्त स्रोत्र साफ्टवेयर (ब्रौड बैंड इन्टरनैट तथा बड़े पैमाने पर एसएमएस सूचना प्रचार–प्रसार के साथ) सुविधाएं वांछनीय हैं। तथापि, जो संस्थान ओडीएल/मोड में अध्यापक–शिक्षा कार्यक्रम चला रहे हैं उसे केंद्रीकृत एसएमएस सुविधा ऑनलाइन कॉन्फ्रैंसिंग प्रणाली तथा श्रव्य–दृश्य/रेडियो, टीवी, सीडी–रॉम (CD-Rom) तथा अन्य प्रौद्योगिकी समर्थित अधिगम की विकेंद्रीकृत प्रणाली का उपयोग करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, ओडीएल संस्था में एक प्रतिरूप अध्ययन केंद्र की स्थापना की जाए जिसमें उपर्युक्त निर्दिष्ट सभी सुविधाएं हों।

8.2 अध्ययन केंद्र में

इस केंद्र में निम्नलिखित सुविधाएं हों

पाठ्यचर्या प्रयोगशाला तथा अधिगम संसाधन केंद्र, शारीरिक शिक्षा कक्ष, कला और शिल्प कक्ष, कार्यशाला या प्रायोगिक, के लिए आई सी टी तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, प्रशिक्षुओं को प्रविधि संबंधी विषयों में व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कमरे, एक शिक्षण–अभ्यास के लिए प्रारंभिक विद्यालय की सुलभता, संपर्क कक्षाएं संचालित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्लास रूम इसके अतिरिक्त, अन्य अपेक्षित सुविधाएं जैसे, टेलिफोन, फैक्स, फोटोकोपियर मशीन, इन्टररनैट कनैक्शन, कम्प्यूटर, श्रव्य–दृश्य प्लेयर, इन्टरऐक्टिव मल्टी मीडिया, सीडी, एडुसैट रिसीव ऑनली (आरओटी)सैटेलाईट, या इन्टरएक्टिव टर्मिनल, एलसीडी प्रोजैक्टरों की आवश्यकता है।

8.3 पुस्तकालय

(क) **मुख्यालय पुस्तकालयः** एक पूर्ण रूपेण सुसज्जित पुस्तकालय होगा जिसमें पर्याप्त मात्रा में पाठ्यपुस्तकें तथा विद्यालय स्तर के और अध्यापक शिक्षा के संदर्भ ग्रंथ होंगे, अधिगम संसाधन पुस्तकालय, मनोवैज्ञानिक उपकरण, सीडी, विश्वकोष, ऑनलाइन रिसोर्सिस, माध्यमिक अध्यापक शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षा के लिए रेफरीड–जर्नल इसके अतिरिक्त अंग्रेजी, हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में पर्याप्त मात्रा में स्व–अधिगम सामग्री सुलभ होनी चाहिए।

(ख) ***अध्ययन केंद्र पुस्तकालय*** :संपर्क सत्रों की अवधि में विद्यार्थियों द्वारा उन संस्थाओं के पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा कार्यशालाओं का उपयोग किया जाएगा जहां अध्ययन केंद्र स्थित हैं।

9 कार्यक्रम की मान्यताप्राप्त करने हेतु आवेदन करने की पूर्वापेक्षाएं

डी.एल.एड (ओडीएल) कार्यक्रम की मान्यता प्राप्ति हेतु राअशिप को आवेदन करने से पहले, विश्वविद्यालय/संस्था को निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी।

(क) एक परियोजना प्रलेख बनाना हेगा जिसमें कार्यक्रम की व्याप्ति/विस्तार संबंधी विवरण, शुल्क ढांचा, विद्यार्थी पंजीयन, संकाय, अधिगम संसाधन, आवश्यक सुविधाओं युक्त अध्ययन केद्र तथा ट्यूटर/परामर्शदाता, कार्यक्रम के निर्माण तथा कार्यन्वयन पर आने वाला अनुमानित खर्च, कार्यक्रम के निर्माण तथा कार्यान्वयन संबंधी भुगतान के प्रतिमान, अध्ययन केंद्र और विशेषज्ञों को अतिरिक्त संकाय, अध्ययन केंद्रों को दिए जाने वाले संसाधन, तथा कार्यक्रम का मानीकरण तथा पर्यवेक्षण संबंधी भुगतान के प्रतिमान।

(ख) कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए संगत विश्वविद्यालय या राज्य सरकार की स्वीकृति।

(ग) पाठ्यचर्या का निर्माण (पाठ्यक्रम अनुसार तथा इकाई अनुसार) जिसमें मूल्यांकन स्कीम तथा सहायक सेवाएं स्पष्ट की गई हों और यह विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत या अनुमोदित हो।

(घ) एक निर्धारित प्रारूप में अध्ययन केंद्रों से इस आशय का आश्वासन की अध्ययन केंद्र डी.एल.एड प्रतिमानों का कठोरता से पालन करेगा।

(ङ) स्व–अधिगम सामग्री का निर्माण (मुद्रित तथा गैर–मुद्रित) जो दूरस्थ शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया हुआ हो।

(च) स्टाफ चयन प्रक्रिया का प्रारंभ, जैसे विज्ञाप्ति, स्क्रीनिंग, साक्षात्कार तथा चयनित अभ्यार्थियों को नियुक्ति पत्र।

परिशिष्ट–10

शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) डिग्री प्राप्त कराने वाला मुक्त और दूर–शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम (बी.एड.) डिग्री के लिए मानदंड और मानक

3. शिक्षाशास्त्र में स्नातक कार्यक्रम जिसे सामान्यतः बी.एड. कार्यक्रम कहा जाता है, एक व्यावसायिक पाठ्यचर्या है जो उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) एवं माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10) तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर कक्षा (11 से 12) के लिए अध्यापक तैयार करता है।

मुक्त तथा दूर अधिगम रूप में सेवारत अध्यापकों के लिए अभि कार्यकल्पिक शिक्षा–स्नातक कार्यक्रम, जिसे सामान्यतः बी.एड. कहा जाता है, अध्यापक शिक्षा में द्वितीय डिग्री है। इसका प्राथमिक उद्देश्य उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कार्यरत अध्यापकों की व्यावसायिक सक्षमता में सुधार लाना है, ऐसे अध्यापक जो बिना कोई औपचारिक माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण के लिए इस व्यवसाय में आ गए हैं। इसका उद्देश्य ऐसे कार्यरत अध्यापकों को माध्यमिक शिक्षा अवस्था के लिए तैयार करना है जो अध्यापक के तौर पर भर्ती होने के लिए न्यूनतम अर्हताओं के अनुसार एनसीटीई की अधिसूचना के अनुकूल है। इस कार्यक्रम में कार्यक्रम के अभिकल्पन, विकास और प्रदान करने (हस्तांतरित करने) के लिए मिश्रित रीति का उपयोग किया जाएगा।

4. **संस्थाओं की पात्रता तथा क्षेत्रीय अधिकार–क्षेत्र**

2.1 संस्थाओं की पात्रता

इस अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाने के लिए जो संस्थाएं पात्र है वे है राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राज्य मुक्त विश्वविद्यालय तथा निदेशालय, यूजीसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों के मुक्त तथा दूर अधिगम स्कूल जिनकी स्थापना ओडीएल कार्यक्रम चलाने के लिए की गई है समविश्वविद्यालय कृषि, तकनीकी या समवर्गी संबद्ध विश्वविद्यालय जिनके विशेषज्ञता अध्यापक शिक्षा न हो कर कोई और है, और अन्य विषयात्मक–विशिष्ट विश्वविद्यालय या संस्थाए अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाने के लिए इस ओडीएल पद्धति में पात्र नहीं है।

2.2 क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र

ओडीएल के माध्यम से अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने वाले विश्विद्यालय अथवा संस्थाओं का अधिकार क्षेत्र वही होगा जो उनके अधिनियम में परिभाषित है अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।उस विश्वविद्यालय/संस्थान के अध्ययन केंद्र भी उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में स्थित होंगे।

5. **अवधि**

इस कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक सत्र/वर्ष होगी। तथापि, विद्यार्थियों को यह छूट होगी कि वे कार्यक्रम को पांच वर्ष तक की अवधि में पूरा कर सकते हैं। कार्यक्रम का आरंभ तथा समाप्ति इस प्रकार विनियमित होगी कि अध्येताओं को निर्देशित/पर्यवेक्षित शिक्षण अथवा प्रप्यक्ष अध्यापन/संपर्क के लिए अवकाश की दो लम्बी अवधि उपलब्ध हो सके ये अवधियां ग्रीष्म अवकाश, शीत अवकाश या भिन्न भिन्न हो सकती हैं। यह कार्यक्रम प्रत्यक्ष अध्यापन/निर्देशन के दो ग्रीष्म अवकाश के मध्य भी रखा जा सकता है। यह कार्यक्रम अपनी इच्छानुसार और अपनी गति से किए गए स्वअध्ययन से अतिरिक्त होगा।

4. **दाखिला, पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया तथा शुल्क**

4.1 प्रवेश

इस बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश की मूल इकाई पांच सौ विद्यार्थियों से अधिक नहीं होगी। इसके साथ यह शर्त होगी कि एक अध्ययन केंद्र में एक सत्र में 50 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन नहीं होगा। अतिरिक्त इकाइयों के लिए अनुरोध एनसीटीई द्वारा इस आधार पर परखा जाएगा कि क्या उस संस्था के पास उनके क्षेत्रीय अधिकार–क्षेत्र में अध्ययन केंद्रों तथा संबंधित सहायता सेवाओं के रूप में अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध हैं।

4.2 पात्रता

निम्नलिखित वर्गों के अभ्यर्थी बी.एड. (ओडीएल) में प्रवेश पाने के पात्र हैं:

(i) अप्रशिक्षित सेवारत अध्यापक।

(ii) प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक।

(iii) वे अभ्यर्थी, जिन्होंने एनसीटीई द्वारा मान्यताप्राप्त नियमित रीति (फेस–टु–फेस) से अध्यापक शिक्षा का कोई कार्यक्रम पूर्ण किया है।

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूडी तथा अन्य ऐसे वर्ग के लिए अंकों में छूट तथा स्थान–आरक्षण केंद्रीय/राज्य सरकार, जो भी लागू हो, के नियमानुसार होगा।

4.3 दाखिला प्रक्रिया

अभ्यर्थियों के चयन के लिए संबंधित विश्वविद्यालय/संस्था एक उपयुक्त प्रक्रिया का विकास करेगी।

4.4 फीस

संस्था केवल वही शुल्क लेगा, जो संबंधन निकाय द्वारा निर्धारित किए गए हैं। लिए गए शुल्क एनसीटीई के अधिनियम, 2002 के प्रावधानों (गैर–सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली ट्युशन फीस तथा अन्य शुल्क संबंधी अधिनियमों के मार्गदर्शी सिद्धांत) के अनुसार, जो समय–समय पर संशोधित हुए हैं, जाएगी। ये संस्थाएं किसी भी रूप में दान, प्रति व्यक्ति शुल्क फोसली विद्यार्थियों से नहीं लेंगी।

5. अध्ययन केंद्र के लिए पात्रता

(क) केवल निम्नलिखित वर्ग की संस्था अध्ययन केंद्र चलाने के योग्य होंगी:

एनसीटीई द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसे वर्तमान अध्यापक शिक्षा संस्थान, जो रेग्युलर प्रणाली से वही कार्यक्रम चला रहे हैं और उनके पास सभी प्रकार की आधारिक तथा स्टाफ एनसीटीई के प्रतिमानों के अनुकूल है। ये संस्थान हैं, जो पिछले पांच वर्षों से संगत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चला रहे हैं। ऐसे संस्थान, जिन्हें किसी भी विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम के लिए अध्ययन केंद्र बनाया गया है, उन्हें किसी अन्य कार्यक्रम के लिए अध्ययन केंद्र बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वह कार्यक्रम उस विश्वविद्यालय/संस्था का हो या किसी अन्य का।

(ख) (i) किसी अध्ययन केंद्र के निर्धारित विद्यार्थियों की संख्या एक सौ (100) से अधिक नहीं होगी (प्रथम वर्ष के पचास तथा द्वितीय वर्ष के पचास), (ii) अध्ययन केंद्र उसके लिए निर्धारित/दूरस्थ अध्येताओं को केंद्र के पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा अन्य भौतिक सुविधाएं प्रदान करेगा, (iii) ओडीएल संस्था (विश्वविद्यालय) का क्षेत्रीय केंद्र भी अध्ययन केंद्र के रूप में कार्य कर सकता है। इसमें विद्यार्थियों की संख्या कम से कम एक सौ (प्रथम वर्ष के 50 तथा द्वितीय वर्ष के 50) होगी।

(ग) अध्यापक–शिक्षक/पर्यवेक्षक/शैक्षणिक परामर्शदाता, जिन्हें अध्ययन केंद्र के विभिन्न क्रियाकलाप के लिए आमंत्रित किया जाएगा, वे एनसीटीई के प्रतिमानों के अनुसार पूर्ण रूप से अर्हताप्राप्त होने चाहिए।

(घ) अध्ययन केंद्रों के क्रियाकलाप से संबद्ध सभी अधिकारियों (कार्यकर्ताओं) का समय–समय पर, परंतु वर्ष में एक बार ओडीएल प्रणाली से विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा दिशा अनुकूलन अवश्य कराया जाएगा।

(ङ) किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश की अतिरिक्त इकाई का अनुरोध पर रा.अ.शि.प. द्वारा अध्ययन केन्द्रों में अपेक्षित सुविधाओं तथा संस्थान के क्षेत्रीय आधारिक क्षेत्रों से संबंधित सहयोग की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा। अतिरिक्त दाखिले के लिए मान्यता मगांते समय निर्धारित किया विधिओं का पालन किया जाएगा।

6. पाठ्यचर्या, कार्यक्रम कार्यान्वयन, तथा मूल्यांकन

6.1 पाठ्यचर्या

ओडीएल विविध में बी.एड. पाठ्यचर्या वही होगी, जो नियमित (फेस–टू–फेस) में बी.एड. की पाठ्यचर्या है। अतः इस कार्यक्रम की नामावली वही होगी और इसे भी बी.एड. ही कहा जाएगा। तथापि, क्योंकि ओडीएल विधि सेवारत अध्यापकों की आवश्यकता को पूरा करेगी, अतः पाठ्यचर्या का कार्य संपादन अध्यापन करते समय प्राप्त अध्यापन अनुभवों को व्यवस्थित तथा संरचित करने के लिए होगा। इस कार्यक्रम में अभिकल्पन, विकास तथा कार्यक्रम के हस्तांतरण के लिए सम्मिश्रित अधिगम रूपात्मकता का प्रयोग करेगा।

बी.एड. नियमित के पाठ्य–विवरण को दूरस्थ शिक्षा रीति में रूपांतरित किया जाएगा, जिसमें अध्ययन में क्रेडिट घंटों के अनुसार ब्लॉकों/इकाइयों में पूरे पाठ्यकम को बांट दिया जाएगा। संस्था द्वारा तैयार की स्व–अधिगम सामग्री को दूरस्थ शिक्षा परिषद् ब्यूरो द्वारा अनुमोदित कराया जाएगा।

6.2 कार्यक्रम का कार्यान्वयन

बी.एड. (ओडीएल) कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे अध्यापक तैयार करना है जो अध्यापक के रूप में अपनी संवृत्तिक पद्धति का सतत् रूप से आकलन कर सकें और उसमें सुधार ला सकें। इसके लिए उन्हें पद्धति पर विवेचित विमर्शन करते रहना होगा।

दूसरे, ऐसे अध्यापक तैयार करना है, जो समझ सकें कि अध्यापक विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ में सन्निहित है तथा वे अध्यापक जो उनके द्वारा पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से जुड़े हों या परियुक्त रहें। छात्र–अध्यापकों को जांच–पड़ताल के विभिन्न रूपों तथा उनके विषयों के ज्ञान मीमांसात्मक ढांचों से अवगत कराया जाएगा और इस बात से परिचित कराया जाएगा कि बच्चे सीखते कैसे हैं, ताकि वे ऐसी कार्यनीतियों का विकास कर सकें तथा उनका प्रयोग कर सकें जो माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं की विविध और बहुल अवस्थाओं में उनके विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं के अनुकूल हैं।

(क) विश्वविद्यालय या संस्थाएं स्वयं पाठ्यचर्या आधारित श्रव्य–दृश्य संसाधनों का विकास करेंगी या ऐसे संसाधनों को अन्य संस्थाओं अथवा ओईआर से लेकर उनको रूपांतरित कर अपने अनुकूल बनाएंगी और इन श्रव्य–दृश्य संस्थानों को मुख्यालय, अध्ययन केंद्र एवं क्षेत्रीय केंद्रों पर उपलब्ध कराएंगे। राज्य संसाधन केंद्रों (एसआरसी), राज्य सरकारों तथा मुक्त विश्वविद्यालयों में उपलब्ध टेलीकान्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपयोग भी किया जा सकता है।

(ख) यह कार्यक्रम एक सम्मिश्रित रूप में संपादित किया जाएगा। इसके लिए संसाधन–आधारित स्व–अधिगम, प्रत्यक्ष परामर्श, कार्यशालाओं तथा प्रौद्योगिकी–समर्थित अंतःक्रिया और अधिगम के घटकों को विवेकपूर्ण ढंग से मिलाया जा सकता है।

(ग) *स्व–अधिगम सामग्री :* यह कार्यक्रम पूर्ण संवृत्तिक विशेषज्ञता के साथ संचालित किया जाएगा। स्व–अधिगम सामग्री, मुद्रित तथा गैर–मुद्रित – अनुदेशात्मक अभिकल्पन तथा स्व–अधिगम के शिक्षण–शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए तथा यह समुचित रूप में डी.ई.सी. (दूरस्थ शिक्षा परिषद्) द्वारा अनुमोदित हो। एक सम्मिश्रित अधिगम उपागम (प्रविधि तथा मीडिया का समेकन) का उपयोग किया जाना चाहिए। पाठ्यसामग्री मोड्युलर (प्रमाणीय) तथा क्रेडिट–आधारित होनी चाहिए।

अध्ययन सामग्री अध्येताओं को कार्यक्रम की अपेक्षाओं के अनुकूल सत्र के आरंभ में ही दे दी जाएगी, चाहे इकट्ठी एक बार में समय–समय पर।

(घ) *वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम :* दो वर्ष की अवधि के इस कार्यक्रम में विद्यालय आधारित क्रियाकलाप तथा शिक्षण अभ्यास के अतिरिक्त, वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत परामर्श और कार्यशालाएं, सेमिनार प्रस्तुतीकरण, रिपोर्ट लेखन इत्यादि आते हैं। इनका संचालन अध्येताओं की सुविधानुसार मुख्यालय या अध्ययन केंद्र पर 6 महीने की कुल अवधि के लिए किया जाना चाहिए। वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किया जाना चाहिए:

(ङ) *परामर्श :* शैक्षणिक परामर्श सत्र कार्यक्रम की समस्त अवधि में फैला दिए जाने चाहिए और अध्येताओं की आवश्यकताओं और सुविधानुसार नियमित आधार पर संचालित किए जाने चाहिए। इन परामर्श सत्रों में अध्येताओं की शैक्षणिक और पाठ्यक्रम से संबंधित वैयक्तिक समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। परामर्श सत्रों का उपयोग अध्येताओं को विषय–वस्तु संबंधी कठिनाई, क्षेत्र कार्य, शिक्षण अभ्यास, प्रदत्त कार्य शोध निबंध, समय प्रबंधन, अध्ययन कौशल इत्यादि से संबंधित व्यक्ति कृत निर्देशन के लिए किया जाएगा। परामर्श सत्रों के लिए कम से कम 144 अध्ययन घंटे, जो पूरे दो वर्ष की अवधि तक फैले हों, दिए जाएंगे। परामर्श सत्रों का आयोजन ट्यूटोरियल के रूप में किया जाएगा न कि अध्ययन सत्रों के रूप में, क्योंकि अध्यापन का कार्य तो दी गई अधिकतम सामग्री कर देगी।

(च) *कार्यशालाएं :* कार्यशालाओं में अध्येता उन क्षमताओं या कौशलों को ग्रहण करेगा जिनकी अपेक्षा एक अध्यापक अथवा अध्यापक–शिक्षक से होती है। अतः वे व्यक्तिगत रूप में अथवा समूह में अपने आपको कुछ क्रियाकलाप में परियुक्त रहेंगे। अध्ययन केंद्र का यह दायित्व होगा कि वह पूर्ण कक्षाओं में अथवा अनुरूपित अवस्थितियों में शिक्षण अभ्यास की व्यवस्था करे। अध्येताओं को आईसीटी के निर्माण और उपयोग में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्य के लिए उन्हें अध्ययन सहायक सामग्री, शोध उपकरण कार्यपत्रक, पाठ्य इकाइयां, प्रदत्त कार्य, मूल्यांकन शीर्षक आदि के निर्माण में सम्मिलित या परियुक्त किया जाएगा। अध्येताओं को जो कुछ उन्होंने सैद्धांतिक विषयों में सीखा है और जिसकी उनसे कक्षा में करने की अपेक्षा है, उसका अभ्यास करने के लिए यथोचित व पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। दो वर्ष की अवधि में कुल दो कार्यशालाएं (प्रति वर्ष एक) आयोजित की जाएंगी। प्रत्येक कार्यशाला की अवधि 6 दिन की होगी।

(छ) *विद्यालय आधारित क्रियाकलाप :* ओडीएल पद्धति के माध्यम से बी.एड. करने वाले अध्येताओं को उन क्रियाकलापों में सम्मिलित किया जाएगा जो एक अध्यापक विद्यालय में संपादित करता है। विद्यालय आधारित क्रियाकलाप का जिक्र बी.एड. के पाठ्यचर्या ढांचे में किया गया है। विद्यालय–आधारित क्रियाकलाप संपादित करने के लिए अध्येता किसी अध्यापक से अन्योन्यक्रिया करेगा, जो उस विद्यालय का एक वरिष्ठ अनुभवी अध्यापक/प्रिंसिपल हो सकता है, जहां वह कार्य कर रहा है। इस प्रकार अध्येता का पर्यवेक्षण/निर्देशन कम से कम 15 अध्ययन घंटों के लिए इस मार्गदर्शन द्वारा किया जाएगा।

(ज) *शिक्षण अभ्यास :* अध्येता, जो इस रीति में बी.एड. कार्यक्रम में पंजीकृत है, उस विद्यालय के एक वरिष्ठ अध्यापक/शैक्षणिक सलाहकार के पर्यवेक्षण में जहां वह कार्य करता है, तीन महीने की अवधि

के लिए शिक्षण अभ्यास करेगा। प्रत्येक पाठ, जो वह पढ़ाएगा, उसमें उसे मार्गदर्शन दिया जाएगा, उसका पर्यवेक्षण किया जाएगा तथा प्रतिपुष्टि भी दी जाएगी। अध्येता को उसके निष्पादन पर पर्यवेक्षक/शिक्षक–अध्यापक द्वारा रचनात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान की जाएगी, जिसके द्वारा उसे उसकी कमियों और सबलताओं दोनों से अवगत कराया जाएगा। इस प्रकार अध्येता पयवेक्षकों/अध्यापक पर्यवेक्षकों के साथ पाठ योजना पत्रों की आपूर्ति और उपलब्धता कराएगा। पत्रों पर फीडबैक तैयार कर इस पर चर्चा करेगा। प्रत्येक अध्ययेता अपने शिक्षण अभ्यास पर अध्यापक से वैयक्तिक पर्यवेक्षक और फीडबैक प्राप्त करेगा।

अध्येता अपने पर्यवेक्षक/अध्यापक–शिक्षक के साथ पाठयोजना निर्माण, पाठ का संचालन तथा प्रतिपुष्टि पर चर्चा करेगा। प्रत्येक अध्येता का व्यक्तिगत पर्यवेक्षण किया जाएगा और अध्यापक/अध्यापक–शिक्षक द्वारा उस के शिक्षण अभ्यास के पाठों पर प्रतिपुष्टि दी जाएगी।

(झ) मुख्यालय का स्टाफ पाठ्यचर्या, स्व–अधिगम सामग्री, प्रतिमान पाठ–योजनाएं तथा मल्टीमीडिया अधिगम संसाधनों का विकास करेगा जिनका उपयोग अध्ययन केंद्रों पर किया जाएगा। विद्यार्थी को प्रदत्त कार्य दिया जाएगा और उन प्रदत्त कार्यो के मूल्यांकन को कम से कम 25% भारिता दी जाएगी। प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर निर्धारित परीक्षा निकाय द्वारा बाह्य परीक्षा ली जाएगी। अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में स्थित अध्ययन केंद्र शिक्षण अभ्यास तथा कार्यानुभव घटकों की परीक्षा लेंगे। इसके लिए आन्तरिक और बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति करना भी अध्ययन केंद्र के अधिकार क्षेत्र में होगा।

(ञ) **कार्यक्रम आयोजना** : ओ.डी.एल के माध्यम से बी.एड कार्यक्रम चलाने वाली संस्थाएं अपनी वैब साइट बनाएंगे ताकि विद्यार्थी समस्त अधिगम सामग्री तथा संसाधनों का उपयोग कर सकें, अपने समकक्षियों से अन्योन्यक्रिया कर सकें तथा संकाय–विद्यार्थी उपयुक्त सामाजिक मीडिया या नेट वर्किंग सेवाओं पर चर्चा को सुकर बना सकें।

(ट) ओडीएल कार्यक्रमों के चलाने वाले सभी संस्थान विद्यार्थी पंजीयन, कार्यक्रम अधिगम केंद्रों की सूची, शैक्षणिक परमर्शदाताओं, मार्गदर्शकों, क्षेत्रीय परामर्शदाताओं और उन विद्यालयों, जहां अध्यापक प्रशिक्षु अंतरंग बनेंगे, संबंधी विवरण अपनी वैबसाइटों पर प्रस्तुत करेंगे, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो।

(ठ) विश्वविद्यालय/ओडीएल संस्था अपने सभी क्रियाकलाप का एक कैलेंडर तैयार करेंगे जिसमें प्रवेश, परामर्श, प्रायोगिक कार्य तथा परीक्षाएं सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्रियाकलाप का संचालन कैलेंडर के अनुसार हो रहा है।

(ड) कार्यक्रम संबंधी क्रियाकलाप के कार्यान्वयन के लिए संस्थान नियमावली तैयार करेंगे (अध्येताओं और मार्गदर्शकों, परामर्शदाताओं और विशषज्ञों के लिए)

(छ) सभी ओडीएल संस्थान/विश्वविद्यालय उन अध्ययन केंद्रों के साथ जिन्हें कार्यक्रम संचालन के लिए चुना गया है एक एमओयू निर्धारित करेंगे जिसमें उनके अध्ययन केंद्रों के ओडीएल अध्येताओं को सहायता देने के लिए आधारिक और अन्य सुविधाओं को सांझा करने संबंधी सहयोग और प्रतिबद्धता स्पष्ट होती हो।

6.3 मूल्यांकन

संस्था द्वारा द्वि–सोपान मूल्यांकन का प्रयोग किया जाएगा: सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन तथा सत्रांत परीक्षा जिसमें सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन को यथेष्ट भारिता दी जाएगी। इसमें कार्यशाला में भागीदारी और निष्पादन सम्मिलित होगा जैसाकि पाठ्यचर्या ढांचे में निर्धारित किया गया है। अध्येताओं द्वारा दिए गए प्रदत्त कार्य, रिपोर्टों का मूल्यांकन ट्युटरों/परमार्शदाताओं द्वारा नियत समय में किया जाएगा और अपनी रचनात्मक टिप्पणियों तथा सुझावों के उन्हें लौटाया जाएगा ताकि वे अपने निष्पादन में सुधार ला सकें। प्रदत्त कार्यों/परियोजनाओं के मूल्यांकन का प्रमुख कार्य अध्येताओं को समयोचित प्रतिपुष्टि प्रदान करना है ताकि उनकी अभिप्रेरणा बनी रहे और समझने की उनकी योग्यता में वृद्धि की जा सके। प्रदत्त कार्य, कार्यशाला आधारित क्रियाकलाप, विद्यालय आधारित क्रियाकलाप तथा शिक्षण अभ्यास का मूल्यांकन सतत् रूप से किया जान चाहिए। प्रत्येक छात्र–अध्यापक उसके द्वारा पूर्ण किए गए कार्य की एक पोटफोलियो तैयार करेगा और इसे वर्ष भर रखेगा। इसका उपयोग आन्तरिक मूल्यांकन के लिए किया जा सकेगा।

सत्रांत परीक्षा का अभिकल्पन तथा संचालन परीक्षा संस्था द्वारा किया जाएगा आंतरिक और बाह्य मानीकरण के लिए भरिता क्रमशः 30 : 70 के अनुपात में होगा।

6.4 मानकीकरण प्रबोधन तथा पर्यवेक्षण

ओडीएल संस्था एक सुव्यवस्थित मानीकरन तन्त्र को लागू करेगी। मानकीकरण की विभिन्न कार्यनीतियां जैसे समय समय पर संकाय द्वारा क्षेत्र–निरीक्षण, अध्येताओं तथा अध्ययन–केन्द्र समन्वयक दोनों से नियमित रूप से प्रतिपुष्टि प्राप्त करना, अध्येताओं के साथ आईसीटी के माध्यम से अन्योन्यक्रिया करना इत्यादि, तथा संस्थाओं द्वारा विनिर्दिष्ट रिकार्ड रखना इस प्रक्रिया के कुछ घटक होंगे। अध्येता संतुष्टि सर्वेक्षण नियमित आधार पर संचालित किए जाएंगे ताकि मुख्यालय में परामर्शदाताओं तथा संकाय को प्रतिपुष्टि दी जा सकें पाठ्यवस्तु पर प्राप्त प्रतिपुष्टि कार्यक्रम को काफी समय तक जारी रखने तथा उसमें छोटे मोटे संशोधन करने के कार्य को सुसाध्य बनाएगा। समय समय पर कार्यक्रम संरचना तथा इसके कार्यान्वयन का एक व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा।

7 स्टाफ

7.2 मुख्यालय

i संस्था या विश्वविद्यालय जो ओडीएल प्रणाली के माध्यम से इस कार्यक्रम को चलाएगा उस की अपनी एकान्तिक 7 सदस्यों की अभ्यन्तर संकाय हो। जिन की विशेषज्ञता अलग अलग संगत अनुशासनों में हो जैसे–शिक्षाशास्त्र, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, तथा भाषाएं। दूर–शिक्षा में प्राप्त अर्हता वांछनीय होगी।

संकाय का विभाजन निम्नलिखित प्रकार से होगा प्रोफैसर..एक.......................रीडर/सह प्रोफैसर ....दो

लेक्चरर...चार

नोट : {संकाय के विभिन्न पद संज्ञा राज्य सरकार/संस्था नीति अनुसार होंगे}

ii संकाय का दायित्व निम्नलिखित होगा पाठ्यक्रम रचना, अधिगम संसाधनों का विकास, प्रदत्त कार्यो का मूल्यांकन, अध्ययन केंद्र के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ का दिशा अनुकूलन केंद्रों का प्रबोधन व पर्यवेक्षण, पाठ्यचर्याओं का रख–रखाव व संशोधन, कार्यक्रम मूल्यांकन तथा अन्य कार्यकलाप जो विश्वविद्यालय/संस्था निर्धारित करती है।

iii प्रत्येक अतिरिक्त 500 विद्यार्थियों की इकाई या उसका अंश बढ़ने पर संकाय की संख्या में एक सदस्य की वृद्धि हो जाएगी।

iv इस ओडीएल कार्यक्रम के लिए संकाय के एक सदस्य को "कार्यक्रम समन्वयक" मनोनीत किया जाएगा। समन्वयक का कार्य होगा संकाय के सदस्यों मुख्यालय तथा अध्ययन केंद्र के मध्य समन्वयन करना।

v अध्ययन केंद्रों पर विभिन्न क्रियाकलाप के परियुक्त अध्यापक–शिक्षक/पर्यवेक्षक बी.एड. कार्यक्रम के लिए निर्दिष्ट एनसीटीई के प्रतिमानों के अनुसार अर्हताप्राप्त होंगे।

7.2 अध्ययनकेंद्र

समन्वयक................................ एक

सहायक–समन्वयक.......................... एक

अंश–कालिक शैक्षणिक परामर्शदाता...................आवश्यकतानुसार

प्रशासनिक स्टाफ.. आवश्यकतानुसार

नोट : अध्ययन केंद्र पर लगाए जाने वाला अंशकालिक स्टाफ उसी अध्ययन केंद्र के संकाय में से परियुक्त किया जाएगा और यदि आवश्यकता पडे तो आस–पड़ौस की संस्थाओं से वर्तमान और पूर्व अध्यापक शिक्षकों परियुक्त किया जा सकता है। कार्यक्रम के लिए निर्धारित पाठ्यक्रमों में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए कम से कम एक शैक्षणिक परामर्शदाता परियुक्त होना चाहिए।

7.3 क्षेत्रीय केंद्र

यदि आवश्यकता समझी जाए क्षेत्रीय केंद्र पर भी एक ओडीएल संस्था स्थापित की जा सकती है जो इसके अधिकारक्षेत्र में आने वाले अध्ययन केंद्रो के कार्य का समन्वय कर सके। क्षेत्रीय केंद्र या केंद्रों पर निम्नलिखित स्टाफ होगा

1.समन्वयक/क्षेत्रीय निदेशक.................................... एक

2.सहायक समन्वयक/सहायक क्षेत्रीय निदेशक................. एक

3.प्रशासनिक स्टाफ.................................. आवश्यकतानुसार

7.4 अर्हताएं

(क) अध्यापन स्टाफ

शैक्षणिक स्टाफ की शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यताएं वही होंगी जैसी कि बी.एड. (रेग्युलर) कार्यक्रम के लिए परियुक्त स्टाफ के लिए निर्धारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त ओडीएल प्रणाली में ओडीएल प्रणाली में प्राप्त अनुभव को वरीयता दी जाएगी

(ख) मुख्यालय के लिए गैर–अध्यापन/व्यावसायिक/सहायक/प्रशासनिक स्टाफ

प्रशासनिक और अन्य सहायक स्टाफ निम्नलिखित प्रतिमानों के अनुसार दिए जाने चाहिए

1. कार्यालय प्रबंधक/अधीक्षक .... एक
2. साफ्टवेयर विशेषज्ञ/व्यावसायिक........................ एक

3. आकलन और मूल्यांकन प्रभारी.............................. एक

4. डेटाबेस अनुरक्षण के लिए कम्प्युटर आप्रेटर..................................एक

5. कार्यालय सहायक.. एक

6. हैल्पर (अध्ययन सामग्री डिस्पैच करने के लिए).................. एक

7.5 स्टाफ की सेवा संबंधी निबंधन और शर्तें

अध्यापन और गैर–अध्यापन स्टाफ के सेवा संबंधी निबंधन और शर्तें, जिसमें चयन प्रक्रिया, वेतनमान, अधिवार्षिकी की आयु की अधिकतम आयु तथा अन्य भत्ते सम्मिलित हैं, वे सभी राज्य सरकार अथवा संबंधन प्रदान कराने वाली संस्था की नीति के अनुसार होंगे

8 सुविधाएं

8.1 मुख्यालय में

सेमिनार कक्षों की पर्याप्त संख्या तथा प्रत्येक संकाय सदस्य के एक एक कैबिन, फोटो कॉपियारों के लिए एक ऑफिस कक्ष, विद्यार्थियों संबंधी डाटा बेस, अनुरक्षण के लिए डेटाएन्ट्री ऑप्रेटरों के लिए एक बड़ा कमरा, एक अन्य कक्ष जिसमें अधिगम सामग्री का निर्माण/प्रक्रमण किया जा सके, अधिगम सामग्री के भंडारण और प्रेषण के लिए एक काफी बड़ा स्टोर, पाठों (इकाइयों) को रिकॉर्ड करने तथा सी.डी. निर्माण के लिए एक श्रव्य–दृश्य स्टूडियो, तथा बैठकों/ टैलिका फैसिंग के संचालन के लिए का विस्तृत कॉन्फैंस कक्ष

टैलिकॉन्फैसिंग/ऑडियो कॉफैंसिग तथा कंप्यूटर कॉन्फैंसिंग सुविधाएं, जिस में ऑन–लाइन अधिगम तथा मुक्त–प्रौद्योगिकी/मुक्त स्त्रोत साफ्टवेयर ब्रौड बैंड इन्टरनैट तथा बड़े पैमाने पर एसएमएस सूचना प्रचार–प्रसार के साथ सुविधाएं वांछनीय हैं। तथापि, जो संस्था ओडीएल/ मोड में अध्यापक–शिक्षा कार्यक्रम चला रही है उसे केंद्रीकृत एसएमएस सुविधा ऑन लाइन कॉन्फैंसिंग प्रणाली तथा श्रव्य–दृश्य/रेडियो, टीवी, सीडी–रॉम (CD-Rom)तथा अन्य प्रौद्योगिकी समर्थि अधिगम की विकेंद्रीकृत प्रणाली का उपयोग करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, ओडीएल संस्था में एक प्रतिरूप अध्ययन केंद्र की स्थापना की जाए जिसमें उपर्युक्त निर्दिष्ट सभी सुविधाएं हों।

8.2 अध्ययन केंद्र में

इस केंद्र में निम्नलिखित सुविधाएं हों

पाठ्यचर्या प्रयोगशाला तथा अधिगम संसाधन केंद्र, शारीरिक शिक्षा कक्ष, कला और शिल्प कक्ष, कार्यशाला या प्रायोगिक, के लिए आई सी टी तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, प्रशिक्षुओं को प्रविधि संबंधी विषयों में व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कमरे, एक शिक्षण–अभ्यास प्रारंभिक विद्यालय की सुलभता, संपर्क कक्षाएं संचालित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कक्षा कक्षा इसके अतिरिक्त, अन्य अपेक्षित सुविधाएं जैसे, टेलिफोन, फैक्स, फोटो कोपियर मशीन, इन्टररनैट कनैक्शन, कम्प्युटर, श्रव्य–दृश्य प्लेयर, इन्टरऐक्टिव मल्टी मीडिया सीडी, एडयूसैट रिसीव ऑनली सैटेलाईट, या इन्टरएक्टिव टर्मिनल, एलसीडी प्रोजैक्टरों की आवश्यकंता है।

8.3 पुस्तकालय

(क) **मुख्यालय पुस्तकालयः** एक पूर्णरूपेण सुसज्जित पुस्तकालय होगा जिसमें पर्याप्त मात्रा में पाठ्य पुस्तकें तथा विद्यालय स्तर के और अध्यापक शिक्षा के संदर्भ ग्रंथ होंगे, अधिगम संसाधन पुस्तकालय, मानोवैज्ञानिक उपकरण, सीडी, विश्वकोष, ऑनलाइन रिसोर्सिस, माध्यमिक अध्यापक शिक्षा तथा दूर शिक्षा के लिए रेफरीडजर्नला इसके अतिरिक्त अंग्रेजी, हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में पर्याप्त मात्रा में स्व–अधिगम सामग्री सुलभ होनी चाहिए

(ख) **अध्ययन केंद्र पुस्तकालय :** संपर्क सत्रों की अवधि में विद्यार्थियों द्वारा उन संस्थाओं के पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा कार्यशालाओं का उपयोग किया जाएगा जहां अध्ययन केंद्र स्थित हैं।

9 कार्यक्रम की मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन करने की पूर्वापेक्षाएं

बी.एड (ओडीएल) कार्यक्रम की मान्यता प्राप्ति हेतु एनसीटीई को आवेदन करने से पहले, विश्वविद्यालय/संस्था को निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी।

(क) एक परियोजना प्रलेख बनाना हेगा जिसमें कार्यक्रम की व्याप्ति/विस्तार संबंधी विवरण, शुल्क ढांचा, विद्यार्थी पंजीयन, संकाय, अधिगम संसाधन, आवश्यक सुविधाओं युक्त अध्ययन केद्र तथा ट्यूटर/परामर्शदाता, कार्यक्रम के निर्माण तथा कार्यान्वयन पर आने वाला अनुमानित खर्च, कार्यक्रम के निर्माण तथा कार्यान्वयन संबंधी भुगतान के प्रतिमान, अध्ययन केंद्र और विशेषज्ञों को अतिरिक्त संकाय, अध्ययन केंद्रों को दिए जाने वाले संसाधन, तथा कार्यक्रम का प्रबोधन तथा पर्यवेक्षण संबंधी भुगतान के प्रतिमान

(ख) कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए संगत विश्वविद्यालय या राज्य सरकार की स्वीकृति

(ग) पाठ्यचर्या का निर्माण (पाठ्यक्रम अनुसार तथा इकाई अनुसार) जिसमें मूल्यांकन स्कीम तथा सहायक सेवाएं स्पष्ट की गई हों और यह विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत या अनुमोदित हो

(घ) स्व–अधिगम सामग्री का निर्माण जो दूर शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया हुआ हो

(ङ) एक निर्धारित प्रारूप में अध्ययन केंद्रों से इस आशय का आश्वासन की अध्ययन केंद्र बी.एड प्रतिमानों का कठोरता से पालन करेगा

(च) स्टाफ चयन प्रक्रिया का प्रारंभ, जैसे विज्ञाप्ति, स्क्रीनिंग, साक्षात्कार तथा चयनित अभ्यार्थियों को नियुक्ति पत्र।

परिशिष्ट–11

कला शिक्षा (दृश्य कलाएँ) में डिप्लोमा प्राप्त कराने वाले कला शिक्षा (दृश्य कलाएँ) डिप्लोमा कार्यक्रम के मानक और मानदंड

1. प्रस्तावना

कला शिक्षा (दृश्य कलाएँ) में डिप्लोमा एक व्यावसायिक सेवा–पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य कक्षा viii तक दृश्य कलाएँ पढ़ाने के लिए अध्यापक तैयार करना है।दृश्य कला कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षिक वर्षों की होगी। लेकिन, विद्यार्थियों को कार्यक्रम की अपेक्षाओं को प्रवेश की तिथि से अधिकतम तीन वर्षों तक की अविध में पूरा करने की अनुमति होगी।

2.2 कार्य दिवस एवं अवधि

(क) परीक्षा और दाखिले की अवधि को छोड़कर प्रत्येक वर्ष कम से कम दो सौ कार्य दिवस होंगे, जिनमें से कम से कम 16 सप्ताह प्रारम्भिक स्कूलों में स्कूल प्रशिक्षुता (इन्टर्नशिप)के लिए होंगे।

(ख) संस्था सप्ताह में (पांच अथवा छः दिन) कम से कम छत्तीस घंटे काम करेगी, जिसके दौरान संस्था में सभी अध्यापकों और विद्यार्थी–अध्यापकों की उपस्थिति आवश्यक है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सलाह, मार्गदर्शन, वार्तालाप और परामर्श के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(ग) यह जरूरी होगा कि विद्यार्थी–अध्यापकों की न्यूनतम उपस्थिति सभी पाठ्यक्रम कार्यों और प्रयोगात्मक कार्यों के लिए 80 प्रतिशत और स्कूल प्रशिक्षुता के लिए 90 प्रतिशत हो।

3. भर्ती, पात्रता, प्रवेश की प्रक्रिया और फीस

3.1 भर्ती

प्रत्येक वर्ष पचास विद्यार्थियों (पेंटिंग/ड्राइंग, आदि) का एक बुनियादी यूनिट होगा, जिसमें पच्चीस–पच्चीस विद्यार्थियों के दो सेक्शन होंगे।

3.2 पात्रता

जिन अभ्यर्थियों ने उच्च माध्यमिक स्तर पर वैकल्पिक विषय(यों) के रूप में दृश्य कलाओं (पेंटिंग/ड्राइंग, ग्राफिक डिजाइन/हेरिटेज क्राफ्ट्स/एप्लाइड कलाएं/मूर्तिकला, आदि) के साथ कम से कम पचास प्रतिशत अंकों के साथ उच्च माध्यमिक परीक्षा (+2) अथवा उसके समकक्ष परीक्षा पास की है, वे दाखिले के लिए पात्र हैं।

आरक्षित वर्गोंके संबंध में सीटों का आरक्षण और अर्हकारी अंकों में ढील संबंधित राज्य सरकार के नियमानुसार दी जाएगी।

3.3 दाखिले की प्रक्रिया

दाखिले अर्हकारी परीक्षा और/अथवा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा योग्यता के आधार अथवा राज्य सरकार की नीति के अनुसार चयन या किए जाएंगे।

3.4 फीस

संस्था समय–समय पर यथासंशोधित एन.सी.टी.ई (गैर–सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्था द्वारा प्रभार्य ट्यूशन फीस तथा अन्य फीसों के विनियमन के लिए मार्गनिर्देश) विनियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार संबद्धक निकाय/संबंधित राज्य सरकार द्वारा यथाविहित फीस ही ली जाएगी और विद्यार्थियों से कोई दान, प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लेगी।

4. पाठ्यचर्या, कार्यक्रम कार्यान्वयन और मूल्यांकन

4.1 पाठ्यचर्या

दो वर्षीय पाठ्यचर्या के निम्नलिखित संघटक हैं:

क. सिद्धांत

ख. प्रयोगात्मक कार्य

ग. स्कूल प्रशिक्षुता (इन्टर्नशिप)

घ. कार्यशालाएं, दौरे, परियोजनाएं, प्रदर्श और प्रदर्शन

क) **सिद्धांत**

(क) मूल पाठ्यक्रम

सिद्धांत के मामले में, कुछ पाठ्यक्रम कला शिक्षा के सभी कार्यक्रमों (दृश्य और अभिनय कलाएं) के लिए सामान्य होंगे।

(i) बाल अध्ययनों में बाल और किशोर विकास के सिद्धांतों का गहन अध्ययन; समाजीकरण का संदर्भ और प्रक्रिया; सामाजिक और भावनात्मक विकास; आत्मन् और पहचान; संज्ञान और अधिगम भाषा उपार्जन और संप्रेषण;बाल्यकाल का निर्माण और बच्चों को पालने की पद्धतियाँ; विवेचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ाना, सीखने की प्रक्रियाएं, जिनमें कलाएं और उनसे संबंधित क्रियाकलाप/अनुभव शामिल होंगे; शारीरिक स्वास्थ्य और समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों का अध्ययन शामिल होगा।

(ii) समकालीन अध्ययन के द्वारा विद्यार्थियों को कला के विभिन्न रूपों की संकल्पनाओं और पद्धतियों से और विशेष रूप से समाज में कला की भूमिका से और समकालीन भारतीय समाज के बहुलतावादी स्वरूप से सुपरिचित कराया जाएगा इसमें निम्नलिखित बातें भी शामिल हैं: संस्कृति की संकल्पनाएं और देश में उसकी विविधता; संवैधानिक मूल्य और संस्कृति तथा सामाजिक स्तरीकरण समकालीन भारतीय कला के सरोकार और कलात्मक प्रवृत्तियां; बहुलतावादी संस्कृति;सामाजिक न्याय लिंग, गरीबी और विविधता; व्यक्ति की पहचान और उसका अहम और कला के विभिन्न रूपों के माध्यम से उसकी खोज; समाज में उनकी स्थिति की जांच करना, आदि।

(iii) शैक्षिक अध्ययनशिक्षा के आधारभूत उद्देश्यों और मूल्यों संबंधी दार्शनिक प्रश्नों, शिक्षा और समाज के बीच संबंध, भारत में स्कूल शिक्षा की स्थिति, उसकी समस्याओं और सरोकारों का गहन अध्ययन, स्कूल संस्कृति औरएक अधिगम संस्था, के रूप में विद्यालय से परियुक्ति अध्यापक को तैयार करने के लिए सैद्धांतिक और प्रायोगिक संघटकों का एकीकरण होगा।

(iv) भाषा में प्रवीणता और संप्रेषण में निम्नलिखित सम्मिलित है भाषा को विभिन्न संदर्भों में, बोलियों में, स्थानीय भाषाओं में प्रयुक्त कर सकने का प्रायोगिक अनुभव प्राप्त करना तथा भाषा और इसका सांस्कृतिक रूपों संबंध संबंधी बोध हो, जिसका बल (फोक्स) बदलते हुए संदर्भों में श्रवण, बोलना, पठन बोध तथा लेखन पर हो। कला भी भाषा का एक रूप है अथवा यह कहें कि भाषा एक कला–रूप है भाषा में प्रवीणता विभिन्न कला रूपों में प्राण डालती है और एक निर्णायक भूमिका निभाती है। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के इन दो रूपों के बीच के अभिसरण के महत्व को समझना सीखना चाहिए।

(v) कलाओं की कदर करना:यद्यपि दृश्य और अभिनय कलाओं के विषयों के अपने अपने सिद्धांत और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है जो उनके पाठ्यक्रमों में सन्निहित है, परंतु यह घटक प्रत्येक में अनिवार्य है। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को भारतीय कला रूपों की उनके मूल से आज तक की विभिन्न परंपराओं और आयामों से परिचित कराएगा।

विद्यार्थी–अध्यापकों के लिए कला की विभिन्न परम्पराओं कीकदर करना केवल तभी संभव हो सकता है, जब वे पुस्तकों, मूलपाठों, लेखों आदि के अध्ययन द्वारा और अभिनय या प्रदर्शनियो को संग्रहालयों, स्मारकों कलाकारों और शिल्पकारों को देखकर और ऑनलाइन तथा ऑफलाइन उपलब्ध संसाधनों का प्रेक्षण कलाओं से पर्याप्त रूप से सुपरिचित हो सकते हैं।

(क) दृश्य कलाएं (चित्रकारी/मूर्तिकला/एप्लाइड कलाएं/पारंपरिक शिल्प/डिजाइन)

सिद्धांत में दृश्य कलाओं के आधारिक तत्व और सिद्धांत शामिल हैं और यह भी शामिल है कि किशोर अपनी कलात्मक क्षमता का विकास करना कैसे सीखते हैं। विभिन्न दृश्य कलाओं में भिन्न–भिन्न तकनीकें और सामग्रियां होती हैं। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थी–अध्यापकों को दृश्य कलाओं और उनके सह–क्षेत्रों के बुनियादी विषयों के स्वरूप को समझने में सहायता देता है। लेकिन, दृश्य कलाओं के बारे में लिखे हुए विभिन्न प्राचीन ग्रन्थ हैं, जो सिद्धातं पाठ्यक्रम का एक भाग हैं। विद्यार्थी–अध्यापक कला के सैद्धांतिक में और कला समीक्षा के पाठ्यक्रम दोनो में कला के इतिहास का अध्ययन करेंगे।

प्रश्न पूछने से, परियोजनाओं से और सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों के तुलनात्मक अध्ययन से छात्र–अध्यापकों के ज्ञान में वृद्धि होगी।

(ख) प्रायोगिक कार्यमाध्यमों और तकनीकों के साथ खोज करते करते विद्यार्थी अभिव्यक्ति के अपने तरीके को ढूंढ सकते हैं। विद्यार्थियों को स्कूल में विविध अत्येताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया जाएगा। इस कार्यक्रम में दृश्य कलाओं के प्रत्येक क्षेत्र में अभ्यास करना शामिल होगा। विद्यार्थी–अध्यापक विभिन्न माध्यमों और सामग्रियों में विभिन्न शिक्षाशास्त्रीय प्रक्रियाओं की खोज करेंगे, जो माध्यमिक स्कूल तक के बच्चों के लिए उपयुक्त हैं। इन सब की विषय वस्तु बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित विषय सामग्री के सृजन से ले कर उनके सांस्कृतिक और वातावरणिक सरोकारो और संदर्भों तथा एक सौंदर्भपरक विद्यालयी अनुभव तक बदल जाएगी। यह बदलाव उसकी अभिकल्पना, निदर्श की दृष्टि से तथा स्व–विकास के लिए आएगा।

4.2 कार्यक्रम कार्यान्वयन

(क) कला शिक्षा के सभी रूपों के "शिक्षाशास्त्रीय पाठ्यक्रमों" में एक समाकलनात्मक पहलू होगा, जिसमें मूल्यांकन के टिकाऊ मुद्दों की ओर ध्यान दिया जाएगा, जिनमें सी सी ई, कक्षा प्रबंधन, और आईसीटी की भूमिका शामिल हैं। क्षेत्रों के पास के पाठ्यचर्या के पहलुओं को एकीकृत करने वाला एक पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा, जिसमें पाठ्यचर्या के निर्माण के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं की समीक्षा, पाठ्यचर्या के पास के शिक्षाशास्त्रीय सिद्धांत, कक्षा के कमरे की प्रक्रियाएं, विशेष रूप

से आरटीई, 2009 के अनुबंधों के संदर्भ में, शामिल होंगी। पाठ्यक्रमों का निर्माण विद्यार्थी–अध्यापकों को बुनियादी विषयों के स्वरूप, मुख्य संकल्पनाओं को समझने में सहायता देने के लिए, स्कूल पाठ्यचर्या के विवेचित बोध के लिए प्रारंभिक स्कूल–विषयों की विषय–वस्तु को समझने, और यह समझने के लिए किया जाएगा कि बच्चे समान्य रूप से कैसे सीखते हैं और विशेष रूप से कला शिक्षा के क्षेत्रों को कैसे सीखते हैं। चूंकि कला शिक्षा के विषय अधिक प्रयोग–आधारित होते हैं, इसलिए सिद्धांत और प्रयोग के लिए भारिताक्रमश 40:60 होना चाहिए।

(ख) दोनों वर्षों के दौरान विद्यार्थी–अध्यापकों को स्कूलों में कक्षाओं का प्रेक्षण करने और कक्षाओं को तथा कक्षा के बाहर के क्रियाकलाप को आयोजित करने के लिए भेजा जाएगा। स्कूल प्रशिक्षुता की अवधि कम से कम 16 सप्ताहों की होगी।

(ग) **कार्यशालाएं, दौरे, परियोजनाएं, प्रदर्श और निदर्शन**

प्रतिष्ठित कलाकार अथवा शिल्पियों के साथ कार्यशालाएं, स्थानीय स्मारक, संग्रहालय, कला दीर्घा, स्थानीय मेले और त्योहारों आदि को जाकर देखना और चर्चाओं का संचालन करना, रिपोर्ट लिखना, अथवा इन अनुभवों के बाद गोष्ठियां आयोजित करना भी उनके कला अनुभवों का भाग है। सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणिक विषयों पर आधारित प्रक्रिया–उन्मुख परियोजनाएं होनी चाहिए, जो वैयक्तिक रूप से अथवा समूहों को दी जा सकती है। विद्यार्थियों को जनजातीय कला क्षेत्र का सौंदर्य बोध कराने के लिए और उसके महत्व को पहचानने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार न्यूनतम दस दिनों के लिए जनजातीय कला के क्षेत्र में किसी प्रतिष्ठित कलाकार अथवा समूह के साथ एक कार्यशाला तो अवश्य आयोजित की जानी चाहिए। स्थानीय ऐतिहासिक स्मारक, संग्रहालय, कलादीर्घाओं, अभिनयों, स्थानीय मेलों, त्योहारों, आदि को देखने जाना और समूहों में रिपोर्ट लिखना अथवा गोष्ठियों के माध्यम से चर्चा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

4.3 मूल्यांकन

जैसे ऊपर बताया गया है चूंकि कला शिक्षा के विषय अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग–आधारित हैं, इसलिए सिद्धांत और प्रायोगिक कार्य के लिए भारिता का अनुपात समूचे कार्यक्रम के कुल अंकों में से क्रमशः 40:60 होना चाहिए। समस्त कार्यक्रम के कुल अंकों में से 25% अंक स्कूल प्रशिक्षुता क्रियाकलापों के लिए अलग निर्धारित किए जा सकते हैं। एक ऐसी मूल्यांकन योजना तैयार की जाएगी, जो वैध और विश्वसनीय हो और जिसमें समय–दक्षता हो और जो संचालनीय हो। विद्यार्थियों को अध्यापकों से और अपने समकक्षों से निरंतर फीडबैक मिलना चाहिए और उन्हें चर्चा, आत्म–चिन्तन और समकक्षों के मूल्यांकन के जरिए अपने सीखने की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अध्यापक इस कार्यनीति के भाग के रूप में विद्यार्थियों की उपलब्धियों को अभिलेखबद्ध कर सकते हैं, किंतु विद्यार्थियों को यह मालूम होना चाहिए कि क्या इन परिणामों का इस्तेमाल औपचारिक मूल्यांकन और रिपोर्टिंग पद्धति के भाग के रूप में किया जाएगा अथवा नहीं। प्रत्येक परिणाम का अलग–अलग रूप से मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। यह बात महत्वपूर्ण है कि अध्यापन कार्यक्रम विद्यार्थियों को पाठ्यचर्या के सभी निष्पत्तियों की ओर ध्यान देने की छूट दें और उसके लिए प्रोत्साहित करें तथा मूल्यांकन की कार्यनीति प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी उपलब्धि प्रदर्शित करने की अनुमति दे।

5. स्टाफ

5.1 शैक्षिक संकाय

पचास अथवा उससे कम विद्यार्थियों के बुनियादी यूनिट अथवा दो वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए एक सौ अथवा उससे कम विद्यार्थियों की संयुक्त संख्या के लिए।

प्रिंसीपल	एक
लेक्चरर	चार
शिक्षा में लेक्चरर	एक
स्वास्थ्य और व्यायाम शिक्षा में लेक्चरर	एक
भाषा में लेक्चरर	एक

5.2 योग्यताएं/अर्हताएं

(क) प्रिंसीपल/विभागाध्यक्ष

–शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता वही होगी, जोकि लेक्चरर के पद के निर्धारित हो गई है, और

–कला अध्यापक शिक्षा संस्था अथवा प्रारंभिक/माध्यमिक अध्यापक शिक्षा संस्था, अथवा दृश्य कलाओं की संस्थाओं में अध्यापन का पांच वर्ष का अनुभव।

लेक्चरर **–सात**

(ख) शिक्षा में लेक्चरर **–एक**

पचपन प्रतिशत अंकों के साथ एम एड/एम एड (प्रारंभिक)

अथवा

(i) पचपन प्रतिशत अंकों सहित शिक्षा में एम.ए.

(ii) कला शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा में पचास प्रतिशत अंकों के साथ डिप्लोमा/डिग्री

(ग)	**कला विषय**	—	**चार**
(क)	चित्रकारी		एक
(ख)	मूर्तिकला		एक
(ग)	ग्राफिक्स		एक
(घ)	कलाओं का इतिहास		एक

अनिवार्य योग्यताएं

ललित कलाओं (दृश्य कलाओं) में पचास प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री तथा उपर्युक्त विषयों में से संबंधित विषय में विशेषज्ञता।

वांछनीय

शिक्षा में 55 प्रतिशत अंकों के साथ डिग्री/डिप्लोमा और शैक्षिक प्रयोजनों के लिए कम्प्यूटर के प्रयोग में दक्षता।

(घ) स्वास्थ्य और व्यायाम शिक्षा

लेक्चरर — एक

व्यायाम शिक्षा में पचास प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (एम पी एड)

(ङ) साहित्य में लेक्चरर — एक

(i) अंग्रेजी अथवा क्षेत्रीय भाषा में पचपन प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री

(ii) शिक्षा में पचास प्रतिशत अंकों के साथ डिग्री/डिप्लोमा।

(च) कला और शिल्प शिक्षक — एक

अनिवार्य : एक पारम्परिक शिल्पी—कुम्हारी/बुनाई/धातु—शिल्त/बांस—शिल्प/पारम्परिक चित्रकारी, आदि—जो राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर का उत्कृष्ट शिल्पकार हो।

(छ) पुस्तकालयाध्यक्ष — एक

पचास प्रतिशत अंकों के साथ पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री

5.3 प्रशासनिक स्टाफ

(क) संख्या

(i) यू.डी.सी./कार्यलय अधीक्षक	एक
(ii) कम्प्यूटर प्रचालक	एक

(ख) योग्यताएं

सम्बन्धित राज्य सरकार/संध राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित

टिप्पणी : पचास विद्यार्थियों के अतिरिक्त दाखिले की स्थिति में अतिरिक्त स्टाफ में पांच पूर्णकालिक लेक्चरर, एक पुस्तकालय सहायक और एक कार्यालय सहायक शामिल होगा।

किसी संयुक्त संस्था में, प्रिंसिपल और शैक्षिक, प्रशासनिक और तकनीकी स्टाफ का मिल—बांटकर उपयोग किया जा सकता है।

5.4 सेवा के निबंधन और शर्तें

अध्यापक और गैर—अध्यापन स्टाफ की सेवा की निबंधन और शर्तें, जिनमें चयन की प्रक्रिया, वेतनमान, उचिवार्षिकी की आयु और अन्य लाभ शामिल हैं, राज्य सरकार/सम्बद्धक निकाय की नीति के अनुसार होंगी।

6 सुविधाएं

6.1 आधारिक

(क) विद्यार्थियों के एक यूनिट के प्रारम्भिक दाखिले के लिए संस्था के पास 2500 वर्ग मीटर (दो हजार पांज सौ वर्ग मीटर) भूमि होगी, जिसमें से 1500 वर्ग मीटर स्थान निर्मित क्षेत्र होगा और शेष स्थान उद्यान, खेल के मैदानों, आदि के लिए होगा। विद्यार्थियों के एक अन्य यूनिट अथवा उसके कुछ भाग के अतिरिक्त दाखिले के लिए संस्था के पास 500 वर्ग मीटर (पांच सौ वर्ग मीटर) अतिरिक्त भूमि होगी, जिसमें से 300 वर्ग मीटर (तीन सौ वर्ग मीटर) स्थान निर्मित क्षेत्र होगा।

(ख) संस्था के पास निम्नलिखित आधारिक सुविधाएं (बुनियादी ढ़ाचा) अवश्य होनी चाहिए :

(i) प्रत्येक 25 विद्यार्थियों के लिए एक कक्षा कक्ष

(ii) एक बहुप्रयोजनी हाल, जिसमें दो सौ व्यक्तियों के बैठने की क्षमता और एक मंच हों।

(iii) पुस्तकालय—एवं—संसाधन केन्द।

(iv) कला शिक्षा के लिए ईटी और आई सीटी सुविधाओं सहित संसाधन केन्द्र।

(v) पचास विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं के साथ चित्रकारी के लिए कला स्टुडियो।

(vi) पचास विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं के साथ एल्पाइड कला स्टूडियो।

(vii) पचास विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं के साथ मूर्तिकला स्टुडियो।

(viii) स्वास्थ्य और व्यायाम शिक्षा संसाधन केन्द्र।

(ix) प्रिंसिपल का कार्यालय।

(x) स्टाफ रूम।

(xi) प्रशासनिक कार्यालय

(xii) कला समाग्रियों के भंडारण के लिए स्टोर रूम (दो)

(xiii) लड़कियों का कॉमन रूम

(xiv) कैंटीन

(xv) आगन्तुक कक्ष

(xvi) पुरूष और महिला विद्यार्थियों के लिए अलग–अलग शौचालय सुविधा

(xvii) वाहन खड़ा करने का स्थान

(xviii) उद्यानों, बागबानी क्रियाकलापों के लिए खुला स्थान

(xix) प्रशासनिक कार्यालय के लिए स्टोर रूप

(xx) बजुप्रयोजनी खेल का मैदान

(ग) संस्था का परिसर, भवन, फर्नीचर, आदि विकलांग व्यक्तियों के अनुकूल होने चाहिए।यदि एक ही संस्था द्वारा एक ही परिसर में अध्यापक शिक्षा के एक से अधिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता हो, तो खेल के मैदान, बहुप्रयोजनी हाल, पुस्तकालय और संसाधन केन्द्र (पुस्तकों और उपस्करों की आनुपातिक वृद्धि के साथ) और शैक्षणिक स्थान की सुविधाओं का उपयोग सांझे रूप से किया जा सकता है। संस्था में समूची संस्था के लिए एक प्रिंसिपल होगा और संस्था में प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के अलग–अलग अध्यक्ष होंगे।

6.2 स्कूल प्रशिक्षुता सुविधाएं

विद्यार्थी–अध्यापकों के फील्ड कार्य और अभ्यास–शिक्षण संबंधी क्रियाकलापों के लिए संस्था की पर्याप्त संख्या में मान्यता प्राप्त प्रारम्भिक स्कूलों तक सहज–सरल पहुंच होगी। यह वांछनीय है कि संस्था का स्वयं अपना एक संलग्न प्रारम्भिक स्कूल हो। संस्था उन स्कूलों की जो अभ्यास–अध्यापन के लिए सुविधाएं मुहैया करने के लिए रजामन्द हों, इस बारे में वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी। प्रत्येक स्कूल के साथ दस से अधिक विद्यार्थी–अध्यापकों को संलग्न नहीं किया जाएगा

6.3 उपस्कर और सामग्रीयां

(i) संस्था 6(1) में उल्लिखित स्टुडियो और संसाधन केन्द्र स्थापित करेगा, जिनमें अध्यापकों और विद्यार्थियों को अध्यापन–शिक्षा प्राप्ति के समर्थन और संवर्धन के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियां और संसाधन सुलभ होंगे। इनमें निम्नलिखित चीजें शामिल होनी चाहिए :

कलाओं और शिल्पों पर पुस्तके, जर्नल और पत्रिकाएं बच्चों की पुस्तके

श्रव्य–दृश्य अपकरण, बीडियो–आडियो डेप, स्लाइडें, फिल्में अध्यापन उपकरण–चार्ट, चित्र

प्रेरणात्मक सामग्री, जैसे बच्चों की कला कृतियां

सुविख्यात कलाकारों और उत्कृष्ट शिल्पियों की कृतियां

विकासात्मक मूल्यांकन जाँच सूचियां और मापन औजार फोटो कापी मशीन

(ii) विभिन्न कला क्रियाकलापों के लिए सामग्रियां

पचास विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त मात्रा में चित्र फलक, ड्राइंग बोर्ड, केनवस, कागज, रंग, ब्रश, मूर्तिकला के लिए विशिष्ट टूलकिट, शिल्पों के लिए विशिष्ट टूलकिट, एप्लाइड कला किट और सामग्री।

अध्यापन और शिक्षा प्राप्ति सामग्री/साधन

इस कार्यक्रम में नियोजित विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के लिए उपकरण और सामग्री गुणवक्ता और मात्रा दोनो दृष्टियों से उपयुक्त और पर्याप्त होनी चाहिए। इनमें निम्नलिखित शामिल है :

विभिन्न कलाओं संबंधी स्लाइडों का संग्रह, कलाओं के विभिन्न क्षेत्रों में तरीको और प्रक्रियों के बारे में वृत्तचित्र, कला शिक्षा किट, माडल, खेल सामग्री, कला विषयों पर पुस्तके, कठपुतलियां, फोटोग्राफ, ब्लो–अप, चार्ट, फ्लैश कार्ड, पुस्तिकाएं, चित्र, बच्चों का चित्रीय प्रस्तुतीकरण।

(iii) श्रव्य दृश्य उपकरण

प्रोजेक्शन और डुप्लीकेशन के लिए हार्डवेयर और शैक्षिक साफ्टवेयर सुविधाएं, जिनमें टीवी, डीवीडी प्रेशर, स्लाइड प्रोजक्टर, खाली श्रव्य दृश्य श्रव्यटेप, स्लाइडें, फिल्में, चार्ट, चित्र शामिल हैं। आर ओटी (रिसीव ओनली टर्मिनल) और एसआईटी (सेंटलाइट इंटर लिंकिंग टर्मिनल) वांछनीय होंगे।

(iv) संगीत वाद्ययंत्र

साधारण संगीत वाद्ययंत्र, जैसे हार्मोनियम, तबला, बांसुरी, मृदंगम, वीणा, मंजीरा ओर अन्य क्षेत्रीय देशी संगीत वाद्य।

(v) पुस्तकें, जर्नल और पत्रिकाएं

संस्था के सथपित होने के पहले वर्ष के दौरान संगत विषयों पर कम से कम एक हजार पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए और उसके बाद प्रति वर्ष उच्च स्तर की एक सौ पुस्तकें जोड़ी जानी चाहिए। पुस्तकों के संग्रह में बच्चों के विश्वकोश, शब्द–कोश, और संदर्भ पुस्तके व्यावसायिक शिक्षा संबंधी पुस्तकें, अध्यापकों की पुस्तिकाएं (हैंडबुक्स) और बच्चों के बारे में और उनके लिए पुस्तकें (जिनमें कामिक्स अर्थात हास्य पुस्तकें, कहानियां, सचित्र पुस्तकें/एल्बम और कविताए) शामिल होनी चाहिए। संस्था को कम से कम तीन पत्रिकाएं (जर्नल) मंगाने चाहिएं, जिनमें कम से कम एक पत्रिका कला शिक्षा के बारे में होनी चाहिए।

(vi) खेलें और खेलकूद

अन्दर खेली जाने वाली (इनडोर) और बाहर खेली जाने वाली (आउटडोर) सामान्य खेलों के पर्याप्त खेलकूद उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।

7. प्रबन्धन समिति

संस्था संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, यदि कोई होने, एक प्रबंधन समिति गठित करेगी। ऐसे कोई नियम न होने पर, संस्था को प्रायोजित करने वाली सोसाइटी स्वयं अपने आप एक प्रबन्धन समिति गठित करेगी। इस समिति में प्रबन्धन सोसाइटी/न्यास के प्रतिनिधि, कला शिक्षाविद, प्राथमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विशेषज्ञ और स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

परिशिष्ट–12

कला शिक्षा में डिप्लोमा (अभिनय कलाएं) प्राप्त कराने वाला कला शिक्षा में डिप्लोमा (अभिनय कलाएं) के लिए मानदण्ड और मानक

1. प्रस्तावना

कला शिक्षा (अभिनय कलाएं) में डिप्लोमा एक संवृत्तिक सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कक्षा VIII तक अभिनय कलाओं के लिए अध्यापक तैयार करना है ।

2. अवधि और कार्यदिवस

2.1 अवधि

अभिनय कलाकार्यक्रम की अवधि दो शैक्षिक वर्ष की होगी तथापि छात्रों को कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर कार्यक्रम की अपेक्षाएं पूरी करने की अनुमति होगी ।

2.2 कार्यकारी दिवस

(क) दाखिले और परीक्षा की अवधि को छोडकर प्रतिवर्ष कम से कम 200 कार्य दिवस होंगे जिनमें से कम से कम 16 सप्ताह प्रारम्भिक स्कूलों में स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए होंगे ।

(ख) संस्थान एक सप्ताह (पांच या छ दिन) में कम से कम 36 घण्टे काम करेगा जिस दौरान संस्थान में सभी अध्यापकों और छात्र अध्यापकों की वास्तविक उपस्थिति जरूरी है जिससे कि जब कभी जरूरत हो सलाह, मार्गदर्शन, वार्ता तथा परामर्श के लिए उनकी सुलभता सुनिश्चित हो सके।

(ग) छात्र–अध्यापकों की सभी प्रायोगिक एवं पाठ्यक्रम कार्यो के लिए 80% और स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए 90% की न्यूनतम उपस्थिति होगी ।

3. दाखिला क्षमता, पात्रता, प्रवेश क्रियाविधि, विधि और फीस

3.1 दाखिला क्षमता

प्रत्येक वर्ष के लिए 50 छात्रों की एक बुनियादी युनिट होगा जिसमें 25–25 छात्रों के दो इकाइयाँ होंगे। शुरू में दो बुनियादी इकाइयों की अनुमति है। तथापि सरकारी संस्थान अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति के अध्यधीन अधिक से अधिक 4 इकाइयों का दाखिला कर सकते हैं।

3.2 पात्रता

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने माध्यमिक स्तर पर वैकल्पिक विषय (विषयों के रूप में) संगीत/नृत्य/रंगमंच सहित उच्च माध्यमिक परीक्षा (+2) कम से कम 50% अंकों के साथ पास की हो

अथवा

ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास उच्च माध्यमिक परीक्षा के स्तर पर कोई निषपादन कला विषय नहीं है लेकिन जिन्होंने किसी व्यावसायिक संस्थान में संगीत/नृत्य/रंगमंच सीखा है और जिन्होंने उच्च माध्यमिक के समतुल्य मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो, दाखिले के लिए पात्र हैं।

आरक्षित श्रेणियों के पक्ष में सीटों के आरक्षण और अर्हक अंकों में भी जहां कहीं लागू हो, संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होगी।

3.3 प्रवेश प्रक्रिया

दाखिला, प्रवेश–परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर (खेल कूद, दक्षता, परीक्षण, शारीरिक योग्यता परीक्षण तथा अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों) अथवा राज्य सरकार की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रकिया के अनुसार किया जाएगा ।

3.4 फीस

संस्थान समय–समय पर यथासंशोधित एन.सी.टी.ई. (गैर–सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रभार्य शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों के विनियमन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथानिर्धारित फीस ही लेगा और वह छात्रों से किसी प्रकार का दान, प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लेगा।

4. पाठ्यचर्या, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन

4.1 पाठ्यचर्या

दो वर्षीय पाठ्यचर्या में निम्न पाठ्यक्रम/घटक शामिल हैं:

क. सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम

ख. प्रायोगिक कार्य

ग. स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम (इंटर्नशिप)

घ. कार्यशालाएं, दौरे, परियोजनाएं, प्रदर्शन तथा निष्पादन

क सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम

सिद्धान्त के मामले में, कुछ सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम सभी कला शिक्षा कार्यक्रमों (दृश्य और निष्पादन कलाएं) के लिए साझा होंगे।

(i) बाल अध्ययन में निम्नलिखित का गहन अध्ययन शामिल होगा : बाल और किशोर विकास के सिद्धान्त; सामाजीकरण का संदर्भ और प्रक्रियाएं, सामाजिक और भावात्मक विकास; आत्मन तथा पहचान; संज्ञान तथा अधिगम; भाषा अभिग्रहण और संप्रेषण बाल्यावस्था और बाल पालन–पोषण संबंधी पद्धतियों की व्याख्या; विवेचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिन्तन को बढ़ाना; अधिगम प्रक्रियाएं जिनमें निष्पादन कलाएं तथा इससे संबंधित क्रियाकलाप/अनुभव, शारीरिक स्वास्थ्य और समावेशी शिक्षा शामिल है।

(ii) समकालीन अध्ययन छात्रों को विभिन्न कला रूपों, विशेष रूप से समाज में कलाओं की भूमिका तथा समकालीन भारतीय समाज की बहुलवादी प्रकृति की अवधारणाओं और दृष्टिकोणों के साथ प्रवृत्त करेंगे। इन पाठ्यक्रमों में नीचे वर्णित अवधारणाएं भी शामिल हैं: संस्कृति और राष्ट्र के बीच इसके वैविध्य, संवैधानिक मूल्यों और संस्कृति के प्रावधानों तथा सामाजिक स्तरीकरण; समकालीन भारतीय कला तथा कलात्मक प्रवृत्तियों; अनेकवादी संस्कृति, साम्या, लिंग, निर्धनता तथा विविधता, पहचान और स्वयं की पहचान संबंधी प्रश्न तथा विभिन्न कला रूपों के माध्यम से इसकी खोज; समाज में उनकी स्थिति की जांच करना आदि।

(iii) शैक्षिक अध्ययन नीचे वर्णित के दार्शनिक प्रश्नों का संघटन करेंगे: शिक्षा के बुनियादी उद्देश्य और मूल्य; शिक्षा और समाज के बीच के संबंध; भारत में स्कूली शिक्षा के स्तर, समस्याओं और चिन्ताओं का गहन अध्ययन; एक अधिगम संगठन की भांति स्कूल संस्कृति और स्कूल के साथ प्रवृत्त होना। अध्यापक की तैयारी के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक घटकों का संघटन होगा।

(iv) भाषा प्रवीणता और संचार में विभिन्न संदर्भों, बोलियों, स्थानीय भाषाओं, मेटा–भाषायी जागरूकता में भाषा के प्रयोग के व्यावहारिक अनुभव शामिल होंगे, जिसमें सुनने, बोलने, पठन बोध और विभिन्न संदर्भों के लिए लिखने पर बल रहेगा। कला भाषा का एक अन्य रूप है अथवा भाषा एक कलारूप है। भाषा प्रवीणता विशेष रूप से समीक्षा को और विभिन्न कला रूपों को अन्तर्वस्तु प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छात्रों की अभिव्यक्ति के दो रूपों के बीच अभिसरण की कद्र करना चाहिए।

(v) कलाओं की कद्र करना

यद्यपि दृश्य और अभिनय कलाओं के विषयों के स्वयं अपने सिद्धान्त होंगे और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य उनके पाठ्यक्रम में आबद्ध होंगे। यह घटक सभी के लिए अनिवार्य है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को भारतीय कला रूपों के उद्गम से लेकर आज के समय में उनकी विभिन्न परम्पराओं और आयामों से अवगत कराएगा।

विभिन्न कला परम्पराओं की कद्र करना केवल तभी संभव है जबकि छात्र–अध्यापकों को पुस्तकों, पाठ्यसामग्री, लेखों के अध्ययन निष्पादन का प्रेक्षण, संग्रहालयों, स्मारकों, कलाकारों, शिल्पियों का निरीक्षण करने, आनलाइन और आफलाइन उपलब्ध संसाधनों पर नजर डालने से उनका समुचित प्रभावन कराया जाए।

बी संगीत (सघोष तथा वाद्य)

(i) सिद्धान्त

संगीत के सिद्धान्त में बाल विकास में संगीत की भूमिका, बाल शिक्ष के एक उपकरण के रूप में संगीत, स्कूलों में संगीत पढ़ाने के लक्ष्य और उद्देश्य, संगीत और गणित, संस्कृति, मनोविज्ञान, भौतिक शास्त्र (ध्वनि और इसका संचरण आदि), संगीत और शरीर विज्ञान तथा स्वास्थ्य सुधार/संगीत चिकित्सा के साथ इसका संबंध, ध्वनि संस्कृति और मानव गले और कान की शरीर विज्ञान, किशोरों की आवाज़ का पोषण और प्रोत्साहन। दो वर्षों के भीतर निम्न मूल–पाठों का अध्ययन; नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर, स्वर मेला कलानिधि, चतुर्दन्दी, प्रकाशिका तथा संगीत पारिजात, भारतीय सौन्दर्यशास्त्र ('रस' का सिद्धान्त) तथा भारतीय स्वरलिपि प्रणाली का परिचय और संगीत वाद्ययंत्रों का चार स्तरीय वर्गीकरण।

(ii) प्रायोगिक कार्य

छात्र–अध्यापक या तो सघोष/वाद्य (राग) स्कूलों में हिन्दुस्तानी संगत का वरण कर सकते है अथवा सघोष/वाद्य (राग) कर्नाटक संगीत के लिए विकल्प दे सकते हैं। वे समावेशी सहभागितापूर्ण कक्षा कक्ष को दृष्टिगत रखते हुए पाठों की योजना बनाएंगे और विकास करेंगे

उन्हें स्वयं अपने वाद्य यंत्र को बजा सकते है और इस के अतिरिक्त तानपुरा और तबला (मूल हेक) बजा सकते है उन्हें स्टेज निर्माण के लिए संगीत की रचना करने तथा गायक वृन्द और आर्केस्ट्रा को निर्देशित करने, संगीत, क्षेत्रीय और लोक गीतों, भक्ति के गीतों, राष्ट्र प्रेम के गीतों आदि की संग्रह में प्रयोग करने में समर्थ होना चाहिए। सामान्य विशेषताओं से युक्त रागों और तालों को विवेचनात्मक समालोचना और तुलनात्मक अध्ययन और निम्नलिखित रागों को सीखना; यमन, भैरव, बिहाग, वृंदावनी–सारंग, जौनपुरी, अलहिया बिलावल, पीलू, काफी, भैरवी आदि प्रायोगिक कार्य का एक हिस्सा होना चाहिए।

उन्हें वाद्य यंत्रों अनुरक्षित बनाए रखने और उनकी मरम्मत करने में भी सक्षम होना चाहिए।

सी नाटक/रंगमंच

(i) (नाटक/रंगमंच का आधार) इस विषय में सिद्धान्त और व्यवहार दोनों में दो स्थूल क्षेत्र होंगे अर्थात्

(क) रंगमंच में विभिन्न तत्वों की जटिलताओं और संभावनाओं का अध्ययन और अभ्यास के जरिए बोध जैसेकि अभिनय, डिजाइन, निर्देशन तथा रंगमंच तकनीक ताकि रंगमंच की शैक्षिक रूपरेखा के भीतर अधिक आसानी और विश्वास के साथ प्रवृत्त हो सके।

(ख) छात्र अध्यापक डिजाइन, अभिनय और नाट्य उत्पादन के साथ–साथ विश्व नाटक और भारतीय नाटक का शास्त्रीय से लेकर आधुनिक समय तक के इतिहास का अध्ययन करेंगे।

इसमें मूर्ति नाट्य पाठ्यसामग्री अर्थात् नाट्यशास्त्र और अभिनव दर्शन और रचनाओं का अध्ययन अवश्य शामिल होना चाहिए ताकि अभिव्यक्ति की अन्य विधियों से हटकर नाटक की विशिष्ट प्रकृति को समझा जा सके। इतिहास शिक्षण रंगमंच तकनीकों के माध्यम से किया जा सकता है ताकि अध्यापन सिद्धान्त की विधियों को ऐसे प्रायोगिक माध्यम से लागू किया जा सके जिसका बाद में स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हुए प्रयोग कर सके।

सैद्धान्तिक पक्ष में शिक्षाशास्त्रीय महत्व और जो कौशल तथा तकनीक वे सीखते हैं, उनमें से प्रत्येक का महत्व और अवधारणा का अध्ययन भी शामिल होगा।

शिक्षा में नाटक को भी दो अलग–अलग खंडों में बांटा जा सकता है जिनमें से एक जो बच्चों के लिए और उनके द्वारा निष्पादन पर केन्द्रित रहता है। उसे **शिक्षा में रंगमंच** कहा जा सकता है जो बच्चों के लिए रंगमंच में प्रमुख दृष्टिकोणों और परिपाटियों पर केन्द्रित रहता है। इस खण्ड का उद्देश्य प्रत्येक दृष्टिकोण के अधीन सैद्धान्तिक आधार की संक्षिप्त पृष्ठभूमि सहित बच्चों को प्रवृत्त रखने के लिए प्रयुक्त विविध रंगमंच परिपाटियों का व्यवहार, प्रायोगिक अनुभव उपलब्ध कराना है।

दूसरा खण्ड शिक्षा में नाटक के नाम से है जो अपेक्षतया अधिक क्लासरूम आधारित है और जिसका उद्देश्य रंगमंच को एक शिक्षाशास्त्रीय साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए विधियों और परिपाटियों प्रदान करना और अधिगम प्रक्रिया का एक व्यापक प्रेक्ष्य तैयार करना है।

(क) छात्र अध्यापक रंगमंच और शिक्षा के बीच के अन्तरापृष्ठ के वर्षों पुराने इतिहास का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार वे इस अन्तरापृष्ठ, भारत और पश्चिम दोनों में अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नाटक के प्रयोग संबंधी दृष्टिकोणों और कार्यनीतियों के महत्व को देखेंगे।

(ख) व्यक्तित्व विकास, आत्म विश्वास निर्माण, सामाजीकरण कौशलों के संवर्धन तथा बौद्धिक जिज्ञासा को उत्तेजित करने, सांस्कृतिक विविधता, चिकित्सा आदि में नाटक की भूमिका

(ग) विश्व में सहभागिता पूर्ण रंगमंच का इतिहास व्यवहार।

(घ) डीआईई व्यावसायिकों, तकनीकों, कार्यनीतियों द्वारा निर्मित नाटक परिपाटियों का सिद्धान्त।

(ङ) स्कूली विषयों अर्थात् भाषाओं, सामाजिक अध्ययन, गणित, विज्ञान और कलाओं तथा शिल्पों की अवधारणात्मक रूपरेखा/शिक्षाशास्त्र का परिचय।

(ii) प्रायोगिक कार्य

उन्हें रंगमंच के तत्वों में से प्रत्येक के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा:

(क) अभिनय घटक के भीतर वे आगे वर्णित सीखेंगे: योग, संचलन, सामरिक कलाएं, मसखरापन, कला बाजी, वायसस्पीच, कहानी कहना, रंगमंचीय खेल, तात्कालिक निष्पादन तथा चरित्र चित्रण।

(ख) रंगमंचीय तकनीकों और डिजाइन के भीतर उन्हें रंगमंच का साजा–सामान, मुखौटे, कठपुलियां, मेकअप, वेशभूषा डिजाइन तथा सेट डिजाइन बनाना सीखना होगा तथा उनके प्रयोग के तरीके खोजने होंगे।

(ग) रंगमंच के सीखे गए विभिन्न तत्वों को समझने और समेकित करने के लिए उन्हें बच्चों की रूचि के विषयों से सम्बद्ध नाटक का अभ्यास और निष्पादन करना चाहिए और बाल मनोविज्ञान के साथ–साथ बच्चों के रूप में अभिन्य करना सीखना चाहिए। चुने गए अथवा तैयार किए गए नाटक ग्रिप्स प्रणाली विज्ञान पर आधारित होने चाहिए। इसे शिक्षा में रंगमंच के उनके अध्ययन से जुड़े हुए प्रायोगिक कार्य के रूप में भी देखा जा सकता है।

(घ) ऐसी प्रक्रिया नाटक परम्पराओं को सीखें जो रंगमंच अथवा कोई अन्य विषय पढ़ाने, रंगमंच कार्यशालाएं आयोजित करने तथा सहभागितापूर्ण निष्पादनों के सृजन के लिए अत्यन्त प्रभावी रूप से प्रवृत्त किया जा सकता है।

(ङ) सभी नाटक परम्पराओं का प्रयोग करते हुए किसी विशेषज्ञ के निर्देशन के अधीन एक सहभागितापूर्ण निष्पादन का सृजन करें और स्कूलों में निष्पादन करें।

डी. नृत्य

(i) सिद्धान्त

नृत्य क्या है? नृत्य की कोटियां कौन सी हैं? शास्त्रीय लोक/क्षेत्रीय तथा अन्य नृत्यों का परिचय, जो किंस्म भारत में नृत्यों में देखने में आती है, उसे अभिज्ञात किया जाता है। नटराज, कृष्ण और अन्य परिचित नृत्य देवताओं का संक्षिप्त परिचय छात्र अध्यापक अपने राज्य के लोक नृत्य सीखेंगे। नाट्यशास्त्र और अभिनय दर्पण का एक संक्षिप्त परिचय पढ़ना होगा। छात्र अध्यापक भारत में शास्त्रीय नृत्यों के इतिहास का तथा नृत्य को प्रोत्साहन देने में राजाओं और मंदिरों की भूमिका का, मौजूदा स्वरलिपि प्रणाली के आधारित ज्ञान तथा संगीत वाद्ययंत्रों के चार पक्षीय वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे।

मौजूदा नृत्य विचारकों जैसे कि उदयशंकर, रवीन्द्रनाथ टैगोर, रूक्मिणी देवी, अरूणडली, बाला सरस्वती, मैडम मेनोका, रामगोपाल तथा भारत में नृत्य के लिए योगदान देने वाली अन्य हस्तियां।

(ii) प्रायोगिक कार्य

लय और इसके उतार–चढ़ाव को समझना पाठ्यचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें बजाना, ताली मारना और अंतरालन पर बल दिया जाता है। नृत्य से संबंधित लाक्षणिक अध्ययन में अभिनय अथवा शास्त्रीय नृत्यों द्वारा मुखीय अभिव्यक्तियों के साथ–साथ पालन की जाने वाली किसी अन्य पाठ्यसामग्री की हस्तमुद्रा शामिल रहती है। बाल कथाओं, महाकाव्यों, जालकों तथा अन्य विख्यात कथाओं में इनका अनुप्रयोग किया जा सकता है। नृत्य घटक के भीतर वे योग, चेष्टाएं, कलाबागियां, तात्कालिक प्रदर्शन तथा चरित्र चित्रण सीखेंगे। साथ ही वे मंच प्रबन्ध, प्रकाशव्यवस्था, मेकअप, वेशभूषा डिज़ाइन आदि भी सीखेंगे।

4.2 कार्यक्रम कार्यान्वयन

(i) **स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण:** दो वर्षीय पाठ्यक्रम के दौरान छात्रों को प्रतिवर्ष 16 सप्ताह के स्कूल अनुभव कार्यक्रम में भाग लेना होगा। इसमें शामिल होंगे: स्कूल, इसकी प्रणालियां और क्रियाकलापों का प्रेक्षण, संगीत, रंगमंच और नृत्य के माध्यम से कक्षाओं में बच्चों का प्रेक्षण, अन्य स्थानों में भी बच्चों का प्रेक्षण और साथ ही उनके इर्दगिर्द के वातावरण को देखना ताकि पहले वर्ष में सुधरे हुए निष्पादन का सृजन किया जा सके और दूसरे वर्ष में उन्हें स्थानबद्ध प्रशिक्षुओं के रूप में कुछ स्कूलों के साथ सहयोजित किया जाएगा जहां वे समूचे पाठ्यक्रम के दौरान सीखे गए विभिन्न कौशलों और प्रणाली विज्ञानों का प्रयोग करते हुए विभिन्न पाठ योजनाओं सहित 20 दिन तक रंगमंच की शिक्षा प्रदान करेंगे। इसका मार्गदर्शन, प्रेक्षण और मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। छात्र अध्यापकों को अवधि के दौरान तथा स्कूलों में सत्रों के दौरान अपने निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए स्वचिन्तनशील जर्नल (एसआरजे) बनाए रखने को कहा जाएगा। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान वे स्वतंत्र रूप से ग्रीष्मकालीन कार्यशालाएं/प्रशिक्षुता/स्थानबद्ध प्रशिक्षण आयोजित कर सकते हैं जिसका चरमोत्कर्ष बच्चों द्वारा/के साथ तैयार किए गए एक लघु निष्पादन के रूप में हो सकता है।

टिप्पणी: कला शिक्षा के सभी रूपों के शिक्षण शास्त्रीय पाठ्यक्रमों में संघटनात्मक पक्ष होंगे, जहां सीसीई, क्लासरूम प्रबंध सहित मूल्यांकन के चिरकालिक मुददों तथा आईसीटीकी भूमिका की ओर ध्यान दिया जाना होगा। क्षेत्रों के बीच पाठ्यचर्या के पक्षों का समाकलन करने वाला एक पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा। जिसमें शामिल होंगे: पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्तों और प्रक्रियाओं की समीक्षा, पाठ्यचर्या, क्लासरूम प्रक्रियाओं विशेष रूप से आरटीई 2009 के अनुबन्धों के सन्दर्भ में शिक्षणशास्त्रीय सिद्धान्त

पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किए जाएंगे कि बुनियादी विषय क्षेत्रों की प्रकृति, प्रमुख अवधारणाएं और व्याख्या, स्कूल पाठ्यचर्या का विवेचनात्मक बोध, प्रारंभिक स्कूल विषयों की अन्तर्वस्तु तथा यह समझने में छात्र अध्यापकों की मदद की जा सके कि बच्चे किस प्रकार सामान्य में और किस प्रकार विशेष रूप से कला शिक्षा में सीखते हैं।

4.3 मूल्यांकन

क्योंकि कला शिक्षा विषय अधिक प्रायोगिक आधारित है इसलिए सिद्धान्त और प्रायोगिक के लिए भारिता का अनुपात क्रमशः 40:60 होना चाहिए। पूरे कार्यक्रम के लिए कुल अंकों में से 25 प्रतिशत अंक स्थानबद्ध प्रशिक्षण क्रियाकलापों के लिए आबंटित किए जाने चाहिए। ऐसी मूल्यांकन योजनाएं तैयार की जानी चाहिए जो वैद्य और विश्वसनीय, समय सापेक्ष और प्रबन्धन योग्य हों। छात्रों को अध्यापकों और समकक्षियों से निरन्तर प्रतिपुष्टि मिलते रहना चाहिए और उन्हें चर्चा, आत्म चिन्तन तथा समकक्ष मूल्यांकन के माध्यम से स्वयं सीखने की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अध्यापक इस कार्यनीति के एक अंग के रूप में छात्रों की उपलब्धि रिकार्ड कर सकते हैं लेकिन छात्रों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि क्या इन परिणामों का प्रयोग औपचारिक मूल्यांकन तथा रिपोर्टिंग अभ्यास के एक हिस्से के रूप में होगा। प्रत्येक परिणाम का वैयक्तिक रूप से मूल्यांकन नहीं हो सकेगा। यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षण कार्यक्रम छात्रों को सभी पाठ्यक्रमों परिणामों की ओर ध्यान देने की अनुमति दें और उसके लिए प्रोत्साहित करें और यह कि मूल्यांकन कार्यनीतियां प्रत्येक छात्र को अपनी उपलब्धि प्रदर्शित करने का अवसर दें।

जबकि सैद्धान्तिक घटक का मूल्यांकन लिखित परियोजनाओं/संगोष्ठियों, लिखित लेखों के माध्यम से किया जा सकता है व्यावहारिक पक्ष का मूल्यांकन अध्यापक द्वारा सतत् आधार पर किया जाना चाहिए। इसकी कसौटी होगी कार्यान्वयन में बोध, कार्यान्वयन, सृजनात्मकता, सत्रों के माध्यम से पहल और निष्पादन प्रस्तुति जिसमें निर्माण और कार्यशालाओं में सहभागिता का स्तर शामिल होगा।

रंगमंच में निर्माण और निष्पादन प्रमुख पाठ्यक्रम के हिस्से होंगे और मूल्यांकन निर्माण में किया जाएगा, **इस कारण अभ्यास और तैयारी में अधिक समय लगेगा जो छात्रों को** दिया जाना चाहिए।

5 स्टाफ

5.1 शैक्षणिक संकाय

पचास छात्रों अथवा उससे कम के बुनियादी यूनिट अथवा दो वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए सौ या उससे कम की संयुक्त क्षमता के वास्ते :

प्रिंसिपल	--एक
लेक्चरर (कलाएं)	—चार
शिक्षा में लेक्चरर	—एक
साहित्य में लेक्चरर	—एक
स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा में लेक्चरर	—एक

(5.1) अर्हताएं

(क) प्रिंसिपल/विभागाध्यक्ष

(i) **शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जोकि लेक्चरर** के पद के लिए निर्धारित हैं; तथा

(ii) कला अध्यापक शिक्षा अथवा प्रारंभिक/अध्यापक शिक्षा संस्थान अथवा निष्पादन कलाओं में अध्यापन का 5 वर्ष का अनुभव

लेक्चरर सात

(ख) शिक्षा में लेक्चरर एक

पचपन प्रतिशत अंकों सहित एम.एड/एम.एड(प्रारंभिक)

अथवा

(i) पचपन प्रतिशत अंको सहित शिक्षा में एम.ए.

(ii) पचपन प्रतिशत अंको सहित कला शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा में डिप्लोमा/डिग्री

(ग) निष्पादन कलाएं चार

(i)	सघोष संगीत	—एक
(ii)	वाद्य संगीत	—एक
(iii)	नृत्य/(माधुर्य वाद्य यंत्र)	—एक
(iv)	रंगमंच कलाएं	—एक

4728 GI/14 - 10

अनिवार्य

ऊपर बताए अनुसार संबंधित विषय क्षेत्र में विशेषज्ञता सहित **55%** अंकों सहित संगीत / नृत्य / रंगमंच में मास्टर डिग्री

वांछनीय

शिक्षा में डिग्री में डिग्री/डिप्लोमा तथा शैक्षिक प्रयोजन के लिए कम्प्यूटर के प्रयोग में प्रवीणता ।

1. हारमोनियम का कार्य साधकज्ञान ।
2. तबला/पखावज/मृदंगम का कार्य साधक ज्ञान ।
3. ए आई आर/दूरदर्शन का बी.ग्रेड कलाकार ।

टिप्पणी :–स्थानीय कलाकारों तथा/अथवा विख्यात कलाकारों की सेवाओं का समय–समय पर अतिथि संकाय के रूप में लाभ उठाया जा सकता है ।

(घ) शिक्षा में लेक्चरार एक

(i) **कम से कम 55% अंकों सहित अंग्रेजी अथवा क्षेत्रीय भाषा में स्नातकोत्तर डिग्री।**

(ii) 50% अंकों सहित शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा ।

(ङ) स्वास्थ तथा शारीरिक शिक्षा लेक्चरर एक

अनिवार्य :

55% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.पी.एड)।

(च) तबले पर संगत देने वाला एक

पचपन प्रतिशत अंकों सहित संगीत (तबला) में स्नातक ।

अथवा

पचपन प्रतिशत अंकों सहित निष्पादन कला में डिप्लोमा सहित स्नातक डिग्री।

अथवा

कोई अन्य समतुल्य डिग्री।

अथवा

उच्च निष्पादन योग्यता सहित एक घरानादान कलाकार।

ए आई आर / दूरदर्शन का बी उच्च ग्रेड कलाकार।

(छ) हारमोनियम अथवा कोई अन्य मेलोडी वाद्यय यंत्र की संगत देने वाला एक

तबला संगतकार जैसी

(ज) पुस्तकालय अध्यक्ष एक

पचास प्रतिशत अंकों सहित पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री।

5.3 प्रशासनिक स्टाफ

(i) संख्या

(क) यू.डी.सी/कार्यालय अधीक्षक एक

(ख) कम्प्यूटर प्रचालक एक

(ii) अर्हताएं

संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथा निर्धारित।

टिप्पणी : पचास छात्रों के अतिरिक्त दाखिले की स्थिति में अतिरिक्त स्टाफ में पांच पूर्णकालिक **लेक्चरर, एक पुस्तकालय सहायक** और एक कार्यालय सहायक की व्यवस्था की जाएगी ।

संयुक्त संस्थान के मामले में प्रिंसिपल तथा शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा तकनीकी स्टाफ **साझा किया जा सकता** है ।

5.4 सेवा की शर्तें और उपबन्ध

शिक्षण और शिक्षणेतर स्टाफ की चयन प्रकिया सहित उनकी सेवा की शर्ते और उपबन्ध, **वेतनमान, अधिवार्षिकी की** आयु तथा अन्य लाभ राज्य सरकार/संबंधन प्रदान करने वाले निकाय की नीति के **अनुसार होंगे** ।

6. **सुविधाएं**

(I) (क) एक यूनिट के प्रारंभिक दाखिले के लिए संस्थानों के कब्जे में 2500 वर्ग मीटर (ढाई हजार वर्गमीटर) भूमि होनी चाहिए जिसमें से 1500 वर्ग मीटर (एक हजार पांच सौ वर्ग मीटर) निर्मित क्षेत्र और बाकी स्थान लान, खेल के मैदानों आदि के लिए होगा। एक यूनिट या इससे कम छात्रों के अतिरिक्त दाखिले के लिए संस्थानों के कब्जे में 500 वर्ग मीटर (पांच सौ वर्ग मीटर) अतिरिक्त भूमि होनी चाहिए जिसमें से तीन सौ वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र होना चाहिए।

(ख) संस्थान के पास निम्न आधारिक सुविधाएं होनी चाहिए :

(i) प्रत्येक 25 छात्रों के लिए एक क्लास रूम

(ii) एक डायस सहित 200 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता सहित एक बहुउद्देशीय हाल

(iii) पुस्तकालय एवं वाचनालय

(iv) कला शिक्षा के लिए ई टी तथा आई सी टी सुविधाओं सहित संसाधन केन्द्र।

(v) दर्पणों सहित निष्पादन कला संसाधन केन्द्र

(vi) दर्पणों सहित वाद्य संगीत कक्ष

(vii) दर्पणों सहित सघोष संगीत कक्ष

(viii) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा संसाधन केन्द्र

(ix) प्रिंसिपल का कार्यालय

(x) स्टाफ रूम

(xi) प्रशासनिक कार्यालय

(xii) कला सामग्री के भंडारण के लिए स्टोर रूम (दो)

(xiii) बलिकाओं का कॉमन रूम

(xiv) कैंटीन

(xv) अतिथि कक्ष

(xvi) बालकों और बालिकाओं के लिए अलग—अलग टायलेट सुविधा

(xvii) वाहन खडा करने के लिए स्थान

(xviii) लॉन, बागवानी कियाकलाप आदि के लिए खुला स्थान

(xix) प्रशासनिक कार्यालय के लिए स्टोर रूम

(xx) बहुउद्देशीय खेल मैदान

(xxi) दर्पण सहित मेकअप तथा श्रृगार कक्ष आदि

(xxii) दर्पण सहित नृत्य कक्ष

संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि विकलांग अनुकूल होने चाहिए।

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही कैम्पस में अध्यापक शिक्षा में एक से अधिक पाठ्यकम चलाए जा रहे हैं तो खेल के मैदान, बहुउद्देशीय हाल, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला (पुस्तकों और उपकरणों के आनुपातिक वृद्धि सहित) और अनुदेशात्मक स्थान साझा किए जा सकते हैं । संस्थान के पास पूरे संस्थान के लिए एक प्रिंसिपल तथा संस्थान में जिन विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यकमों की पेशकश की जा रही है उनके लिए अलग अलग विभागाध्यक्ष।

6.2 **स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण सुविधाएं**

संस्थान के पास छात्र अध्यापकों के लिए क्षेत्रीय कार्य और अभ्यास शिक्षण संबंधी कियाकलाप के वास्ते पर्याप्त संख्या में मान्यता प्राप्त प्रारंभिक स्कूल सहज सुलभ होने चाहिए। यह वांछनीय है कि उसके पास एक अपना सहयोजित/संलग्न/प्रारंभिक स्कूल हो। संस्थान स्कूलों से इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा कि वे अभ्यास शिक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने को तैयार हैं। प्रत्येक स्कूल के साथ अधिक से अधिक 10 छात्र—अध्यापक सहयोजित किए जाएंगे।

6.3 उपकरण तथा सामग्री

(i) संस्थान उपर 6(1) में दिए अनुसार संगीत कक्ष और संसाधन केन्द्र स्थापित करेगा । जहां अध्यापकों और छात्रों के लिए अध्यापन–अधिगम प्रकिया को सहयोग देने और उसका संवर्धन करने के लिए बहुविध सामग्री और संसाधन सुलभ रहेंगे। इनमें निम्नलिखित शामिल होने चाहिए :

संगीत/नृत्य/रंगमंच कलाओं पर पुस्तकें, जर्नल और पत्रिकाएं।

बच्चों की पुस्तकें

श्रृव्य–दृश्य उपकरण – टीवी, डीवीडी प्लेअर, स्पाइड प्रोजेक्टर

श्रृव्य–दृश्य सहायक सामग्री – श्रव्य टेप, स्लाइड, फिल्में

शिक्षण सहायक सामग्री–चार्ट, तसवीरें आदि

निष्पादन और दृश्य कलाओं – दोनों पर सीडी

विकासात्मक मूल्यांकन पडताल सूचियां और मापन उपकरण

इन्टरनेट सुविधा सहित कम्प्यूटर

फोटोकापी मशीन

(ii) संगीतात्मक यंत्र और सम्बद्ध सामग्री

(क) आधारिक संगीत वाद्य यंत्र–हारमोनियम, की बोर्ड, तबला, ढोलक/ताल, तानपुरा, हैंकर

(iii) विभिन्न नृत्य तथा रंगमंचीन रूपों में प्रदत्त वेशभूषा, आभूषण

(iv) हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत में प्रदत्त वाद्ययंत्र जैसे कि सितार, वीणा, मृदांग / प्रखालन इलैक्ट्रानिक तानपुरा

(v) क्षेत्रीय संगीत वाद्ययंत्र

(vi) मेकअप सामग्री

(vii) वेशभूषा वार्ड

(viii) संगीत वाद्ययंत्रों के भण्डारण के लिए शोकेस

(ix) गलीचे, दरियां

(x) ध्वनि तंत्र

(ख) अध्यापन तथा अधिगम सामग्री/सहायक सामग्री

इस कार्यक्रम में नियोजित बहुविध कियाकलाप के लिए गुणवत्ता और मात्रा–दोनों दृष्टियों से उपकरण तथा सामग्री उपयुक्त और पर्याप्त होनी चाहिए। इसमें निम्न शामिल होने चाहिए:

कला के विभिन्न क्षेत्रों में विधियों में सीडी तथा डीवीडी का संग्रह, कियाविधियों और विधियों पर वृत्तचित्र, कला शिक्षा किट, माडल, खेल सामग्री, कला विषयों पर पुस्तकें, कठपुतलियां, फोटोग्राफ, ब्लोअप, चार्ट, फ्लैश कार्ड, हैंडबुक, तस्वीरें, बच्चों की सचित्र प्रस्तुति।

(III) श्रृव्य–दृश्य उपकरण

प्रक्षेपण और अनुलिपीकरण के लिए हार्डवेयर तथा शैक्षिक साफ्टवेयर सुविधाएं जिनमें टीवी, डीवीडी प्लेयर, स्लाइड प्रोजेक्टर, खाली श्रृव्य–दृश्य कैसेट, दृश्य–श्रृव्य टेप, स्लाइडें, फिल्में, चार्ट, तस्वीरें, राट (केवल प्राप्ति टर्मिनल) तथा सिट (उपग्रह अंतसंबंध टर्मिनल) वांछनीय होंगे, माइकोफोन, हेडफोन।

(IV) पुस्तकें, पत्रिकाएं और मैगजीन

संस्थान की स्थापना के पहले वर्ष के दौरान संगत विषयों पर कम से कम एक हजार पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए और उसके बाद प्रति वर्ष सौ उत्तम पुस्तकें जोडी जानी चाहिए। पुस्तकों के संग्रह में ये शामिल होने चाहिए: बच्चों के विश्वकोश, कोश और संदर्भ पुस्तकें, व्यावसायिक शिक्षा पर पुस्तकें, अध्यापकों की हैंडबुक (कामिकों, कथाओं, सचित्र पुस्तकों/एल्बमों सहित बच्चों और उनके लिए पुस्तकें तथा कविताएं)। संस्थान कम से कम तीन पत्रिकाएं मंगाएगा जिनमें कम से कम एक पत्रिका कला शिक्षा पर होगी।

(V) **खेल और खेलकूद**

सामान्य इंडोर तथा आउटडोर खेलों के लिए समुचित खेलकूद उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।

7. (क) **प्रबंधन समिति**

संस्थान में संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार यदि कोई हो तो एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। ऐसे किसी नियम की गैर–मौजूदगी में प्रयोजन करने वाली सोसायटी स्वयं अपनी ओर से प्रबंधन समिति का गठन करेगी । इस समिति में प्रबंधन सोसायटी/न्यास, शिक्षाविदों, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि तथा स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे ।

(ख) **सामान्य**

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही इमारत में अध्यापक शिक्षा में एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो बहुउद्देशीय हाल, खेल के मैदान, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला (पुस्तकों तथा उपकरणों की आनुपातिक वृद्धि सहित) और शिक्षणात्मक स्थान की सुविधाओं का प्रयोग साझे के रूप में किया जा सकता है। समूचे संस्थान के लिए एक प्रिंसीपल तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए अलग अलग विभागाध्यक्ष होगा ।

परिशिष्ट – 13

बी.ए. बी.एड/बी.एससी बी.एड. प्राप्त कराने वाला 4 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम

1. **प्रस्तावना**

1.1 चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम का लक्ष्य, सामान्य अध्ययन, जिसमें विज्ञान (बी.एस.सी. बी.एड) और सामाजिक विज्ञान या मानविकी (बी.ए बी.एड), तथा वृत्तिक अध्ययन, जिसमें शिक्षा के आधार, विद्यालयी विषयों का शिक्षणशास्त्र, तथा एक विद्यालय–शिक्षक के कार्यों एवं कार्यविधियों से जुडी प्रायोगिकी, का एकीकरण है । यह सिद्धान्त और व्यवहार में संतुलन बनाए रखता है, तथा कार्यक्रम के घटकों के बीच सुसंगति एवं जुडाव को बनाए रखता है और एक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के विस्तृत ज्ञान–आधान को प्रस्तुत करता है । कार्यक्रम का लक्ष्य शिक्षा के उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों के लिए शिक्षकों को तैयार करना है ।

1.2 यह कार्यकम संयुक्त संस्थानों में चलाया जाएगा जैसा कि विनियम 2.1 में परिभाषित है।

2 **अवधि एवं कार्यदिवस**

बी.एस.सी.बी.एड. एव बी.ए.बी.एड कार्यकम की अवधि विद्यालय आधारित अनुभव तथा शिक्षण में प्रशिक्षुता समेत चार शैक्षणिक वर्ष अथवा आठ सेमेस्टर की होगी। हालांकि विद्यार्थी शिक्षक को कार्यकम में प्रवेश की तिथि से अधिकतम छः वर्षों के भीतर कार्यकम को पूरा कर लेने की अनुमति होगी।

2.1 **कार्य दिवस**

(क) एक वर्ष में कम से कम दो सौ पचास कार्यदिवस होंगे, ये परीक्षा एवं प्रवेश की अवधि को छोड़कर होंगे।

(ख) एक कार्य दिवस में न्यूनतम 5–6 घंटे, एक सप्ताह में न्यूनतम 36 घंटे होंगे। संस्थान परामर्श एवं दिशानिर्देशन–सामूहिक अथवा व्यक्तिगत निर्देशन के लिए अध्यापकों एवं विद्यार्थियों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा ।

(ग) विद्यार्थी शिक्षकों की न्यूनतम उपस्थिति कोर्स वर्क और प्रायोगिकी में 80% तथा विद्यालय प्रशिक्षुता में 90% होगी ।

2.2 **प्रवेश, पात्रता, प्रवेश प्रकिया एवं शुल्क**

50 विद्यार्थियों की एक आधारभूत इकाई होगी। प्रारंभ में दो इकाईयों की अनुमति दी जा सकती है। संबंधन विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों के लिए विद्यार्थियों का बंटन निर्धारित कर सकता है ।

2.3 **पात्रता**

(क) उच्चतर माध्यमिक/+2 या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50: अंक पाने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति/ओ.बी.सी/विकलांग तथा अन्य वर्गों के लिए स्थान आरक्षण एवं अंकों में छूट केन्द्र सरकार / राज्य

2.4 **प्रवेश प्रकिया**

(क) प्रवेश अर्हकारी परीक्षा तथा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर अथवा राज्य सरकार / विश्वविद्यालय / केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रकिया द्वारा दिया जाएगा ।

(ख) कार्यक्रम में प्रवेश के समय विद्यार्थी को उस के द्वारा पढ़े जाने वाले विषयों को दर्शाना होगा और साथ ही उसके साथ पढे जाने वाले शिक्षण शास्त्रीय विशेषज्ञता को भी दर्शाता होगा और चह चयन मेरिट के कम एवं उपलब्धता के आधार पर ही मिलेगा ।

2.5 शुल्क

संस्थान केवल वही शुल्क लेगा जो एन.सी.टी.ई. (गैर–सहायता प्राप्त शिक्षक शिक्षा संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले शिक्षण–शुल्क एवं अन्य शुल्क के विनियमों के लिए दिशा निर्देश) विनियम 2002 (समय–समय) पर संशोधित के अनुरूप सम्बद्ध निकाय सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होगा।

2.6 पाठ्यचर्या, कार्यक्रम का कियान्वयन एवं मूल्यांकन

2.7 पाठ्यचर्या

बी.एस.सी.बी.एड. और बी.ए.बी.एड कार्यकम में विज्ञान और कला में स्नातक कार्यकमों के समतुल्य प्रकरण पाठ्यकमय तथा सहायक पाठ्यकम, शिक्षणशास्त्रीय पाठ्यकम, और प्रायोगिकी जिसमें विद्यालयी अनुभव एवं शिक्षा में प्रशिक्षुता शामिल है, सम्मिलित है।

आई.सी.टी, लिंग, योग शिक्षा तथा अक्षमता/समावेशी शिक्षा बी.एस.सी.बी.एड/बी.ए.बी.एड पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग होंगे।

(क) सैद्धान्तिक पाठ्यकम

(i) शिक्षा के परिप्रेक्ष्य

(क) शिक्षा के परिप्रेक्ष्यों को सामान्य शिक्षा में उप–पाठ्यकम के रूप में रखा गया है ताकि वे 21वीं सदी की कक्षाओं में आवश्यक आधारभूत ज्ञान और कैशलों से लैस हो पाएं तथा वैश्विक समाज में अधिगम सम्बन्धी मुद्दों को समझने के साथ–साथ इस कार्यकम में सफलतापूर्वक अधिगम कर पाएं। इस पाठ्यकम में निम्नलिखित मुद्दे सम्मिलित है: भाषा और सम्प्रेषण, आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक चिंतन, तथा शिक्षण एवं अधिगम के लिए आई.सी.टी, भारतीय संविधान और मानवाधिकार तथा पर्यावरण अध्ययन।

(ख) "शिक्षा के आधार" उप–पाठ्यकम में शिक्षा के सिद्धान्त, शिक्षा के लक्ष्य, आदि, भारतीय समाज की विकासशील समझ, भारत में शिक्षा, ज्ञान और उसके अर्जन की प्रकृति, किशोरावस्था को केन्द्र में रखकर मानव विकास, अधिगम सिद्धान्त इत्यादि क्षेत्र सम्मिलित हैं। इन पाठ्यकमों का लक्ष्य विद्यार्थी शिक्षक के दृष्टिकोणों का विकास, शिक्षा के लक्ष्यों सम्बन्धी धारणाओं की रचना के योग्य बनना, ज्ञान की प्रकृति, अधिगम तथा शिक्षक के रूप में उनकी अपनी भूमिका को समझना है । इन पाठ्यकमों का रूपांकन इस प्रकार होना चाहिए कि विद्यार्थी आत्मकथात्मक चिंतन करें और अपने आस–पास के सामाजिक यथार्थ से पूर्णतया परिचित हो सकें। सैद्धान्तिक पाठ्यकमों में समनुदेशन (असाइनमैंट्स) कार्य होंगे जिससे विद्यार्थी विभिन्न सन्दर्भों में लघु क्षेत्रीय अध्ययन से जुडते हैं। प्रायोगिक पाठ्यकम में विद्यार्थी विद्यालय और घर में तथा उससे बाहर बच्चों एवं शिक्षकों का पर्यवेक्षण और उनसे अंतःकिया कर सकेंगे।

सामान्यतया में पाठ्यकम आधारभूत क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ शिक्षा संकाय द्वारा पढाए जा सकते हैं । ये पाठ्यकम सम्बन्धित अनुशासन जैसे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, विकासशील अध्ययन, लिंग अध्ययन, दर्शन आदि विभागों के सहयोगी संकायों द्वारा पढाया जा सकता है ।

(ग) शिक्षा अध्ययन उप–पाठ्यकम विद्यार्थी शिक्षक माध्यमिक विद्यालय शिक्षक के शिक्षणशास्त्रीय ज्ञान के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित मूल अवधारणाओं और सिद्धान्तों को सीखने में मदद करेगा, जो कि विद्यालयों में प्रभावी शिक्षण तथा चिंतनशील व्यवहार के लिए आवश्यक है। यह पाठ्यकम सामान्य शिक्षणशास्त्रीय ज्ञान क्षेत्र जैसे शिक्षा के सिद्धान्त तथा प्रयोजन अधिगमकर्ता और अधिगम, अध्येताओं में पाई जाने वाली विविधता शैक्षिक सन्दर्भ, अधिगम का मूल्यांकन, कक्षा संचालन तथा शिक्षण की सामान्य विधियों को सम्मिलित करता है।

(ii) पाठ्यचर्या एवं शिक्षणशास्त्रीय अध्ययन

(अ) शिक्षण शास्त्रीय अध्ययन में गणित या शारीरिक शिक्षा या जीव विज्ञान, भारतीय भाषाएं, अंग्रेजी तथा सामाजिक विज्ञान चार पाठ्यकम हैं। ये पाठ्यकम विद्यार्थी शिक्षकों की विषय–पाठ्यचर्या का विवेचित ज्ञान अर्जित करने में सहायता करेगा। साथ ही माध्यमिक विद्यालयों में पढाए जाने वाले विषय विशेष का शिक्षण शस्त्रीय ज्ञान, कौशल तथा प्रकृति के अलावा विषय सामग्री के ज्ञान की समझ बढाने में सहायता करेगा। यह पाठ्यकम अधिगमकर्ता के बारे में ज्ञान के साथ अनुशासनात्मक ज्ञान को जोडने के अनुभवों, अधिगम, अधिगम–वातावरण, तकनीक तथा विषय के अधिगम से सम्बन्धित शोध के माध्यम से शिक्षक के एकीकृत ज्ञान के विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा।ये पाठ्यक्रम विषय के ज्ञान को अध्येता अधिगम, अधिगम परिवेश, प्रौद्योगिक तथा शोध से जोड कर अध्यापक के समेकित ज्ञान को विकसित करने के अवसर प्रदान करेगा।

(ब) कार्यकम में अध्ययन का अन्य क्षेत्र शिक्षक के शिक्षण–क्षेत्र की विशेषज्ञता से संबंधित है: जैसे बी.एस.सी.बी. एड. कार्यकम में गणित, भौतिक विज्ञान तथा जीव विज्ञान; तथा बी.एस.सी.बी.एड. अंग्रेजी, भारतीय भाषा, तथा सामाजिक विज्ञान बी.ए. बी.एड कार्यकम में सम्बन्धी विषय जो विद्यार्थी शिक्षण–विषय के रूप में गणित, जीव विज्ञान या भारतीय भाषा या अंग्रेजी का चुनाव कर रहे हैं, उन्हें विषय क्षेत्र से सम्बन्धित सभी निर्धारित पाठ्यक्रमों को पढना होगा। भौतिक विज्ञान में

विशेषज्ञता ले रहे विद्यार्थी–शिक्षकों की मुख्य रूप से भैतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान पढना होगा इसमें रसायन विज्ञान या भौतिकी में मूल पाठ्यक्रम तथा गणित के पाठ्यकम को सहायक विषय के रूप में पढना होगा । वैसे ही अध्येता शिक्षक जो सामाजिक विज्ञान अध्ययन पाठ्यक्रमों को पढ़ना चाहते है, भूगोल को मुख्य विषय के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो उन्हे अन्य विषय–नागरिक शास्त्र तथा अर्थशास्त्र को समर्थक पाठ्यक्रमों के रूप में पढ़ना होगा।

(iii) **भाषा एवं सम्प्रेषण, तथा आत्म–विकास:**

इन पाठ्यकमों का रूपांकन विद्यार्थी शिक्षक को उस भाषा की सम्प्रेषण–क्षमता विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए किया जाएगा, जिसमें उसे पढाना (कार्यकम में शिक्षण की भाषा) है। ये प्राठ्यकम अभिव्यक्तिपरक तथा ग्राही क्षमताओं, जिसमें सुनना, बोलना, पढना और लिखना आते हैं, तथा आई सी टी के प्रयोग के विकास के अवसर उपलब्ध कराएंगे। इसके शिक्षण शास्त्र में प्रदर्शन कलाओं तथा नाटक और आत्म विकास की तकनीकों का प्रयोग शामिल है। इन पाठ्यकमों का एक बडा हिस्सा कार्यशालाओं/प्रयोगशालाओं या लम्बी अवधि के दौरान आयोजिक किया जाएगा ताकि हर विद्यार्थी को भाग लेने एवं विकास करने का पूरा अवसर मिले। यह पाठ्यकम ऐसे प्रकरणों को आधार बनाकर बनाए जा सकते हैं जो विद्यार्थी शिक्षक के स्वयं के विकास तथा सामाजिक संवेदनशीलता एवं बच्चों से जुडे मुद्दों के प्रति जागरूकता के विकास में उसे सक्षम बनाएँ। समय–सारणी के लिहाज से इस पाठ्यकम के केडिट को प्रायोगिकी के अंतर्गत माना जाएगा। इस पाठ्यकम का 50% हिस्सा आंतरिक मूल्योंकन के माध्यम से मूल्यांकित किया जा सकता है। भाषा के पाठ्यकम शिक्षा संकाय द्वारा भाषा शिक्षणशास्त्र में विशेषज्ञता के साथ पढाए जाएँगे, साथ ही आई सी टी में विशेक्षज्ञता, आत्म–विकास, प्रदर्शन कला, तथा भाषाएँ भी पढाई जाएगी।

(iv) **प्रायोगिकी एवं विद्यालय प्रशिक्षुता**

शिक्षण में विद्यालयी अनुभव तथा प्रशिक्षुता शिक्षक तैयार करने के कार्यकम का अभिन्न अंग होता है जो विद्यार्थी शिक्षकों को अपनी वृत्तिक भूमिका को सीखने तथा बढाने में सहायता करता है। विद्यालयी अनुभव कार्यकम विद्यार्थी शिक्षकों को व्यवहार के बुनियादी मुद्दों को देखने और समझने में मदद करते हैं, तथा धीरे–धीरे शिक्षण अनुभव में प्रशिक्षुता के दौरान कक्षागत शिक्षण की पूरी जिम्मेदारी को समझने में सहायता मिलती है। कार्यकम के दौरान, प्रशिक्षुता की कुल अवधि 20 सप्ताह की होगी, जिसमें से 4 सप्ताह तृतीय वर्ष और 16 सप्ताह चतुर्थ वर्ष में होंगे।

2.8 कार्यकम का कियान्वयन

संस्थानों को इस कार्यकम की निम्नलिखित विशिष्ट अपेक्षाओंको पूरा करना होगा :

(i) विद्यालय प्रशिक्षुता समेत सभी गतिविधियों के लिए एक कैलेण्डर तैयार करना। विद्यालय प्रशिक्षुता और अन्य विद्यालय सम्बन्धी प्रायोगिकी विद्यालय के शैक्षणिक कैलेण्डर के समकालिक होगी।

(ii) प्रशिक्षुता के साथ–साथ अन्य प्रायोगिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त संख्या में विद्यालयों की व्यवस्था करना। अधिमानतः ये विद्यालय सरकारी विद्यालय होने चाहिए तथा कार्यकम के दौरान सभी प्रायोगिक गतिविधियों एवं सम्बन्धित कार्यों के लिए मुख्य सम्पर्क केन्द्र होंगे। राज्य शिक्षा प्रशासन विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को विद्यालय आबंटित कर सकते हैं ।

(iii) विद्यालयों, क्षेत्रों के प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा सरकार के बीच एक समन्वयक तंत्र होगा जो विद्यालय के शैक्षणिक कैलेण्डर के साथ तालमेल तथा विभिन्न विद्यालयों में अध्येता–शिक्षकों के तार्किक एवं यथोचित वितरण, विद्यालय के सहयोग एवं आपसी सहभागिता सुनिश्चित करेगा।

(iv) प्रशिक्षुता विद्यालयों के शिक्षकों को विद्यालय प्रशिक्षुता की प्रकियाओं में शामिल करने के लिए सांस्थानिक तंत्र विकसित करना।

(v) संगोष्ठियों, वाद–विवाद प्रतियोगिताओं, व्याख्यानों तथा विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए परिचर्चा समूहों आदि का आयोजन कर शिक्षा पर समझ को समझाना तथा उसे और गहरा करना।

(vi) शैक्षिक महत्व के प्रकरणों पर विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए अन्तर–सांस्थानिक अन्योन्य क्रिया का आयोजन करना तथा अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित इसी प्रकार के समारोहों में भाग लेना।

(vii) संस्थान के जीवन में एकीकृत होना और अन्य स्नातक कार्यकमों के विद्यार्थियों के साथ भागीदारी तथा अन्तः किया के अवसर निकालना।

(viii) विद्यार्थियों में विमर्शक चिंतन तथा आलोचनात्मक प्रश्न पूछने का कौशल विकसित करने में मदद के लिए एक सहभागी शिक्षण उपागम अपनाना।

(ix) प्रशिक्षुओं को चिंतनशील पुस्तिका तथा पर्यवेक्षण अभिलेख तैयार करने के लिए उत्साहित करना जिससे प्रतिबिंबित चिंतन के अवसर उपलब्ध होते हैं ।

(x) योजना के अभिलेखों, पर्यवेक्षण कार्यकमों एवं प्रतिपुष्टि तथा प्रशिक्षुओं द्वारा तैयार चिंतनशील प्रतिवेदन तैयार करना।

(xi) विभागों के शिक्षक जहाँ विद्यार्थी उदार पाठ्यकमों का चुनाव करते हैं और सहयोगी विभागों के शिक्षक जो शिक्षण से जुडे हुए हैं, उन्हें शिक्षा विभाग के विस्तारित अध्यापकों के रूप में माना जाएगा। इस प्रकार के विभागों से कम से कम एक अध्यापक, जो शिक्षा के विद्यार्थियों को उदार पाठ्यकम पढा रहा हो, शिक्षा विभाग की योजना बैठकों तथा शैक्षणिक पुनरावलोकन की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए नामांकित किया जाएगा। उन्हें क्षेत्रीय कार्य के पर्यवेक्षण आदि के लिए भेजा जा सकता है, ताकि प्रायोगिक गतिविधियाँ आपसी सहयोग से चल सकें तथा एकीकृत तरीके से अनुशासनात्मक सामग्री और शिक्षा के सरोकारों को समझने में सहयोग मिल सके।

(xii) संस्थान अध्यापकों के विकास के अवसर प्रदान करेगा तथा अध्यापकों के वृत्तिक विकास के लिए शैक्षणिक संवर्धन कार्यकम आयोजित करेगा। अध्यापकों को शैक्षणिक लक्ष्यों तथा शोध करने, खासकर माध्यमिक विद्यालयों में, के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

2.9 मूल्यांकन

(i) मूल्यांकन की योजना वही होगी, जो सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित होगी।

(ii) प्रत्येक सैद्धान्तिक पाठ्यकमों में आंतरिक मूल्यांकन का भारिता ꞔ0 से 40 तथा वार्षिक परीक्षा का भारिता 60 से 80 होगी। कुल अंकों के कम से कम एक चौथाई अंक 16 सप्ताह के शिक्षण अभ्यास के लिए आबंटित होंगे। विद्यार्थियों को उनके ग्रेड/अंकों की सूचना वृत्तिक प्रतिपुष्टि के रूप भाग के रूप में दी जाएंगी ताकि उन्हें अपने निष्पादन में सुधार लाने का अवसर मिल सके।

(iii) उदार अनुशासनात्मक पाठ्यकम के लिए विश्वविद्यालय के नियमों का पालन होगा

(iv) विद्यालय प्रशिक्षुता समेत सभी प्रायोगिक पाठ्यकम केवल आंतरिक रूप से मूल्यांकित होंगे । विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक शिक्षणशास्त्रीय क्षेत्र के लिए पढाए गए कुल पाठों का 25% पर्यवेक्षित होगा और मूल्यांकन किया जाएगाः इससे विद्यार्थी के विकास को प्रतिबिंबित करने में सहायता मिलेगी।

(v) आंतरिक मूल्यांकन के आधार निम्नलिखित होंगे –

सिद्धान्त	:	व्यक्तिगत/सामूहिक समनुदेशन कार्य पर्यवेक्षण अभिलेख, प्रस्तुतियाँ एवं विद्यार्थी का पोर्टफोलियो।
प्रायोगिकी	:	पर्यवेक्षण अभिलेख/दैनंदिनी/शोधपत्र व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रतिवेदन अध्यापकों का पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन प्रधानाध्यापक/सहभागी अध्यापक का, विद्यार्थी की संपूर्ण विद्यालय में सहभागिता पर प्रतिवेदन भी ध्यान में रखा जाएगा।

(vi) संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा गठित एक संतुलन मंडल, किसी निश्चित विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों; जो सभी प्रायोगिक पाठ्यक्रमों और विद्यालय प्रशिक्षुता कार्यक्रम चला रहे हों, के बीच ग्रेडिंग और मूल्यांकन में गुणवत्ता और समता के मुद्दो पर नज़र रखेगा।

(vii) आंतरिक मूल्यांकन में पक्षपात करने संबंधी के विवादों की सुनवाई और निपटारे के लिए प्रावधान होगा। तंत्र वहाँ काम करेगा जहाँ पाठ्यक्रम/विषय पढ़ा रहें अध्यापक के अलवा कोई और अध्यापक शामिल होगा।

स्टाफ

5.1 अध्यापक

50 विद्यार्थियों की एक आधारभूत इकाई के प्रवेश के लिए, निम्नलिखित पाठ्यक्रम क्षेत्रों के लिए की नियुक्ति निर्दिष्ट आवश्यक एवं ऐच्छिक योग्यताओं और विशेषज्ञतागों के साथ होगी। पूर्णकालिक अध्यापकों की संख्या उपर्युक्त मानकों के अनुसार आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी।

दो आधार इकाईयों, (प्रत्येक में 50 विद्यार्थी)के प्रवेश के लिए 16 पूर्णकालिक अध्यापक होंगे

विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों में अध्यापकों का वर्गीकरण इस प्रकार होगा :

1	प्राचार्य/विभागाध्यक्ष	एक
2	शिक्षा में परिप्रेक्ष्य	एक
3	शिक्षणशास्त्रीय विषय (गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा)	आठ
4	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा	एक

5	ललित कला	एक
6	प्रदर्शन कला (संगीत/नृत्य/नाटक)	एक

टिप्पणी : i विभिन्न विषय श्रेणियों में सूचीबद्ध अध्यापक अध्यापक–शिक्षा कार्यक्रम में उल्लिखित सभी पाठ्यक्रम क्षेत्रों में पढ़ा सकते हैं तथा आधारभूत एवं शिक्षण शास्त्रीय पाठ्यक्रम दोनों में सेवाएँ दे सकते हैं।

ii अध्यापक से बी.एस.सी. बी.एड./बी.ए.बी.एड. कार्यक्रम में अध्यापन कराया जा सकता है ताकि उपलब्ध शैक्षणिक विशेषज्ञता को और बेहतर बनाया जा सके।

5.2 योग्यता

अध्यापकों के लिए योग्यताएँ निम्नलिखित हैं–

ए. प्राचार्य/विभागाध्यक्ष

(i) कला/विज्ञान/ सामाजिक विज्ञान/मानविकी/वाणिज्य में 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि, और

(ii) न्यूनतम 55% अंकों के साथ एम.एड., तथा

(iii) शिक्षा में पी.एच.डी. या संस्थान पढ़ाए जा रहे किसी शिक्षण शास्त्रीय विषय में पी.एच.डी., एवं

(iv) किसी माध्यमिक शिक्षक शिक्षा संस्थान में 8 वर्ष का अध्यापन अनुभव।

वांछनीय : शैक्षणिक प्रशासन/नेतृत्व में डिप्लोमा/उपाधि।

बी. शिक्षा या आधारभूत पाठ्यक्रम में दृष्टिकोण

(i) सामाजिक विज्ञान में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि ; तथा

(ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ एम.एड. उपाधि।

(iii) न्यूनतम 55% अंकों के साथ शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.ए.) उपाधि ; तथा

न्यूनतम 55% अंकों के साथ बी.एड. उपाधि

सी. पाठ्यचर्या एवं शिक्षणशास्त्रीय पाठ्यक्रम

(i) विज्ञान/गणित /सामाजिक विज्ञान/भाषा में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि ; तथा

(ii) न्यूनतम 55% अंकों के साथ एम.एड. उपाधि।

वांछनीय : शिक्षणशास्त्रीय विशेषज्ञता के साथ शिक्षा में पी. एच.डी.।

{टिप्पणी : उस मामले में जब बी तथा सी साथ रखे जाएंगे, दो अध्यापक पदों के लिए, समाजशास्त्र/मनोविज्ञान/दर्शनशास्त्र में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा 55% अंकों के साथ बी.एड./बी.एल.एड. एवं माध्यामिक विद्यालय में तीन वर्श का अध्यापन अनुभव विचारणीय होगा।}

डी. विशेषज्ञता पाठ्यक्रम

शारीरिक शिक्षा

(i) न्यूनतम 55% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.पी.एड.)।

दृश्य कला

(ii) न्यूनतम 55% अंकों के साथ ललित कला में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.एफ.ए.)।

(iii) न्यूनतम 55% अंकों के साथ संगीत/नृत्य/नाटक में स्नातकोत्तर उपाधि।

2 प्रशासनिक एवं वृत्तिक स्टाफ

ए	पुस्तकालयाध्यक्ष (55% अंकों के साथ बी.लिब.)	एक
बी	कम्प्यूटर प्रयोगशाला सहायक (55% अंकों के साथ बी.सी.ए.)	एक
सी.	कार्यालय प्रबंधक	एक
डी	कार्यालय सहायक सह डाटा इंट्री ऑपरेटर	एक
ई	पाठ्यचर्या प्रयोगशाला समन्वयक	एक
एफ	लेखा सहायक	एक
जी	सहायक/प्रयोगशाला सहायक	दो

इन पदों के लिए योग्यताएँ राज्य सरकार/संबद्ध निकाय द्वारा समकक्ष पदो के लिए निर्धारित योग्यताएँ ही होंगी।

टिप्पणी : किसी संयुक्त संस्थान में प्राचार्य तथा शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्टाफ सहभागी हो सकते हैं। वहाँ एक प्राचार्य होगा और अन्य विभागाध्यक्षों के रूप में कार्य करेंगे।

5.5 स्टाफ का सेवा के निबंधन एवं शर्तें

शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक स्टाफ की चयन प्रक्रिया, वेतनमान, सेवानिवृत्ति की आयु तथा अन्य लाभ समेत सभी शर्तें एवं निबंधन राज्य सरकार/संबद्ध निकाय की नीति के अनुसार होंगे।

6 सुविधाएँ

6.1 बुनियादी सुविधाएँ

(ए) बी.एस.सी बी.एड. तथा बी.ए.बी.एड. कार्यक्रम चला रहे किसी संस्थान में कम से कम एक प्रशासनिक खंड, एक शैक्षणिक खंड तथा अन्य सुविधाएँ होंगी। सभी भवन एक दूसरे से जुड़े होंगे और निर्बाध आवागमन की व्यवस्था होगी।

शिक्षा विभाग के पास 3000 वर्ग मीटर भली प्रकार सीमांकित भूमि, प्रारंभिक 100 विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए होगी जिसमें से 2500 वर्ग भीटर भूमि भवन निर्माण के लिए तथा शेष भूमि उद्यानों, खेल परिसरों आदि के लिए होगी।

(बी) कक्षाएं : संस्थान में प्रत्येक 50 विद्यार्थियों के लिए एक 500 वर्ग मीटर का कक्ष होना चाहिए।

6.2 शिक्षण संबंधी सुविधाएँ

(ए) पुस्तकालय

पुस्तकालय कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करेगा तथा उसमें कम से कम 50% विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था होगी। साथ ही इसमें कम से कम 1000 शीर्षक तथा 3000 पुस्तकें होंगी। इनमें पाठ्यपुस्तकें एवं पाठ्यक्रमों से संबंधित संदर्भ पुस्तकें, लेख एवं कार्यक्रम में वर्णित उपागमों संबंधी साहित्य ; शैक्षणिक विश्वकोष, इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन (सीडी रोम) और डिजिटल। ऑनलाइन संसाधन, साथ ही कम से कम पाँच वृत्तिक शोध पत्रिकाएं जिनमें से कम से कम एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन होगा, शामिल हैं।

पुस्तकालय के संसाधनों में एनसीटीई, एनसीईआरटी तथा अन्य संवैधानिक निकायों द्वारा प्रकाशित एवं संस्तुत पुस्तकें एवं शोध पत्रिकाएँ, शिक्षा आयोगों के प्रतिवेदन एवं नीति संबंधी दस्तावेज होंगे। पुस्तकालय में पढ़ने के स्थान आदि की व्यवस्था का प्रावधान होगा। एक समय में कम से कम 60 व्यक्ति पुस्तकालय में रूक सकेंगे। प्रत्येक वर्ष कम से 100 अच्छी पुस्तकें पुस्तकालय में शामिल की जाएंगी। पुस्तकालय में अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए फोटोकॉपी एवं इन्टरनेट की सुविधा होगी।

(बी) संसाधन केन्द्र

शिक्षक शिक्षा संस्थान भाषा, विज्ञान, गणित, कला, मनोविज्ञान, आईसीटी स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा विशेष शिक्षा के लिए एक एकीकृत संसाधन केन्द्र उपलब्ध कराएगा। यह केन्द्र विभिन्न प्रकार के संसाधन तथा सामग्री उपलब्ध कराएगा, जिससे शिक्षण–अधिगम की गतिविधियों का रूपांकन एवं चयन किया जा सकेगा। साथ ही प्रासंगिक पाठ, नीति–दस्तावेजों एवं आयोगों के प्रतिवेदन की प्रतियाँ; प्रासंगिक पाठ्यचर्या–दस्तावेज जैसे एनसीएफ, एनसीएफटीई, शोध प्रतिवेदन, सर्वेक्षणों (राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय) के प्रतिवेदन, जिला एवं राज्य स्तरीय आँकड़े; अध्यापकों की पुस्तकें; पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ; विद्यार्थियों के क्षेत्रीय कार्य तथा शोध –संगोष्ठियों के प्रतिवेदन, श्रव्य–दृश्य उपकरण–टी.वी., डीवीडी प्लेयर, एलसीडी प्रोजेक्टर, फिल्में (वृत्तचित्र, बाल फिल्में, सामाजिक सरोकारों/मुद्दो से जुड़ी अन्य फिल्में, शिक्षा पर आधारित फिल्में); कैमरा और अन्य रिकॉर्डिंग यंत्र तथा पर्याप्त संख्या में इंटरनेट सुविधाएँ सुलभ कराएगा। इसमें पाठ्यक्रम में निर्धारित (माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक) प्रयोगों के प्रस्तुतीकरण एवं प्रदर्शन के लिए आवश्यक विज्ञान के उपकरणों के कई सैट होंगे। रसायन आदि आवश्यक मात्रा में उपलब्ध कराए जाएँगे। टीएलएम इत्यादि के लिए भी संसाधन केन्द्र में व्यवस्था होगी, भाषा प्रयोगशाला की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम्प्यूटर प्रयोगशाला होगी, साथ ही व आईसीटी एकीकरण की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगी।

(सी) स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा केन्द्र

घर में खेले जाने वाले तथा मैदानी खेलों के लिए खेल–कूद के पर्याप्त उपकरणों के साथ–साथ योग–शिक्षा की भी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

(डी) बहुउद्देशीय हॉल

संस्थान में दो सौ व्यक्तियों के बैठने के लिए कम से कम 2000 वर्ग मीटर में बना एक संगोष्ठि कक्ष होगा। यह हॉल संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के आयोजन के लिए पूर्णतया सुसज्जित होगा।

(ई) अध्यापकों के कक्ष

अध्यापकों को व्यक्तिगत कक्ष दिए जाएँगे जिसमें सुचारू रूप से कार्य कर रहे कम्प्यूटर तथा भंडारण स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

(एफ) प्रशासनिक कार्यालय

संस्थान कार्यालय स्टाफ को समुचित जगह, कायात्मक कम्प्यूटर तथा भंडारण स्थान एवं फर्नीचर उपलब्ध कराएगा।

(जी) सार्वजनिक कक्ष

संस्थान कम से कम दो पृथक सार्वजनिक कक्ष, एक पुरूषों तथा एक महिलाओं के लिए, उपलब्ध कराएगा।

(एच) शौचालय

संस्थान कम से कम छः शौचालय उपलब्ध कराएगा, दो विद्यार्थियों के लिए (एक पुरूष, एक महिला), दो अध्यापकों के लिए तथा दो शौचालय विकलांगों के लिए।

स्टोर

भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था होगी।

टिप्पणी : अन्य विभागों संपूर्ण संस्थान के लिए बुनियादी तथा शिक्षण–संबंधी सुविधाएं संबद्ध विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार होंगी। इसमें विज्ञान प्रयोगशालाएं, खेल परिसर, व्याख्यान हॉल, प्रेक्षागृह, खुला स्थान आदि आते हैं।

6.3 अन्य सुविधाएं

(ए) शिक्षण तथा अन्य उद्देश्यों के लिए के लिए आवश्यक संख्या में सही अवस्था में तथा उपयुक्त फर्नीचर।

(बी) वाहन खड़े करने के लिए स्थान की व्यवस्था।

(सी) संस्थान में स्वच्छ पेय जल की उपलब्धता।

(डी) परिसर, जल संसाधनो, शौचालयों (पुरूषों, महिलाओं एवं अध्यापकों के लिए पृथक) की प्रतिदिन साफ–सफाई, फर्नीचर के रख–रखाव और अन्य उपकरणों की मरम्मत आदि की प्रभावी व्यवस्था।

{टिप्पणी : संयुक्त संस्थान के मामले में, बुनियादी, शिक्षण संबंधी एवं अन्य सुविधाएं विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा उपयोग में लाई जाएंगी}

7. प्रबंधन समिति

यदि संबद्ध विश्वविद्यालय/संबंधित राज्य सरकार का कोई नियम है तो संस्थान में उसी के अनुसार एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। इस तरह के किसी नियम की अनुपस्थिति में संस्थान स्वयं ही एक प्रबंधन समिति बनाएगा। समिति में प्रायोजक सभा/न्यास के प्रतिनिधि, शिक्षाविद् एवं शिक्षक अध्यापक, संबद्ध विश्वविद्यालय तथा स्टाफ के प्रतिनिधि होंगे।

परिशिष्ट–14

शिक्षा में स्नातक (बी.एड) डिग्री प्राप्त कराने वाला बी.एड (अंशकालिक) कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना

बी.एड के रूप में ज्ञात शिक्षा में स्नातक(अंशकालिक) एक व्यावसायिक कार्यक्रम है जो स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों अर्थात् उच्च प्राथमिक अथवा मिडिल स्तर (कक्षा VI-VIII), माध्यमिक स्तर (कक्षा IX-X) तथा उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा XI-XII) के लिए अध्यापक तैयार करता है। यह कार्यक्रम तीन वर्ष की अवधि के दौरान स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण तथा स्कूल–आधारित क्रियाकलाप के साथ आमने–सामने शिक्षण को जोड़ते हुए विभाजित तरीके से आयोजित किया जाएगा।

यह कार्यक्रम माध्यमिक स्कूलों में VI-XII कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापकों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों को व्यावसायिक अर्हता प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान करता है। यह कार्यक्रम इस प्रकार आयोजित किया जाएगा कि पाठ्यचर्या और मूल्यांकन सहित सभी पक्षों में पूर्णकालिक आमने सामने बी.एड कार्यक्रम के साथ इसकी समतुल्यता सुनिश्चित की जा सके।

2. कार्यक्रम को चलाने के लिए पात्र संस्थाएं

(i) राअशिप द्वारा मान्यता प्रदत्त ऐसे अध्यापक शिक्षा संस्थान जो बी.एड और एम.एड कार्यक्रम चला रहे हैं, जो कम से कम पांच वर्षों से अस्तित्व में रहे हैं और जिनके पास कम से कम बी ग्रेड का नैक प्रत्यायन है।

(ii) यूजीसी द्वारा मान्यताप्रदत्त मुक्त विश्वविद्यालयों को छोड़कर केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षा के विभाग/स्कूल।

टिप्पणी: प्रार्थी संस्थान कार्यक्रम चलाने के लिए राअशिप को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की पूर्व सहमति प्राप्त करेगा।

3. अवधि और कार्य दिवस

3.1 अवधि

बी.एड कार्यक्रम तीन शैक्षणिक वर्षों का होगा जो कार्यक्रम में दाखिले की तारीख से अधिक से अधिक पांच वर्ष की अवधि में पूरा करना होगा।

3.2 कार्यकारी दिवस

(क) कार्यक्रम के पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में से प्रत्येक में कम से कम 120 दिनों का (आमने–सामने) शिक्षण होगा।

(ख) 12 सप्ताह का पर्यवेक्षित स्कूल **स्थानबद्ध प्रशिक्षण** – ऐसे स्कूलों में प्रतिवर्ष 04 सप्ताह (20 दिन) जिनमें प्रशिक्षणार्थी अध्यापक सेवारत हैं।

(ग) 150 दिन के प्रायोगिक घटक (प्रतिवर्ष 50 दिन) के एक हिस्से के रूप में स्कूल आधारित और समुदाय आधारित क्रियाकलाप। इसमें शामिल होंगे: मामला अध्ययन तैयार करना; संगोष्ठी/अवधि लेख लिखना और पुस्तक समीक्षाएं लिखना बच्चों का प्रेक्षण, माता–पिता अध्यापक बैठक, पाठ्यपुस्तक विश्लेषण तथा मूल्यांकन औजारों की तैयारी। इसके अलावा छात्र, जिन स्कूलों में वे सेवारत हैं उनके द्वारा प्रदत्त नियमित शिक्षण कार्य करते रहेंगे।

(घ) यह कार्यक्रम अध्यापक शिक्षा संस्थान में छुट्टियों के दौरान आमने–सामने पद्धति विधि से आयोजित किया जाएगा इसलिए संस्थानों के लिए प्रति सप्ताह 42 घंटे (6 X 7) काम करना संभव हो सकेगा।

(ङ) कार्यक्रम में दाखिल छात्रों की न्यूनतम उपस्थिति सभी पाठ्यक्रम कार्य के लिए 80% तथा स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए 90% होगी।

(च) परीक्षण निकायों के रूप में विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे की उपस्थिति की उपर्युक्त प्रतिशत तथा अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाए।

4. भरती, पात्रता, दाखिले की प्रक्रिया एवं फीस

4.1 भरती

50 छात्रों का एक बुनियादी यूनिट होगा, लेकिन अनुदेशात्मक और आधारिक सुविधाओं पर निर्भर करते हुए दो यूनिटों की अनुमति दी जा सकती है।

4.2 पात्रता

(क) ऐसे उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल अध्यापक जो आवेदन की तारीख को कम से कम दो वर्षों तक पूर्णकालिक अध्यापकों के रूप में रहे हैं और जो कार्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान सेवा में बने रहेंगे प्रार्थी को उस स्कूल के अध्यक्ष से, जहां वह सेवारत है इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ख) ऐसे प्रार्थी जिन्होंने विज्ञान/मानविकी/सामाजिक विज्ञान में स्नातक डिग्री तथा/अथवा स्नातकोत्तर डिग्री अथवा विज्ञान और गणित की पृष्ठभूमि/विशेषज्ञता सहित कम से कम 50% अंको सहित इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है दाखिले के लिए पात्र हैं।

(ग) एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी के लिए जहां कहीं लागू होगा, केन्द्रीय/राज्य सरकारों के नियमानुसार आरक्षण और ढील दी जाएगी।

4.3 दाखिले की प्रक्रिया

दाखिले अर्हक परीक्षा में तथा/अथवा प्रवेश परीक्षा में अथवा राज्य सरकार/यूटी प्रशासन की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया में प्राप्त अंकों के आधार पर किए जाएंगे।

4.4 फीस

संस्थान समय–समय पर यथासंशोधित राअशिप (गैर–सहायता प्राप्त अध्यापक शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रभार्य शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों के विनियम के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथानिर्धारित फीस ही लेगा और वह छात्रों से किसी प्रकार का दान, प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लगेगा।

पाठ्यचर्या, कार्यक्रम क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन

5.1 पाठ्यचर्या

बी.एड(अंशकालिक) पाठ्यचर्या स्थानबद्ध प्रशिक्षण को छोड़कर जिसका संक्षेप में नीचे वर्णन किया गया है, वही होगा जो कि पूर्णकालिक बी.एड. कार्यक्रम के लिए है।

स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण

प्रशिक्षणार्थी अपने कार्य के एक हिस्से के रूप में अपने–अपने स्कूल में पढ़ाना जारी रखेंगे। तथापि उनका क्लासरूम अध्यापन और स्कूल आधारित क्रियाकलाप अध्यापक शिक्षा संस्थान के संकाय तथा अन्य योग्य अध्यापकों और अध्यापक प्रशिक्षकों द्वारा 12 सप्ताह – प्रतिवर्ष 4 सप्ताह तक पर्यवेक्षित किए जाएंगे। उन्हें दो स्तरों अर्थात् उच्च प्राथमिक कक्षाएं (कक्षा VI-VIII) तथा माध्यमिक (IX-X) अथवा उच्च माध्यमिक (XI-XII) पर प्रवृत्त किया जाएगा जिसमें से कम से कम 8 सप्ताह माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए होंगे।

5.2 **कार्यक्रम कार्यान्वयन**

(क) सम्बन्धन प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय तीन वर्षों में कवर किए जाने वाले दो वर्षीय पूर्ण—कालिक कार्यक्रम के पाठ्य विवरण का पुनर्गठन करेगा।

(ख) संस्थान स्थानबद्ध प्रशिक्षण सहित सभी क्रियाकलापों के लिए एक कलैण्डर तैयार करेगा। पर्यवेक्षित स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण तथा अन्य स्कूल सम्पर्क कार्यक्रम स्कूल के शैक्षणिक कलैण्डर के साथ समकालिक रखे जाएंगे।

(ग) संस्थान अपने अपने स्कूलों में शिक्षण तथा कार्यक्रम के अन्य स्कूल आधारित क्रियाकलाप के पर्यवेक्षण की व्यवस्था करेगा। अध्यापक शिक्षा संस्थान स्कूलों में उपलब्ध एम.एड. अर्हताप्राप्त अध्यापकों तथा क्षेत्र में उपलब्ध अध्यापक प्रशिक्षकों का एक पैनल तैयार करेगा। पैनल में शामिल अध्यापक तथा अध्यापक प्रशिक्षकों को अध्यापक शिक्षा संस्थान द्वारा पर्यवेक्षण की रूपात्मकता और क्षेत्र के संबंध में दिशा—अनुकूलित किया जाएगा।

(घ) बहुविध दृष्टिकोणों जैसे कि मामला अध्ययन, समस्या समाधान, बोलचाल में चिन्तनशील जरूरतों पर चर्चा तथा बहु सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरणों में बच्चों के प्रेक्षणों का प्रयोग करते हुए 'शिक्षा में परिप्रेक्ष्य' तथा 'पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्रीय अध्ययन' पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाना चाहिए।

(ड) संस्थान उन स्कूलों के प्रिंसिपलों के साथ जहां प्रशिक्षणार्थी सेवारत है, चर्चा, लेक्चर, संगोष्ठियां आदि आयोजित करके वैचारिक आदान—प्रदान को प्रोत्साहित करेगा।

(च) मूल विषय क्षेत्रों के साथ संकाय के वैचारिक आदान—प्रदान सहित शैक्षणिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करेगा, संकाय सदस्यों की शैक्षणिक प्रयासों में भाग लेने तथा विशेष रूप से स्कूलों में अनुसंधानों के लिए प्रोत्साहित करेगा।

(छ) छात्रों और संकाय की शिकायतों की ओर ध्यान देने और साथ ही शिकायत निवारण के लिए तंत्र और प्रावधान होंगे।

(ज) पर्यवेक्षित स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए टीईआई तथा प्रशिक्षणार्थियों के स्कूल मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण, खोज रखने तथा छात्र अध्यापकों के मूल्यांकन के लिए एक परस्पर सहमत तंत्र स्थापित करेंगे।

(झ) कार्यक्रम का प्रवर्तन विनियमित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों का संबंधित शैक्षणिक वर्ष में गर्मियों की छुट्टी से कम से कम दो महीने पहले दाखिल कर लिया जाए तथा आमने सामने शिक्षण के लिए गर्मियों की तीन छुट्टिया उपलब्ध रहें।

5.3 **मूल्यांकन**

आंकलन और मूल्यांकन प्रणाली वही होगी जोकि पूर्णकालिक आमने—सामने बी.एड कार्यक्रम के लिए है। इस बात को ध्यान में रखते हुए संबंधन प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम के छात्रों के लिए तथा तदनुरूपी पूर्णकालिक आमने सामने बी.एड कार्यक्रम के छात्रों के लिए एक साझी परीक्षा आयोजित करेगा दूसरे और तीसरे वर्ष के अन्त में छात्रों द्वारा दी जाने वाली बाहय परीक्षा वैसी ही होगी जैसाकि पूर्णकालिक आमने सामने बी.एड कार्यक्रम के पहले और दूसरे वर्ष के लिए होती है।

6. **स्टाफ**

6.1 **संकाय**

50 छात्रों के एक बुनियादी यूनिट अर्थात 150 छात्रों के कुल नामांकन के लिए चार अतिरिक्त पूर्णकालिक सहायक प्रोफेसरों की जरूरत होगी। टीईआई यह सुनिश्चित करेगा कि अतिरिक्त संकाय सहित मौजूदा बी.एड तथा एम.एड संकाय सब मिलकर बी.एड अंशकालिक सहित सभी कार्यक्रमों का संचालन और पर्यवेक्षण करेंगे।

6.2 **अर्हताएं**

कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त संकाय की अर्हताएं वैसी ही होंगी जैसी पूर्णकालिक आमने—सामने बी.एड. कार्यक्रम के लिए निर्धारित है:

टिप्पणी: (i) टीईआई का प्रिंसिपल इस कार्यक्रम का प्रशासनिक तथा शैक्षणिक अध्यक्ष होगा।

(ii) यदि संस्थान दो यूनिटों की पेशकश कर रहा है तो अतिरिक्त पूर्णकालिक संकाय की जरूरत बढ़ कर छः हो जाएगी।

(iii) अतिथि संकाय और संसाधन व्यक्ति कार्यक्रम की पेशकश करने वाले संस्थान और साथ ही अन्य टीईआई के संकाय में से अथवा सेवानिवृत्त अध्यापक प्रशिक्षकों के उपलब्ध पूल में से नियुक्त किए जाएंगे।

(iv) संस्थान स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण के पर्यवेक्षण के लिए भी समुचित संख्या में संसाधन व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा।

(v) **इस कार्यक्रम का पूर्णकालिक संकाय आगे वर्णित के लिए जिम्मेदार होगा: आमने सामने कार्यक्रम के दौरान शिक्षण; स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण; पाठ्यचर्या क्रियाकलापों के नियोजन, डिजाइनिंग** तथा प्रायोगिक क्रियाकलापों के संचालन के लिए छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करना तथा छात्र प्रदत्त–कार्यों के संबंध में छात्रों को फीडबेक प्रदान करना तथा सिद्धान्त और प्रायोगिक कार्य पाठ्यक्रमों के लिए आन्तरिक आंकलन आयोजित करना साथ ही वे प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रयोग के लिए समुचित पठन/संसाधन सामग्री संकलित और विकसित करेंगे।

6.3 प्रशासनिक और व्यावसायिक स्टाफ

टीईआई में उपलब्ध प्रशासनिक और व्यावसायिक स्टाफ इस कार्यक्रम के आयोजन में भी सहयोजित किया जाएगा।

6.4 सेवा की शर्तें और उपबन्ध

शिक्षण और शिक्षणेतर स्टाफ की चयन प्रक्रिया सहित उनकी सेवा शर्तें और उपबन्ध, वेतनमान अधिवार्षिकी की आयु तथा अन्य लाभ राज्य सरकार/सम्बन्धन प्रदान करने वाले निकाय की नीति के अनुसार होंगे।

7. सुविधाएं

7.1 आधारिक सुविधाएं

क्योंकि वैयक्तिक सम्पर्क कार्यक्रम तथा आमने–सामने शिक्षण उस समय आयोजित किया जाएगा जबकि नियमित कक्षाएं नहीं चला रही होंगी इसलिए इस कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त आधारित सुविधाओं की कोई ज़रूरत नहीं होगी।

तथापि आमने–सामने सम्पर्क कार्यक्रम तथा स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण के दौरान बाहरी स्थानों से आए छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था वांछनीय होगी।

7.2 उपकरण और सामग्री

इस कार्यक्रम में दाखिल छात्रों के लिए संस्थान में उपलब्ध मौजूदा पुस्तकालय तथा आईसीटी संसाधन और सुविधाएं, पाठ्यचर्या संसाधन और सामग्री, दृश्य कलाएं तथा निष्पादन कला सामग्री और संसाधन, तथा खेल/खेलकूद सुविधाएं सहज सुलभ होंगी। जहां कहीं जरूरत होगी टीईआई के पास उपलब्ध सुविधाओं का और आगे संवर्धन किया जाएगा। संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि सुविधाएं और इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार स्टाफ सदस्य, उस समय उपलब्ध रहें जब आमने–सामने शिक्षण अथवा स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है।

8. प्रबंधन समिति

संस्थान में संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार यदि कोई हो तो एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। ऐसे किसी नियम की गैर–मौजूदगी में प्रायोजन करने वाली सोसायटी स्वयं अपनी ओर से प्रबंधन समिति का गठन करेगी। इस समिति में प्रबंधन सोसायटी/न्यास, शिक्षाविदों, प्रारंभिक बाल्यावस्था, शिक्षा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि तथा स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समिति बी.एड(अंशकालिक) कार्यक्रम सहित संस्थान के सभी कार्यक्रमों की समीक्षा और मानीटरन करेगी।

परिशिष्ट–15

तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड–एम.एड डिग्री कार्यक्रम, 2014 के मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना

एकीकृत बी.एड–एम.एड कार्यक्रम शिक्षा में तीन वर्ष का पूर्णकालिक व्यावसायिक कार्यक्रम है, जिसमें 3 वर्षों के अध्ययन को पूरा करने से पहले बीच में छोड़ने का कोई विकल्प नहीं है। इसका उद्देश्य शिक्षा में अध्यापक–शिक्षकों और अन्य व्यावसायिकों को तैयार करना है, जिनमें पाठ्यचर्या विकासकर्ता, शिक्षा नीति विश्लेषक, शैक्षिक आयोजक और प्रशासक, स्कूल प्रिंसिपल, पर्यवेक्षक और शिक्षा के क्षेत्र के अनुसंधानकर्ता भी शामिल हैं। कार्यक्रम के पूरा होने पर प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा VIII तक), अथवा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक (VI से XII) में विशेषज्ञता के साथ एकीकृत बी.एड–एम.एड डिग्री प्राप्त होगी।

2. आवेदन करने के लिए पात्र संस्थान

(i) **राअशिप** (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) द्वारा मान्यताप्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थान, जो बी.एड और एम.एड पाठ्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और जो कम से कम पांच वर्षों से मौजूद हैं और जिनके पास न्यूनतम बी ग्रेड के साथ एनएएसी प्रत्यायन है।

(ii) **मुक्त** (ओपन) विश्वविद्यालयों से भिन्न यूजीसी मान्यताप्राप्त केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग/स्कूल।

(iii) उपर्युक्त (i) और (ii) में उल्लिखित संस्थानों में इस कार्यक्रम के संचालन के लिए रिहायशी आवास स्थान होगा।

3. अवधि और कार्य दिवस

3.1 अवधि

एकीकृत बी.एड–एम.एड कार्यक्रम तीन शैक्षणिक वर्षों की अवधि वाला होगा, जिसमें दो ग्रीष्म–काल शामिल हैं। विद्यार्थियों को इस तीन वर्षीय कार्यक्रम की आवश्यकताओं को कार्यकम में प्रवेश की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्षों के लिए पूरा करने की अनुमति दी जाएगी। सिमेस्टर और/अथवा वार्षिक सारणी सम्बद्धक निकाय द्वारा राअशिप द्वारा कार्यक्रम के लिए विकसित किए गए पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क में सुझाए गए क्रेडिट सिस्टम के आधार पर और स्कूलों, अध्यापक शिक्षा संस्थाओं, विशेषज्ञता के क्षेत्र से संगत संगठनों में प्रशिक्षुता/संलग्नता की अनुबद्ध अवधि, सामुदायिक कार्य और अन्य क्षेत्र–आधारित स्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्रेडिट घंटों के रूप में तैयार की जाएगी। ग्रीष्म–काल और दो शैक्षणिक वर्षों के अन्तर–सेमिस्टर अन्तरालों का उपयोग फील्ड संलग्नता/प्रशिक्षुता, अन्य प्रयोगात्मक क्रियाकलापों और/अथवा पढ़ाए गए पाठ्यक्रमों के लिए किया जाना चाहिए। स्कूल अनुभव के लिए क्रेडिट नियतन कम से कम 16 क्रेडिट का और किसी अध्यापक शिक्षा संस्थान के साथ संलग्नता के लिए 4 क्रेडिट का होना चाहिए।

3.2 कार्य दिवस

प्रत्येक वर्ष कम से कम दो सौ पन्द्रह(215) कार्य–दिवस होने चाहिएं, जिसमें दाखिले की अवधि शामिल नहीं है, लेकिन कक्षा में कार्य–निष्पादन, प्रयोगात्मक कार्य, फील्ड अध्ययन/स्थानबद्ध प्रशिक्षण और परीक्षा लिए जाने की अवधि शामिल है। इसके अतिरिक्त, ग्रीष्म–काल की छुट्टियों का उपयोग स्थानबद्ध प्रशिक्षण/प्रयोगात्मक कार्य/सिखाए गए संघटकों के लिए किया जाएगा। संस्था एक सप्ताह (यथास्थिति पांच अथवा छः दिन) में कम से कम छत्तीस घंटे कार्य करेगी, जिसके दौरान कार्यक्रम के संचालन से संबंधित शिक्षक और विद्यार्थी कार्यक्रम की आवश्यकताओं के लिए, जिनमें विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक कार्य और विद्यार्थियों को सलाह देना शामिल है, उपलब्ध रहेंगे। कार्यक्रम की कुल अवधि, जिसमें ग्रीष्मकालीन सत्र और अन्तर–सेमिस्टर अन्तराल शामिल हैं, मोटे रूप से छः–छः दिनों के 107 सप्ताह होंगे, जो कुल मिला कर 640 दिन की होती है। विद्यार्थियों की न्यूनतम उपस्थिति पढ़ाए गए पाठ्यक्रमों और प्रायोगिक कार्य के लिए 80 प्रतिशत और क्षेत्र संलग्नता के लिए 90 प्रतिशत होगी।

4. दाखिला क्षमता, पात्रता, प्रवेश की प्रक्रिया और फीस

4.1 दाखिला क्षमता

इस कार्यक्रम के लिए बुनियादी यूनिट आकार 50 होगा। एक संस्था को केवल एक यूनिट की अनुमति दी जाएगी। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त यूनिट की अनुमति अवसंरचना, संकाय और अन्य संसाधनों की गुणवत्ता के आधार पर और उसके बाद दी जाएगी जब संस्था पांच वर्ष तक यह कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुकी हो और उसे नेक द्वारा अथवा राअशिप द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्रत्यायन एजेंसी द्वारा न्यूनतम बी+ ग्रेड प्रदान किया जा चुका हो।

4.2 पात्रता

एकीकृत बी.एड–एम.एड कार्यक्रम में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:

अनिवार्यः किसी मान्यताप्राप्त संस्था से विज्ञानों/समाज विज्ञानों/मानविकी विषयों में कम से कम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के स्नातकोत्तर डिग्री।

वांछनीयः यह वांछनीय है कि उम्मीदवारों की शिक्षा में स्पष्ट दिखने वाली रूचि और अनुभव हो।

4.3 प्रवेश की प्रक्रिया

प्रवेश अर्हक परीक्षा और प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/सम्बद्धक विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार चयन की किसी प्रक्रिया के अनुसार योग्यता के आधार दिया जाएगा।

अनु.जा./अनु.ज.जा/अन्य पिछड़े वर्गों/पीडब्ल्यूडी और अन्य उपयुक्त श्रेणियों के लिए स्थान आरक्षण और अंकों में ढ़ील केन्द्रीय/राज्य सरकार के उन नियमों के अनुसार होगी, जो लागू हो।

4.4 फीस

संस्था केवल वह फीस लेगी, जो सम्बद्धक निकाय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर संशोधित किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (गैर–सहायताप्राप्त शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रभार्य ट्यूशन फीस और अन्य फीसों के विनियमन के लिए मार्गनिर्देश) विनियम, 2002 के उपबन्धों के अनुसार विहित की गई हो, और विद्यार्थियों से कोई दान, प्रति व्यक्ति फीस, आदि नहीं लेगी।

5. पाठ्यचर्या, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन

5.1 पाठ्यचर्या

बी.एड–एम.एड एकीकृत कार्यक्रम की पाठ्यचर्या में **कोर और विशेषज्ञता संघटक** शामिल होंगे। मूल में ये संघटक शामिल होंगेः (i) परिप्रेक्ष्य पाठ्यक्रम; (ii) अनुसंधान, साधन और आत्म–विकास संघटक, जिनमें शोध–निबंध, पढ़ाए गए पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं शामिल होगी; (iii) अध्यापक शिक्षा संघटक, जिनमें पढ़ाए गए पाठ्यक्रम और अध्यापक शिक्षा संस्थाओं

के साथ स्थानबद्ध प्रशिक्षण/संलग्नता शमिल होंगे; (iv) स्कूल–संबंधित क्षेत्र अनुभव विशेषज्ञता संघटक में 2 स्तर होंगे, जिनमें विद्यार्थी निम्नलिखित में विशेषज्ञता प्राप्त करने का चुनाव करेंगे: क) स्कूल स्तरों/क्षेत्रों में से एक प्रारंभिक अथवा उच्च माध्यमिक सहित माध्यमिक) और स्कूल विषय क्षेत्रों में विषय–वस्तु व शिक्षाशास्त्र, जिनमें विशेषज्ञता के भीतर कोर शामिल होगा, और ख) चुने गए स्कूल स्तर के भीतर विद्यार्थी विशेषज्ञता के लिए प्रभाव–क्षेत्र/मूल विषय आधारित क्षेत्र चुनते हैं (जैसे शिक्षा प्रशासन और प्रबंधन, शिक्षा नीति, समावेशी शिक्षा, पाठ्यचर्या, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शिक्षा के आधार अर्थात नीवें, उच्च शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, आदि)

(क) सिद्धान्त पाठ्यक्रम

परिप्रेक्ष्य; अनुसंधान, साधन और आत्म–विकास, अध्यापक शिक्षा और विशेषज्ञता पाठ्यक्रम

परिप्रेक्ष्य कार्यक्रम इन क्षेत्रों में होंगे: शिक्षा का दर्शन–शास्त्र; शिक्षा का समाज–विज्ञान–इतिहास–राजनीतिक अर्थशास्त्र; शिक्षा का मनोविज्ञान; शिक्षा अध्ययन; और पाठ्यचर्या तथा शिक्षाशास्त्रीय अध्ययन। आधारिक विषयों के पाठ्यक्रमों के दो स्तर (बुनियादी और उच्च) होंगे। शिक्षा के संबंध में लिंग, बचपन, अशक्तता, और हाशिए पर लगाए जाने पर विवेचनात्मक मनन कोर के आर–पार होगा और इन पर ध्यान केन्द्रित करने वाले पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने की सम्भावना होगी। इस कार्यक्रम के पाठ्यक्रम भावी व्यवसायिकों को समावेशी कक्षा पर्यावरणों और शिक्षा की ओर कार्य करने में समर्थ बनाएंगे।

अनुसंधान, साधन और आत्म–विकास संघटक में बुनियादी तथा उच्च स्तरीय शिक्षा अनुसंधान तरीकों के बारे में कार्यशालाएं और पाठ्यक्रम, शोध निबंध की ओर ले जाने वाली अनुसंधान परियोजना, अकादमिक/व्यावसायिक लेखन, संवाद कौशल, बच्चों का प्रेक्षण, भाषा और अध्यापन–शिक्षा प्राप्ति, शिक्षा में रंगमंच, शैक्षिक प्रौद्योगिकी (आईसीटी सहित) और ऐसे अन्य विषय शामिल होंगे। विद्यार्थियों के आत्म–विकास के लिए (उदाहरण के लिए ध्यान, योग जैसे तरीकों से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस वाली कार्यशालाओं के जरिए) लिंग तथा शिक्षा के साथ विवेचनात्मक व्यस्तता, समावेशी शिक्षा और ऐसे ही महत्व वाले क्षेत्रों के लिए व्यवस्थाएं होंगी। आईसीटी और शैक्षिक प्रौद्योगिकी संबंधी कौशलों को इस कार्यक्रम के विभिन्न पाठ्यक्रमों के साथ एकीकृत किया जाएगा।

अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों को भी, जो अध्यापक शिक्षा संस्था(ओं) में स्थानबद्ध प्रशिक्षण /संलग्नता के भी साथ जुड़े हुए हैं, शामिल किया जाएगा।

विशेषज्ञता संघटक किसी एक स्कूल अवस्था (प्रारंभिक अथवा उच्च माध्यमिक सहित माध्यमिक, आदि) में विशेषज्ञता प्राप्त करने की संभावना प्रस्तुत करेगा। इनमें स्कूल विषयों के विषय–वस्तु–व–शिक्षाशास्त्र पाठ्यक्रम शामिल होंगे। स्कूल स्तरीय विशेषज्ञताओं के भीतर अन्य पाठ्यक्रम उस अवस्था से सम्बन्धित चुने हुए विषयक क्षेत्रों को कवर करेंगे, जैसे: पाठ्यचर्या, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन; नीति, अर्थशास्त्र और योजना–निर्माण; समावेशी शिक्षा और विभिन्न रूपों में समर्थ व्यक्तियों के लिए शिक्षा; आदि। इसके अलावा, यह कार्यक्रम शिक्षा प्रशासन और प्रबंधन; शिक्षा नीति और योजना; समावेशी शिक्षा; पाठ्यचर्या, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन; शैक्षिक प्रौद्योगिकी; शिक्षा के आधार; और ऐसे अन्य विषयों में उन्नत पाठ्यक्रमों के साथ चुने हुए विषयों अथवा क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए वैकल्पिक पाठ्यक्रमों की टोकरी प्रस्तुत करेगा। विद्यार्थियों को किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ आधार पाठ्यक्रमों को चुनने की अनुमति देने में लचीलापन होगा।

(ख) प्रायोगिक कार्य

कार्यशालाओं, प्रायोगिक कार्य क्रियाकलापों, परियोजनाओं और संगोष्ठियों का आयोजन; जो विद्यार्थियों के व्यावसायिक कौशलों और जानकारी को बढ़ाते हैं, पढ़ाए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों के अध्यापन के तरीके का भाग होगा। पाठ्यचर्या के सम्पन्न होने के दौरान संगत स्थानों पर तत्काल प्राप्त होने वाले अनुभवों का आयोजन किया जाएगा।

(ग) प्रशिक्षुता और संलग्नता

तीन वर्षीय कार्यक्रम को छः–छः दिनों वाले कम से कम 30 सप्ताहों के बराबर का समय क्षेत्र आधारित क्रियाकलापों के लिए निर्धारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित प्रकार के सुव्यवस्थित रूप से नियोजित क्षेत्र–आधारित क्रियाकलाप और प्रशिक्षुताएं/संलग्नताएं होंगी: 1. स्कूल–स्तर के विशेषीकरण के अनुसार स्कूल–आधारित संलग्नता, जिसमें स्कूल और कक्षा प्रेक्षण, कक्षा में अध्यापन का अभ्यास, और संकेन्द्रित नियत कार्य/परियोजनाएं शामिल होंगी(16 सप्ताह); 2. समुदाय के साथ कार्य करना; 3. स्कूल स्तर की विशेषज्ञता के अनुसार सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा संदर्भ में कार्य करना और स्कूल–सतर की विशेषज्ञता के अनुसार सेवा–पूर्व अध्यापक तैयारी संदर्भ में कार्य करना(4 सप्ताह;) 4. पाठ्यचर्या और/अथवा स्कूलों से भिन्न अन्य स्थलों पर शैक्षिक पद्धति की समझ के लिए संगत पाठ्यपुस्तक एजेंसी, नीति निर्माता निकाय, राज्य शिक्षा विभाग, आदि के साथ अभिज्ञता अर्थात् आमना–सामना; और 5. विशेषज्ञता के विषयक अथवा फोकस क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र स्थिति में कार्य करना (4 सप्ताह)। इन अनुभवों की अनुपूर्ति मनन, कार्य अनुसंधान और लेखन के अवसरों से की जाएगी।

5.2 कार्यक्रम कार्यान्वयन

संस्था को अध्ययन के इस व्यावसायिक कार्यक्रम की निम्नलिखित विशिष्ट मांगों को पूरा करना होगा:

(i) सभी क्रियाकलापों के लिए, जिनमें प्रशिक्षुता, प्रयोगात्मक कार्य, मूल्यांकन और शोध–प्रबंधन प्रस्तुत करना भी शामिल है, एक कैलेंडर तैयार करें। स्कूल प्रशिक्षुता और स्कूल सम्पर्क के अन्य कार्यक्रमों को स्कूल के शैक्षणिक कैलेंडर के साथ समकालिक बनाया जाएगा।

(ii) स्कूलों, अध्यापक शिक्षा संस्थानों और अन्य संगठनों, जैसे समुदाय/समुदाय–आधारित संगठनों, नवाचारी पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्रीय पद्धतियों, आदि के विकास में संलग्न संगठनों, पाठ्यचर्या डिजाइन, पाठ्यपुस्तक विकास, शिक्षा नीति के नियोजन, निर्माण और कार्यान्वयन, +2 शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन में शामिल अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य सरकारों के साथ स्थानबद्ध प्रशिक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए, अथवा 3 वर्षीय कार्यक्रमों में प्रस्तुत किए गए विशेषज्ञता के क्षेत्र के अनुसार फील्ड–नेटवर्किंग प्रबन्ध करें।

(iii) पाठ्यचर्या में सुझाई गई कार्यशालाओं के संचालन के लिए प्रबन्ध करें।

(iv) शोध–निबन्ध का कार्य कार्यक्रम के दूसरे वर्ष के दूसरे सिमेस्टर में शुरू होगा और अंतिम वर्ष के सिमेस्टर में प्रस्तुत किया जाएगा। विद्यार्थियों के शोध–निबन्ध और मूल्यांकन के लिए प्रबंध करें। शोध–निबन्ध के कार्य के संचालन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों के प्रति संकाय का अनुपात 1:5 होगा।

(v) संस्थान विद्यार्थियों और संकाय के लिए आवधिक रूप से गोष्ठियां, वाद विवाद, भाषण और चर्चा समूह आयोजित करके शिक्षा में भाषणों, प्रवचनों की शुरूआत करेंगे।

(vi) विद्यार्थियो और संकाय की शिकायतों की ओर ध्यान देने और शिकायतों का समाधान करने की व्यवस्था करें।

5.3 मूल्यांकन

प्रत्येक सिद्धान्त कार्यक्रम के लिए, कम से कम 30 प्रतिशत अंक सतत और व्यापक आन्तरिक मूल्यांकन के लिए और अधिक से अधिक 70 प्रतिशत अंक परीक्षा निकाय द्वारा संचालित परीक्षा के लिए नियत किए जाएंगे। सिद्धान्त और प्रयोगात्मक कार्य के पाठ्यक्रमों के लिए आन्तरिक और बाह्य मूल्यांकन का भारांश वह होगा, जो संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मोटे रूप से उपर्युक्त सूत्र के आधार पर विहित किया गया होगा। कार्यक्रम में कुल अंकों/क्रेडिटों के कम से कम एक–चौथाई अंक/क्रेडिट प्रयोगात्मक कार्य और स्थानबद्ध प्रशिक्षण/क्षेत्र संलग्नता और शोध–निबन्ध को दिए जाएंगे।

आन्तरिक मूल्यांकन में व्यक्ति/समूह के लिए नियत किए गए कार्य, गोष्ठियों में किए गए प्रस्तुतीकरण, क्षेत्र संलग्नता रिपोर्टें, विचारशील जर्नल, ए वी सामग्रियों के डिजाइन, आदि शामिल हो सकते हैं। मूल्यांकन का आधार और उसके लिए इस्तेमाल किए गए मानदंड विद्यार्थियों के लिए पारदर्शी होने चाहिएं, ताकि वे व्यावसायिक फीडबैक से अधिकतम लाभ उठा सकें। विद्यार्थियों को व्यावसायिक फीडबैक के भाग के रूप में उनके ग्रेडों/अंकों की सूचना दी जाएगी, ताकि उन्हें अपने कार्य–निष्पादन में सुधार करने का अवसर प्राप्त हो।

6. स्टाफ

6.1 शैक्षिक संकाय

50 विद्यार्थी प्रति यूनिट के दाखिले के लिए, इस कार्यक्रम के वास्ते संकाय – विद्यार्थी अनुपात 1:15 होगा। संकाय पदों का वितरण इस प्रकार होगा:

1. प्रिंसिपल/विभागाध्यक्ष(प्रोफेसर के पद (रैंक) में:	एक
2. प्रोफेसर :	एक
3. सह प्रोफेसर :	दो
4. सहायक प्रोफेसर :	छः

संकाय के प्रोफाइल बी.एड–एम.एड कार्यक्रम के सभी पाठ्यक्रमों/छात्रों को कवर करेंगे।

6.2 योग्यताएं

क. *प्रिंसिपल/विभागाध्यक्ष*

(i) किसी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री।

(ii) कम से कम 55 प्रतिशत अंको के साथ एम.एड।

(iii) शिक्षा में पीएच.डी।

(iv) अध्यापक शिक्षा अध्यापक शिक्षा में 10 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव।

ख. *प्रोफेसर और सह प्रोफेसर*

(i) विशेषज्ञता के क्षेत्र से संगत विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री।

(ii) शिक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (एम.एड अथवा एम.ए शिक्षा)।

(iii) शिक्षा में अथवा विशेषज्ञता के क्षेत्र से संगत विषय में पीएच डी डिग्री।

(iv) प्रोफेसर और सह प्रोफेसर के पदों के लिए यूजीसी अथवा राज्य सरकार के प्रतिमानों के अनुसार कोई अन्य योजना अथवा व्यावसायिक अध्यापन अनुभव की अवधि।

ग. *सहायक प्रोफेसर*

(i) विशेषज्ञता के क्षेत्र से संगत विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री।

(ii) शिक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (एम.एड अथवा एम.ए शिक्षा)।

(iii) यूजीसी अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विहित की गई कोई अनरू योग्यता (जैसे एनईटी)।

(टिप्पणी: अध्यापन के लिए संकाय का उपाय एक लचीले तरीके से किया जा सकता है, ताकि उपलब्ध शैक्षिक विशेषज्ञता का इष्टतम लाभ उठाया जाए। विशेषज्ञता के क्षेत्रों पर निर्भर करते हुए संकाय का उपयोग संस्था द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में सांझे रूप से किया जा सकता है)।

6.3 प्रशासनिक और व्यावसायिक सहायता स्टाफ

(क) निम्नलिखित प्रशासनिक स्टाफ मुहैया किया जाएगा:

(i) कार्यालय प्रबन्धक :एक

(ii) आईटी कार्यकारी/अनुरक्षण स्टाफ : एक

(iii) पुस्तकालय सहायक/संसाधन केन्द्र समन्वयकर्ता : एक

(iv) क्षेत्र समन्वयकर्ता : एक

(v) कार्यालय सहायक : दो

(vi) हेल्पर : एक

(ख) विश्वविद्यालय शिक्षा विभागों में, प्रशासनिक स्टाफ विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार तैनात किया जाएगा।

6.4 सेवा के निबंधन और शर्तें

अध्यापन और गैर–अध्यापन स्टाफ की सेवा के निबंधन और शर्तें; जिनमें चयन की प्रक्रिया, वेतनमान, सेवानिवृत्ति की आयु और अन्य लाभ भी शामिल हैं, राज्य सरकार/सम्बद्धक निकाय की नीति के अनुसार होंगी।

7. भौतिक सुविधाएं और उपस्कर

7.1 आधारिक(भौतिक) सुविधाएं

पहले से एक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम वाली और एक बुनियादी यूनिट के लिए बी.एड–एम.एड प्रस्तुत करने वाली संस्थान के पास कम से कम 3000 वर्ग मीटर भूमि होगी। तदनुरूप निर्मित क्षेत्र 3000 वर्ग मीटर का होगा। एक बुनियादी यूनिट के अतिरिक्त दाख़िले के लिए, न्यूनतम अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र 500 वर्ग मीटर होना चाहिए।

(क) संस्थान में निम्नलिखित सुविधाएं होंगी:

(i) प्रत्येक 50 विद्यार्थियों के लिए कक्षाओं के दो कमरे

(ii) 200 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला एक बहुप्रयोजनी हाल

(iii) पुस्तकालय–व–वाचनालय

(iv) संसाधन केन्द्र

(v) स्कूल विषयों के लिए प्रयोगशालाएं

(vi) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा केन्द्र

(vii) प्रिंसिपल का कार्यालय

(viii) संकाय, सदस्यों के लिए बैठने और भंडारण के प्रबंध

(ix) प्रशासनिक कार्यालय

(x) आगन्तुक कक्ष

(xi) विद्यार्थियों के लिए कामन रूम

(xii) पुरूष और महिला विद्यार्थियों, स्टाफ और पीडब्ल्यूडी के लिए अलग–अलग शौचालय सुविधाएं

(xiii) स्टोर रूम

(xiv) बहुप्रयोजनी खेल मैदान

(ख) कक्षाओं के कमरे

50 विद्यार्थियों के एक यूनिट के दाखिले के लिए, सभी विद्यार्थियों के वास्ते पर्याप्त स्थान और फर्नीचर के साथ कम से कम तीन कक्षा कमरों की व्यवस्था होगी। कक्षा के कमरे का न्यूनतम आकार 50 वर्ग मीटर होगा। संस्थान वैकल्पिक, शिक्षकीय और समूह चर्चाएं आयोजित करने के लिए 30–30 वर्ग मीटर के आकार के कम से कम तीन छोटे कमरे मुहैया करेगा।

(ग) गोष्ठी कक्ष

संस्था में बहुप्रयोजनी हाल का उपयोग सांझे रूप से किया जाएगा। इसके अलावा, संस्थान में गोष्ठी कक्ष होगा, जिसमें एक सौ व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी और जिसका कुल क्षेत्र 100 वर्ग मीटर का होगा। इस हाल को गोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए सज्जित किया जाएगा।

(घ) संकाय के लिए कमरे

संकाय के प्रत्येक सदस्य के लिए एक अलग कमरा मुहैया किया जाएगा, जिसमें एक चालू कम्प्यूटर और भंडारण का स्थान होगा।

(ड.) प्रशासनिक कार्यालय का स्थान

संस्थान कार्यालय स्टाफ के लिए, फर्नीचर, स्टोरेज और कम्प्यूटर सुविधाओं के साथ काम करने के लिए पर्याप्त स्थान मुहैया करेगी।

(च) कॉमन कमरे

संस्थान कम से कम दो कामन कमरे सुलभ कराएगा।

7.2 उपस्कर और सामग्रियां

(क) संस्थान की विद्यार्थी अध्यापकों के क्षेत्र कार्य के लिए उनके अध्यापन–अभ्यास सम्बन्धी क्रियाकलापों के लिए युक्ति संगत फासले के भीतर पर्याप्त संख्या में मान्यताप्राप्त माध्यमिक स्कूलों तक आसानी से पहुंच होगी। संस्थान स्कूलों की यह वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा कि वे अध्यापन के अभ्यास के लिए सुविधाएं मुहैया करने के लिए रजामन्द हैं। राज्य शिक्षा प्रशासन विभिन्न अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को स्कूल आबंटित कर सकता है। विद्यार्थियों की 1000 (एक हजार) और 2000 (दो हजार) तक की संख्या वाले स्कूल के साथ क्रमशः दस और बीस से अधिक विद्यार्थी–अध्यापक संलग्न नहीं किए जाएंगे। यह वांछनीय है कि संस्था के पास एक संलग्न स्कूल हो, जो उसके नियंत्रणाधीन हो।

(ख) संस्थान/विश्वविद्यालय के **पुस्तकालय** का उपयोग सांझे रूप से किया जाएगा और वह इस कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तीन–वर्षीय कार्यक्रम के लिए वहां पर कम से कम 1000 संगत शीर्षक अर्थात पुस्तकें (आवश्यक और बार–बार इस्तेमाल की जाने वाली पुस्तकों की अधिक प्रतियां) होंगी। इनमें अध्ययन के सभी पाठ्यक्रमों से संबंधित पाठ्य पुस्तकें और संदर्भ पुस्तकें, विद्यार्थियों की अनुसंधान रूचियों से संगत पठन सामग्री और साहित्य, शैक्षिक विश्वकोश, आनलाइन संसाधनों सहित इलेक्ट्रानिक प्रकाशन और कम से कम सात व्यावसायिक अनुसंधान जर्नल शामिल होंगे, जिनमें तीन विदेशी जर्नल होंगे। पुस्तकालय संसाधनों में एनसीटीई, इनसीईआरटी, और अन्य सांविधिक निकायों द्वारा प्रकाशित और उनके द्वारा सिफारिश की गई पुस्तकें और जर्नल शामिल होंगे। पुस्तकालय में पढ़ने के स्थान की व्यवस्था भी होगी, जिसमें किसी एक समय कम से कम तीस व्यक्ति बैठ सकते हों। पुस्तकालय में हर वर्ष उच्च कोटि की कम से कम एक सौ पुस्तकें जोड़ी जानी चाहिएं। पुस्तकालय में संकाय और विद्यार्थियों के उपयोग के लिए इंटरनेट सुविधा के साथ कम्प्यूटर और फोटोप्रतियां तैयार करने की सुविधा भी होनी चाहिए।

(ग) **संसाधन केन्द्र** एक संसाधन केन्द्र–व–विभागीय पुस्तकालय–व–कम्प्यूटर केन्द्र के प्रयोजन को पूरा करेगा। यह इन चीजों तक पहुंच मुहैया करेगाः अध्यापन और शिक्षाप्राप्ति के लिए क्रियाकलापों को तैयार करने के लिए और उनका चुनाव करने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन और सामग्रियां; संगत पाठ्य पुस्तकें, नीति दस्तावेजों और आयोगों की रिपोर्टों की प्रतियां; संगत पाठ्यचर्या दस्तावेज, जैसे एनसीएफ, एनसीएफटीई, अनुसंधान रिपोर्टें, सर्वेक्षण रिपोर्टें (राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय), जिला राज्य स्तरीय डाटा; अध्यापकों के गुटके; पाठ्यक्रम पठन के लिए संगत पुस्तकें और जर्नल; फील्ड रिपोर्टें; विद्यार्थियों द्वारा हाथ में ली गई अनुसंधान गोष्ठियां; श्रव्य दृश्य उपस्कर – टीवी, डीवीडी प्लेयर, एलसीडी प्रोजेक्टर, फिल्में (वृत्तचित्र, बच्चों की फिल्में, सामाजिक सरोकारों/संघर्ष के मुद्दों की अन्य फिल्में, शिक्षा संबंधी फिल्में); कैमरा और अन्य रिकार्डिंग उपकरण; कम्प्यूटरों और इंटरनेट सुविधाओं के साथ आईसीटी सुविधाएं; और वांछनीय रूप से आरओटी (रिसीव ओनली टर्मिनल) और एसआईटी (सैटेलाइट इंटरएक्टिव टर्मिनल)।

(घ) सामान्य इन्डोर खेलों और आउटडोर सामान्य खेलों के लिए खेलने के उपस्कर उपलब्ध होने चाहिएं।

(ङ) साधारण संगीत उपकरण, जैसे हार्मोनियम, तबला, मंजीरा और अन्य देशी वाद्य यंत्र।

7.3 अन्य सुविधाएं

(क) शैक्षणिक और अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संस्थान में क्रियाशील और उपयुक्त प्रयोगशालाएं।

(ख) वाहनों को खड़ा करने के प्रबंध किए जाएं।

(ग) संस्था में सुरक्षित पेय जल के प्राप्त होने की व्यवस्था की जाए।

(घ) परिसर की नियमित रूप से सफाई करने, जल और शौचालय सुविधाओं (पुरूष और महिला विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए अलग–अलग), फर्नीचर अन्य उपस्करों की मरम्मत और उनके प्रतिस्थापन के लिए प्रभावकारी प्रबन्ध किए जाएं।

(टिप्पणी: यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही परिसर में अध्यापक शिक्षा के एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जाते हों, तो खेल के मैदान, बहु प्रयोजनी हाल, पुस्तकालय और प्रयोगशाला की सुविधाओं का (पुस्तकों और उपस्करों की आनुपातिक वृद्धि के साथ) और शैक्षणिक स्थान की सुविधाओं का उपयोग सांझे रूप से किया जा सकता है। संस्था में समूचे संस्थान के लिए एक प्रिंसिपल होगा और संस्था में प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अध्यक्ष होंगे।

8. प्रबंधन समिति

संस्थान में एक प्रबन्धन समिति होगी, जिसमें संस्था को प्रायोजित करने वाली सोसाइटी/प्रबन्धन सोसाइटी/न्यास के सदस्य, दो शिक्षाविद्, प्राथमिक/प्रारंभिक शिक्षा विशेषज्ञ, एक संकाय सदस्य, क्षेत्र संलग्नता कार्य के लिए निर्धारित की गई दो संस्थाओं के अध्यक्ष (उन स्कूलों में बारी बारी द्वारा, जिनके साथ टीईआई जुड़ी हुई है) शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के विभागों के मामले में, प्रबन्धन और शासन का ढांचा वह होगा, जिसकी व्यवस्था संबंधित विश्वविद्यालय संविधियों में की गई होगी।

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the, 28th November, 2014

No. F. 51-1/2014-NCTE (N&S).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), and in supersession of the National Council for Teacher Education [Recognition Norms and Procedure] Regulations, 2009, the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure)Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993);

(b) "composite institution" means a duly recognised higher education institution offering undergraduate or postgraduate programmes of study in the field of liberal arts or humanities or social sciences or sciences or commerce or mathematics, as the case may be, at the time of applying for recognition of teacher education programmes, or an institution offering multiple teacher education programmes;

(c) "closure" means discontinuation of recognition of programmes or institution permitted by the Council on the basis of a formal application submitted by the institution;

(d) all the words and expressions used herein and defined in the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) shall have the same meanings respectively as assigned to them in the said Act.

3. Applicability.--These regulations shall be applicable to all matters relating to teacher education programmes for preparing norms and standards and procedures for recognition of institutions, commencement of new programmes and addition to sanctioned intake in the existing programmes including the following, namely:—

(a) recognition for commencement of new teacher education programmes which shall be offered in composite institutions;

(b) permission for introduction of new programmes in existing teacher education institutions duly recognized by the Council;

(c) permission for additional intake in the existing teacher education programmes duly recognised by the